

‘साहित्य-मण्डल-माला’ की नवीं पुस्तक—

राजस्थान

(प्राचीन भारतीय गौरव का
अर्वाचीन इतिहास)

लेखक—

श्रीयुत श्रीगोविन्द हयारण ।

प्रकाशक—

साहित्य-मण्डल,

बाजार सीताराम,

दिल्ली ।

मूल्य—तीन रुपया

राज-संस्करण छः रुपया ।

प्रकाशक—

शुभचरण जैन,

मालिक—साहित्य-मण्डल,
वाज्जार सीताराम, दिल्ली ।

पहली बार

सर्वाधिकार सुरक्षित

अगस्त, १९३२

मुद्रक—

जे० वी० प्रिंटिंग प्रेस,
चाँदनी चौक,
दिल्ली ।

उपहार

सेवा में—

श्री गोपीनाथ पुरोहित पुस्तकालय
 वृद्धि सं.....
 तारीख:.....
 श्री * बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली (जयपुर)

संकेत ३/५४/२१
 सूचीपत्र : ३१
 सत्र ५५-५६

संकेत
 सूचीपत्र :
 सत्र.....

संकेत
 सूचीपत्र :
 सत्र.....

विषय-सूची

१—एक बात	७
२—पारिभाषिक शब्द	११
३—प्रकाशक के शब्द	१५
४—राजस्थान !	१९
५—साधारण परिचय	२२
६—देशी राज्यों की स्थापना का पूर्व-इतिहास	४७
७—राजनीतिक संधियाँ	९१
८—नमक-व्यापार पर संधियाँ	१२७
९—व्यापारिक संधियाँ	१३८
१०—सिका-सम्बन्धी संधियाँ	१४४
११—रेलवे-सम्बन्धी संधियाँ	१४८
१२—सेना-सम्बन्धी अहदनामा	१४९
१३—त्रिदल-संधियाँ	१५२
१४—तीन शाही घोषणायें	१५८
१५—राजनैतिक अनुशासन	१६१
१६—नरेन्द्र-मण्डल	१७१
१७—नरेशों का सम्मान	१७७
१८—ब्रिटिश-हस्तक्षेप	१९७
१९—लॉर्ड रीडिङ्ग का पत्र	२२०
२०—ब्रिटिश-अधिकारियों के दौरे	२२६
२१—देशी राज्यों का शासन-विधान	२२९

२२—देशी राज्यों की सेना	२३४
२३—नावालिगी शासन	२३७
२४—व्यवस्थापिका-सभायें	२४०
२५—न्याय-विभाग	२४६
२६—स्थानीय स्वराज्य-संस्थायें	२४९
२७—शिक्षा-संस्थायें	२५२
२८—रेलवे-लाइनें	२५४
२९—डाक और तार-विभाग	२५६
३०—फौजदारी के अभियुक्त	२५७
३१—सामाजिक सम्बन्ध	२६४
३२—क्या नरेश स्वतंत्र हैं ?	२६६
३३—नरेशों का निजी व्यय	२६८
३४—नरेशों का दान	२७१
३५—दरबार-उत्सव-आदि	२७८
३६—नरेशों का श्वान-प्रेम	२८६
३७—राज्य-भाषा	२८९
३८—गोरे अफसरों की भर्ती	२९६
३९—मुसलमान और उनका प्रतिनिधित्व	२९८
४०—समाज-सुधार	३०७
४१—धार्मिक स्वतंत्रता	३१३
४२—प्रेस-सम्बन्धी-विधान	३१९
४३—समाचार-पत्र	३२१
४४—भाषण-स्वातंत्र्य	३२३
४५—आर्थिक स्थिति	३२७
४६—कुछ विशेषतायें	३३०

एक बात

‘राजस्थान’ बड़ा ही व्यापक शब्द है। यदि इससे सम्बन्धित सभी विषयों पर पूर्णरूपेण प्रकाश डाला जाय, तो सम्भवतः एक-एक हजार पृष्ठों के दस ग्रंथ तैयार हो जावें, जिनका हिन्दी में न तो प्रकाशन ही सम्भव है, और न प्रचार ही। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस छोटी-सी पुस्तक में उपरोक्त व्यापक विषय पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। अपने उद्योग में मैं कहाँ तक सफल हुआ—इसका निर्णय तो पाठक ही करेंगे।

अंग्रेजी में देशी राज्यों-सम्बन्धी बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं, पर हिन्दी में इस विषय के साहित्य का अभाव है। इसका कारण, मेरी समझ में, लेखकों और प्रकाशकों की उदासीनता है। लेखकगण देशी राज्यों में रहकर अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, और प्रकाशकों का अनुमान है, कि ऐसे नीरस साहित्य के खरीदार नहीं।

सम्भव है, प्रकाशकों का अनुमान सत्य हो। पर समय आ रहा है, जबकि, प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को देशी राज्यों के विषय में अध्ययन और मनन करना होगा; क्योंकि भारतीय स्वाधीनता की समस्या के साथ-साथ देशी राज्यों की समस्या भी उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार स्त्री और पुरुषों की। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से दो भारत

हैं, पर भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और कुछ अंशों में राजनीतिक दृष्टि से भी, भारत एक है, और ब्रिटिश-भारत तथा देशी राज्यों का 'चोली-दाम्मन' का साथ है।

मैंने यह अनुभव किया कि हिन्दी में ऐसी पुस्तक का पूर्ण अभाव है, जिसमें देशी राज्यों का साधारण परिचय, उनकी स्थापना का पूर्व-इतिहास, उनकी संधियों, शासन-व्यवस्था, ब्रिटिश-सरकार से सम्बन्ध, आन्तरिक दशा—आदि पर प्रकाश डाला गया हो। इस अभाव की पूर्ति के लिये ही यह धृष्टता कर बैठा। धृष्टता इसलिये कहूँगा कि विधान-सम्बन्धी आलोचना करना सरल कार्य नहीं; यह तो किसी विधान के विशेषज्ञ द्वारा सम्पादित होना चाहिये था।

देशी राज्यों में विधान-सम्बन्धी समानता नहीं है। सभी का 'अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग' है। अतः देशी राज्यों के सम्बन्ध में विधान-सम्बन्धी प्रकाश डालना उतना ही कठिन कार्य है, जितना ब्रिटिश-भारत का शासन-विधान लिख डालना सरल है; क्योंकि ब्रिटिश-भारत के प्रान्तों के शासन-विधान में समानता है।

भारत में दो देशी राज्य स्वतंत्र माने जाते हैं; एक नैपाल और दूसरा भूटान। नैपाल और ब्रिटिश सरकार में वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा अफगानिस्तान और ब्रिटिश-सरकार में; अथवा ब्रिटिश-सरकार और जर्मनी में। नैपाल पूर्ण स्वतंत्र है। उसके शासक को हिज़ मेजेस्टी स्वीकार कर लिया

गया है। मैंने प्रस्तुत पुस्तक में उसकी चर्चा नहीं की है; क्योंकि नैपाल 'देशी राज्य' की आम परिभाषा में नहीं आता। पर, भूटान स्वतंत्र होते हुए भी अर्द्ध-परतंत्र है। वह आन्तरिक व्यवस्था में तो स्वतंत्र है, पर उसकी वैदेशिक नीति ब्रिटिश-सरकार के हाथ में है। उसे भारत-सरकार से वार्षिक पेन्शन मिलती है, जिसके बदले में वह किसी भी बाहरी राष्ट्र से अपना सम्बन्ध नहीं कर सकता। उसे मैं देशी राज्यों में ही मानता हूँ, इसलिये उसकी भी चर्चा की गयी है।

सम्भव है, अल्प-ज्ञान, अनुभव-हीनता और लेखन-शक्ति में शिथिलता के कारण पुस्तक में कहीं पर किसी राज्य के सम्बन्ध में कुछ भ्रम-पूर्ण चर्चा कर गया होऊँ। यदि ऐसा हो, तो मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ। सूचना मिलने पर आगामी संस्करण में सुधार कर दूँगा।

अन्त में 'साहित्य-मण्डल' के उत्साही अध्यक्ष भाई ऋषभचरणजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने ऐसे विषय पर प्रकाशन करने का साहस कर डाला। हिन्दी-प्रेमी उनके इस साहस की कद्र करें।

श्रीगोविन्द ह्यारण ।

पारिभाषिक शब्द

इस पुस्तक में कुछ शब्द ऐसे आये हैं, जिनकी व्याख्या कर देना आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि ये शब्द 'विशेष रूप' से व्यवहृत हुए हैं—

१-खिराज—खिराज उस 'कर' को कहते हैं, जो भारत-सरकार को देशी राज्यों से मिलता है।

२-पेशकाश—यह कर पेशवाओं ने अपने शासन-काल में कुछ राज्यों से बाँधा था। अब भी कई राज्यों में यह कर चला आ रहा है।

३-राजहक्र—दक्षिण के कुछ राजाओं ने अपने मातहत राजाओं से 'राजहक्र' नाम से एक कर बाँधा था, जो 'राजहक्र' कहलाता था।

४-जोरतलवी—गुजरात के मुसलमान नवाबों ने कुछ राजाओं से कर बाँधा था, वह 'जोरतलवी' कहलाता था। जुनागढ़ राज्य अब भी कई राज्यों से 'जोरतलवी' पा रहा है।

५-सार्वदेशमुखी—महाराष्ट्र के कुछ राज्यों ने अपने आस-पास के छोटे-छोटे राज्यों से जो कर लेना आरम्भ किया था, वह 'सार्वदेशमुखी' कहलाता था।

६-खिचड़ी—कुछ मुसलमानी राज्यों ने छोटे-छोटे राज्यों से 'खिचड़ी' नाम से कर वाँधा था। यह कर गुजरात में अब भी एक-दो राज्यों से लिया जाता है।

७-घास-दाना—दक्षिण-भारत के कुछ राज्यों ने 'घास-दाना' नाम से कर वसूल किया था।

८-चौथ—महाराष्ट्रों ने अनेक राज्यों से राज्य की समस्त आय का चौथा भाग कर के रूप में वसूल किया था, वह 'चौथ' कहलाता था।

९-कुदनी—जिस प्रकार कुछ राज्यों ने 'खिचड़ी', 'राजहक्र' 'घास-दाना'-आदि नामों से कर वसूल किया, उसी प्रकार कुछ महाराष्ट्र ब्राह्मणों ने 'कुदनी' नाम रखा।

१०-नज़र—यह शब्द एक-दो मुसलमानी राजाओं के समय में 'राज्य-कर' के लिये ही व्यवहृत हुआ।

वास्तव में खिराज, पेशकाश, राजहक्र, ज़ोरतलवी, सार्वदेशमुखी, खिचड़ी, घास-दाना, चौथ, कुदनी, नज़र, आदि का अर्थ एक ही है, पर भिन्न-भिन्न राजाओं ने भिन्न-भिन्न नाम रख लिये थे।

११-निज़ामत—कुछ राज्यों में ज़िले को 'निज़ामत' कहते हैं

१२-सूबा—ग्वालियर राज्य में ज़िले को 'सूबा' कहते हैं, और उसके अफसर को सूबा साहब बोलते हैं।

प्रकाशक के शब्द

‘राजस्थान’ भारत की वह गौरव-भूमि है, जहाँ हमारे प्राचीन योद्धाओं ने अपनी आन के लिये रक्त की ज्विनी बहाई है, जहाँ अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये राज्य-के-राज्य कट मरे हैं, जहाँ सिंह-जननी राजपूत-बालाओं की इज्जत बचाने के लिये एक-एक बच्चे ने अपने रक्त की आहुति दे डाली है। राजस्थान की गौरव-गाथा से इतिहास के हजारों पृष्ठ भरे पड़े हैं, यदि राजस्थान के अतुल-शौर्य का एक टुकड़ा भी उपस्थित किया जाय, तो संसार के कलाकार आश्चर्य-भिमुग्ध रह जाँयगे ! सिकन्दर और नैपोलियन जिनकी वीर-कथायें कहते-कहते सारे यूरोप की जवान नहीं थकती, उनकी तुलना यदि राजस्थान के एक सामान्य वीर के साथ की जाय, तो उसके सामने इन लोगों को कोई हस्ती न रहे। जिन लोगों ने केवल औचित्य का पालन करने के लिये जीवन-भर मुसीबतें भेलीं, विदेशी शासक के सम्मुख सिर झुकाने की जगह तिल-तिल करके प्राण देना स्वीकार किया, अपने देश की मान-रक्षा के लिये रक्त का मूल्य न समझा तथा जो पद-पद पर विफलताएँ पाकर भी अपने कर्तव्य-पथ से विचलित न हुए, और जिन्होंने अपने भविष्य पर दृष्टिपात न कर, देश-हित सर्वस्व अर्पण कर दिया, क्या उनकी तुलना साम्राज्य-लोलुप, इन्द्रिय-भक्त तुच्छ व्यक्तियों से की जा सकती है ?

आज दुनिया राजस्थान की महानता से परिचित नहीं, भारत के बच्चे दुर्गादास और राजसिंह को भूलकर अलेग्ज़ण्डर की कहानियाँ पढ़ते हैं, राजस्थान की पुण्य-भूमि

को विस्मृत करके इंग्लैंड और अमेरिका का पर्यटन करते हैं। यह सब भाग्य की गति है ! आज राजस्थान की वह गौरव-भूमि अपनी तलवार न्यान में रक्खे, अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रही है। राजस्थान के पराक्रमी नरेश परिस्थितियों से मजबूर होकर चुप बैठे हैं। पर, हम इस तरफ़ से उदासीन नहीं हो सकते। राजस्थान भारतवर्ष का प्राण है। प्रत्येक भारतीय बच्चे का कर्तव्य है, कि वह गौरव-शील राजस्थान के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। खेद की बात है कि राष्ट्र-भाषा में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बहुत ही कम साहित्य प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत 'राजस्थान' के प्रकाशन-द्वारा इस कमी को दूर करने की चेष्टा की गई है।

राजस्थान की समस्या भारतवर्ष के भाग्य-विधान में जैसी अड़चन पैदा कर रही है, यह आज किसी से छिपा नहीं है। किन भीतरी कारणों से और किन विचित्र सन्धियों के कारण यह समस्या उपस्थित हुई, इसका रहस्य समझने में प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के लिये सहायक-रूप होगी। साथ-ही एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्य का प्रतिपादन भी होगा। वह यह कि सुराज्य से स्वराज्य अच्छा है। इसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि देशी-राज्यों की अनेक बुराइयों का ढिंढोरा पिटने पर भी ब्रिटिश-भारत की अपेक्षा राजस्थान अधिक फूला-फला है, तथा अधिकांश राज्यों की प्रजा खुशहाल है।

इस पुस्तक के प्रकाशन और सम्पादन में खूब परिश्रम हुआ है। व्यय भी काफी हुआ है। उसी के अनुसार इसका मूल्य रक्खा गया है। पाठकगण इसे पढ़कर असन्तुष्ट न होंगे।

परिचय और पूर्व-इतिहास

राजस्थान !

राजस्थान वह भूमि है, जिसका उदाहरण संसार में शायद ही मिल सके। वीरता, दृढ़ता, स्वाभिमान, चातुर्य, युद्ध-कौशल, निर्भयता, ज्ञान, और आन पर मर मिटने का इतिहास राजस्थान-भूमि में ही मिलेगा। स्वतंत्रता के उपासक प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप, वीरवर सेनापति दुर्गादास, वीर भामाशाह, मुस्लिम सम्राटों के दाँत खट्टे करके हिन्दू-राज्य का स्थापन करनेवाले वीर शिवाजी, श्रद्धेय महाराणा छत्रसाल, मुगल-सम्राट् को क्रुद्ध करनेवाले महादजी सिंधिया, दिल्ली लूटनेवाले वीरवर सूरजमल जाट, दिल्ली-विजेता मझाराजा जवाहरसिंह, अपने जीते-जी परतंत्रता स्वीकार न करके अपने प्राणों की आहुति दे देनेवाली महाराणी लक्ष्मी-वाई, वीरवर जयमल-फत्ता, कर्तव्य-परायण पन्ना धाय आदि को किस भूमि ने जन्म दिया ? वह कौन-सी भूमि है, जिसने ऐसे वीरों का अपनी गोद में लालन-पालन किया ? वह कौन-सी भूमि है, जिसने ऐसे वीरों की वलि देकर संसार में अपना नाम अमर किया ? वह है राजस्थान !

ओह ! कैसा सुन्दर स्वप्न-साम्राज्य है ! कितनी सुन्दर-सुखद और पवित्र सृष्टियाँ हैं ! संसार ने आज तक राजस्थानी से अधिक सुन्दर चरित्र-वाला मनुष्य नहीं देखा । पौरुष, विक्रम और त्याग के नाम से जो-कुछ भाव व्यक्त किये जाते हैं, वे सब एक-ही मनुष्य में कूट-कूटकर भरे हैं । वह मनुष्य है, राजस्थानी । वह हमारी श्रद्धा का अधिकारी है—स्वप्न में देखने की वस्तु है । राजस्थान ने मनुष्य-जाति के इस नमूने को, मानवता के इस पुष्प को—जिसके सौन्दर्य और सौरभ की समानता संसार के उपवन का कोई पुष्प नहीं कर सकता—पैदा किया है ।

राजस्थान ! तू इतिहास का निर्माता है । तू मधुरतम और अत्यंत भावमयी कविता है । तू जीवन का तत्वज्ञान है । तेरी आत्मा महत्तम है । यद्यपि वर्तमान काल में तू अपने पूर्व रूप में दिखलाई नहीं देता, पर आशा है कि तू शीघ्र-ही अपनी आत्मा को, अपने और सब के कल्याण के लिये फिर से पहचानने में सफल होगा । अतीत काल में तू उत्पीड़ितों की रक्षा के लिये उठा और लड़ा, तूने रक्त की नदियाँ बहाई, और अपने नाम को तूने अमर बनाया ।

राजस्थान ! तू धन्य है । तेरा नाम स्मरण होते-ही राजस्थानियों का ध्यान आजाता है । बूँदी और कोटा के राजपूत, महान् मेवाड़ी, वीर मारवाड़ी, कभी न-भुकनेवाले हाड़ा, निर्भय भट्टी, शमशेर जंग-बहादुर मराठे, सुचतुर जाट,

श्रद्धालु भीलगाण राजस्थानी-ही तो थे ! उनका गौरव, उनकी शान, उनका नाम और उनकी कीर्ति-पताका आज भी संसार में प्रसिद्ध है ।

राजस्थान ! तेरे पूर्व गौरव को स्मरण कर, श्रद्धा से सिर झुक जाता है । तेरी वीरता का इतिहास पढ़ते-ही इन मुर्दानसों में भी जोश आजाता है । तेरी कथा को सुनते-ही निर्बल व्यक्ति की भी भुजायें फड़क उठती हैं । तू धन्य है । तुझे चारम्बार नमस्कार है !!

साधारण परिचय

जिन्होंने भारतवर्ष का नक्शा एक चार भी देखा है, वह जानते हैं कि उस नक्शे में दो रंग प्रधान हैं। एक तो लाल रंग, जो ब्रिटिश-भारत की सीमा का द्योतक है, और दूसरा पीला रंग, जो देशी राज्यों की सीमा बतलाता है। देशी-राज्यों का भूमि-विस्तार ६७५२६७ वर्गमील है, और यहाँ ७ करोड़ से अधिक नर-नारी बसते हैं। भारतवर्ष में ५६२ रियासतें हैं, जिनमें सब से बड़ी रियासत हैदराबाद है; जो यूरोप के इटली देश के बराबर है। लगभग ३० रियासतें ऐसी हैं, जिनका भूमि-विस्तार, जन-संख्या, वार्षिक आय आदि ब्रिटिश-भारत बड़े जिलों के समान है। २७ रियासतें ऐसी हैं, जिनका क्षेत्रफल एक-एक वर्गमील है, और १५ तो इतनी छोटी हैं कि उनका क्षेत्रफल एक वर्गमील भी नहीं है—इनमें भी तीन रियासतें ऐसी हैं, जिनकी जन-संख्या सौ से अधिक नहीं है, और पाँच ऐसी हैं, जिनकी वार्षिक-आय सौ रुपये है। एक रियासत तो इतनी छोटी है कि उसकी वार्षिक आय २०) ही है, और जन-संख्या है, कुल ३२।

इन सभी रियासतों का परिचय देना अत्यन्त कठिन है। इसलिये यहाँ प्रधान रियासतों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। इस परिचय में रियासतों का इतिहास, या शासन-विधान-वर्णन नहीं है। इन विषयों पर पृथक्-ही विचार किया गया है।

१—हैदराबाद

मुसल्मानी रियासत है। इसके शासक निज़ाम कहलाते हैं। यह भारत की सब से धनवान् रियासत है। इसका भूमि-विस्तार ८२६९८ वर्गमील और जन-संख्या १२४७१७७० है। वार्षिक आय ३५८.लाख रु० के लगभग है। वर्तमान निज़ाम सर उस्मान अली खाँ बहादुर, जी० सी० एस० आई० हैं।

२—मैसूर

मैसूर में मदरासी ब्राह्मणों का शासन है। यह अधिक उन्नतिशील राज्य माना जाता है। इसका क्षेत्रफल २९४६९ वर्गमील, जन-संख्या ५९७८८९२, और वार्षिक आय एक करोड़ १९ लाख है। खिराज में ३५ लाख वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है। वर्तमान नरेश श्रीकृष्ण राजा। बदियार बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० वी० ई० हैं।

३-बड़ौदा

बड़ौदा में महाराष्ट्रों का शासन है। इसका क्षेत्रफल ८१३५ और जन-संख्या २१२६५२२ है। वार्षिक आय १२३

लाख है। इसे अन्य कई रियासतों से ३४३०० रु० वार्षिक खिराज में मिलता है। वर्तमान नरेश सर सयाजी राव गायकवाड़, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई० हैं।

४-काश्मीर

काश्मीर और जम्मू में राजपूतों की गद्दी है। इसका विस्तार ८४२५८ वर्गमील में है। जन-संख्या ३२२०५१८ और वार्षिक आय ८७ लाख रु० है। वर्तमान नरेश सर हरीसिंह बहादुर, के० सी० आई० ई०, के० सी० वी० ओ० हैं।

५-नावालियर

महाराष्ट्र रियासत है। यहाँ सिंधिया-वंश का शासन है। इसका क्षेत्रफल २६३८२ वर्गमील है। जन-संख्या ३१९५६७६ है। वार्षिक आय २ करोड़ १० लाख है। इसे भी कई अन्य रियासतों से खिराज मिलता है। वर्तमान नरेश श्री जॉर्ज जोवाजी राव सिंधिया, आलीजाह बहादुर (नावालिरा) हैं।

६-इन्दौर

इन्दौर में महाराष्ट्र क्षत्रियों के होल्कर वंश की गद्दी है। इसका विस्तार १५१९ वर्गमील में है। जन-संख्या ११५१५७८ और वार्षिक आय एक करोड़ ३८ लाख है। वर्तमान नरेश

महाराजाधिराज राज-राजेश्वर सवाई श्री यशवंतराव होल्कर हैं ।

७-भोपाल

भोपाल मुसल्मानी रियासत है । इसका क्षेत्रफल ६९०२ वर्गमील है । जन-संख्या ६९२४४० और वार्षिक आय ५६ लाख है । यह भारत-सरकार को १०७५३) वार्षिक सेना-व्यय के लिये देती है । वर्तमान नवाब सिकन्दर सोलत, नवाब इफ़्तखारुल-मुल्क मुहम्मद हमीदुल्ला खाँ बहादुर, जी० ए०, सी० एस० आई०, सी० वी० ओ० हैं ।

८-कलात

कलात में मुसल्मानी शासन है । इसका भूमि-विस्तार ८०४१० वर्गमील है । जन-संख्या ३७९००० और वार्षिक आय ९८ लाख है ।

९-द्रावनकोर

द्रावनकोर का विस्तार ७६२५ वर्गमील में है । जन-संख्या ४००६०६२ और वार्षिक आय २ करोड़ ६ लाख है । खिराज में ५३३३) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है । वर्तमान नरेश श्री पद्मनाभ दासावांची पाला-रामा वर्मा, शमशेर जंगबहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई० हैं ।

१०-कोचीन

कोचीन १४१७ वर्गमील में फैला हुआ है। जन-संख्या ९७९०१९ और वार्षिक आय ७० लाख है। खिराज में १३३३३) देना पड़ता है। वर्तमान नरेश सर रामा वर्मा, जी० सी० आई० ई० हैं।

११-पुद्दूकोटा

पुद्दूकोटा का क्षेत्रफल ११७९ वर्गमील है। जन-संख्या ४२६८१३ और वार्षिक आय २३ लाख है। वर्तमान नरेश राजा सर मार्तण्ड बैराव दुण्डीमैन वहादुर, जी० सी० एस० आई० हैं।

१२-कोल्हापुर

कोल्हापुर में प्रातःस्मरणीय महाराजा छत्रपति शिवाजी के वंशजों का शासन है। क्षेत्रफल ३२१७ वर्गमील है। जन-संख्या ८३३७२९ और वार्षिक-आय ९९ लाख है। यह खिराज नहीं देती। वर्तमान नरेश श्री राजाराम छत्रपति महाराज, जी० सी० आई० ई० हैं।

१३-कच्छ

कच्छ का भूमि-विस्तार ७६१६ वर्गमील है। जन-संख्या ४८८०२२ और वार्षिक आय २० लाख है। खिराज में ५४८४) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है।

वर्तमान नरेश श्री खेमराजी, सवाई बहादुर, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ०, के० वी० ई० हैं।

१४-भावनगर

भावनगर का क्षेत्रफल २८६० वर्गमील है। जन-संख्या ४२६४०४ और वार्षिक आय १७ लाख है। खिराज में (१२८०६०) भारत-सरकार को, 'पेशकाश' में ३५८१११) बड़ौदा रियासत को, और २२८५८) जोरतल्वी में जूनागढ़ को देना पड़ता है। वर्तमान नरेश महाराजा कृष्णकुमार सिंहजी हैं।

१५-जूनागढ़

जूनागढ़ मुसल्मानी रियासत है। इसका भूमि-विस्तार ३३३६ वर्गमील, जन-संख्या ४६५४९३ और वार्षिक-आय ८० लाख है। इसे अन्य कई रियासतों से 'जोर-तल्वी' मिलती है। यह भारत-सरकार को खिराज में २८३९४) और बड़ौदा नरेश को 'पेशकाश' में ३८२१०) वार्षिक देती है। वर्तमान नवाब सर महावत खाँ, के० सी० एस० आई० हैं।

१६-नवानगर

नवानगर का क्षेत्र-विस्तार ३७९१ वर्गमील है। जन-संख्या ३४५३५३ और वार्षिक आय ८० लाख है। यह

१२००९३) वार्षिक भारत-सरकार और बड़ौदा स्टेट को खिराज में देती है। इसके शासक जाम साहब कहलाते हैं। वर्तमान जाम साहब महाराजा सर रणजीतसिंह बहादुर, जी० वी० ई०, के० सी० एस० आई हैं।

१७-ध्रांगध्रा

ध्रांगध्रा में भाला राजपूतों की गद्दी है। इसका क्षेत्रफल ११६७ वर्गमील और जन-संख्या एक लाख से अधिक है। वर्तमान नरेश महाराणा श्री सर घनश्यामसिंहजी, जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, हैं।

१८-गोंडाल

गोंडाल में राजपूतों का शासन है। वर्तमान नरेश श्री भगवतसिंह जी, जी० सी० आई० ई० हैं। खिराज में ११०७२१) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है, इस राज्य में आयात और निर्यात-कर नहीं लिया जाता।

१९-पालनपुर

पालनपुर में मुसल्मानी राज्य है। इसका भूमि-विस्तार १७६८ वर्गमील, जन-संख्या २४३९१२ और वार्षिक-आय १० लाख ५० हजार है। बड़ौदा स्टेट को ३८४६२) वार्षिक खिराज में देना पड़ता है। वर्तमान नवाब कैप्टन जुब्दातुल-मुल्क, दीवान मेहरबान ताले मुहम्मदख़ाँ बहादुर, के० सी० आई० ई०, के० सी० वी० ओ० हैं।

२०-रधानपुर

रधानपुर भी मुसल्मानी रियासत है। इसका विस्तार ११५० वर्गमील में है। वर्त्तमान नवाब जलालुद्दीन खानजी हैं।

२१-जाठ

यह महाराष्ट्रों की जागीर है, जो बीजापुर एजेंसी में है। इसका विस्तार ९८० वर्गमील है। वार्षिक आय ३ लाख है। इसे ब्रिटिश-सरकार को सार्वदेशमुखी अधिकारों का ४८४७) और घुड़-सवार सेना का व्यय ६४००) वार्षिक देना पड़ता है। वर्त्तमान सरदार मेहरवान विजयसिंहराव रामराव उर्फ बावा साहब दुफले हैं।

२२-सवानूर

सवानूर मुसल्मानी रियासत है। इसका क्षेत्रफल ७० वर्गमील और जन-संख्या १६८३० है। वार्षिक आय २०१४१०।=) है। खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्त्तमान नवाब कैप्टन मेहरवान नवाब अब्दुल मजीदखाँ, दिलेरजंग बहादुर हैं।

२३-कम्बे

कम्बे में फ़ारस के नज़्मीसानी खान्दान के शिया मुसल्लों की गद्दी है। इसका क्षेत्रफल ३५० वर्गमील और जन-संख्या ७१५१५ है। खिराज में २१९२४) वार्षिक भारत-

सरकार को देना पड़ता है। वर्तमान नवाब मिर्जाहुसैन यावर खाँ हैं। वार्षिक आय लगभग ८ लाख है।

२४—जंजीरा

जंजीरा मुसल्मानी रियासत है। इसका क्षेत्रफल ३७७ वर्गमील और जन-संख्या ९८५३० है। वार्षिक आय ८ लाख है। वर्तमान नवाब सिद्दीमुहम्मदखाँ (नावालिग) हैं।

२५—साँगली

साँगली का क्षेत्रफल ११३६ वर्गमील है। इसके अधिपति चीफ कहलाते हैं। जन-संख्या २२१३२१ और वार्षिक आय १३ लाख ६० हजार है। खिराज में एक लाख पैंतीस हजार भारत-सरकार को देना पड़ता है।

२६—मिरज (सीनियर)

मिरज (सीनियर) का भूमि-विस्तार ३४२ वर्गमील, जन-संख्या ८२५८० और वार्षिक आय ४३१२०४) है। खिराज में १२५५८) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है।

२७—मिरज (जूनियर)

मिरज (जूनियर) का विस्तार १९६॥ वर्गमील में है। जन-संख्या ३४६६५ और वार्षिक आय ३५२३८२) है। खिराज में ७३८९) वार्षिक भारत-सरकार लेती है।

२८-कुरुन्दवाद (सीनियर)

कुरुन्दवाद (सीनियर) का क्षेत्रफल १८२॥ वर्गमील है। जन-संख्या ३८७६० और वार्षिक आय ३५६२५०) है। खिराज में ९६१९) वार्षिक देना पड़ता है।

२९-कुरुन्दवाद (जूनियर)

कुरुन्दवाद (जूनियर) का भूमि-विस्तार ११४ वर्गमील है। जन-संख्या ३४२८८ और वार्षिक-आय २७०९२८) है। खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता।

३०-जमखण्डी

जमखण्डी का विस्तार ५२४ वर्गमील में है। इसकी जन-संख्या १०११९५ और वार्षिक-आय ९४४३१०) है। खिराज में २०५१६) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है।

३१-मधोल

मधोल ३६८ वर्गमील में फैली हुई है। इसकी जन-संख्या ६०१४० और वार्षिक आय ४८०५९९) है। खिराज में २६७२) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है।

३२-रामद्रुग

रामद्रुग का क्षेत्रफल १६९ वर्गमील है। जन-संख्या ३३९९७ और वार्षिक आय ३६९४८३) है। खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता।

३३-ईडर

ईडर में राठौर राजपूतों का शासन है। इसका क्षेत्रफल १६६८ वर्गमील है। जन-संख्या २२६३५१ और वार्षिक-आय १६४७३७९) है। इसे आपने अधीनस्थ जागीरदारों से 'खिचड़ी' और 'राजहक्र' में ५२४२७) वार्षिक मिलता है। सभी जागीरें और ईडर राजा मिलकर भारत-सरकार की मार्फत बड़ौदा राज्य को ३०३४०) वार्षिक 'घास-दाना' के नाम से देती हैं। वर्तमान नरेश लेफ्टिनेंट-कर्नल महाराजा सर दौलत सिंहजी, के० सी० एस० आई० हैं।

३४-सरगना

सरगना महाराष्ट्रों की रियासत है। इसका भूमि-विस्तार ३६० वर्गमील और जन-संख्या १४९१२ है। चीफ़ साहब मेहरवान प्रताप रावराम देशमुख का स्वर्गवास हो चुका है।

३५-राजपीपला

राजपीपला में गोहल राजपूतों की गद्दी है। इसका भूमि-विस्तार १५१७ वर्गमील है। वर्तमान नरेश केप्टन महाराना श्री सर विजयसिंह जी, के० सी० एस० आई० हैं।

३६-सावंतवाड़ी

महाराष्ट्रों की रियासत है। क्षेत्रफल ९२५ वर्गमील, जन-संख्या २०६४४० और वार्षिक आय ६७५३९७) है। वर्तमान शासक केप्टन राजे-वहादुर श्रीमंत खेम सावंत उर्फ वापू साहेब भोंसले हैं।

३७-आकलकोट

ब्रिटिश-सरकार से मिली हुई जागीर है, पर इसे दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त हैं। इसका भूमि-विस्तार ४९८ वर्गमील और जन-संख्या ८१२५० है।

३८-बरिया

बरिया में चौहान राजपूतों का शासन है। इसका विस्तार ८१३ वर्गमील है। जन-संख्या १३७२९१ और वार्षिक आय १० लाख है। वर्तमान शासक मेजर महारावल श्री सर रणजीतसिंहजी, के० सी० आई० ई० हैं। खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता।

३९-खैरपुर

मुसल्मानी राज्य है। इसके शासक मीर कहलाते हैं। क्षेत्रफल ६०५० वर्गमील, जन-संख्या १९३१५२ और वार्षिक आय २६ लाख है। वर्तमान मीर अली नवाज़ख़ाँ हैं।

४०-धरमपुर

धरमपुर का विस्तार ७०४ वर्गमील है। जन-संख्या ९५१७१ और वार्षिक आय लगभग १५ लाख है। वर्तमान

महाराणा श्री विजयदेवजी मोहनदेवजी हैं। खिराज में ६ हज़ार के लगभग देना पड़ता है।

४१-ज्वहार

ज्वहार का क्षेत्रफल ३१० वर्गमील, जन-संख्या ४९६६२ और वार्षिक आय ५२१९२७) है। वर्तमान चीफ़ राजा पातंगशा उर्फ़ यशवंतराव विक्रमशा हैं।

४२-कूचबिहार

कूचबिहार में खत्रियों का शासन है। इसका क्षेत्रफल १३१८ वर्गमील, जन-संख्या ५९२४८९ और वार्षिक आय ४३ लाख से अधिक है। वर्तमान शासक महाराजा जगत-दीपेन्द्र नारायण बहादुर (नावालिग) हैं।

४३-त्रिपुरा

चन्द्रवंशी खत्रियों का राज्य है। इसका क्षेत्रफल ४११६ वर्गमील, जन-संख्या ३०४४३७ और वार्षिक आय २० लाख है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत में स्टेट की ज़मींदारी है, जिससे १३ लाख वार्षिक की आय है। वर्तमान शासक महाराजा माणिक्य-वीर विक्रम किशोरदेव वर्मन बहादुर हैं।

४४-रामपुर

मुसल्मानी राज्य है। इसका भूमि-विस्तार ८९२ वर्ग-मील, जन-संख्या ४५३६०७ और वार्षिक आय ५० लाख है।

वर्तमान नवाब कर्नल नवाब सर सैयद मुहम्मद हमीद आली खाँ, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ०, ए० डी० सी०, हैं।

४५-बनारस

बनारस का क्षेत्रफल १८८९ वर्गमील, जन-संख्या ३६२७३५ और वार्षिक आय २६ लाख है। वर्तमान नरेश महाराजा आदित्यनारायण सिंह बहादुर हैं।

४६-उदयपुर

उदयपुर का क्षेत्रफल १२६९१ वर्गमील और जन-संख्या १३८००६३ है। आमदनी लगभग ५१ लाख रुपये वार्षिक है। ब्रिटिश सरकार को २ लाख खिराज में देना पड़ता है। यहाँ गहलोत-वंश के सीसोसिया राजवंश का शासन है। आजकल महाराणा सर फ़तेहसिंहजी बहादुर, जी० सी० एस० आई० गद्दी पर हैं। यह राजवंश लगभग १४ सौ वर्ष पुराना है। कैप्टन वेव ने इस राज्य के सम्बन्ध में लिखा है कि महाराणा उदयपुर संसार-भर में प्राचीन राजवंश के हैं।

४७-जोधपुर

जोधपुर का विस्तार ३५०१६ वर्गमील और जन-संख्या १८४१६४२ है। यहाँ राठौरों की गद्दी है। वार्षिक आय लगभग १ करोड़ ५० लाख रु० है। खिराज में एक लाख आठ

हज़ार वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है। वर्तमान नरेश मेजर राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उमेदसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ०, हैं।

४८-जैसलमेर

जैसलमेर में यादव-वंश के शाही राजपूतों की गद्दी है। उसका विस्तार १६०६२ वर्गमील और जन-संख्या ६७६५२ है। ब्रिटिश-सरकार को खिराज कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश महाराजाधिराज महारावल सर जवाहरसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आई०, हैं।

४९-जयपुर

जयपुर में राजपूतों की गद्दी है। इसका घेरा १५५७९ वर्गमील और जन-संख्या २३३८८०२ है। वार्षिक आमदनी ८५ लाख रु० है। ब्रिटिश सरकार चार लाख रुपये खिराज लेती है। वर्तमान नरेश महाराजा सवाई मानसिंह जी बहादुर हैं।

५०-बूंदी

बूंदी में हाड़ा राजपूतों की गद्दी है। क्षेत्रफल २२३० वर्गमील और जन-संख्या १८७०६८ है। वार्षिक आमदनी लगभग १० लाख रु० है। ८० हज़ार रु० खिराज में देना पड़ता है। वर्तमान नरेश महारावल राजा श्री ईश्वरसिंहजी बहादुर हैं।

५१-कोटा

कोटा में चौहान राजपूतों का शासन है। इसका विस्तार ५६८४ वर्गमील और जन-संख्या ६३००६० है। वार्षिक आय लगभग ४६।। लाख रुपया है। खिराज में ४८४७२०) रु० देना पड़ता है। वर्तमान नरेश लेफ्टिनेण्ट कर्नल महाराजा सर उमेदसिंहजी वहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० वी० ई०, हैं।

५२-करौली

करौली में यादव क्षत्रियों की गद्दी है। क्षेत्रफल १२४२ वर्गमील और जन-संख्या १३३७३० है। वार्षिक आय आठ लाख के लगभग है। इसे खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान शासक महाराज सर भँवरपालजी वहादुर हैं।

५३-बीकानेर

बीकानेर का राजवंश राठौर है। इसका विस्तार २३३१५ वर्गमील और और जन-संख्या ६५९६८५ है। वार्षिक आय ७६ लाख ४२ हजार के लगभग है। खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश महाराजाधिराज, नरेन्द्र-शिरोमणि, मेजर-जनरल सर गङ्गासिंहजी वहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ०, जी० वी० ई०, के० सी० वी०, एल-एल० डी०, ए० डी० सी०, हैं।

५४-किशनगढ़

किशनगढ़ में भी राठौरों का शासन है। इसका क्षेत्रफल ८५८ वर्गमील और जन-संख्या ७७७३४ है। वार्षिक आमदनी लगभग पाँच लाख रुपया है, और खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश महाराज सर यज्ञनारायणसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० सी० आई०, हैं।

५५-सिरोही

सिरोही में चौहान-वंश का शासन है। भूमि-विस्तार १९६४ वर्गमील और जन-संख्या १८८६३९ है। वार्षिक आमदनी दस लाख ३० हजार है। खिराज में सात हजार रु० देना पड़ता है। वर्तमान नरेश महाराजाधिराज, महारावल श्री स्वरूपसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आई०, हैं।

५६-डूंगरपुर

डूंगरपुर में गहलोतों की गद्दी है। इसका क्षेत्रफल १४४७ वर्गमील और जन-संख्या १८९२७२ है। वार्षिक आय ६ लाख ५८ हजार रु० है और खिराज में २७३८७॥) देना पड़ता है। वर्तमान नरेश महारावल श्रीलक्ष्मणसिंहजी बहादुर हैं।

५७-अलवर

अलवर में कछवाहे राजपूतों का राजवंश है। इसका भूमि-विस्तार ३२२१ वर्गमील और जन-संख्या ७०११५४ है।

वार्षिक आय ३३ लाख के लगभग है, पर खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश कर्नल राजराजेश्वर सर जयसिंह वीरेन्द्र-शिरोमणि देव जी०।सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, के० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, हैं।

५८—भरतपुर

भरतपुर में जाट-वंश का शासन है। क्षेत्रफल १९८३ वर्गमील, जन-संख्या ४९०६४३७ और वार्षिक आय ३५ लाख है। खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश श्री ब्रजेन्द्र सवाई ब्रजेन्द्रसिंहजी वहादुर (नाबालिग) हैं।

५९—धौलपुर

धौलपुर भी जाटों का ही राज्य है। इसका विस्तार १२०० वर्गमील और जन-संख्या २२९७३४ है। वार्षिक आय १६ लाख है, पर खिराज कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश, रईसउद्दौला, सिपाहदारउल्मुल्क महाराजाधिराज श्री० सवाई महाराणा सर उदयभानसिंह लोकेन्द्र वहादुर, दिलेरजंग, जयदेव, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ०, हैं।

६०—बाँसवाड़ा

बाँसवाड़ा में गहलोतों की गद्दी है। इसका क्षेत्रफल १६०६ वर्गमील, जन-संख्या १९०३६२, वार्षिक आय पाँच

लाख ३० हजार और खिराज में पाँच हजार रुपया देना पड़ता है। वर्तमान नरेश महारावल श्री पृथ्वीसिंहजी वहादुर हैं।

६१-टोंक

टोंक मुसलमानी रियासत है। इसका विस्तार २५५३ वर्गमील, जन-संख्या २२७८९८ और वार्षिक आय २१ लाख १० हजार है, पर खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान नरेश अमीन-उद्दौला वजीरुल-मुल्क नवाब सर मुहम्मद इब्राहीमअलीखाँ वहादुर, सोलेतजंग, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, हैं।

६२-प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में गहलोत राजवंश है। क्षेत्रफल ६८६ वर्ग-मील, जन-संख्या ६७११४, वार्षिक आय ४ लाख ९३ हजार और खिराज में ५६८८७॥) देना पड़ता है। वर्तमान नरेश महाराजा सर रघुनाथसिंहजी वहादुर, के० सी० आई० ई०, हैं।

६३-भालावाड़

भालावाड़ में भाला राजपूतों का शासन है। भूमि-विस्तार ८१० वर्गमील, जन-संख्या ९६१८२, और वार्षिक आय ७ लाख ७६ हजार है। वर्तमान नरेश महाराज राणा श्री राजेन्द्रसिंहजी वहादुर हैं।

६४-शाहपुरा

शाहपुरा में गहलोतों की गद्दी है। क्षेत्रफल ७०५ वर्ग-मील, जन-संख्या ६५१४२, वार्षिक आमदनी ५ लाख ६५ हजार है। वर्तमान नरेश राजाधिराज सर नाहरसिंह, के० सी० आई० ई०, हैं।

६५-रीवाँ

रीवाँ में वघेल राजपूतों का शासन है। इसका भूमि-विस्तार १३ हजार वर्गमील है। जन-संख्या लगभग १४ लाख और वार्षिक आय ५५ लाख है। वर्तमान नरेश वंधवेश महाराजा सर गुलावसिंहजी वहादुर, के० सी० एस० आई०, हैं।

६६-धार

धार में पँवार मराठों की राजगद्दी है। वार्षिक आय लगभग २० लाख है। वर्तमान नरेश महाराजा आनन्दराव पँवार साहव वहादुर (नाबालिग) हैं।

६७-जावरा

मुसल्मानी राज्य है। यह ६०१ वर्गमील में फैला हुआ है। जन-संख्या ८५८१७ और वार्षिक आय ११६७०००) है। वर्तमान नवाब लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ख़रुद्दौलाह नवाब सर मुहम्मद इफ़्तिख़ारअली खाँ साहव वहादुर, सौलत-ई-जंग के० सी० आई० ई०, हैं।

६८-रतलाम

रतलाम में राजपूतों की गद्दी है। इसका भूमि-विस्तार ८७१ वर्गमील है। इसे खेड़ा जागीर से खिराज मिलता है। वर्तमान नरेश महाराजा सर सज्जनसिंह के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ०, ए० डी० सी० (डु प्रिंस ऑफ वेल्स) हैं।

६९-दतिया

दतिया में बुन्देला राजपूतों की गद्दी है। वर्तमान नरेश मेजर महाराज लोकेन्द्र सर गोविन्दसिंह जू देव बहादुर, के० सी० एस० आई०, हैं।

७०-ओरछा

ओरछा में बुन्देला राजपूतों का शासन है। इसका क्षेत्रफल २०७९ वर्गमील, जन-संख्या २८४९४८ और वार्षिक आय १० लाख है। वर्तमान नरेश सर प्रतापसिंह जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, हैं।

७१-सिक्कम

सिक्कम का क्षेत्रफल २८१८ वर्गमील है जन-संख्या ८१७२१ है। वार्षिक आय ६७३९७६) है। इसे भारत-सरकार से (१२०००) वार्षिक दार्जिलिंग के एवज में मिलता है। वर्तमान नरेश सर ताशी नमज्ञाल, के० सी० आई० ई०, है।

७२-भूटान

भूटान को स्वतन्त्र राज्य माना जाता है। पर वैदेशिक मामलों में वह ब्रिटिश-सरकार के परामर्श-बिना कुछ नहीं कर सकता। आन्तरिक मामलों में इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका क्षेत्रफल १८०० वर्गमील और जन-संख्या ३ लाख है। वर्तमान नरेश महाराजा सर उगोन वांगचुक, के० सी० एस० आई०, के० सी० आई० ई० हैं।

७३-पटियाला

पटियाला में सिख राजपूतों का शासन है। इसका क्षेत्रफल ५९३२ वर्गमील, जन-संख्या १४९९७३९ और वार्षिक आय १६३ लाख है। वर्तमान नरेश मेजर-जनरल सर भूपेन्द्रसिंह, महीन्द्र-वहादुर, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० वी० ओ०, महाराजधिराज, हैं।

७४-बहावलपुर

मुसल्मानी राज्य है। इसका भूमि-विस्तार १५६०० वर्ग-मील, जन-संख्या ७८११९१ और वार्षिक-आय ४९ लाख है। वर्तमान नवाब सर सद्दीक मुहम्मदखाँ अब्बासी वहादुर, जी० सी० वी० ओ०, हैं।

७५-कपूरथला

कपूरथला में सिख-राजपूतों का शासन है। यह ६३० वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी जन-संख्या २८४२७५ और

वार्षिक आय ३७ लाख है। वर्तमान नरेश कर्नल महाराजा सर जगतजीतसिंह, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, फर्जन्द-ई-दिलचन्द, राज-ई-रज्जन हैं।

७६-नाभा

नाभा में सिखों की गद्दी है। भूमि-विस्तार ९२८ वर्गमील, जन संख्या २६३३३४ और वार्षिक आय २४ लाख है। वर्तमान नरेश राजे-रज्जन श्री महाराजा प्रतापसिंहजी साहिब, वण-वंश-सिरमौर, मालवेन्द्र बहादुर (नाबालिग) हैं।

७७-भींद

भींद में भी सिखों का राज्य है। इसका क्षेत्रफल १२५९ वर्गमील, जन-संख्या ३०८१८३ और वार्षिक आय २८ लाख है। वर्तमान नरेश लेफ्टिनेंट-कर्नल महाराजा सर रणवीरसिंह-जी, जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, हैं।

७८-फ़रीदकोट

फ़रीदकोट में जाट-सिखों का राज्य है। इसका विस्तार ६४३ वर्गमील में है। जन-संख्या १५०६६१ और वार्षिक आय १८ लाख है। वर्तमान नरेश फर्जन्द-ई-सआदत-निशाँ, इजरात-ई-क़ैसरे-हिन्द, विरार-वंशी, राजा सर इन्द्रसिंह बहादुर (नाबालिग) हैं।

७६-मलेरकोटला

मुसल्मानी राज्य है। इसकी वार्षिक आय १६ लाख है। वर्तमान नवाब ले० क० नवाब सर अहमदअलीखाँ वहादुर, के० सी० एस० आई०, के० सी० आई० ई०, हैं।

८०-मण्डी

मण्डी-राज्य का विस्तार १२०० वर्गमील है। यह ६६६७) वार्षिक खिराज में भारत-सरकार को देता है। वर्तमान नरेश लेफ्टिनेंट राजा जोगेन्द्रसेन वहादुर हैं।

८१-सिरमूर (नाहन)

सिरमूर (नाहन) का क्षेत्रफल ११९८ वर्गमील है। जन-संख्या १४०४६८ और वार्षिक आय ६ लाख है। वर्तमान शासक ले० क० महाराजा सर अमरप्रकाश वहादुर के० सी० एस० आई०, के० सी० आई० ई०, हैं।

८२-विलासपुर

विलासपुर का क्षेत्रफल ४४८ वर्गमील, जन-संख्या ९८००० और वार्षिक-आय ३ लाख है।

८३-चम्बा

चम्बा का क्षेत्रफल ३२१६ वर्गमील, जन-संख्या १४१८८३ और वार्षिक आय ८ लाख ४० हजार है। वर्तमान शासक राजा रामसिंहजी हैं।

८४-सुकेत

सुकेत का भूमि-विस्तार ४२० वर्गमील, जन-संख्या ५४३२८ और वार्षिक-आय २ लाख ३० हजार है।

८५-लोहारू

लोहारू का क्षेत्रफल २२२ वर्गमील और जन-संख्या २०६१४ है। वार्षिक आय एक लाख ३० हजार है।

८६-मनीपुर

मनीपुर में क्षत्रियों का अमल है। इसका क्षेत्रफल ८४५६ वर्गमील और जन-संख्या ३८४०१६ है। वर्तमान नरेश महाराजा चूराचन्दसिंहजी वहादुर हैं। खिराज में ३३३) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है।

८७-बस्तर

बस्तर में राजपूतों की गद्दी है। इसका भूमि-विस्तार १३०६२ वर्गमील और जन-संख्या ४६४१३७ है। वार्षिक आय ९ लाख है। खिराज में १८ हजार रु० भारत-सरकार को देना पड़ता है। आजकल रानी प्रफुल्लकुमारी देवी (नावा-लिंग) गद्दी पर हैं।

८८-सरगुजा

सरगुजा का क्षेत्रफल ६०५५ वर्गमील, जन-संख्या ३७८२२६ और वार्षिक आय ५ लाख है। वर्तमान नरेश महाराजा रामानुजशरणसिंह देव, सी० बी० ई०, हैं।

पूर्व-इतिहास

प्रत्येक राज्य का इतिहास वीरता, घटना-वैचित्र्य और अनेक रहस्य-पूर्ण बातों से भरा हुआ है। यदि एक भी राज्य का पूर्व-इतिहास पूर्ण रूप से लिखा जाय, तो एक भारी ग्रन्थ तैयार हो जायगा, फिर ५६२ राज्यों का पूर्व-इतिहास इस पुस्तक में भर देना कहाँ तक सम्भव हो सकता है, यह पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख राज्यों का अत्यन्त संक्षिप्त इतिहास देने का प्रयत्न करेंगे।

मैसूर

मैसूर-राज्य की स्थापना का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। रामायण और महाभारत काल में भी इस राज्य के अस्तित्व का पता चला है। ईसा से तीन-सौ वर्ष पूर्व मैसूर-राज्य का उत्तरी-पूर्वी भाग अशोक के साम्राज्य में था। बाद में मैसूर में आन्ध्र-परिवार का शासन हुआ। तीसरी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक मैसूर में तीन राज्य-परिवारों का शासन रहा। उस समय उत्तरी-पश्चिमी भाग

कदम्ब-राज-परिवार के, पूर्वी और उत्तरी भाग पल्लव-राज-परिवार के और मध्य तथा दक्षिणी भाग गंग-राज-परिवार के हाथों में रहा। ग्यारहवाँ शताब्दी में चोला राजा ने मैसूर को अपने अधिकार में कर लिया, पर बारहवीं शताब्दी में होसालों ने चोलाओं को भगा दिया और हलवाद् को अपनी राजधानी बनाया। १४ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में होसाल-राज्य का भी अन्त हो गया, और मैसूर का सम्बन्ध विजयनगर-साम्राज्य से हुआ। उसी शताब्दी के अन्त में वर्तमान राज्य-परिवार को मैसूर मिला, पर वह विजयनगर साम्राज्य का आधीन-राज्य रहा। उसे खिराज देना पड़ता था। सन् १५६५ में विजयनगर-साम्राज्य का पतन हुआ और मैसूर स्वतन्त्र राज्य बन गया। १८ वीं शताब्दी में मैसूर पर हैदरअली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन रहा। सन् १७९९ ई० में शृङ्गमपट्टन के पतन के पश्चात् ब्रिटिश-सरकार ने महाराजा कृष्णराजा वदियार बहादुर (तीसरे) को मैसूर का राज्य दे दिया। सन् १८३१ में ब्रिटिश-सरकार ने मैसूर-राज्य का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया और सन् १८२२ में राजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर को, कुछ शर्तों के साथ अहदनामा लिखवाकर, लौटा दिया। उसी समय से मैसूर का वर्तमान राज्य यथावत् चला आ रहा है।

बड़ौदा

बड़ौदा राज्य का इतिहास मुगल-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के समय से सम्बद्ध है। पहले-पहिल मराठों ने सन् १७०५ ई० में गुजरात पर आक्रमण किया। वर्तमान बड़ौदा राज्य के संस्थापक पीलाजी गायकवाड़ ने, उपरोक्त आक्रमण के बाद गुजरात में अपने पैर जमा लिये। सन् १७२३ में पीलाजी गायकवाड़ ने गुजरात से खिराज लेना आरम्भ कर दिया। उस समय पीलाजी का सदर मुकाम सोनवाद था। सन् १७३४ में पीलाजी गायकवाड़ के पुत्र दामाजी ने बड़ौदा पर अधिकार कर लिया, तब से बड़ौदा निरंतर गायकवाड़-राज्य-परिवार के हाथ में ही है। सन् १७६६ तक गायकवाड़ का सदर मुकाम सोनवाद ही रहा, पर बाद में बड़ौदा होगया। सन् १७५३ ई० में अहम-दावाद के युद्ध के पश्चात् गुजरात में मुगल-शासक का अन्त होगया और गुजरात पेशवा तथा गायकवाड़ में बट गया। यद्यपि पानीपत के युद्ध में दामाजी गायकवाड़ को अहमद-शाह ने हराया, पर वह अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का निरंतर उद्योग करता रहा। सन् १७६८ में दामाजी गायकवाड़ का स्वर्गवास होगया। बाद में उनके पुत्र सयाजीराव, फत्तेसिंहराव, मानाजीराव और गोविन्दराव क्रमशः उत्तराधिकारी बने। सन् १८०० ई० में गोविन्दराव के स्वर्गवास

पर आनन्दराव शासक बने, पर उस समय राजनैतिक उपद्रव खड़े होगये और सन् १८०२ में ब्रिटिश-सरकार से आनन्द-राव ने सहायता लेकर अपना राज्य-अधिकार फिर कायम किया। सन् १८०५ में ब्रिटिश-सरकार और बड़ौदा स्टेट में सन्धि हुई, जिसमें बड़ौदा ने अपनी वैदेशिक नीति ब्रिटिश-सरकार के हाथ में दे दी। बाद में पेशवा, होल्कर और पिंडारियों के साथ ब्रिटिश-सरकार ने जो युद्ध किये, उनमें बड़ौदा-स्टेट ने अंग्रेजों का साथ दिया। सन् १८२० से १८४१ तक ब्रिटिश-सरकार और गायकवाड़ में मनो-मालिन्य रहा, जो सन् १८४१ में तै होगया। सन् १८४७ में सयाजीराव के स्वर्गवास पर गनपतराव गद्दी पर बैठे, पर उसके शासन-काल में राजनैतिक शासन ब्रिटिश-सरकार के हाथ में आगया। सन् १८५६ में खण्डेराव गद्दी पर बैठे। उन्होंने सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। सन् १८७० में मल्हारराव बड़ौदा के शासक बने, पर ब्रिटिश-सरकार ने सन् १८७५ में उन्हें गद्दी से उतार दिया और बड़ौदा का शासन ब्रिटिश-पार्लिटीकल-एजेण्ट के हाथ में दे दिया। मल्हारराव ने सन् १८७५ में १३ वर्ष के एक बालक को गोद लिया था। ब्रिटिश-सरकार ने सन् १८८१ में उसे ही बड़ौदा का शासनाधिकार दे दिया। यह बालक सयाजीराव (तीसरे) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान नरेश वही सयाजीराव गायकवाड़ हैं।

काश्मीर

काश्मीर एक प्राचीन राज्य है। इसकी राजधानी श्रीनगर का प्राचीन नाम प्रवरपुर है। पहिले वहाँ हिन्दुओं का शासन था। १४ वीं शताब्दी में मुसल्मानों ने काश्मीर पर आक्रमण किया और राजा को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। सिकन्दर के शासन-काल में काश्मीर में बहुत-से हिन्दू मुसल्मान बनाये गये। सन् १५८६ में अकबर ने काश्मीर को मुगल-साम्राज्य में मिला लिया। उसने श्रीनगर में अनेक सुन्दर इमारतें बनवाईं। जहाँगीर ने भी काश्मीर की उन्नति का प्रयत्न किया, पर औरंगजेब के पश्चात् काश्मीर में भारी अशान्ति रही। १८ वीं शताब्दी के मध्य-काल में काश्मीर के गवर्नर ने दिल्ली-साम्राज्य से सम्बन्ध त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह अफगानी था। उसने काश्मीर को खूब लूटा-खसोटा। सन् १८१९ में लाहौर के महाराजा रणजीतसिंह ने उस अफगानी से काश्मीर छीन लिया। महाराज रणजीतसिंह ने महाराजा गुलाबसिंह की सेवाओं से प्रसन्न हो, जम्मू का राज्य महाराजा गुलाबसिंह को दे दिया। वह सन् १८२० में जम्मू के राजा बने। वास्तव में महाराजा गुलाबसिंह जम्मू के प्राचीन राज-परिवार के ही थे। जब सिक्खों और ब्रिटिश-सरकार में युद्ध हुआ तो महाराजा गुलाबसिंह तटस्थ रहे। सोवराँव के युद्ध के बाद महाराजा गुलाबसिंह सिक्खों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ बने, उन्होंने दोनों

में समझौता करवा दिया। काश्मीर का राज्य उस समय अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। महाराजा रणजीतसिंह और ब्रिटिश-सरकार की संधि के बाद महाराजा गुलाबसिंह ने ७५ लाख रुपये में काश्मीर को अंग्रेजों से खरीदा, उसी समय से जम्मू और काश्मीर का राज्य सम्मिलित रूप से चला आ रहा है।

ग्वालियर

ग्वालियर राज्य के प्रारम्भिक संस्थापक रानोजी सिंधिया थे। उनका असली परिवार सतारा के निकट अब भी जागीरदार है। रानोजी सिंधिया वाजीराव पेशवा के एक उच्च सेनापति थे। सन् १७२६ में पेशवा ने पँवार, होल्कर और सिंधिया को जागीरें दीं और उन्हें 'चौथ' तथा 'सारदेशमुखी' वसूल करने का अधिकार दिया। सन् १७३६ में रानोजी सिंधिया वाजीराव पेशवा के साथ दिल्ली पहुँचे। यहाँ मल्हारराव होल्कर और रानोजी सिंधिया को युद्ध में अच्छी ख्याति प्राप्त हुई। रानोजीराव ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। बाद में रानोजीराव के उत्तराधिकारी महादजी सिंधिया और दौलतराव सिंधिया ने अनेक युद्धों में भाग लिया। सन् १७८२ में ब्रिटिश-सरकार ने सिंधिया को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और वह पेशवा की आधीनता में नहीं रहे। सन् १७९० ई० में महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। पर १८ फ़रवरी

सन् १७९४ को इस अधिकार का अन्त हो गया। महादजी सिंधिया के पश्चात् दौलतराव सिंधिया (जो महादजी सिंधिया के भाई के पौत्र थे) गद्दी पर बैठे। अहमदनगर, आसई, आसीरगढ़ और लसवारी के युद्धों से सिंधिया की सैनिक शक्ति कुछ क्षीण हो गयी। सन् १८२७ में दौलतराव का स्वर्गवास हो गया। सन् १८०४ में ब्रिटिश सरकार और सिंधिया-राज्य में संधि हुई, जिसमें सिंधिया-नरेश ब्रिटिश-सरकार के 'मित्र' बन गये। दौलतराव के बाद जनकोजीराव सिंधिया गद्दी पर बैठे, पर वह युवावस्था में ही स्वर्गवासी हो गये। सन् १८४३ में सिंधिया-सेना से महाराजपुर और पन्नीहार के स्थान पर ब्रिटिश सेना से युद्ध हुआ, बाद में सन् १८४४ में सिंधिया और अंग्रेजों में फिर संधि हो गयी जिसमें सिंधिया ने अंग्रेजों की मातहतता स्वीकार कर ली। जनकोजीराव के पश्चात् जयाजीराव गद्दी पर बैठे। उन्होंने सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय जयाजीराव की सेना भी उनका साथ छोड़ गयी थी और महारानी लक्ष्मीबाई (भाँसी की रानी) से जा मिली थी। जयाजीराव ने ब्रिटिश सरकार से राज्य के अनेक हिस्सों की अदला-बदली की। सन् १८८६ में जयाजीराव का स्वर्गवास हो गया और महाराजा माधवराव सिंधिया गद्दी पर बैठे। सन् १९२५ में महाराजा माधवराव के स्वर्गवास के पश्चात् वर्तमान नरेश जॉर्ज जीवाजीराव सिंधिया गद्दी पर बैठे।

इन्दौर

इन्दौर राज्य के मूल संस्थापक मल्हारराव होल्कर थे । वह सैनिक थे । उनकी योग्यता को देखकर पेशवा ने उन्हें अपनी सेना में स्थान दे दिया । सन् १७२६ में सिंधिया के साथ उन्हें पेशवा ने थोड़ी-सी जागीर दी । बाद में वह पेशवा की सेना के सेनापति होगये । सन् १७६१ के पानीपत युद्ध के बाद पेशवा ने दक्षिण से गंगा तक की भूमि मल्हारराव को पुरस्कार में देदी । मल्हारराव की मृत्यु के पश्चात् उनका पौत्र गद्दी पर बैठा, पर वह निस्सन्तान स्वर्गवासी हुआ, जिससे उसकी माता अहिल्यावाई होल्कर ने शासन-कार्य अपने हाथों में लिया । अहिल्यावाई का शासन बहुत ही अच्छा रहा, जिसकी प्रशंसा आज भी इतिहास-लेखक करते हैं और इन्दौर राज्य में अब भी अहिल्यावाई-उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है । अहिल्यावाई होल्कर के पश्चात् तुकोजीराव होल्कर गद्दी पर बैठे । उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया । तुकोजीराव के बाद काशीराव उत्तराधिकारी हुए । काशीराव से उनके सौतेले भाई जसवंतराव के हाथ में शासन आया । उन्हें अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त हुई । उन्हें सिंधिया और पेशवा की सम्मिलित सेना से पूना के युद्ध में भारी विजय प्राप्त हुई, जिससे वह पूना के डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) बन गये और उन्होंने इन्दौर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया ।

सन् १८०४-५ ई० में उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। बाद में अंग्रेजों से सन्धि हो गयी, जिसमें अंग्रेजों ने इन्दौर को स्वतन्त्र राज्य स्वीकार किया। यशवन्तराव सन् १८०८ में कुछ विक्षिप्त-से हो गये और सन् १८११ में स्वर्गवासी हुए। उस समय मल्हारराव (द्वितीय) गद्दी पर बैठे। वह जसवन्तराव के नाबालिग पुत्र थे। इसलिये रीजेन्सी कौन्सिल ने शासन-कार्य किया, पर उस राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी और कई सेनापतियों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। सन् १८१७ ई० में पेशवा और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। उस समय कुछ सेनापति अपनी-अपनी सेना-सहित पेशवा की ओर जा मिले और रीजेण्ट, महारानी तथा उसके मन्त्रिगण अंग्रेजों के पक्ष में रहे। अंग्रेजों और होल्कर राज्य की विद्रोही सेना में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें होल्कर सेना पराजित हुई। होल्कर नरेश ने उस समय अंग्रेजों से सन्धि की, जिसके अनुसार राजपूत राजाओं से दवाई गई रियासत ब्रिटिश सरकार के सुपुर्द कर दी, और राजपूत राजाओं पर उनका जो स्वामित्व था, वह भी अंग्रेजों को दे दिया। स्वयं होल्कर ने भी अंग्रेजों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। वही सन् १८१८ ई० की अन्तिम सन्धि है, जो अभी तक अमल में है। मल्हारराव का सन् १८३३ ई० में स्वर्गवास हुआ। बाद में हरीराव और उससे पुत्र ने शासन किया, पर राज्य की शक्ति उनके शासन-काल में बहुत ही घट गई। सन् १८४४ ई० में

तुकोजीराव (द्वितीय) गद्दी पर बैठे। वह नावालिग थे, इसलिये शासन-कार्य रीजेन्सी-कौंसिल के हाथ में रहा। अंग्रेज रेजीडेण्ट मि० हेमिल्टन उस समय राज्य के निरीक्षक नियुक्त हुए। सन् १८५२ ई० में तुकोजीराव को शासनाधिकार मिले। सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह में महाराजा ने ब्रिटिश-सरकार को सहायता दी, पर उनकी कुछ सेना विद्रोहियों में जा मिली। सन् १८८६ ई० में तुकोजीराव होल्कर के स्वर्गवास पर महाराज शिवाजीराव गद्दी पर बैठे। उन्होंने १६ वर्ष तक शासन किया और राज्य में अनेक सुधार किये। सन् १९०३ ई० में तुकोजीराव (तृतीय) उत्तराधिकारी हुए, पर वह नावालिग थे, इसलिये सन् १९११ ई० तक रीजेन्सी-कौन्सिल कायम रही। सन् १९११ से १९२६ ई० तक सर तुकोजीराव ने बड़ी योग्यता से शासन किया और राज्य की अच्छी उन्नति की, पर सन् १९२६ ई० में बावला-हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने उन्हें गद्दी-न्याग के लिये मजबूर किया। इससे वर्तमान नरेश श्री यशवन्तराव होल्कर उत्तराधिकारी हुए।

भोपाल

इस राज्य की नींव सरदार दोस्तमुहम्मद खाँ दिलेरजंग ने डाली थी। वह अफगानी था। औरंगजेब की सेना में नौकर रहकर उसने सन् १७०९ में बेरासिया का परगना प्राप्त किया और भोपाल राज्य की स्थापना की। मुगल-

साम्राज्य के पतन होने पर भोपाल स्वतन्त्र राज्य बन गया । अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नवाब ने सिंधिया और भोंसले से कई छोटे-छोटे युद्ध किये । सन् १८१७ ई० में भोपाल ने ब्रिटिश-सरकार को पिंडारियों के विरुद्ध फौज देने की संधि की और सन् १८१८ ई० में भोपाल ने ब्रिटिश-सरकार का स्वामित्व स्वीकार किया ।

भूटान

भूटान में पहिले टेक-पा नाम की पहाड़ी क्लैम का शासन था, पर १७ वीं शताब्दी के मध्यकाल में कुछ तिब्बती सैनिकों ने अधिकार कर लिया । सन् १८७२ ई० में भूटानियों ने कूच-बिहार की सीमा पर आक्रमण किया । कूच-बिहार ने ब्रिटिश-सरकार से सहायता ली । भूटानियों के कई आक्रमण हो जाने के बाद अंग्रेजों ने एक राजदूत भूटान भेजा । भूटानियों ने उसका अपमान किया और बलपूर्वक उससे एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये, जिसमें 'द्वार' भूटान को दे देने की बात थी । जब वह राजदूत लौटकर आया, तब अंग्रेजों ने वह संधि नाजायज करार दे दी । बाद में सन् १८६५ ई० में अंग्रेजों और भूटानियों में संधि हुई । भूटानियों से अंग्रेजों को कुछ रियासत मिली और अंग्रेजों ने उसके बदले में ५० हजार रु० वार्षिक भूटान-सरकार को देने का वचन दिया । दोनों में बराबरी की संधि

धी । भूटानियों ने 'स्वामित्व' स्वीकार नहीं किया था । सन् १९१० तक भूटान और ब्रिटिश-सरकार में यही सम्बन्ध रहा, पर उस वर्ष तक नयी संधि हुई जिसमें दो बातें मुख्य थीं । (१) ब्रिटिश-सरकार भूटान-सरकार को एक लाख रु० वार्षिक अलाउन्स देगी । (२) भूटान-सरकार वैदेशिक मामलों में ब्रिटिश-सरकार के परामर्श से काम करेगी, पर भूटान के आन्तरिक शासन में ब्रिटिश-सरकार का कोई नियंत्रण न होगा, इस प्रकार सन् १९१० ई० में भूटान स्वतन्त्र, किन्तु वैदेशिक नीति में परतंत्र, राज्य बन गया ।

सिक्किम

कहा जाता है कि सिक्किम राज्य-परिवार के पूर्वज पूर्वी तिब्बत से आये थे । १८ वीं शताब्दी के अन्त में गोरखों ने दो बार सिक्किम पर चढ़ाई की । सन् १८१४ ई० में जब नेपाल-युद्ध छिड़ा, तब ब्रिटिश-सरकार ने सिक्किम से मित्रता की संधि की । युद्ध के अन्त में सिक्किम के राजा को ब्रिटिश-सरकार ने इनाम में बहुत-सी भूमि दी । सन् १८३५ ई० में सिक्किम स्टेट ने ब्रिटिश-सरकार को दार्जिलिंग दिया और उसके बदले में ब्रिटिश-सरकार ने १२ हजार रु० वार्षिक राजा को देने का वचन दिया । उस समय से सिक्किम राज्य बंगाल-सरकार के आधीन रहा, पर सन् १९०६ में उसका सीधा सम्बन्ध भारत-सरकार से हो गया ।

उदयपुर

उदयपुर राज्य की स्थापना सन् १५६८ में गहलोत वंश के सीसोदिया राजपूतों ने की थी। मुग़ल-साम्राज्य-काल में उदयपुर ने अनेक युद्ध बड़ी वीरता से किये। सन् १८१८ में उदयपुर के महाराणा भीमसिंह ने अंग्रेजों से संधि की और ब्रिटिश-सरकार का 'स्वामित्व' स्वीकार किया। उदयपुर राज्य-परिवार से अनेक वर्तमान राज्यों का पूर्व सम्बन्ध है।

वाँसवाड़ा

पूर्वकाल में वागड़ एक राज्य था। इस पर १३ वीं शताब्दी के आरम्भ से सन् १५२९ ई० तक उदयपुर राज्य के वंशज गहलोत राजपूत शासन करते रहे। सन् १५२९ ई० में तत्कालीन नरेश रावल उदयसिंहजी का स्वर्गवास हुआ, जिस पर उनके दो पुत्र पृथ्वीसिंहजी और जगमलसिंहजी ने राज्य को दो भागों में बाँट लिया। एक भाग वाँसवाड़ा राज्य कहलाया, जो जगमलसिंहजी के आधीन रहा। जिस स्थान पर आजकल वाँसवाड़ा नगर है, वहाँ पहिले एक भील सरदार का 'पाल' था। उस सरदार का नाम वासना था। सन् १५३० ई० में जगमलसिंहजी ने 'पाल' पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। उन्होंने वहीं अपनी राजधानी बसाई, जिसका नाम वाँसवाड़ा पड़ा। बाद में मराठों ने वाँसवाड़ा को अपना आधीन-राज्य बनाया और 'चौथ' लेना शुरू कर

दिया । १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में चाँसवाड़ा के तत्कालीन नरेश महारावल विजयसिंह ने मराठों से विद्रोह किया और अंग्रेजों से आ मिले । सन् १८१८ ई० में महारावल विजयसिंह के उत्तराधिकारी महारावल उमेदसिंहजी ने ब्रिटिश-सरकार से सन्धि की, जिसमें ब्रिटिश-सरकार का स्वामित्व और उसे खिराज देना स्वीकार किया ।

डूँगरपुर

महारावल जगमलसिंह के भाई महारावल पृथ्वीसिंह को डूँगरपुर का इलाका मिला था । डूँगरपुर का पूर्व नाम बागड़ है । इसकी स्थापना १२ वीं शताब्दी में हुई थी । चित्तौड़ के राजा सामन्तसिंह को जलोर के कीर्तिपाल ने भगा दिया । वह बागड़ पहुँचे और चौरासीमल की हत्या करदी । चौरासीमल वहाँ के चीफ थे । अब सामन्तसिंह उसके शासक बन बैठे । तभी से बागड़ राज्य बराबर कायम रहा, पर रावल उदयसिंह की मृत्यु पर उसके दो भाग हुए । एक भाग डूँगरपुर नाम से जगमलसिंह को मिला । सन् १८१८ ई० में मराठों ने इस पर चढ़ाई की । उस समय डूँगरपुर ने अंग्रेजों से सहायता ली और ब्रिटिश सरकार का स्वामित्व स्वीकार कर लिया ।

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ का दूसरा नाम कंथाल भी है । उसकी स्थापना मेवाड़ के राना मुकल के वंशजों ने १६ वीं शताब्दी में की

थी। उस समय यह कंथाल राज्य नाम से ही प्रसिद्ध था। उसके एक शासक प्रतापसिंह ने प्रतापगढ़ नाम से एक नगर बसाया, और उसे कंथाल राज्य की राजधानी बनाया, तब से वह प्रतापगढ़ राज्य कहलाने लगा। सन् १७७५ ई० से १८४४ ई० तक महारावल जसवन्तसिंह ने शासन किया। उनके शासन-काल में मराठों ने प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की, जिसमें महारावल जसवन्तसिंह ने होल्कर से सन्धि की और प्रति वर्ष ७२७००) रु० (सलीमशाही) खिराज में देना स्वीकार किया। सन् १८०३ ई० में महारावल ने ब्रिटिश-सरकार से सन्धि की, पर लार्ड कार्नवालिस ने उस सन्धि को रद्द कर दिया और सन् १८१८ ई० में नयी सन्धि की, जिसके अनुसार ब्रिटिश-सरकार ने प्रतापगढ़ को अपनी संरक्षकता में कर लिया, पर होल्कर को खिराज देना फिर भी न रुका। अब ३६३५०) वार्षिक खिराज में प्रतापगढ़ ब्रिटिश-सरकार की मारफत होल्कर को देता है।

जोधपुर

जब कन्नौज में राठौरों का राज्य नष्ट हुआ, तब उन्होंने सन् १२१२ ई० में इस राज्य की स्थापना की, पर वर्तमान जोधपुर नगर की नींव सन् १४५९ ई० में राव जोधा ने डाली थी। तब से राज्य का नाम भी जोधपुर पड़ गया। सोलहवीं शताब्दि में राव जोधा के वंशज राव मालदेव गद्दी पर थे। उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाई। उनकी सेना में उस समय

८० हजार राजपूत थे। सन् १५४२ ई० में जब शेरशाह ने सम्राट् हुमायूँ को हराया, तब हुमायूँ ने भागकर राव मालदेव की शरण ली थी। सम्राट् अकबर ने इस नेकी के बदले में जोधपुर के तत्कालीन राजा सूरसिंह को 'सवाई-राजा' बना दिया और ५ सौ जाट तथा ३३०० सवारों का मंसव नियत किया। औरंगजेब के शासन-काल में जोधपुर पर महाराजा जसवन्तसिंह (प्रथम) शासन करते थे। वह हिन्दू-धर्म और मन्दिरों के बड़े रक्षक थे। औरङ्गजेब गुप्त रूप से महाराज जसवन्तसिंह के विरुद्ध षड्यन्त्र रचा करता था। महाराजा विद्वानों का भारी आदर करते थे। उन्होंने स्वयं फिलॉसफी तथा अन्य गम्भीर विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। जसवन्तसिंह के स्वर्गवास पर औरंगजेब ने मारवाड़ का राज्य जप्त कर लिया। जिससे उनके उत्तराधिकारी महाराज अजीतसिंह को ८ वर्ष तक जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। बाद में महाराजा अजीतसिंह ने अपने सरदारों की सेना की सहायता से औरंगजेब की सेना से २० वर्ष तक युद्ध किया। इस युद्ध में सरदार दुर्गादास ने महाराजा को बड़ी सहायता दी, जिसके फल-स्वरूप महाराजा को पुनः गद्दी प्राप्त हो गयी। महाराज विजयसिंह ने अपने शासन-काल में गोद्वार का जिला मेवाड़ के अधिकार से निकालकर मारवाड़ (जोधपुर) में मिला लिया। ब्रिटिश सरकार से सन् १८१८ में जोधपुर-राज्य की संधि हुई।

जयपुर

इस राज्य का इतिहास महाभारत से सम्बन्ध रखता है। प्राचीन काल में यह मात्स्य देश कहलाता था, और यहाँ राजा विराट् का राज्य था। कहा जाता है कि पाण्डवों ने अपने निर्वासन-काल के अन्तिम दिन राजा विराट् के दरबार में ही व्यतीत किये थे। ९ वीं शताब्दी में यह राज्य महाराजा रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंशज कुशवा राजपूतों के हाथ आया। सन् १०३७ में दुल्हाराय ने अम्बेर को अपनी राजधानी बनाया। १२ वीं शताब्दी में इस राज्य के शासक पजुन ने दिल्ली-सम्राट् पृथ्वीराज की सेना में सम्मिलित हो, खैबर घाटी में शाहबुद्दीन गोरी को हराया और राजनी तक उसे खदेड़ा। पृथ्वीराज ने इस वीरता से प्रसन्न हो, अपनी बहन पजुन को विवाह दी। उसके बाद राज्य के जो शासक हुए, वह सभी वीर हुए उनमें महाराजा मानसिंह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उन्होंने १५९० ई० से १६१५ ई० तक शासन किया। उन्होंने अकबर के समय में कई युद्धों में बड़ी वीरता दिखलाई। महाराज सवाई जयसिंह (द्वितीय) ने सन् १७०० से १७४४ ई० तक शासन किया। उन्होंने जयपुर बसाया और उसे राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने भारत के अनेक स्थानों पर वेद-शालायें बनवाईं। उनके दरबार में विदेशी ज्योतिष-शास्त्र-विशारद आया करते थे। सन् १८१८ ई० में ब्रिटिश-सरकार और जयपुर राज्य में संधि हुई।

सिरोही

इसकी स्थापना चौहान राजपूतों के वंशज 'देवरा' क्षत्रियों ने की थी। सिरोही नगर सन् १४२५ ई० में बसाया गया था। १८ वीं शताब्दी में जोधपुर स्टेट ने जंगली मीना जाति से युद्ध किया, उस समय सिरोही को भी बहुत हानि पहुँची। जोधपुर ने सिरोही से खिराज माँगा और अपना 'स्वामित्व' स्वीकार कराने का प्रयत्न किया, पर सिरोही ने स्वीकार नहीं किया और वह सन् १८१८ ई० में ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में आ गया।

किशनगढ़

जोधपुर के महाराजा उदयसिंह के द्वितीय पुत्र किशनसिंह ने सन् १६११ ई० में 'किशनगढ़' नगर बसाया और उसके ही नाम से राज्य स्थापित किया। तब से किशनगढ़ पर बराबर राठौर राजपूतों का ही शासन चला आ रहा है। सन् १८२८ ई० में अन्य राज्यों की भाँति किशनगढ़ ने भी ब्रिटिश सरकार की मातहत स्वीकार कर ली।

बूँदी

बूँदी राज्य की स्थापना १३ वीं शताब्दी में हाड़ा राजपूतों ने की। पहले बूँदी की मेवाड़ और मारवाड़ से बराबर लड़ाइयाँ होती रहीं। १६ वीं शताब्दी में मुसलमान सम्राट् ने बूँदी को आधीन-राज्य बना लिया। मुगल-साम्राज्य

की शक्ति क्षीण होने पर मराठों और पिंडारियों ने रियासत को लूटा-खसोटा और होल्कर ने वूँदी पर 'चौथ' बाँधली। सन् १८१८ ई० में ब्रिटिश-सरकार ने वूँदी को अपने संरक्षण में लिया। उस समय भी वूँदी राज्य होल्कर को खिराज दे रहा था।

टोंक

टोंक राज्य की स्थापना नवाब मुहम्मद अमीर खाँ बहादुर ने की थी। वह अफ़ग़ानी था। उसने सन् १७९८ से सन् १८०६ ई० तक होल्कर सेना में मुलाजमत की। होल्कर नरेश ने उसे राजपूताना तथा मध्य-भारत में कुछ भूमि जागीर में दी। सेनापति मुहम्मद अमीर खाँ बहादुर ने होल्कर राज्य की नौकरी छोड़ने के बाद ही अपनी जागीर को सुसङ्गठित कर एक रियासत के रूप में बनाया। तभी से टोंक में नवाबी शासन है। यह पहले होल्कर के अधीन रहा और अब ब्रिटिश-सरकार के अधीन है।

शाहपुरा

उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के द्वितीय पुत्र महाराज सूरजमल के पुत्र सुजानसिंह को सम्राट् शाहजहाँ ने सन् १६२९ ई० में फुलिया का परगना दिया, जिससे इस राज्य की नींव पड़ी। बाद में फुलिया के राजा रणसिंह को उदयपुर महाराज ने कछोला का परगना दिया। इन दोनों पर-

गनों से मिलकर वतमान शाहपुरा राज्य बन गया । शाहपुरा-नरेश प्रहले मारवाड़ स्टेट के सब से बड़े सरदार माने जाते थे ।

धौलपुर

धौलपुर-राज्य-परिवार के पूर्वज पहले वमरौलिया में बसे । बाद में वह ग्वालियर चले गये । वहाँ उन्होंने सम्राट् के अफसरों के विरुद्ध राजपूतों का साथ दिया । कुछ दिन बाद वह गोहद में जा बसे । वहीं उन वमरौलिया जाटों ने अपनी रियासत कायम की और अपने सरदार सुरजनदेवसिंह को 'राणा गोहद' बनाया । यह घटना सन् १५०५ ई० की है । बाद में पानीपत के युद्ध में मराठा की हार होने पर तत्कालीन राणा भीमसिंह ने सन् १७६१ ई० में ग्वालियर के किले को अपने अधिकार में कर लिया । पर ६ वर्ष बाद ही किला हाथ से निकल गया । सन् १७७९ ई० में वारेन हेस्टिंग्ज़ ने मराठों की शक्ति रोकने के लिये राणा गोहद से सन्धि की । अंग्रेजों ने राणा की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जिससे सिंधिया ने १३ अक्तूबर सन् १७८१ ई० को ब्रिटिश-सरकार से सन्धि कर ली । इस संधि में यह भी शर्त रखी गयी कि जब तक राणा ब्रिटिश-सरकार से सन् १७७९ ई० में की गयी शर्तों का पालन करते रहेंगे, तब तक सिंधिया राणा की रियासत से छेड़-छाड़ न करेंगे । बाद में सिंधिया ने गोहद पर अपने

‘स्वामित्व’ का दावा पेश किया, जिससे गवर्नर जनरल ने गोहद और ग्वालियर सिंधिया को दे दिया और धौलपुर, बारी, बसेरी, सेपऊ और राजाखेड़ा के परगने राणा को दे दिये। उस समय राणा कीरतसिंह गद्दी पर थे। तभी से धौलपुर राज्य स्थिर हुआ। अब वहाँ के नरेश महाराज-राणा कहलाते हैं।

बीकानेर

जोधपुर-नरेश राव जोधाजी के पुत्र राव बीकाजी ने सन् १४६५ ई० में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। अकबर सम्राट् के समय में बीकानेर के रावसिंहजी मुगल-सेना के सुप्रसिद्ध जनरल थे। अकबर सम्राट् ने ही उन्हें राजा की पदवी दी। उन्होंने ही बीकानेर का क़िला सन् १५९३ ई० में बनवाया। गोलकुण्डा के युद्ध में बीकानेर के शासक राजा अनूपसिंह ने बड़ी वीरता दिखलाई। उस युद्ध में विजय प्राप्त होने पर मुगल-सम्राट् ने सन् १६८७ ई० में उन्हें ‘महाराजा’ की उपाधि दी। सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह में तत्कालीन बीकानेर-नरेश महाराजा सरदारसिंह अपनी सेना लेकर स्वयं ब्रिटिश-सरकार की सहायता के लिये विद्रोही स्थानों पर पहुँचे। इस सहायता के उपलक्ष में गवर्नर जनरल ने पञ्जाब प्रान्त की सिरसा तहसील की तिवी सब-तहसील बीकानेर राज्य को दे दी। इस सब-तहसील में ४१ गाँव हैं।

अलवर

अलवर-नरेश के पूर्वज राजा उदयकरणजी के वंशज थे, जिनके वंशज जयपुर नरेश हैं। अलवर राज्य की स्थापना राजा प्रतापसिंहजी ने की थी। उन्होंने अपनी वीरता से राज्य की सीमा बहुत बढ़ाई। सन् १७९१ ई० में उनका देहान्त हुआ। उनके उत्तराधिकारी ने सन् १८०३ ई० में लार्ड लेक को युद्ध में बहुत सहायता दी थी। उसी साल ब्रिटिश-सरकार और अलवर राज्य में सन्धि हुई।

भरतपुर

इस राज्य के सम्बन्ध में अन्वेषकों का मत है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के मानवी लीला का तिरोधान करने पर भगवान् के कुटुम्ब के स्त्री-बालकों को अर्जुन इन्द्रप्रस्थ ले आये। इन बालकों में भगवान् के प्रपौत्र ब्रजनाभ थे। उन्होंने आकर ब्रज में वास किया और पुनः यादवों का राज्य मथुरा-मण्डल में स्थापित किया। कालचक्र के अनुसार यादवों का राज्य उन्नति-अवनति करता चला आया। ११ वीं शताब्दी में इस वंश में महाराज विजयपाल हुए, जिनकी राजधानी वर्तमान बयाना थी। महमूद गजनवी के भानजे सालार मसूद ने विजयपाल पर चढ़ाई की, जिसमें उसे सफलता मिली; पर दूसरे वर्ष ही विजयपाल ने बयाना छीन लिया। इसपर अबू बकर कन्धारी ने बयाना पर चढ़ाई

की जिसमें अबू वकर तो वहीं मारा गया, पर विजयपाल का भी स्वर्गवास हो गया। उनके पुत्र तिहनपाल ने जंगलों में जाकर शरण ली, और वहाँ राज्य स्थापित किया, जो करौली राज्य कहलाता है। तिहनपाल के तीन पुत्र थे, जिनमें धर्मपाल और मदनपाल नामी हुए। धर्मपाल के वंशज करौली-नरेश हैं। मदनपाल के वंश में सुए नाम के एक ठाकुर हुए। उन्होंने दीग के जंगलों को साफ़ करवाकर एक ग्राम बसाया, जिसका नाम वहाँ की ग्राम्य देवी 'सिनसिना' के नाम पर 'सिनसिनी' रक्खा। सुए की चौथी पीढ़ी में बालचन्द हुए, उन्होंने एक जाट स्त्री के साथ विवाह किया। उसके पुत्र सिनसिनवार जाट कहलाये। उनके ही वंशज बदनसिंह ने पहले-पहल दीग के राजा की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार वर्तमान राज्य की स्थापना सम्वत् १७८९ वि० में हुई। राजा बदनसिंह के पुत्र सूरजमल थे। उन्होंने वर्तमान भरतपुर बसाया और क़िला बनवाया। इसके बाद भरतपुर के राजा सूरजमल और उनके पुत्र महाराज जवाहरसिंह ने अनेक युद्ध किये। महाराज जवाहरसिंह ने एक बार दिल्ली भी विजय की थी। सन् १८०३ में भरतपुर ने ब्रिटिश सरकार से मित्रता की सन्धि की। भरतपुर ने लसवारी के युद्ध में लार्ड लेक को ५ हजार घोड़ों से सहायता दी, जिसमें लार्ड लेक ने मराठों की शक्ति क्षीण कर दी। ब्रिटिश सरकार ने इस सहायता के उपलक्ष में पाँच ज़िले भरतपुर को इनाम

दिये, पर बाद में भरतपुर ने होल्कर को सहायता दी, जिससे युद्ध छिड़ गया। सन् १८०५ में भरतपुर और ब्रिटिश सरकार में सन्धि हो गयी, जो अभी तक अमल में है। भरतपुर का एक ऐसा क़िला है, जो कभी भी अंग्रेजों ने विजय नहीं कर पाया।

करौली

ऊपर के विवरण से पता चलता है कि ११ वीं शताब्दी में तिहनपाल यादव ने वयाना से भागकर इस राज्य की स्थापना की थी। बाद में मुग़ल-साम्राज्य और मराठों की शक्ति के झोंके सहता हुआ यह राज्य अवनति-उन्नति करता हुआ चला आया। सन् १८१७ ई० में करौली राज्य ने ब्रिटिश-सरकार से सन्धि की।

कोटा

बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने ही कोटा राज्य की स्थापना की। यह सन् १६२५ ई० से पृथक् राज्य है। सन् १८१७ ई० में ब्रिटिश-सरकार ने अन्य राज्यों की तरह इसे भी अपने संरक्षण में ले लिया।

रीवाँ

दसवीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक गुजरात में सोलंकी राजपूतों ने शासन किया है। उनके कुछ वंशज बघेलखंड में चले आये और उन्होंने रीवाँ राज्य की स्थापना

की। सम्भवतः इसीलिये रीवां नरेश वघेल राजपूत कहलाते हों। मराठों ने रीवां के अनेक परगने दबाये और रीवां को अपने 'संरक्षण' में रखा। सन् १८१२ ई० में पिंडारियों ने मिरजापुर पर रीवां राज्य से आकर चढ़ाई की। उस समय ब्रिटिश-सरकार और रीवां राज्य में सन्धि हुई, जिसमें रीवां ने ब्रिटिश-सरकार का संरक्षण स्वीकार किया।

धार

धार एक प्राचीन नगर है। यह पहले पमार राजपूतों की राजधानी रहा है, जिन्होंने ९ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक मलावा पर शासन किया। वर्तमान नरेश पँवार मराठा हैं, वह अपने को उन्हीं राजपूतों का वंशज मानते हैं। १८ वीं शताब्दी में धार के शासक आनन्दराव पँवार थे। वह उस समय मध्य भारत के प्रमुख नरेश थे। मालवा पर सिंधिया और होल्कर के साथ उनका भी शासन था। सन् १८१९ ई० में धार और ब्रिटिश-सरकार में सम्बन्ध हुआ।

जावरा

ताजिक खेल का अफ़ग़ान अब्दुल मजीद खाँ भारतवर्ष में धन की लूट करना आवा था। उसके वंशज फिर भारत में ही बस गये। उनमें से एक गफ़ूर खाँ को सन् १८०८ ई० में यह रियासत मिली। वही जावरा के प्रथम नवाब हुए। तबसे यह राज्य चला आ रहा है।

रतलाम

जोधपुर के राजा उदयसिंह के प्रपौत्र राजा रतनसिंह ने सन् १६५२ ई० रतलाम राज्य की नींव डाली। बाद में समय के अनुसार वह अवनति-उन्नति करता रहा। रतलाम नरेश मालवा के राजपूतों के धार्मिक नेता माने जाते हैं।

दतिया

ओरछा के सहाराज ने अपने पुत्र भगवानराव को सन् १६२६ ई० में कुछ जागीर दी थी। उसी जागीर से दतिया-राज्य की नींव पड़ी। बाद में मुगल-सम्राट् ने कुछ रियासत और दे दी, इस प्रकार वर्तमान दतिया राज्य बन गया।

ओरछा

ओरछा राज्य की स्थापना सन् १०४८ ई० में बुन्देला राजपूतों ने की थी। यह उस समय स्वतन्त्र राज्य था। मराठा और मुगल शक्तियों ने उसे अधीन-राज्य बना दिया। सन् १८१२ ई० में ओरछा और ब्रिटिश-सरकार में सन्धि हुई।

बहावलपुर

बरादाद के खलीफा अब्वासिदे के कुछ वंशज सिन्ध में आकर बस गये थे। वहाँ से वह लोग पंजाब में आये और अपनी शक्ति से उस राज्य की स्थापना की। दुर्रानी

साम्राज्य के अन्त में सन् १८०९ ई० में लाहौर के महाराजा रणजीतसिंह से संधि हुई, जिसमें बहावलपुर एक स्वतन्त्र राज्य माना गया। ब्रिटिश-सरकार से सन् १८३३ ई० में बहावलपुर की संधि हुई। प्रथम अफगान युद्ध में नवाब ने ब्रिटिश-सरकार को बहुत सहायता दी, जिससे ब्रिटिश-सरकार ने कुछ रियासत बहावलपुर को और दे दी।

चम्बा

सूर्यवंशी राजपूत मारुत ने ६ वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। सन् ६८० ई० में मेरु वर्मा ने राज्य को और भी बढ़ाया। सन् ९२० ई० में साहिल वर्मा ने वर्तमान चम्बा नगर बसाया। जब तक मुगलों ने भारत को विजय नहीं किया, तब तक यह राज्य स्वतन्त्र बना रहा; पर मुगल-साम्राज्य में यह अधीन-राज्य बन गया। मुगल-सम्राट् इससे खिराज लेते थे। सन् १८४६ ई० में चम्बा राज्य ब्रिटिश-सरकार के 'संरक्षण' में आ गया। रावी नदी के पश्चिम का भाग पहिले काश्मीर राज्य में चला गया था, पर बाद में ब्रिटिश-सरकार ने चम्बा में ही मिला दिया।

फरीदकोट

अकबर के समय में जाटों ने इसकी स्थापना का। उस समय यह एक बड़ा राज्य बन गया, पर बाद में पड़ोसी राज्यों से छेड़-छाड़ होते रहने के कारण उसका विस्तार घट

गया। पंजाब के अन्य राज्यों पर जब ब्रिटिश-सरकार ने अपना 'स्वामित्व' जमाया, तब फरीदकोट भी उसकी मात-हती में आ गया।

भींद

सन् १७६३ ई० भींद एक पृथक् राज्य बन गया। महाराणा रणजीतसिंह के ही एक पूर्वज राजा गजपतसिंह ने अपना पृथक् राज्य बनाया था। उनके उत्तराधिकारी राजा मानसिंह ने सन् १८०५ ई० में लार्ड लेक को बहुत सहायता दी। सन् १८३७ ई० में राजा स्वरूपसिंह गद्दी पर बैठे, उन्होंने सन् १८५७ ई० के सिपाही-विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की, जिसके उपलक्ष में ब्रिटिश-सरकार ने ६०० वर्गमील भूमि दी, जो दादरी की जागीर कहलाती है।

कपूरथला

कपूरथला-नरेश के पूर्वजों का शासन पहले बड़े द्वाब में था। इस द्वाब में अहलू एक गाँव है। इसी गाँव के नाम पर राज-परिवार अहलूवाँलिया कहलाता है। महाराजा रणजीतसिंह के समय में यह राज्य उन्हें खिराज देता था। सन् १८४६ ई० में जालन्धर का द्वाब जब ब्रिटिश-सरकार के हाथ में आया, तो सतलज के उत्तर के ताल्लुक कपूरथला राज्य को दे दिये और १३१०००) वार्षिक खिराज ठहरा लिया। सन् १८५७ ई० के सिपाही-विद्रोह में कपूरथला-

नरेश ने ब्रिटिश-सरकार को सहयोग दिया, जिसके बदले में अवध में कुछ ताल्लुके कपूरथला को मिले, जो अब भी कपूरथला-राज्य के नाम पर प्रसिद्ध हैं। महायुद्ध में कपूरथला राज्य ने जो सहायता दी, उसके उपलक्ष में गवर्नमेंट ने (१३१०००) की खिराज माफ़ कर दी। बड़ी दबाव में जो जागीर है, वह अब भी कपूरथला-राज-परिवार के प्रमुख व्यक्ति की जागीर मानी जाती है, पर दीवानी और फ़ौजदारी शासन ब्रिटिश-सरकार करती है।

मलेर-कोटला

मलेर-कोटला के नवाब के पूर्वज पहिले परशिया से उत्तर शेरवाँ प्रान्त में रहते थे। वहाँ से चलकर वह अफ़ग़ानिस्तान में आ वसे, पर वहाँ से भी भारत चले आये और सन् १४४२ ई० में मलेर में बस गये। लोधी और मुग़ल सम्राटों के समय में वह मलेर-कोटला के सम्राट् की ओर से अधिपति रहे, पर जब मुग़ल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो स्वतंत्र शासक बन बैठे। पंजाब में जब सिख राजाओं की शक्ति बढ़ी, तो लाहौर स्टेट ने मलेर-कोटला से खिराज वसूल की। जब ब्रिटिश-सरकार और होल्कर में सन् १८०५ ई० में युद्ध हुआ, तो नवाब मलेर-कोटला ब्रिटिश-सेना में सम्मिलित होगये। इस पर ब्रिटिश-सरकार ने नवाब को कुछ भूमि दी। सिक्खों की शक्ति घटने पर नवाब ने सन् १८०९ ई० में ब्रिटिश-सरकार का 'स्वामित्व' स्वीकार कर लिया।

नाभा

पूर्व समय में फूल नाम का एक वीर इतिहास-प्रसिद्ध योद्धा होगया है। उसके ही वंशजों ने पंजाव में तीन राज्य कायम किये (१) नाभा, (२) भींद और (३) पटियाला। नाभा राज्य सन् १७६३ ई० में पृथक् राज्य बना। इस राज्य के दो मुख्य भाग हैं। पहले भाग में पंजाव के अन्य राज्यों एवं जिलों में स्थित १२ टुकड़े, नाभा शहर और फूल तथा अमलोह की निजामत, और दूसरे भाग में वावल की निजामत है। वावल की निजामत ब्रिटिश-सरकार से मिली थी।

पटियाला

यह भी फूल के वंशजों ने सन् १७६२ ई० में कायम की थी। जब ब्रिटिश-सरकार और महाराज रणजीतसिंह में युद्ध हुआ तो पटियाला ने ब्रिटिश-सरकार का साथ दिया। उसके बाद सन् १८४७ ई० में ब्रिटिश-सरकार ने पटियाला को अभयदान की सनद दी और अपने 'संरक्षण' में ले लिया। इस राज्य के गाँव प्रायः अन्य देशी राज्यों और पंजाव के ब्रिटिश-इलाक़े में हैं। शिमला की पहाड़ियों पर और अलवर और जयपुर राज्य की सीमा पर भी पटियाला राज्य के अनेक गाँव हैं। वायसराय ने पटियाला नरेश को दरवार में नज़र-भेंट करने से मुस्तसना कर दिया है।

नाहन

इसकी स्थापना ११ वीं शताब्दी में हुई थी। १८ वीं शताब्दी में गोरखों ने नाहन-राज्य पर आक्रमण किया, पर राज्य ने उन्हें भगा दिया। बाद में राज्य के अन्दर विद्रोह होगया, जिससे नाहन-नरेश ने गोरखों को ही सहायता के लिये बुलाया। उन्होंने विद्रोह तो दबा दिया, पर राज्य में ही अपना डेरा डाल दिया। तब ब्रिटिश-सरकार ने उन्हें निकालने में सहायता दी। सन् १८०९ ई० में ब्रिटिश-सरकार ने सरहिन्द के शासकों के नाम एक इत्तिलानामा जारी किया, जिसमें उनके पूर्व-अधिकार कायम रखते हुए उन्हें अपने संरक्षण में ले लेने की घोषणा थी। उस इत्तिलानामा द्वारा ही नाहन भी ब्रिटिश-सरकार के संरक्षण में आगया।

मनीपुर

इस राज्य की स्थापना कब हुई, यह पता नहीं चलता। १८ वीं शताब्दी के आरम्भ में गरीब-नवाज नाम के एक मुसल्मान वहाँ शासन करते थे। उन्होंने इस्लाम-धर्म त्याग कर हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने बर्मा पर कई बार चढ़ाई की। सन् १७६२ में मनीपुर ने ब्रिटिश-सरकार से मित्रता की सन्धि की। बर्मा-युद्ध के समय बर्मियों ने मनीपुर पर चढ़ाई की, पर युद्ध की समाप्ति पर सन् १८२६ में मनीपुर

फिर स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। गत महायुद्ध के बाद, ब्रिटिश-सरकार ने मनीपुर-नरेश को महाराजा की उपाधि दे दी। पहिले वह केवल राजा थे।

बस्तर

भारतवर्ष में बस्तर ही एक ऐसा राज्य है जिसकी गद्दी पर एक चन्द्रवंशी क्षत्राणी है। १४ वीं शताब्दी में दक्षिण में वारंगल एक बड़ा राज्य था। उसके शासक चन्द्रवंशी राज-पूत थे। १४ वीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों ने दक्षिण को विजय किया, तो वारंगल के राजा बस्तर भाग आये और यहाँ अपना राज्य कायम किया। उस समय से मराठा-काल के आरम्भ तक बस्तर स्वतंत्र राज्य रहा, पर १८ वीं शताब्दी में नागपुर के भोंसला राजा ने बस्तर से खिराज बाँध ली। एक बार बस्तर राज-परिवार में वैमनस्य हो गया, तब जैपुर (मदरास) के राजा ने सहायता दी। इस सहायता के बदले में बस्तर के राजा ने कोटपद (मदरास) का ताल्लुका जैपुर-नरेश को देने का वचन दिया, पर वास्तव में दिया नहीं। एक बार बस्तर राज्य ने भोंसले को समय पर खिराज नहीं दी, जिससे भोंसले ने कोटपद जैपुर-नरेश के अधिकार में दे दिया। मध्यप्रांत की स्थापना पर ब्रिटिश-सरकार ने बस्तर को अपना अधीन-राज्य बना लिया। कोटपद को वापिस पाने के लिये बस्तर राज्य ने माँग की, पर जैपुर-नरेश ने वापिस

नहीं दिया। यह विवाद सन् १८६३ ई० तक चलता रहा। उस समय ब्रिटिश-सरकार ने बस्तर राज्य की माँग को उचित ठहराते हुए भी कोटपद जैपुर-नरेश के ही अधीन रहने का फैसला दिया, क्योंकि जैपुर-नरेश का बहुत समय से उस पर अधिकार चला आ रहा था।

सरगुजा

सरगुजा राज्य के पूर्व-इतिहास का ठीक पता नहीं चलता, पर पालामऊ में जो किम्बदन्ती सुनी जाती है उससे पता चलता है कि वर्तमान नरेश पालामऊ के आर्कसेल राजा के वंशज हैं। सन् १७५८ में मराठों की सेना ने सरगुजा राज्य पर चढ़ाई की और राजा को नागपुर के भोंसले मराठों की अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया। उस समय से भोंसले सरगुजा से 'चौथ' लेने लगे। १८ वीं शताब्दी के अन्त में पालामऊ में ब्रिटिश-सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ, सरगुजा के राजा ने विद्रोहियों को सहायता दी। बाद में सरगुजा के राजा ने उसमें विद्रोहियों को सहायता दी। बाद में सरगुजा राज्य में विद्रोह हो गया। सन् १८१८ ई० तक सरगुजा में अराजकता रही, क्योंकि राजा और उनके रिश्तेदारों में ही झगड़ा पैदा हो गया था। वरार के माधोजी भोंसला से उस वर्ष ब्रिटिश-सरकार का समझौता हुआ, जिसमें सरगुजा ब्रिटिश-सरकार के अधीन आ गया। ब्रिटिश-सरकार ने उस समय सरगुजा में शान्ति कर दी।

रामपुर

रामपुर की स्थापना १८ वीं शताब्दी में नवाब सैयद अली मुहम्मद खाँ बहादुर ने की थी। इस समय यू० पी० का जो भाग रुहेलखण्ड कहलाता है, उस समय वह भाग भी रामपुर राज्य में ही था। नवाब ने मुगल-सम्राट् को बहुत सहायता दी थी, जिसके उपलक्ष में मुगल-सम्राट् ने नवाब को रुहेलखण्ड का शासक स्वीकार कर लिया। उनके मरने पर उनके पुत्र नवाब सैयद फैजुल्ला खाँ बहादुर गद्दी पर बैठे, पर उनके शासनकाल में राज्य पर अनेक बार चढ़ाई हुई, जिससे राज्य का अधिकांश भाग उनके हाथ से निकल गया। रुहेलखण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में पहुँचा। अब नवाब ब्रिटिश-सरकार के पूर्ण भक्त बन गये। उन्होंने सन् १७७८ के फ्रांस-युद्ध के समय ब्रिटिश-सरकार को दो हजार घोड़सवार सेना दी। सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह में नवाब ने बहुत से अंग्रेजों को शरण दी और उन्हें भोजन, रुपया और बख्श आदि से सहायता दी। ब्रिटिश-सरकार ने इसके उपलक्ष में रामपुर राज्य को कुछ इलाका दिया।

टेहरी

कहा जाता है कि पहले गढ़वाल जिले के दो राज्यों पर एक ही राज्य-परिवार का शासन था। जब गोरखों ने

गढ़वाल पर चढ़ाई की, तो तत्कालीन राजा प्रदुम्न शाह मारे गये। उस समय गढ़वाल के दोनों राज्य प्रदुम्न शाह के परिवार के हाथ से निकल गये। जब सन् १८१५ ई० में नैपाल-युद्ध का अन्त हुआ, तो स्वर्गीय प्रदुम्नशाह के पुत्र को ब्रिटिश-सरकार ने टेहरी का इलाका दे दिया। उसी समय से वर्तमान टेहरी राज्य चला आ रहा है।

बनारस

बनारस राज्य अति प्राचीन राज्य है। उसका अस्तित्व उस समय भी था, जिस समय का इतिहास नहीं मिलता। हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में काशी-राज्य का नाम आया है। १२वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन गोरी ने इसे विजय कर मुसल्मानी-साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया था। औरंगजेबके मरने पर जब मुगल-साम्राज्य का सूर्य मन्द पड़ रहा था, तब बनारस जिले के गंगापुर के एक जमींदार मंसाराम ने काशी राज्य की पुनः स्थापना की और दिल्ली-सम्राट् मुहम्मद-शाह से अपने पुत्र राजा बलवन्त सिंह के नाम सन् १७३८ ई० में सनद प्राप्त कर ली। सन् १७४० ई० में मंसाराम का स्वर्गवास हो गया। राजा बलवन्तसिंह ने मुगल-साम्राज्य के पतन पर काशी राज्य को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। अबध के नवाब सफ़दरजंग और उसके पश्चात् शुजाउद्दौला ने अनेक बार काशी-राज्य की स्वतन्त्रता नष्ट करने का उद्योग किया,

पर वह असफल रहे । सन् १७७० ई० में राजा बलवन्तसिंह के पुत्र राजा चेतसिंह गद्दी पर बैठे, पर वारेन हेस्टिंग्स ने उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया और बलवन्तसिंह की पुत्री के पुत्र महीपनारायणसिंह को गद्दी पर बैठाया । बाद में ब्रिटिश-सरकार ने सन् १७९४ ई० में राजा महीपनारायणसिंह से एक अहदनामा लिखवा लिया, जिसके अनुसार काशी-राज्य के दो भाग किये गये । एक भाग को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, दूसरा भाग राजा के अधिकार में रहा, पर उन्हें माल के उतने ही अधिकार दिए गए जो ब्रिटिश भारत में कलक्टर को होते हैं । इस प्रकार एक शताब्दी तक काशी नरेश वराय-नाम के राजा रहे, क्योंकि उन्हें शासन, फौजदारी आदि के अधिकार न थे । सन् १९११ में भदोही और चकिया तहसीलों का एक राज्य फिर बना । ये स्थान पहले काशी नरेश के उपनिवेश कहे जाते थे । सन् १९१८ में ब्रिटिश सरकार ने रामनगर और उसके आसपास की भूमि काशी-नरेश को लौटा दी और काशी-नरेश को महाराजा घोषित कर दिया । उन्हें अन्य राज्यों के समान शासनाधिकार भी मिल गये, पर अनेक बातों में सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिये और उनमें अपना ही अधिकार रक्खा है । काशी (बनारस) राज्य की राजधानी आजकल रामनगर है ।

कूच-बिहार

किसी समय कूच-बिहार राज्यमें समस्त उत्तरी बङ्गाल, आसाम और भूटान का बहुत-सा भाग था, पर समय की गति के अनुसार वह अब एक छोटा-सा राज्य रह गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कामरूप राज्य का कूच-बिहार एक प्रान्त था, पर बाद में वह स्वतन्त्र राज्य बन गया। सन् १७७२ में भूटानियों ने कूच-बिहार पर चढ़ाई की, तब कूच-बिहार ने ब्रिटिश सरकार से सहायता ली। उसी समय से कूच-बिहार ब्रिटिश-सरकार के संरक्षण में आ गया।

त्रावनकोर

दक्षिण भारत में हिन्दुओं का साम्राज्य बहुत समय तक रहा। उस काल में जिन तीन राजवंशों ने शासन किया, उनमें एक राजवंश चेरी था। वर्तमान त्रावनकोर राज-वंश का सम्बन्ध उसी चेरी राज-वंश से है। कालचक्र से अनेक छोटे-छोटे राज्य स्वतन्त्ररूप से स्थापित हो गये, जिन्हें महाराजा मार्तण्ड वर्मा ने १८ वीं शताब्दी के मध्यकाल में एक सूत्र में बाँधा और वर्तमान त्रावनकोर राज्य की स्थापना की। अंग्रेज जब भारत में आये, तो दक्षिण में पहिले अंजेंगो में बसे। यह गाँव त्रावनकोर राज्य के सुप्रसिद्ध नगर त्रिवेन्द्रम से थोड़ी दूर पर है। अंग्रेजों ने

अंजेंगो में सन् १९८४ में एक फ़ैक्टरी क़ायम की । १८ वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मदुरा और टिनेवली में अनेक युद्ध करने पड़े । उन युद्धों में त्रावनकोर राज्य ने कम्पनी को सहायता दी । सन् १७८४ में मैसूर के सुल्तान के साथ जो सन्धि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने की, उसमें त्रावनकोर राज्य का भी जिक्र है, क्योंकि त्रावनकोर ही दक्षिण में ऐसा राज्य था, जो अंग्रेजों का भारी हितैषी था । टीपू सुल्तान के आक्रमणों से त्रावनकोर की रक्षा करने के लिये सन् १७८८ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और त्रावनकोर में सन्धि हुई और सन् १७९५ में फिर दूसरी सन्धि हुई, जिसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने त्रावनकोर को वाहरी आक्रमण से बचाने का भार अपने ऊपर लिया । सन् १८०५ में त्रावनकोर और ब्रिटिश सरकार में अन्तिम सन्धि हुई, जिसमें त्रावनकोर ने प्रति वर्ष ८ लाख रु० खिराज में अंग्रेजों को देना स्वीकार किया ।

कोचीन

९ वीं शताब्दी में दक्षिण में चोल राजाओं का साम्राज्य था । उस समय चेरामन पेरूमल समस्त केरल, मैसूर और मालावार के गवर्नर थे । चोल राज्य की शक्ति क्षीण होने पर चेरामन पेरूमल ने अपने को केरल का स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया । यही कोचीन राज्य का श्रीगणेश था ।

सन् १५०२ में कोचीन राज्य में पुर्तगालियों को बसने की आज्ञा मिल गयी। उन्होंने उस स्थान पर एक क़िला बनाया, जो अब ब्रिटिश कोचीन कहलाता है। पुर्तगाल वालों ने राज्य के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया। जब कालीकट के ज़मोरिन से कोचीन का युद्ध हुआ, तब पुर्तगाल वालों ने कोचीन की सहायता की। १७ वीं शताब्दी में पुर्तगाल वालों की शक्ति घटी, उस समय डच लोगों ने आकर उन्हें कोचीन से भगा दिया। कोचीन राज्य ने सन् १६६३ में डच लोगों से सन्धि कर ली। एक शताब्दी बाद सन् १७५९ में कालीकट के ज़मोरिन ने त्रावनकोर राज्य की सहायता से कोचीन पर चढ़ाई की, और राजा को भगा दिया। सन् १७७६ में हैदरअली ने कोचीन पर विजय प्राप्त की, पर उसने पूर्व राजा को ही राज दे दिया और उससे अपनी "चौथ" बाँध ली। कोचीन राज्य हैदरअली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को बराबर "चौथ" देता रहा। सन् १७९५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और कोचीन राज्य में सन्धि हुई, जिसमें कोचीन ने कम्पनी को खिराज देना स्वीकार किया। कम्पनी ने उस समय टीपू पर भी विजय पा ली थी, इसलिये कोचीन राज्य की जो भूमि टीपू के अधिकार में थी, वह कम्पनी ने कोचीन को दे दी। उसी समय से कोचीन अंग्रेजों के 'स्वामित्व' में आया।

पुद्दूकोटा

चोल राज्य का कुछ भाग और मदुरा के पण्ड्या राज्य का कुछ भाग मिलकर पुद्दूकोटा राज्य की स्थापना हुई। कर्नाटक के युद्धों के समय पुद्दूकोटा ने अंग्रेजों से सम्बन्ध स्थापित कर लिया। जब सन् १७५२ ई० में फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली पर चढ़ाई की, तो पुद्दूकोटा राज्य ने अंग्रेजों को सहायता दी। सन् १७५६ ई० में मदूरा और टिनेवली पर अंग्रेजों का अधिकार जमाने में पुद्दूकोटा के राजा ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सेना भेज कर सहायता दी। जब हैदर-अली से अंग्रेजों का युद्ध हुआ, तो उस समय भी पुद्दूकोटा ने अंग्रेजों की ही सहायता दी। अंग्रेजों ने इसके उपलक्ष में सन् १८०६ ई० में कुछ भूमि दी। उसी समय से वर्तमान पुद्दूकोटा राज्य स्थिर हुआ।

कच्छ

कच्छ राज्य अति प्राचीन है। इसका उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में किया है, पर वर्तमान कच्छ राज्य का अर्वाचीन इतिहास १४ वीं शताब्दी से आरम्भ होता है। उस शताब्दी में सम्मा राजपूतों ने (जो सिंध में रहते थे) कच्छ को विजय किया था, तब से ही कच्छ पर उनका अधिकार निरन्तर चला आ रहा है। सन् १८०५ ई० में कच्छ से ब्रिटिश सरकार की सन्धि हुई।

भावनगर

सन् १२६० ई० में गोहल राजपूत यहाँ आकर बसे। उनका सरदार साजकजी था। साजकजी के तीन पुत्र थे—रानोजी, सारंगजी और शाहजी, जिनके वंशजों के तीन ही राज्य हैं— (१) भावनगर, (२) लाठी और (३) पालिताना। जब मुसलमानों का गुजरात में जोर बढ़ा, तब भावनगर राज्य ने जूनागढ़ को खिराज देना स्वीकार कर लिया। मराठों ने भी भावनगर को दबाया और उससे 'पेशकाश' बाँध ली। १८ वीं शताब्दी के आरम्भ में भावनगर ने ईस्ट इण्डिया-कम्पनी से सम्बंध स्थापित किया। जब गुजरात गायकवाड़ और पेशवा में बँट गया, तब भावनगर राज्य पर बहुत से दावेदार खड़े हो गये, जिनका फैसला सन् १८०७ में अंग्रेजों ने किया। इसलिये भावनगर अब भी ब्रिटिश सरकार को खिराज, बड़ौदा को 'पेशकाश' और जूनागढ़ को 'जोरतलबी' प्रति वर्ष अदा करता है।

धांगध्रा

उत्तर भारत से आकर भाला राजपूत पहले अहमदाबाद जिले के पातरी स्थान पर बसे, फिर हलवद आये और अन्त में धांगध्रा आ बसे। यहाँ उन्होंने अपना राज्य कायम किया। इस राज्य पर मुसलमानों ने अनेक बार चढ़ाई की और सफलता भी प्राप्त की, पर अन्त में मुगल सम्राट् औरंगजेब

ने एक शाही फरमान द्वारा ध्रांगध्रा राज-परिवार को हलवद, उसके आस-पास के ताल्लुके और निकट के नमक के स्थान दे दिये। उसी सीमा से वर्तमान ध्रांगध्रा राज्य संगठित हुआ है।

गोरडाल

इसके संस्थापक कुम्भोजी (प्रथम) थे। उन्होंने २० गावों पर अधिकार करके गोरडाल राज्य स्थापित किया था। कुम्भोजी (द्वितीय) ने इस राज्य की सीमा युद्ध में विजय प्राप्त करके बहुत बढ़ाई। इस समय भी वही सीमा कायम है, जो उस समय थी।

जूनागढ़

पहले यह राजपूत राज्य था। इसपर चूड़ासमा फिरके के सरदार का शासन था, पर सन् १४७२ में अहमदाबाद के सुल्तान मुहम्मद बेगरा ने इसे विजय कर लिया। तबसे यह मुसल्मानी राज्य बन गया। अकबर सम्राट् के समय में जूनागढ़ दिल्ली के अधीन हो गया। उस समय गुजरात का मुग़ल-गवर्नर जूनागढ़ पर शासन करता था। मुग़ल-साम्राज्य का सूर्य अस्त होने पर शेरखन्त बाबी ने गुजरात के गवर्नर को निकाल दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। बाद में जूनागढ़ ने गुजरात के अनेक राज्यों से 'जोरतलबी' बाँध ली, जो अब भी उसे मिल रही है। सन् १८०७ ई०

में जूनागढ़ नवाब ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सम्बन्ध स्थापित किया ।

नवानगर

नवानगर का राजवंश उसी राजपूत खानदान का है जिसके कच्छ के महाराव हैं । पहले इस प्रांत में जेठवा लोगों का राज्य था । घुमली उनकी राजधानी थी, पर कच्छ से राजपूतों ने काठियावाड़ में आकर जेठवा राजवंश को भगा दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया । जामनगर इस समय नवानगर की राजधानी है । सन् १५४० ई० में यह नगर बसाया गया था । जूनागढ़ के नवाब ने अन्य गुजराती राज्यों की तरह नवानगर को भी दबाया और 'जोरतलवी' बाँध ली । जब मराठों का भाग्य-सितारा चमका, तब उन्होंने भी नवानगर को धर दबाया और 'पेशकाश' बाँध ली । अंग्रेजों ने भी अपनी 'खिराज' बाँधी । इस प्रकार नवानगर इस समय भी जूनागढ़, वड़ौदा और ब्रिटिश सरकार को एक लाख बीस हजार बानवे रुपये प्रति वर्ष अदा करता है ।

कोल्हापुर

प्रातःस्मरणीय हिन्दू-धर्म-रक्षक वीर-शिरोमणि महाराज शिवाजी के छोटे पुत्र ने इस राज्य की स्थापना की थी । उस समय से यह राज्य समय की गति के अनुसार

उन्नति-अवनति करता चला आ रहा है। अंग्रेजों ने दो बार— सन् १७६५ और सन् १७९५ ई० में—कोल्हापुर से युद्ध किये। सन् १७९५ ई० के युद्ध के बाद कोल्हापुर महाराज ने अंग्रेजों को मलवान और कोल्हापुर में फ़ैक्टरियाँ खोलने की आज्ञा दे दी और सन् १७८५ ई० से अंग्रेज व्यापारियों को जो क्षति मलवान से निकाल दिये जाने के कारण हुई थी, उसकी भी पूर्ति की। इस राज्य से अड़ोस-पड़ोस के अनेक राज्यों के साथ युद्ध होते रहे, जिससे कोल्हापुर की शक्ति बहुत क्षीण हो गयी। सन् १८१२ ई० में अंग्रेजों और कोल्हापुर में संधि हुई, जिसके अनुसार कोल्हापुर-राज्य के कई वन्दरगाह अंग्रेजों के हाथ आये। कोल्हापुर राज्य के अन्तर्गत अब भी ९ छोटे-छोटे राज्य ऐसे हैं जो कोल्हापुर के अधीन हैं।

राजनीतिक-संधियाँ

भारत में ४० राज्य ऐसे हैं जिनकी ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक-सन्धियाँ उस समय हुई हैं, जब वे ब्रिटिश सरकार की अधीनता में आये। वह राज्य निम्न हैं—

- १-अलवर (१८७३ ई०), २-भावलपुर (१८३८ ई०),
- ३-बाँसवाड़ा (१८१८ ई०), ४-बड़ौदा (१८०५ ई०),
- ५-भरतपुर (१८०५ ई०), ६-भोपाल (१८१८ ई०),
- ७-बीकानेर (१८१८ ई०), ८-बूँदी (१८१८ ई०),
- ९-कोचीन (१८०९ ई०), १०-कच्छ (१८१९ ई०),
- ११-दतिया (१८१८ ई०), १२-देवास सीनियर (१८१८ ई०),
- १३-देवास जूनियर (१८१८ ई०), १४-धार (१८१९ ई०),
- १५-धौलपुर (१८०६ ई०), १६-ग्वालियर (१८०४-१८४४ ई०),
- १७-हैदराबाद (१८००-१८५३ ई०),
- १८-इन्दौर (१८१८ ई०), १९-जयपुर (१८१८ ई०),
- २०-जैसलमेर (१८१८ ई०), २१-कलात (१८७६ ई०),
- २२-करौली (१८१७ ई०), २३-जम्मू ऐण्ड काश्मीर (१८४६ ई०),
- २४-भालावाड़ (१८३८ ई०), २५-खैरपुर (१८३८ ई०),
- २६-किशनगढ़ (१८१८ ई०),

२७-कोल्हापुर (१८१२ ई०), २८-कोटा (१८१७ ई०), २९-मैसूर (१८८१-१९१३ ई०), ३०-ओरछा (१८१२ ई०), ३१-प्रतापगढ़ (१८१८ ई०), ३२-रामपुर (१७९४ ई०), ३३-रीवाँ (१८१२ ई०), ३४-समथर (१८१७ ई०), ३५-सावन्तवाड़ी (१८१९ ई०), ३६-सिक्कम (१८१४ ई०) ३७-सिरोही (१८२३ ई०), ३८-त्रावनकोर (१८०५ ई०), ३९-दोंक (१८१७ ई०), ४०-उदयपुर (१८१८ ई०) ।

शेष राज्य भी कई प्रकार के हैं । एक प्रकार के वह राज्य हैं जिनके साथ कोई सन्धि नहीं हुई; पर उन्हें ब्रिटिश-सरकार से सनद मिली हुई है । दूसरे प्रकार के वह हैं जो ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने इनाम में जागीर-रूप में दिये हैं और तीसरे प्रकार के वह राज्य हैं जिनकी न तो ब्रिटिश सरकार से सन्धि है और न जिन्हें सनद प्राप्त है; पर शाही घोषणा के अनुसार कायम हुए हैं ।

इस छोटी-सी पुस्तक में सभी राज्यों के सन्धि-पत्र देना असम्भव है इसलिये उदाहरण के लिये एक सन्धि-पत्र नीचे दिया जाता है ।

सन्धि-पत्र उदयपुर स्टेट

“यह सन्धि ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उदयपुर के महाराणा भीमसिंहजी के बीच हुई थी । कम्पनी के प्रतिनिधि मि० चार्ल्स टी० मेटकाफ थे और महाराणा के प्रतिनिधि ठाकुर अजीतसिंह बहादुर थे ।

धारा १—दोनों राज्यों में निरन्तर मित्रता, परस्पर राजनीतिक सम्बन्ध और हितैक्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी बना रहेगा, और एक राज्य के शत्रु और मित्र दोनों राज्यों के शत्रु और मित्र माने जावेंगे ।

धारा २—ब्रिटिश-सरकार उदयपुर राज्य की, और उसकी सीमा की रक्षा करने का वचन देती है ।

धारा ३—महाराणा उदयपुर ब्रिटिश-सरकार के साथ एक मातहत की हैसियत से सहयोग करेंगे और सदैव इसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे तथा दूसरे राज्यों या सरदारों के साथ सम्बन्ध न रखेंगे ।

धारा ४—ब्रिटिश-सरकार के जाने बिना और उससे स्वीकृति लिये !बिना महाराज उदयपुर किसी राज्य या सरकार के साथ सन्धि या विग्रह की बातचीत न कर सकेंगे, लेकिन अपने मित्र और सम्बन्धियों के साथ जो उनका पत्र-व्यवहार है, वह जारी रहेगा ।

धारा ५—महाराणा उदयपुर किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और इत्तफ़ाक से किसी के साथ कोई विवाद खड़ा हो जावे, तो निपटारे के लिये ब्रिटिश सरकार के सामने पेश करेंगे ।

धारा ६—पाँच वर्ष तक उदयपुर की मालगुजारी का चतुर्थांश ब्रिटिश सरकार को खिराज के रूप में दिया जायगा और उसके बाद मालगुजारी के आठ भाग में से

तीन भाग हमेशा के लिये खिराज में दिये जावेंगे । खिराजके विषय में महाराणा का किसी और राज्य से सम्बन्ध न रहेगा । यदि कोई राज्य खिराज माँगेगा तो ब्रिटिश सरकार उसे उत्तर देगी ।

धारा ७—महाराणा कहते हैं कि उदयपुर राज्य के कुछ हिस्से अनुचित साधनों से दबाये गये हैं, वे ब्रिटिश सरकार की सहायता से उदयपुर राज्य को मिलने चाहियें । इस विषय में ब्रिटिश सरकार को पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिये सरकार निश्चित वचन नहीं दे सकती, लेकिन उदयपुर का दबा हुआ राज्यांश वापिस दिलाने का सरकार को सदैव ध्यान रहेगा और जाँच-पड़ताल के बाद जहाँ मुनासिब होगा, वहाँ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्न किये जायगा । इस प्रकार जो राज्यांश उदयपुर को वापिस मिलेगा, उसकी मालगुजारी का ३ भाग हमेशा के लिये ब्रिटिश सरकार को दिया जावेगा ।

धारा ८—उदयपुर राज्य अपनी हैसियत के अनुसार और ब्रिटिश सरकार की माँग के अनुसार सेना रक्खेगा ।

धारा ९—महाराणा उदयपुर अपने राज्य में सदैव अनियंत्रित-शासक बने रहेंगे । उनके राज्य में अंग्रेजी अमलदारी नहीं की जावेगी ।

धारा १०—यह सन्धि दिल्ली में हुई है, जिस पर मिस्टर चार्ल्स टी० मैटकाफ और ठाकुर अजीतसिंह बहादुर ने हस्ताक्षर

किये हैं और मुहर लगाई है। अन्त से एक महीने के अन्दर आनरेबिल गवर्नर-जनरल और महाराणा भीमसिंह इसको परस्पर सही करेंगे।

आज तारीख १३ जनवरी सन् १८१८ ई० को दिल्ली में हुई।

हस्ता०—सी० टी० मेटकाफ़

हस्ता०—ठाकुर अजीतसिंह

हस्ता०—हेस्टिंग्स

हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जनरल ने २२ जनवरी सन् १८१८ ई० को ऊचर के कैम्प में सही किया।

हस्ता०—जे० एडम,

सेक्रेटरी गवर्नर-जनरल।

काश्मीर राज्य को जम्मू के महाराजा गुलाबसिंह ने खरीदा था, इसलिये उसकी संधि की नक़ल पाठकों के लिये विशेष मनोरञ्जक होगी।

सन्धिपत्र काश्मीर-स्टेट सन् १८४६ ई०

यह सन्धि जम्मू के महाराज गुलाब सिंह और ब्रिटिश सरकार की ओर से मि० फेडिज़्क करी और मेजर हेनरी माँट-गोमरी लारेंस के बीच हुई।

धारा १—ब्रिटिश सरकार सदैव के लिये महाराज गुलाबसिंह और उनके पीढ़ी-दर-पीढ़ी वारिस को, स्वतंत्र

अधिकार में, वह सारा पहाड़ी मुल्क और उससे सम्बन्धित स्थान, जो सिंध नदी के पूर्व की ओर और नदी रावी के पश्चिम की ओर स्थित है, देती है। चम्बा भी उसमें सम्मिलित है, पर लाहुल पर अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि वह लाहौर-स्टेट ने लाहौर-सन्धि मुवर्रिखे ९ मार्च सन् १८४६ ई० की शर्त ४ के अनुसार ब्रिटिश सरकार को दिया है।

धारा २—उपरोक्त शर्त में महाराजा गुलाबसिंह को जो मुल्क दिया गया है, उसकी पूर्वी सीमा वह कमिश्नर निर्धारित करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार और महाराजा गुलाबसिंह नियत करेंगे और पैमाइश के बाद उस सीमा का स्पष्टीकरण एक पृथक् अहदनामा में किया जावेगा।

धारा ३—महाराजा गुलाबसिंह और उनके वारिसों को उपरोक्त शर्तों के अनुसार जो मुल्क मिलेगा, उसके बदले में महाराजा गुलाबसिंह ७५ लाख रुपया (नानकशाही) ब्रिटिश-सरकार को देंगे, जिनमें से ५० लाख रु० तो इस सन्धि पर सही होने पर और २५ लाख रु० इस वर्ष (सन् १८४६ ई०) की पहली अक्टूबर तक दिया जायगा।

धारा ४—बिना ब्रिटिश-सरकार की आज्ञा महाराजा गुलाबसिंह के राज्य की सीमा किसी भी समय बदली न जा सकेगी।

धारा ५—यदि महाराजा गुलाबसिंह और लाहौर-गवर्नमेंट या अन्य किसी पड़ोसी राज्य के साथ कोई विवाद

बड़ा होगा, तो महाराजा गुलावसिंह उसे ब्रिटिश-सरकार के पास भेजेंगे और उसका फ़ैसला मानेंगे ।

धारा ६—जब कभी ब्रिटिश-सेना पहाड़ियों पर या महाराजा गुलावसिंह के राज्य के अड़ोस-पड़ोस भेजी जावेगी, तब महाराजा और उनके वारिस अपनी सभी सेना के साथ ब्रिटिश-सेना का साथ देंगे ।

धारा ७—महाराजा गुलावसिंह विना ब्रिटिश-सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये किसी भी ब्रिटिश-नागरिक या यूरोपियन अथवा अमेरिकन स्टेटों के नागरिकों को कभी भी अपने यहाँ मुलाजमत में न रक्खेंगे ।

धारा ८—लाहौर-दरबार और ब्रिटिश-सरकार में ११ मार्च सन् १८४६ ई० को जो पृथक् अहदनामा हुआ है, महाराजा गुलावसिंह उसकी शर्त नं० ५, ६ और ७ को अपने राज्य के लिये भी लागू समझेंगे ।

धारा ९—बाहरी दुश्मनों से रक्षा करने में ब्रिटिश-सरकार महाराजा गुलावसिंह को सहायता देगी ।

धारा १०—महाराजा गुलावसिंह ब्रिटिश सरकार का 'स्वामित्व' स्वीकार करते हैं और इसके उपलक्ष में प्रति वर्ष महाराजा ब्रिटिश सरकार को एक घोड़ा, १२ सुन्दर एवं खूब चरी हुई भेड़ें (६ नर, ६ मादा) और काश्मीरी शालों के तीन जोड़े भेंट करेंगे ।

यह १० शर्तों की सन्धि आज फेड़िक करी और मेजर

हेनरी मांटगोमरी, लारेन्स तथा महाराजा गुलाबसिंह में हुई और इसे आज राइट आनरेविल सर हेनरी हार्डिंग्ज, जी० सी० वी०, गवर्नर जनरल ने मंजूर की।

अमृतसर में हुई, आज ता० १६ मार्च सन् १८४६, तदनुसार ता० १७ रबी-उल-अव्वल १२६२ हिजरी।

एच० हार्डिंग्ज (मुहर)

हस्ताक्षर—एफ० करी

” एच० एम० लारेन्स

राइट आनरेविल गवर्नर-जनरल आफ इण्डिया की आज्ञा से।

हस्ताक्षर—एफ० करी

सेक्रेटरी भारत सरकार

यह पहले कहा जा चुका है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके साथ ब्रिटिश सरकार की कोई सन्धि नहीं हुई, पर उन्हें सनद मिली हुई है। एक सनद का भी नमूना देखिये—

सनद महाराजा पटियाला को

ता० २२ सितम्बर, सन् १८४७ ई०

“चूँकि लाहौर स्टेट के गत युद्ध में राजा पटियाला ने ब्रिटिश सरकार की अच्छी सेवा की और सहायता दी, इसको दृष्टि में रखते हुए राइट आनरेविल गवर्नर-जनरल ने राजा पटियाला को कुछ जमीन देने का निश्चय किया

है और चूंकि महाराजा पटियाला ने यह प्रार्थना की है कि उन्हें रक्षा का आश्वासन दिया जाय और अपने पहले राज्य में पूरे अधिकार दिये जायँ, गवर्नर-जनरल इस सनद द्वारा आश्वासन देते हैं कि महाराजा और उनके बाद जो वारिस हों, अपनी भूमि में बराबर उन अधिकारों का उपयोग करते रहेंगे, जो इस समय उनके हैं।

महाराजा की जो पुरानी सम्पत्ति है, वह उनके और उनके वारिसान के अधिकार में सदैव बनी रहेगी और उन्हें पुलिस एवं मालगुजारी के सम्बन्ध में हुकूमत के अधिकार रहेंगे। अभीतक महाराजा के अधीन जो चहारूम देने वाले राज्य हैं, या उनके अनुशासन में हैं, वह यथावत् रहेंगे। महाराजा न्याय करेंगे और अपनी प्रजा की उन्नति एवं खुशहाली का उद्योग करेंगे और उनकी प्रजा उन्हें न्यायपूर्ण एवं अधिकार-पूर्ण अपना राजा मानते हुये उनकी एवं उनके वारिसान की आज्ञा का पालन करे, नियत समय पर मालगुजारी अदा करे और अपनी खेती की उन्नति का सदैव उद्योग करते हुए राजभक्ति एवं आज्ञापालन का परिचय दे। महाराजा और उनके वारिसान चुङ्गी या आयात-निर्यात-कर लगाने का अधिकार सदैव के लिये त्याग करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में चुङ्गी हटा दी गयी है। महाराजा अपने को एवं अपने वारिसान को अपने राज्य में गुलामों की खरीद-फरोख्त, और सती की प्रथा को सदैव के लिये उठा देने को

वचन-वद्ध करते हैं । यदि महाराजा के कर्मचारियों की अज्ञानता में कोई व्यक्ति उपरोक्त अपराध करेगा, तो महाराजा या उनके अधिकारीवर्ग उसे कड़ी सजा देंगे । ब्रिटिश सरकार महाराजा या उनके वारिसान या उनके अधीनस्थ जागीरदारों से कभी भी खिराज या मालगुजारी यह समझ कर नहीं माँगेगी कि महाराजा सदैव ब्रिटिश-हितों और ब्रिटिश सरकार की सेवामें उसी प्रकार तैयार रहेंगे जैसे अभी हैं । ब्रिटिश सरकार महाराजा की प्रजा या उनके अधीनस्थ जागीरदारों की अभी कोई शिकायत न सुनेगी और न महाराजा के अधिकारोंमें हस्तक्षेप करेगी । यदि इस देश को विजय करने के लिये कोई भी शत्रु सतलज की तरफ से धावा करेगा तो, महाराजा अपनी सारी सेना सहित ब्रिटिश सेना से सहयोग करेंगे और उसके अनुशासन एवं आज्ञा में रहेंगे । युद्धके समय महाराजा अपनी सारी शक्ति एवं राज्य को ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर छोड़ देंगे । महाराजा ब्रिटिश सेना के आने-जाने के लिये अम्बाला और अन्य फौजी मुकामों से फ़ीरोज़पुर तक सड़कें बनवायेंगे और उन्हें दुरुस्त रखेंगे । सड़कों की चौड़ाई आदि का विवरण इञ्जीनियर आफिसर तैयार करेगा, जिसे सड़कों का काम सुपुर्द होगा । महाराजा ब्रिटिश सेना के ठहरने के लिये पड़ाव बना देंगे और उनकी चौहद्दी कर देंगे, जिससे बाद में फ़सल-नष्ट होने की क्षति-पूर्ति की माँग न हो ।”

कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्राचीन युद्धों में ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गये, पर उसने वाद में; अन्य किसी राजा को अथवा राज्य के पूर्व अधिकारी को दे दिये । राज्य देकर समय जो शर्तनामा हुआ वह 'परिवर्तन-पत्र' कहलाता है । ऐसे एक परिवर्तन-पत्र का उदाहरण देखिये—

परिवर्तन-पत्र मैसूर स्टेट, सन् १८८१ ई.पू.

“चूँकि ब्रिटिश-सरकार के अधिकार में बहुत दिनों से मैसूर का राज्य है और उसने राज्य में उन्नतिशील शासन कायम किया है, और चूँकि भूतपूर्व महाराजा के स्वर्गवास पर ब्रिटिश-सरकार की यह इच्छा हुई कि राज्य का शासन भारतीय राजघराने के हाथ में हो, पर अभी तक जो शासन-प्रणाली जारी हो चुकी है, उसकी कायमी के लिये उचित शर्तें रहें, अतः ब्रिटिश-सरकारने घोषणा की थी कि यदि भूतपूर्व महाराजा के गोद लिये हुए पुत्र महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर, १८ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उपरोक्त राज्य के शासक होने के योग्य नहीं होंगे, तो ब्रिटिश-सरकार उन शर्तों और प्रतिबंधों के साथ—जो उस समय उचित समझी जावें—राज्य लौटा देगी । चूँकि अब महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर १८ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और ब्रिटिश-सरकार की दृष्टि में शासक होने के योग्य हैं, अतः उपरोक्त राज्य को महाराजा के अधिकार में ब्रिटिश-सरकार देना

चाहती है और चूँकि यह आवश्यक है कि महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर को एक लिखा हुआ परिवर्तन-पत्र दिया जावे, जिसमें वह शर्तें हों जिनके अनुसार अधिकार दिया जावेगा—अतः यह घोषित किया जाता है कि—

१—महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर २५ मार्च, सन् १८८१ ई० को मैसूर-राज्य के अधिकारी बनेंगे और उसका शासन अपने हाथ में लेंगे ।

२—उपरोक्त महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर और उनके वारिसान उपरोक्त राज्य को उस वक्त तक अपने अधिकार में रख सकेंगे और उसपर शासन कर सकेंगे, जब तक वह निम्न शर्तों का पालन करते रहेंगे ।

३—उपरोक्त राज्य का अधिकार उपरोक्त महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर के परिवार के व्यक्ति को ही—चाहे वह निजी पुत्र हो, या अपने परिवार के रीति-रिवाज के अनुसार गोद लिया गया हो—मिलेगा, बशर्ते कि वह शासन करने के अयोग्य सिद्ध न हो ।

शर्त यह भी होगी कि बिना सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के उत्तराधिकार नहीं माना जावेगा ।

यदि उपरोक्त महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर के उत्पन्न हुआ या गोद लिया हुआ कोई वारिस न हो, तो सपरिषद् गवर्नर-जनरल उनके वंश के किसी भी व्यक्ति को—जिसे योग्य समझा जावे—वारिस बना देंगे ।

४—महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर और उनके वारिसान (जो अब आगे महाराजा मैसूर लिखे जावेंगे) हर मैजिस्टी कीन आफ़ ग्रेट ब्रिटेन ऐण्ड आयर्लैण्ड व सम्राज्ञी भारत के, उनके उत्तराधिकारियों के तथा वारिसान के प्रति सदैव मित्र और अधीन बने रहेंगे और मित्रता एवं अधीनता के नाते उनका जो कर्तव्य होगा, वह सदैव पालन करेंगे ।

५—चूँकि ब्रिटिश-सरकार उपरोक्त राज्य को वाहरी आक्रमण से बचाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है और आवश्यकता के लिये ब्रिटिश-सेना का साथ देने को राज्य में फ़ौज रखने की शर्त से भी महाराजा को बरी करती है, अतः महाराजा ब्रिटिश-सरकार को २५ मार्च, सन् १८८१ ई० से दो क्रिस्तों में १५ लाख रु० वार्षिक दिया करेंगे ।

६—जिस तारीख़ से महाराजा उपरोक्त राज्य को अपने अधिकार में लेंगे, उस तारीख़ से श्रीरङ्गपट्टम् द्वीप का ब्रिटिश-अधिकार भी जाता रहेगा और वह द्वीप मैसूर राज्य का एक भाग समझा जावेगा । उस भाग के लिये भी यही शर्तें लागू होंगी, जो शेष मैसूर राज्य के लिये लागू हैं ।

७—उपरोक्त सीमा में महाराजा बिना सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा कोई भी क़िला या गढ़ न बना सकेंगे और न किसी गढ़ या क़िले को वाहरी मरस्मत करा सकेंगे ।

८—बिना सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा प्राप्त किये

महाराजा मैसूर अपने राज्य की सीमा में शस्त्र, गोला बारूद या सैनिक-सामान न आने देंगे और शस्त्र, गोला बारूद या सैनिक सामान बनाने का राज्य भर में अथवा उस स्थान में जहाँ गवर्नर-जनरल उचित समझें—निषेध कर देंगे ।

९—सपरिषद् गवर्नर-जनरल जब कभी और उपरोक्त राज्य में जहाँ-कहीं अंग्रेजी छावनी बनाना आवश्यक समझेंगे—महाराजा मैसूर को उसमें कोई आपत्ति न होगी । छावनी के लिये जो ज़मीन आवश्यक होगी, वह ज़मीन महाराजा मैसूर बिना किसी मूल्य के दे देंगे और उसपर से अपनी अमलदारी हटा लेंगे । सपरिषद् गवर्नर-जनरल जैसी आवश्यक समझेंगे वैसी सफ़ाई महाराजा को छावनी के इर्द-गिर्द रखनी पड़ेगी । ऐसी छावनियों की सेना के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उनके लिये महाराजा हर प्रकार की सुविधा कर देंगे और छावनी के लिये जो सामान आवेगा, उसपर बिना ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के किसी प्रकार का कर महाराजा न लगा सकेंगे ।

१०—राज्य की आन्तरिक व्यवस्था और महाराजा की शान के लिये जो फ़ौज रक्खी जावेगी, उसकी तादाद उस तादाद से अधिक न होगी, जो समय-समय पर सपरिषद् गवर्नर-जनरल नियत करेंगे । सेना की भर्ती, क़वायद, सङ्गठन और रहन-सहन पर गवर्नर-जनरल जो आदेश देंगे, उसका सदैव पालन किया जावेगा ।

११—महाराजा मैसूर किसी अन्य राज्य के कार्य में हस्तक्षेप न करेंगे और सपरिषद् गवर्नर-जनरल की विना पूर्व-आज्ञा प्राप्त किये, और विना गवर्नमेंट की मारफ़त, किसी राज्य से या किसी राज्य के एजेण्ट अथवा अफ़सर से कोई पत्र व्यवहार न करेंगे ।

१२—महाराजा अपनी मुलाज्जमत में ऐसे किसी व्यक्ति को विना सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा न रक्खेंगे, जो भारत का मूल निवासी न हो । ऐसा व्यक्ति यदि मुलाज्जमत में रक्खा गया, तो जब सपरिषद् गवर्नर-जनरल चाहेंगे, महाराजा उसे पृथक् कर देंगे ।

१३—भारत-सरकार का सिक्का उपरोक्त सीमा में क़ानूनी सिक्का माना जावेगा और इस समय मुद्रा-सम्बन्धी जो नियम ब्रिटिश-भारत में प्रचलित हैं, वही नियम मैसूर-राज्य में भी लागू होंगे । मैसूर राज्य का सिक्का बहुत समय से बन्द है, वह फिर जारी न किया जावेगा ।

१४—जब कभी सपरिषद् गवर्नर-जनरल उपरोक्त सीमा में टेलीग्राफ़ का कार्य आरम्भ करवाना चाहेंगे, तब महाराजा उसके लिये विना किसी मुवाविज़े के आवश्यक ज़मीन देंगे और उसके लिये हर प्रकार की सुविधायें देंगे । उपरोक्त सीमा में जो टेलीग्राफ़ लगाया जायगा, चाहे वह ब्रिटिश-सरकार के व्यय से हो, या रियासत के धन से निर्माण किया गया हो—ब्रिटिश-टेलीग्राफ़-सिस्टम का ही वह भाग समझा

जावेगा । यदि महाराजा मैसूर और ब्रिटिश-सरकार में इस पर कोई नया समझौता न हो जावे, तो वह टेलीग्राफ-सिस्टम ब्रिटिश-टेलीग्राफ-विभाग के नियंत्रण में रहेगा । ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ सम्बन्धी जो नियम उप-नियम जारी होंगे, वही उपरोक्त टेलीग्राफ पर भी लागू होंगे ।

१५—यदि ब्रिटिश-सरकार कभी मैसूर राज्य की सीमा में स्वयं अथवा अन्य किसी के द्वारा रेलवे लाइन बनवाना चाहेगी तो, महाराजा उसके लिये आवश्यक जमीन बिना किसी मुवाविजे के दे देंगे और उस जमीन की अमलदारी का अधिकार भी सपरिषद् गवर्नर-जनरल को दे देंगे । रेलवे द्वारा जो माल राज्य की सीमा में होकर आया जाया करेगा उस पर किसी प्रकार की चुङ्गी न लगावेंगे वशतें कि वह राज्य की सीमा में उतारा न जाय ।

१६—यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश-भारत में अपराध करके मैसूर राज्य में जा बसा हो, या रहता हो, और उसकी गिरफ्तारी की माँग मैसूर का ब्रिटिश-रेजीडेण्ट अथवा उससे अधिकारप्राप्त अन्य कोई ब्रिटिश-अफसर करे, तो महाराजा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा कर ब्रिटिश-गवर्नमेंट के अधिकारियों के सुपुर्द कर देंगे । ऐसे अभियुक्त के मुकदमे में महाराजा हर प्रकार की सहायता देंगे, जैसे गवाहों का हाजिर कराना अथवा अन्य आवश्यक कार्य ।

१७—उपरोक्त सीमा में जोअंग्रे या यूरोपियन-नागरिक

रहेंगे या रहते हैं, उन पर फ़ौजदारी अमल सपरिषद् गवर्नर-जनरल का ही जारी रहेगा, परन्तु महाराजा का उन पर उतना ही शासनाधिकार रहेगा, जितना समय-समय पर सपरिषद् गवर्नर-जनरल उन्हें दे देंगे ।

१८—नमक बनाना रोकने या उसका नियंत्रण करने अथवा अफ़ीम की खेती के सम्बन्ध में, महाराजा मैसूर सपरिषद् गवर्नर-जनरल की इच्छापूर्ति करेंगे । नमक, अफ़ीम आदि के आयात्-निर्यात् के सम्बन्ध में जो आवश्यक नियम-उपनियम बनाये जावेंगे, महाराजा मैसूर उन पर अमल करेंगे ।

१९—जिस समय महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर मैसूर राज्य का शासन अपने अधिकार में लेंगे, उस समय मैसूर में जो क़ानून और क़ानून के आधार पर नियम पूर्व-समय से जारी होंगे, वह बराबर जारी रहेंगे और सन्तोषजनक रीति से उनका अमल रहेगा । महाराजा मैसूर विना सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा के ऐसे क़ानूनों को न तो रद्द करेंगे और न संशोधित करेंगे; न उन क़ानूनों के प्रतिकूल कोई क़ानून ही पास करेंगे ।

२०—महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर के अधिकार लेते समय जो शासन-प्रणाली प्रचलित है, उसके आधार-मूल में कोई भी परिवर्तन सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा विना न हो सकेगा ।

२१—मैसूर राज्य के ब्रिटिश-शासन-काल में जो बन्दोबस्त जमीन का हुआ है, या जो सम्पत्ति किसी को दी गयी है, वह यथावत् जारी रहेगी, बशर्ते कि किसी अदालत ने या सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने कोई विरोधी फैसला न दिया हो।

२२—राजस्व का प्रबन्ध, मालगुजारी की वसूली और उसका बन्दोबस्त, कर का लगाना, न्याय विभाग का शासन, व्यापार की वृद्धि, व्यवसाय को प्रोत्साहन, कृषि और उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन, महाराजा के हितों की उन्नति, महाराजा की प्रजा की उन्नति तथा ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध आदि के विषय में सपरिषद्-गवर्नर-जनरल जो भी परामर्श दें, महाराजा मैसूर सदैव उस पर अमल करेंगे।

२३—यदि महाराजा मैसूर किसी शर्त को भंग करेंगे, तो सपरिषद् गवर्नर-जनरल, मैसूर की प्रजा के हित के लिये, ब्रिटिश हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये, मैसूर-राज्य का शासन स्वयं अपने हाथों में ले लेंगे अथवा अन्य कोई उचित प्रबन्ध कर देंगे।

२४—इस परिवर्तन-पत्र से वह सभी अहदनामे मंसूख हो जावेंगे, जो इससे पूर्व इस सम्बन्ध में हुए हों। यदि कभी यह प्रश्न उठे कि शर्तों का पालन उचित रूप में हुआ या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति गद्दी का उत्तराधिकारी है या

नहीं, और वह गद्दी के योग्य है या नहीं, तो सपरिषद् गवर्नर-जनरल का फ़ैसला अन्तिम माना जावेगा।

फ़ोर्ट विलियम,	}	हस्ताक्षर,
१ मार्च, सन् १८८१ ई०		रिपन।

बड़ौदा राज का इतिहास कुछ और ही है। पहिले सन् १८०५, ई० में ब्रिटिश सरकार और बड़ौदा राज्य में सन्धि हुई, पर बाद में कई बार शाही फ़रमान द्वारा उस सन्धि में सुधार हुआ। इसलिये बड़ौदा राज्य की सन्धि उद्धृत करना अप्रासांगिक न होगा।

रक्षा-सम्बन्धी मित्रता की सन्धि

सन् १८०५ ई०

“यह सन्धि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से मेजर अलेक्जेंडर बाकर रेजीडेण्ट बड़ौदा और महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के दर्मियान हुई।

“चूँकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी और आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के दर्मियान निम्न अहद-नामे हुए हैं—(१) केम्बे में बम्बई-गवर्नर और आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर बहादुर के दीवान रावजी अप्पाजी में १५ मार्च, सन् १८०२ ई० को। (२) केम्बे में बम्बई-गवर्नर और आनन्दराव गायकवाड़

सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के दीवान रावजी अप्पाजी के दर्मियान ता० ६ जून, सन् १८०२ ई० को । (३) वड़ौदा में २९ जुलाई, सन् १८०२ ई० को रेजीडेण्ट-वड़ौदा मेजर अलेक्जेंडर वाकर और आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के दर्मियान । अतएव इन सभी अहदनामों को एक निश्चित सन्धि में परिमित करने और दोनों दलों में मित्रता बढ़ाने की दृष्टि से और चूँकि रावजी ने अपने पत्र मुवरिखे १० सफर (१२ जून, सन् १८०३ ई०) में यह इच्छा प्रकट की है कि आनरेबिल कम्पनी और हिज़-हाईनेस पेशवा के दर्मियान बसीन में जो सन्धि हुई है, उसी के अनुसार वर्तमान सभी अहदनामे एक निश्चित सन्धि के रूप में कर दिये जावें, अतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्न शर्तों को स्वीकार करते हैं—

धारा १—अभी तक दोनों राज्यों में जो अहदनामे हुए—यानी १५ मार्च, ६ जून और २९ जुलाई, सन् १८०२ ई० के अहदनामे—वह आज सही किये जाते हैं । वह दोनों राज्यों पर, और उनके उत्तराधिकारियों पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी लागू होंगे ।

धारा २—किसी एक राज्य के शत्रु-मित्र दोनों राज्यों के शत्रु-मित्र होंगे । यदि कोई शक्ति किसी भी राज्य के

विरुद्ध या उसके अवीन, जागीरदारों के विरुद्ध अथवा उसके मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, अकारण किसी प्रकार का दमन करे या अन्याय करे और माँगने पर आवश्यक सफ़ाई देने से इन्कार करे, तो स्थिति के अनुसार जिस कार्रवाई की आवश्यकता होगी, सही करनेवाले दोनों राज्य वह कार्रवाई फ़ौरन् करेंगे ।

धारा ३—चूँकि आनरेविल कम्पनी और महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर में जो अहदनामे हुए थे, उनके अनुसार दो हजार आदमियों की सहायक-सेना रक्खी गयी थी और इससे आधी सहायक-सेना रखना पहले-ही निश्चित हो चुका था, इसलिये तीन हजार देशी स्थायी पल्टन, एक यूरोपियन आर्टिलरी कम्पनी, दो तोपखाना कम्पनी और आवश्यक सामानों (युद्ध-योग्य शस्त्र आदि सहित) का रखना महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर बहादुर को देना आनरेविल कम्पनी स्वीकार करती है । यह सेना आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर की रियासत में रक्खी जावेगी ।

धारा ४—सहायक-सेना प्रमुख अवसरों पर सेवा करने के लिये सदैव तत्पर रहेगी, जैसे आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर या उनके वारिसान या उनके उत्तराधिकारियों की रक्षा, विद्रोहियों का दमन, राज्य

में उत्तेजना फैलानेवालों का दमन और सरकार की न्याय-पूर्ण मालगुजारी को रोक देने पर प्रजा अथवा जागीरदारों को उचित मार्ग पर लाना; और अदना कामों के लिये सेना का भय-प्रदर्शन या पड़ाव आदि। इस सेना की एक बटालियन, या उस समय जैसा आवश्यक हो, आवश्यकता पड़ने पर काठियावाड़ जावेगी, पर अंग्रेजी सरकार—जिसकी गायकवाड़ स्टेट के हित की ओर शुद्ध भावना में सन्देह नहीं किया जा सकता—इस आवश्यकता का निर्णय करेगी।

धारा ५—इस सहायक-सेना के व्यय की नियमित अदायगी के लिये आनन्दराव गावकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर उपरोक्त अहदनामों में ११ लाख ७० हजार वार्षिक की आय के जिले गवर्नमेण्ट को दे चुके हैं। इस सन्धि-द्वारा उन पर फिर स्वीकृति दी जाती है। आनन्दराव गावकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर उन जिलों की—जिन की सूची साथ में नथी है—अमलदारी छोड़ते हैं और उन जिलों में जो किले हैं, वह भी आनरेबिल कम्पनी के अधिकारों में देते हैं।

धारा ६—ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार के सहयोग से जो लाभ हुआ, उसके लिये कृतज्ञता प्रकट करने एवं अपनी मित्रता प्रकट करने के लिये आनन्दराव गावकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर चौरासी, सूरत, चौथ और

खेड़ा के जिले आनरेविल कम्पनी के सुपुर्द कर चुके हैं। इस सन्धि द्वारा उनकी तसदीक़ाकी जाती है और आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-वहादुर उपरोक्त जिलों का राज्याधिकार तथा उनके सभी किले आनरेविल कम्पनी के हाथ में समर्पित करते हैं।

धारा ७—चूँकि आनरेविल कम्पनी ने भिन्नभिन्न अवसरों पर अपने खज़ाने से तथा अन्य वैङ्करों द्वारा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-वहादुर की सहायता की है। (सहायता की पूरी सूची इस सन्धि-पत्र के साथ नत्थी है) अतः स्वीकार किया जाता है कि सूची में लिखे हुए जिलों में रसद की पूरी रक़म आनरेविल कम्पनी की ओर से २९ जुलाई के अहदनामों की शर्त ८ के अनुसार—वसूल की जावेगी।

धारा ८—गल्ला, अन्य खाद्य पदार्थ एवं मादक द्रव्य, पहनने के वस्त्र, ऊँट, घोड़ा, जानवर—जिनकी सहायक सेना के लिये आवश्यकता होगी—आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-वहादुर की सीमा में चुङ्गी से मुस्तस्ना होंगे। कमारिंडग आफ़ीसर और सहायक-सेना के अफ़सरों का उसी प्रकार मान किया जावेगा, जो ब्रिटिश-सरकार की शान के मुताबिक़ होगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट के अफ़सरों का आनरेविल कम्पनी की ओर से मित्रतापूर्ण और सद्भावना-पूर्ण मान होगा। महाराजा के परिवार या उनके मंत्रियों के

निजी उपयोग के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, वह सूरत और बम्बई में खरीदी जा सकेंगी और रेजीडेण्ट वडौदा के पासपोर्ट पर विना ड्यूटी के वडौदा भेजी जा सकेंगी ।

चूँकि महाराष्ट्रों का चतन दक्षिण में है, इसलिये जो गुजरात में बसते हैं, या गुजरात में मुलाज्जमत में हैं, वह महाराष्ट्र-जवतक गायकवाड़ गवर्नमेंट की मुलाज्जमत में रहें, अपने परिवार के साथ आनरेबिल कम्पनी की सीमा में स्वतन्त्रता-पूर्वक आ जा सकेंगे ।

यह स्पष्ट है कि इस शर्त के अनुसार व्यापार की वस्तुओं या निषिद्ध वस्तुओं का किसी भी रूप में आयात-निर्यात न होगा ।

धारा ९—महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर प्रतिज्ञा करते हैं कि विना ब्रिटिश सरकार की आज्ञा प्राप्त किये किसी यूरोपियन या अमेरिकन, या आनरेबिल कम्पनी के किसी भारतीय नागरिक को अपनी मुलाज्जमत में न रक्खेंगे और न आनरेबिल कम्पनी गायकवाड़ के किसी मुलाज्जिम को या जागीरदार को या गुलाम को राज्य की इच्छा के विरुद्ध अपनी मुलाज्जमत में रक्खेगी ।

धारा १०—चूँकि सही करनेवाले दोनों राज्य एक दूसरे की रक्षा के लिये इस सन्धि के अनुसार बाध्य हैं, अतः

महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर वचन देते हैं कि कभी भी किसी राज्य के विरुद्ध आक्रमण न करेंगे, और यदि कोई विवाद खड़ा हो जावे, तो आनरेबिल कम्पनी की सरकार मामले को न्याय और सत्य के पैमाने से नापकर, गायकवाड़ सरकार से पत्र-व्यवहार करेगी, विचार करेगी और निर्णय करेगी।

धारा ११—चूंकि हिज़ हाईनेस पेशवा और आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास खेल-शमशेर बहादुर के बीच कुछ लेन-देन बिना फ़ैसले के पड़ा है और हिसाब के कुछ कागज़ात ऐसे हैं जिनका अन्तिम फ़ैसला नहीं हुआ है, इसलिये आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर बहादुर स्वीकार करते हैं कि आनरेबिल कम्पनी की सरकार उनकी पढ़ताल करेगी और उपरोक्त हिसाब, कागज़ात तथा लेन-देन का अन्तिम फ़ैसला देगी। आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर अपने को, अपने वारिसान को और गद्दी के अधिकारियों को आनरेबिल कम्पनी की सरकार का—जो वह उचित समझे—फ़ैसला मानने को बाध्य करते हैं। इन विवाद-ग्रस्त मामलों में—जो हिज़ हाईनेस पेशवा की सरकार और गायकवाड़ सरकार में हैं—गायकवाड़ सरकार से आशा की जाती है कि वह पेशवा की तरह—जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट का निर्णय मानना स्वीकार कर लिया है—ब्रिटिश सरकार में विश्वास रखेगी।

यह समझौता ऑनरेबिल कम्पनी गायकवाड़ की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट यह आशा रखती है कि कम्पनी की मध्यस्थता में अनुचित माँग पेश न की जावेगी।

धारा १२—यद्यपि इस सन्धि के कारण दोनों राज्यों की भारत के अन्य राज्यों के साथ शान्ति और मैत्री-भाव रखने की इच्छा है, फिर भी यदि दुर्भाग्यवश युद्ध आरम्भ हो जावे, तो आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के पास उतनी तादाद में जितनी गुजरात की रक्षा के लिये आवश्यक समझी जावेगी, एक बटालियन छोड़ दी जावेगी और शेष सभी सहायक-सेना स्टोर और शस्त्रों-सहित शीघ्र ही शत्रु का सामना करने के लिये भेज दी जावेगी।

महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर की सेना ब्रिटिश-सेना के साथ युद्ध रोकने के लिये गुजरात की सीमा पर रक्खी जावेगी। यदि स्थिति अधिक भयंकर हो, तो दोनों राज्य आपस में विचार करेंगे कि युद्ध को अन्त करने के लिये शान्ति के कौन से उपाय हितकर होंगे ?

धारा १३—चूँकि दोनों सरकारों के शत्रु एक ही हैं, अतः जो गायकवाड़ सरकारके विरोधी हों या उससे बगावत करें, वह आनरेबिल कम्पनी की मित्रता में कभी नहीं आ सकते,

लेकिन यदि कनोजी गायकवाड़—जो उपरोक्त परिभाषा में आते हैं—अपना सुधार कर लें और आत्म-समर्पण कर दें, तो यह उचित होगा कि उन्हें पर्याप्त पेंशन दे दी जावे, जिससे वह बम्बई में अथवा अन्य समान सुरक्षित स्थान पर रह सकें ।

न तो कनोजी गायकवाड़ और न मल्हारराव गायकवाड़, पेन्शन के अतिरिक्त गायकवाड़ सरकार से और कुछ माँग कर सकेंगे । जो पेन्शन कनोजी गायकवाड़ को स्वीकार की जावेगी, वह मल्हारराव गायकवाड़ को भी स्वीकार कर दी जावेगी ।

धारा १४—जब सहायक-सेना रणभूमि में होगी, तब आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर उसे गल्ला तथा अन्य रसद तबतक बराबर देंगे जबतक उन के देश में मिल सके, पर उसका खर्च ब्रिटिश सरकार अदा करेगी ।

धारा १५—यदि महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ की सीमा पर स्थित आनरेविल कम्पनी की सीमा या जिल्लों में कोई उपद्रव खड़ा हो जावे, तो महाराजा आनन्दराव सहायक सेना को उस तादाद में—जो उपद्रव को दबाने के लिये आवश्यक हो—भेजना स्वीकार करेंगे और यदि कभी महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के राज्य में कोई उपद्रव खड़ा हो जावे, और वहाँ

सहायक-सेना की टुकड़ी भेजनी असुविधा-जनक हो, तो आनरेबिल कम्पनी की सरकार आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के आग्रह पर उतनी ब्रिटिश-सेना जितनी सुविधा से भेजी जा सके—महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ की रियासत में उपद्रव दवाने को भेज देगी ।

धारा १६—भविष्य में यदि किसी एक राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में आकर शरण लें, तो उन्हें वह राज्य पहले राज्य के सुपुर्द कर देगा, बशर्ते कि उनके विरुद्ध राज्य का—जिससे वह आये हों—कोई अभियोग हो या कर्जा हो; पर दोनों राज्यों के देशों में स्वतंत्र आवागमन रखता है, इसलिये साधारण मामलों में उपरोक्त माँग न की जाय और सङ्गीन मामलों में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग दिया जाय ।

सही करनेवाले दोनों राज्य परस्पर व्यापारिक-सम्बन्ध कायम करने के लिये अपने को बाध्य समझते हैं, इसलिये उचित समय में व्यापारिक-सन्धि करके उसका समझौता करेंगे ।

बड़ौदा में हुई; २१ अप्रैल १८०५ ई० ।

इसके १५ वर्ष बाद बड़ौदा-राज्य और ब्रिटिश-गवर्नमेंट में काठियावाड़ और महीकंठा के राज्यों से खिराज पाने के सम्बन्ध में एक सन्धि हुई, वह इस प्रकार है—

संधिपत्र बड़ौदा राज्य,

ता० ३ अप्रैल, सन् १८२० ई०

“देश की रक्षा, शांति और उन्नति की दृष्टि से कि गायकवाड़ गवर्नमेंट काठियावाड़ और महीकंठा के प्रांतों से अपनी खिराज बिना दिक्कत और सुविधा के साथ वसूल कर सके; अतः ब्रिटिश-सरकार के साथ यह प्रबन्ध किया गया है कि हिज्र हार्डनेस सयाजीराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर कम्पनी की गवर्नमेंट से आज्ञा प्राप्त किये बिना उपरोक्त दोनों प्रांतों के जिलों में—जिनमें जमींदार रहते हैं—अपनी सेना न भेजेंगे और जमींदारों अथवा उन जिलों के अन्य निवासियों से सीधी कोई माँग न करेंगे, यदि कोई माँग करनी होगी, तो कम्पनी की गवर्नमेंट की मार्फत करेंगे। कम्पनी स्वीकार करती है कि खिराज की रकम—जो सम्बत् १८१४ और १८६८ के समझौतों में नियत हो चुकी है—जमींदारों से गायकवाड़-सरकार को बिना किसी व्यय के मिलेगी। यदि किसी जमींदार या ताल्लुकदार के विरुद्ध आचरण करने पर पर्याप्त व्यय करना पड़ा, तो वह व्यय उसी जमींदार से वसूल किया जायगा।”

कुछ राज्य ऐसे हैं जो ब्रिटिश-सरकार ने घोषणा द्वारा अपने संरक्षण में ले लिये हैं, इसलिये यहाँ वह घोषणा दी जाती है जो मालवा और सरहिन्द के चीफ्स को ब्रिटिश-संरक्षण की सूचना देते हुए की गयी थी।

सतलज नदी के इस पार सरहिन्द और मालवा के चीफ्स के नाम इत्तिला-नामा

ता० ३ मई, सन् १८०९ ई० ।

“यह सूर्य से अधिक स्पष्ट है और भूतकाल की स्थिति से भली प्रकार सिद्ध हो चुका है कि सतलज नदी के इस पार ब्रिटिश-सेना चीफ्स की भलाई, उनकी स्वतंत्रता और उनके राज्यों की रक्षा के लिये ही भेजी गई थी। महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश-सरकार के प्रतिनिधि मि० मेटकाफ में २५ अप्रैल, सन् १८०९ ई० में सन्धि हुई, जिसमें राइट-आनरेबिल सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञाओं को मानना स्वीकार किया गया। मालवा और सरहिन्द के चीफ्स के सन्तोष के लिये, मैं निम्न ७ शर्तों में गवर्नमेंट की कृपा की घोषणा करता हूँ—

धारा १—मालवा और सरहिन्द के चीफ्स का मुल्क ब्रिटिश-संरक्षण में आगया है, इसलिये भविष्य में महाराजा रणजीतसिंह के नियंत्रण और अधिकार से सन्धि की शर्तों के अनुसार उसकी रक्षा की जावेगी।

धारा २—इस प्रकार जो मुल्क ब्रिटिश-संरक्षण में लिया गया है, वह ब्रिटिश-सरकार को खिराज देने से मुस्तसना होगा।

धारा ३—ब्रिटिश-संरक्षण में आने से पूर्व चीफ्स के जो

अधिकार थे, वही अधिकार उनके राज्यों में अब भी बने रहेंगे ।

धारा ४—जब कभी सार्वजनिक हित के लिये चीफ्स के मुल्क में ब्रिटिश-सेना का मार्च करना न्याय-सङ्गत प्रतीत हो, तब प्रत्येक चीफ अपनी राज्य-सीमा में ब्रिटिश-सेना को गल्ला तथा अन्य आवश्यक रसद—जिसकी माँग की जावे—पहुँचाने में अपनी पूर्णशक्ति से काम लेगा ।

धारा ५—यदि इस मुल्क को विजय करने के लिये कोई दुश्मन किसी ओर से चढ़ाई कर दे, तो मित्रता और पारस्परिक सद्भावना यह तक्काजा करती है कि चीफ्स अपनी सेना-सहित ब्रिटिश-सेना को सहयोग दें, दुश्मन को भगाने का उद्योग करें और अनुशासन एवं आज्ञा में चलें ।

धारा ६—यदि सेना के उपयोग के लिये कोई व्यापारी पूर्वी जिलों से कोई भी अंग्रेजी वस्तुएं लावे तो चीफ्स के जिलों के थानेदार और सरदार बिना रोक-टोक और बिना चुङ्गी आने देंगे ।

७—रिसाला के लिये सरहिन्द में अथवा अन्यत्र घोड़े खरीदे जावें, तो दिल्ली के रेज़ीडेण्ट या आफ़ीसर कमाण्डिंग सरहिन्द के राहदारी पर्वे को दिखलाने पर, बिना किसी कर या रोक-टोक के आने दिये जावेंगे ।

सन्धियों के बाद ब्रिटिश-सरकार ने देशी राज्यों को पुत्र गोद लेने की सनदें दी हैं । उन सनदों में से एक सनद आणे दी जाती है:—

सनद गोद लेने की जो निज़ाम हैदराबाद को सन् १८१२ ई० में दी गयी

“हर मैजेस्टी की इच्छा है कि भारत के देशी नरेशों और जागीरदारों का—जो अपने राज्यों का स्वयं शासन करते हैं—शासन निरन्तर जारी रहे और उनके परिवार का प्रतिनिधित्व एवं मान बना रहे। इस इच्छा की पूर्ति के लिये मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि यदि आपकी रियासत का कोई प्राकृतिक युवराज न हो, तो उस व्यक्ति को, जो मुसल्मानी कानूनों के अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाणित हो, गद्दी का हकदार मान लिया जावेगा।

विश्वास रखिये, जब तक आपका राज्य-परिवार ब्रिटिश-सरकार से की गयी सन्धियाँ, समझौते और अहदनामों की शर्तों का पालन करता रहेगा और हर मैजेस्टी के प्रति भक्त बना रहेगा, तब तक इस अहदनामे में कोई बाधा न पड़ेगी।”

११ मार्च, १८६२ ई०

ह०—कैनिंग।

बड़ौदा-स्टेट, काठियावाड़ और महीकंठ के छोटे-छोटे राज्यों से खिराज लेती है, इसलिये बड़ौदा-स्टेट और ब्रिटिश-गवर्नमेंट में इस सम्बन्ध में एक पृथक् ही सन्धि हुई, जो इस प्रकार है:—

संधि जो ब्रिटिश-सरकार और बड़ौदा-सरकार में ३ अप्रैल सन् १८७० को हुई

“देश की रक्षा, शांति और उन्नति के विचार से तथा इस दृष्टि से कि बड़ौदा-सरकार विना किसी दिक्कत के, और सुविधापूर्वक काठियावाड़ और महीकंठ के प्रान्तों से अपना कर वसूल करती रहे, ब्रिटिश सरकार से यह निश्चय हुआ कि हिज हाइनेस सयाजीराव सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर विना कम्पनी की सरकार की आज्ञा प्राप्त किये उपरोक्त प्रांतों के जमींदारों अथवा उपरोक्त प्रांतों के रहनेवालों से अन्य किसी प्रकार का मतलब विना कम्पनी की सरकार की मध्यस्थता के तलब न करेंगे। ब्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि गायकवाड़-सरकार उपरोक्त जमींदारों से अपना कर-जिसमें खुराजियात भी सम्मिलित है और जो सम्बत् १८१४, १८०७, १८०८, १८६८, १८११ और १८१२ के समझौते के अनुसार निश्चित है-विना किसी प्रकार के व्यय के प्राप्त करेगी। यदि किसी जमींदार या ताल्लुकदार के विरुद्ध आचरण के कारण काफ़ी व्यय करना पड़ा, तो विना किसी प्रकार की अधिक रकम के वह व्यय उसी जमींदार से वसूल किया जावेगा।”

गोण्डाल के चीफ़ ने एक जमानतनामा लिखा था, जिसको फ़ाइल-जामिन कहते हैं। वह इस प्रकार है:—

फ़ाइल ज़ामिन गोण्डाल स्टेट

नारा के श्री फूलजी रूपसिंहजी के पुत्र वरोत करार ने श्रीमन्त राव श्री सेना-खास-खेल शमशेर-वहादुर को लिखा:—

“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से श्रीमंत पंत प्रधान और गायकवाड़-सरकार को ताल्लुक़ा गोण्डाल-धोराजी के कुं० नाथूजी और जड़ेजा देवजी की ओर से प्रांत के दोनों हिस्सों में विद्रोह और उपद्रव न होने देने के लिये निम्न गारण्टी रक्षा के लिये देता हूँ—

धारा १—मैं किसी अन्य ताल्लुक़ेदार से न सम्बन्ध रखूँगा और न अन्य किसी ताल्लुक़ेदार के विद्रोहियों को शरण दूँगा, चाहे वह कंठी हो या राजपूत, न अन्य किसी व्यक्ति को अराजकता फैलाने की उत्तेजना दूँगा और न अन्य किसी की सीमा में अपनी सीमा बढ़ाऊँगा। अभी तक जो रीति-रिवाज रहा हो, उसके अनुसार कार्य करने की स्वीकृति देता हूँ। यदि कोई भायत मेरे पास आवे और अपनी जमीन या गाँव मुझे लिखे, तो मैं उस जमीन या गाँव को न खरीदूँगा। पुरानी शत्रुता के लिये मैं अब किसी से बदला न लूँगा। मैं अपनी सीमा में चोरों को स्थान न दूँगा और यदि अपने देश में किसी को बसाऊँगा तो पूरी सावधानी के साथ। मैं अन्य किसी ताल्लुक़ेदार की सीमा में उपद्रव न करूँगा। यदि किसी ज़मींदार को आवश्यकता पड़ गयी और उसने अपनी ज़मींदारी या गाँव मुझे लिखा, तो मैं

मेण्ट को सारे मामले की रिपोर्ट करूँगा और स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर वह ज़मींदारी या गाँव खरीदूँगा। यदि मुझे अपनी ज़मीन बेचने की आवश्यकता हुई, तो मैं गवर्नमेण्ट की स्वीकृति से बेचूँगा।

धारा २—मैं गवर्नमेण्ट के किसी भी विद्रोही से सम्पर्क न रखूँगा, चाहे वह श्रीमन्त श्री गायकवाड़-सरकार का विद्रोही हो, या कम्पनी बहादुर का।

धारा ३—हमारे दोनों तरफ़ श्रीमन्त पन्त प्रधान और गायकवाड़-सरकार तथा आनरेबिल कम्पनी के मुहाल हैं। मैं इन मुहालों में किसी प्रकार की लूट न करूँगा और न उत्तेजना फैलाऊँगा, और न किसी व्यापारी या यात्री का अपमान करूँगा, बल्कि मैं उन्हें कुली और रक्षक दूँगा तथा इस प्रकार अपनी सीमा से विदा करूँगा। यदि किसी गाँव में व्यापारी या यात्री की हानि हो जावे, तो उस गाँव का मालिक उत्तरदायी होगा और यदि किसी ताल्लुक़ेदार के गाँव में हानि हो जावेगी, तो वह ताल्लुक़ेदार उत्तरदायी होगा और असली चोर को पकड़कर उपस्थित करेगा।

धारा ४—यदि मैंने अन्य किसी ज़मींदार की सीमा दवा ली हो, या किसी की ज़मींदारी खरीद ली हो, तो मैं उचित शर्तों पर ऐसी ज़मीन त्याग दूँगा और फिर उस पर किसी प्रकार का दावा न करूँगा।

धारा ५—उपरोक्त शर्तों के साथ मैं यह प्रतिज्ञा-पत्र

लिख रहा हूँ और नवानगर ताल्लुका के जाम श्री जसाजी को गवाह जामिन बनाता हूँ । मैं उपरोक्त शर्तों का पालन करूँगा । यदि इसकी किसी शर्त की अवज्ञा होने पर सरकार मुझपर मोहसल नियुक्त करेगी, तो मैं सरकार और उसके अफसरों की माँग के अनुसार प्रत्येक विचार-ग्रस्त प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर दूँगा और मोहसल (कमीशन) का दैनिक व्यय और उसके द्वारा निर्धारित जुर्माना अदा करूँगा ।”

कार्तिक सुदी २ सम्बत् १८५४

हस्ताक्षर जामिन

हस्ताक्षर गवाह-जामिन

नमक के व्यापार पर संधियाँ

सन् १९३० के नमक-सत्याग्रह के समय से प्रत्येक भारत-वासी जान चुका है कि नमक पर ब्रिटिश-सरकार ने एक मात्र अधिकार कर रक्खा है और किसी भी भारतवासी को नमक बनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। यही बात देशी राज्यों के लिये समझिये। पहले अनेक राज्यों में नमक का भारी व्यापार होता था और कई राज्यों की प्रजा का तो एकमात्र व्यवसाय नमक का ही था। पर ब्रिटिश-सरकार ने सब राज्यों से यह अधिकार स्वयं ले लिया, इसलिये किसी भी राज्य में नमक नहीं बन सकता। इस अधिकार को अपने हाथ में लेने में सरकार को व्यय भी करना पड़ता है। अनेक राज्यों को वह नमक का हरजाना देती है। इस सम्बन्ध में देशी राज्यों से ब्रिटिश-सरकार की अनेक सन्धियाँ हैं। यहाँ वह सन्धि दी जाती है जो जयपुर-राज्य और भारत-सरकार के बीच साँभर मील के सम्बन्ध में हुई थी। राजपूताना में साँभर मील ही एक ऐसी मील है जहाँ भारी तादाद में नमक तैयार होता था। सन्धि इस प्रकार है—

धारा १—निम्नलिखित सन्धि की शर्तों के अनुकूल

जयपुर-सरकार साँभर भील के पास नमक बनाने, बेचने तथा उस पर कर लगाने के अधिकार भारत-सरकार को देती है।

धारा २—यह अधिकार, जब तक भारत-सरकार चाहेगी, जारी रहेगा। जब इस अधिकार को सरकार छोड़ना चाहेगी, तब दो वर्ष पूर्व जयपुर-सरकार को नोटिस दे देगी।

धारा ३—भारत-सरकार नमक बनाने, बेचने और कर लगाने के अधिकार को भली प्रकार काम में ला सके, इस अभिप्राय से जयपुर-सरकार, भारत-सरकार को निम्न अधिकार देती है—

नमक को छिपाने का या उसका महसूल चुराने का संदेह होने पर भारत-सरकार-द्वारा नियत किये हुए अफसर अगली शर्तों में दिये हुए स्थानों के मकान और बाड़े आदि की तलाशी ले सकते हैं और निर्धारित सीमा के अन्दर नमक की विक्री, चोरी या बिना इजाजत बनाने आदि के विषय में भारत-सरकार जो कानून बनावे, उसका उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और उस पर जुर्माना भी कर सकते हैं।

धारा ४—साँभर भील के तट के पास की जमीन, जिसमें साँभर का कस्बा और अन्य छोटे-छोटे बारह गाँव सम्मिलित हैं, और वह जमीन, जिस पर जयपुर और जोधपुर

दोनों का अमल जारी है, तथा भील के वह हिस्से, जिनपर इन दोनों राज्यों की हुकूमत जारी है, यह सब वह हिस्सा समझा जावेगा जिस पर ब्रिटिश-सरकार और उसके अफसर शर्त ३ के अनुसार अधिकार स्थापित करेंगे ।

धारा ५—उपरोक्त निर्धारित सीमा के अन्दर ब्रिटिश-सरकार नमक बनाने के लिये, बेचने के लिये, हटाने के लिये, महसूल की चोरी रोकने के लिये और शर्त ३ के अनुसार दिये हुए कानून को कार्यरूप में परिणत करने के लिये मकान, सड़कें, पुल हाता आदि बना सकेगी और आवश्यकतानुसार उनको गिरा भी सकेगी । इस अभिप्राय की पूर्ति के लिये यदि अधिक जमीन की आवश्यकता हुई, तो ब्रिटिश-सरकार उस पर कब्जा कर लेगी । यदि यह जमीन ऐसी हुई जिससे जयपुर-सरकार को मालगुजारी प्राप्त होती है, तो उतनी ही मालगुजारी जयपुर-सरकार ब्रिटिश-सरकार से लेगी । इस प्रकार जमीन पर कब्जा करने से अगर किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति को हानि पहुँचती होगी, तो ब्रिटिश-सरकार अपने इरादे की सूचना जयपुर-सरकार को एक मास पूर्व देगी और ऐसी दशा में ब्रिटिश-सरकार उचित क्षति-पूर्ति करेगी । इस क्षति-पूर्ति की रकम पर यदि जयपुर-सरकार ब्रिटिश-सरकार और उस सम्पत्ति के अधिकारी में मत-भेद होगा, तो वह रकम पंचायत द्वारा निश्चित की जावेगी । जयपुर-राज्य की सीमा में जो इस प्रकार इमारतें

बनाई जावेगी, उनपर ब्रिटिश-सरकार का मालिकाना हक नहीं माना जावेगा। जिस समय ब्रिटिश-सरकार साँभर भील से अपना कब्जा हटा लेगी, तो उस समय इन इमारतों पर जयपुर-सरकार का अधिकार हो जावेगा।

धारा ६—जयपुर-सरकार की अधीनता में ब्रिटिश-सरकार एक अदालत कायम करेगी, जिसमें एक सुयोग्य न्यायाधीश रक्खा जावेगा, जो समय-समय पर अपनी बैठक करके उन अपराधों का फैसला करेगी, जो शर्त नं० ३ के भीतर आते हैं, या उससे सम्बन्धित होंगे और ऊपर वर्णन की गयी सीमा के अन्दर होंगे। ब्रिटिश-सरकार जैसे उचित समझे, ऐसे अपराधों के अभियुक्तों को साँभर की सीमा में या उसके बाहर पकड़ सकती है।

धारा ७—जब तक साँभर भील पर ब्रिटिश-सरकार का अधिकार रहेगा, वह समय-समय पर उस नमक की दर स्थिर करेगी, जो शर्त नं० २ के अनुसार दिये हुए नमक के अलावा बेचा जावेगा। जयपुर-सरकार को अधिकार होगा कि वह अपने आन्तरिक-व्यय के लिये प्रति वर्ष नमक बनाये जाने के स्थान पर इच्छानुसार नमक लेवे, परन्तु ऐसे नमक की तादाद अंग्रेजी-सरकार की सीमा में काम आने वाले मन की तौल से १,७२,००० मन से अधिक न होगी। जयपुर-सरकार इस नमक का मूल्य ९ आने प्रति मन के हिसाब से अदा करेगी, परन्तु उसे अधिकार होगा कि वह उस नमक को इच्छित भाव पर बेचे।

धारा ८—साँभर की सीमा में जयपुर और जोधपुर की जो इस समय संयुक्त लवण-राशि है, उसका आधा भाग जयपुर-सरकार का है। यह भाग निम्न शर्तों पर ब्रिटिश-सरकार को दिया जाता है:—

(१) रिवाज के अनुसार पाँच लाख दस हजार मन नमक जयपुर-सरकार ब्रिटिश-सरकार को बिना मूल्य देगी। शेष नमक साढ़े छः आने फ्री मन के भाव पर ब्रिटिश-सरकार खरीदेगी और उसका मूल्य अदा करेगी। यह मूल्य उसी समय दिया जाना आरम्भ होगा, जब ८,२५,००० मन से अधिक नमक खरीदने की या बाहर भेजने की ब्रिटिश-सरकार को आवश्यकता होगी। यह परिमाण ८,२५,००० मन जब तक न पहुँच जाय तब तक शर्त नं० १२ में लिखित २० प्रति शत रॉयल्टी भी जयपुर-सरकार को न मिलेगी। इस ८,२५,००० मन की मिक़दार में शर्त नं० ७ में दिया हुआ वह नमक भी सम्मिलित है, जो जयपुर-सरकार को अपने खर्च के लिये चाहिये।

धारा ९—साँभर भील पर बने हुए नमक पर, या उसको जयपुर-राज्य में होकर अंग्रेज़ी पास के साथ अन्यत्र कहीं ले जाते समय, जयपुर-सरकार कोई कर या जकात, या किसी प्रकार की चुङ्गी न लगा सकेगी। शर्त नं० ७ के अनुसार जयपुर-सरकार को जो नमक दिया जायगा, उस पर जयपुर-सरकार चाहे जो कर लगावे। .

धारा १०—इस सन्धि के कारण नमक से सम्बन्ध रखनेवाले अपराधों के अतिरिक्त अन्य विषयों में जयपुर सरकार के दीवानी या फौजदारी अमल में कोई बाधा न डाली जावेगी। साँभर मील और उसके आस-पास के स्थानों पर जयपुर सरकार का शासन यथावत् बना रहेगा।

धारा ११—नमक बनाने, हटाने, या नियम के विरुद्ध उसका बनाना रोकने, या महसूल की चोरी रोकने में जो व्यय होगा, वह सब ब्रिटिश सरकार उठावेगी और जयपुर सरकार को कुछ नहीं देना पड़ेगा। जयपुर सरकार ने जो अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिये हैं, उनके बदले में ब्रिटिश सरकार जयपुर सरकार को प्रति वर्ष २७,५०००) किशतों में देगी। नमक कम बिके या अधिक, पर इस रकम की तादाद पर कोई असर न होगा।

धारा १२—यदि किसी वर्ष ८,२५,००० मन से अधिक नमक बेचा जायगा तो शर्त नं० ८ में जो परिमाण दिया हुआ है, उससे अधिक पर २० प्रतिशत रॉयल्टी जयपुर सरकार को दी जावेगी। यदि नमक के परिमाण में कभी कोई भगड़ा पैदा हुआ तो, ब्रिटिश सरकार के अफसर—जो साँभर में रहता हो—का हिसाब अन्तिम समझा जावेगा, लेकिन जयपुर सरकार अपने सन्तोष के लिये यदि हिसाब लिखने के लिये किसी अफसर को नियत करना चाहेगी, तो ब्रिटिश सरकार उसमें बाधा नहीं डालेगी।

धारा १३—जयपुर-दरवार के निजी खर्च के लिये ब्रिटिश सरकार सात हजार मन नमक सालाना देगी और जयपुर-सरकार का नियत किया हुआ कोई अफसर नमक बनाने की जगह पर इसको सँभालेगा ।

धारा १४—नमक के अतिरिक्त और किसी विषय के कर पर या मालगुजारी पर साँभर और उसके आस-पास की जमीन पर ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार न होगा ।

धारा १५—उपरोक्त सीमा के बाहर जयपुर-राज्य में ब्रिटिश-सरकार नमक नहीं बेच सकेगी ।

धारा १६—यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश-सरकार की नौकरी छोड़ कर या शर्त नं० ३ में दिये हुए अपराधों में से कोई अपराध करके जयपुर-राज्य में जावेगा या जयपुर-राज्य की सीमा में होकर कहीं जा रहा होगा, तो उसके अपराध का पर्याप्त प्रमाण पेश करने पर जयपुर-सरकार उसको गिरफ्तार करवाने में और ब्रिटिश-सरकार को सुपुर्द करने में पूर्ण उद्योग करेगी ।

धारा १७—ब्रिटिश-सरकार उपरोक्त सीमा में नमक बनाने का चार्ज जब तक न ले लेगी, तब तक इस सन्धि की शर्तें लागू न होंगी । चार्ज लेने की तारीख ब्रिटिश-सरकार नियत करेगी, लेकिन यह तारीख १ नवम्बर, सन् १८६९ या १ मई अथवा १ नवम्बर, सन् १८७०, या १ मई, सन् १८७१ ई० होगी । यदि १ मई सन् १८७१ तक ब्रिटिश-सरकार ने

चार्ज न लिया, तो यह सन्धि रह समझी जावेगी ।

धारा १८—दोनों सरकारों की पूर्व सम्मति के बिना इस सन्धि की कोई शर्त रह न होगी, और न संशोधित होगी । यदि किसी एक पक्ष ने शर्तों का पालन करना बन्द कर दिया, तो दूसरे पक्ष पर इनका पालन करना अनिवार्य न होगा ।

हस्ताक्षर—डब्ल्यू० एच० बेनान,

पोलिटिकल एजेंट (जयपुर राज्य)

हस्ताक्षर—नवाब फ़ैज़ अलीख़ाँ बहादुर,

(महाराजा जयपुर के प्रतिनिधि)

तारीख ७ अगस्त, सन् १८६९ ई० को दस्तख़त किये गये और मुहर लगायी गयी ।

हस्ताक्षर—एस० रामसिंह ।

हस्ताक्षर—मेयो ।

यह सन्धि ७ अगस्त, सन् १८६९ ई० को वाइसराय और गवर्नर-जनरल ने शिमले में स्वीकार की ।

हस्ताक्षर—डब्ल्यू० एच० सेटनकार,

सेक्रेटरी भारत-सरकार ।

अब उस संधि को देखिये जो उदयपुर और ब्रिटिश सरकार के बीच नमक का सर्वाधिकार ब्रिटिश-सरकार को देने पर हुई थी—

मेवाड़-नमक-अहदनामा ता० १२-२-१८७६ ई०

स्वीकृत ता० ८ मई, सन् १८७९ ई०

धारा १—“महाराणा उदयपुर मेवाड़ राज्य के सभी भागों में नमक बनाना उस तारीख से बन्द कर देंगे जिस तारीख से यह अहदनामा अमल में आवेगा। महाराणा सर्वाधिकार समर्पित करने को राजी हैं।

यदि महाराणा किसी समय नमक बनाने का कार्य फिर आरम्भ करना चाहें, तो ब्रिटिश-सरकार, १२ महीने पूर्व नोटिस मिलने पर, कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ कार्य करने की आज्ञा देदेगी, पर उस नमक का परिमाण १५,००० मन से अधिक न होगी। ब्रिटिश-सरकार को हर साल ऐसे काम का नक़शा भेजा जावेगा।

धारा २—महाराणा उदयपुर मेवाड़ राज्य में, उस नमक की अपेक्षा जिस पर ब्रिटिश-सरकार ने कर लगा दिया हो—अन्य नमक का आयात-निर्यात रोक देंगे। शर्त न० ६ में उल्लिखित एक हजार मन नमक पर यह शर्त लागू न होगी।

धारा ३—जिस नमक पर ब्रिटिश-सरकार कर लगा चुकी होगी, उसके आयात-निर्यात पर मेवाड़-राज्य कोई कर न लगावेगा।

धारा ४—इस सन्धि की शर्त १ व २ के पालन करने के बदले में ब्रिटिश-सरकार अंग्रेज़ी सिक्का में महाराणा उदयपुर को निम्न रक़म वार्षिक देगी—

जब तक मेवाड़ में नमक का बनाना बन्द रहेगा, तब तक उस हानि की पूर्ति में जो उदयपुर राज्य और जमींदारों की आय में हुई है—दो हजार नौ सौ रुपया महाराणा उदयपुर उन जागीरदारों में भी बाँट देंगे जिन्हें हानि पहुँची हो।

रोका गया काम फिर आरम्भ न हो, उसकी रोक में, और गैर-कानूनी नमक की आयात रोकने में, महाराणा का जो व्यय होगा, उसके बदले में दस हजार रु० दिये जायेंगे।

धारा ५—इस अहदनामे की शर्त ३ पर महाराणा उदयपुर अमल करेंगे और ब्रिटिश-सरकार नमक पर मेवाड़ तथा अन्य स्थानों पर जो चुङ्गी लगावेगी, उससे महाराणा की चुङ्गी की आय पर भारी असर पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश-सरकार महाराणा उदयपुर को ३५ हजार रु० वार्षिक देगी।

धारा ६—महाराणा उदयपुर अपने राज्य में उपयोग के लिये पचवादरा नमक कारखाने से अंग्रेजी मन की तौल में प्रतिवर्ष १,२५,००० मन नमक खरीद सकेंगे, जो हर छःमाही पर समान अर्द्ध भाग में दिया जावेगा। ऐसे नमक का मूल्य ॥) प्रति मन से अधिक न होगा। उस समय नमक पर ब्रिटिश-सरकार की जो चुङ्गी की दर होगी, उससे आधी दर से उपरोक्त नमक पर ब्रिटिश-सरकार चुङ्गी लगावेगी।

यदि शर्त नं० १ के अनुसार मेवाड़ में नमक बनाने का कोई कार्य आरम्भ हुआ, तो ब्रिटिश-सरकार उस कारखाने में

तैयार नमक के परिमाण को इस शर्त में दी गई नमक की मिक़दार में मुजरा कर देगी ।

ब्रिटिश-सरकार महाराणा उदयपुर को निजी खर्च के लिये पचवादरा में प्रति वर्ष अच्छी कालिटी का नमक एक हज़ार मन बिना किसी मूल्य के देगी ।

इस शर्त में दिया हुआ नमक फ़ौरन ही मेवाड़ राज्य में उठा लिया जायगा और फिर उसका निर्यात् न होगा ।

धारा ७—जिस तारीख़ से इस अहदनामे पर अमल आरम्भ होगा, उस तारीख़ को यदि ब्रिटिश-सरकार को यह पता लगेगा कि मेवाड़ राज्य में काफ़ी परिमाण में नमक है, तो महाराणा—यदि ब्रिटिश-सरकार चाहेगी—उस नमक पर अधिकार कर लेंगे और उसके मालिकों और पोलीटिकल एजेन्ट के परामर्श से मूल्य नियत करके उस नमक को महाराणा ब्रिटिश-सरकार को देदेंगे या उसके मालिकों से सपरिपद गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित चुंगी एजेन्ट वसूल करेगा, पर चुंगी की दर २।।) मन से अधिक न होगी । यदि मालिक नमक न बेच कर चुंगी देना स्वीकार करेंगे, तो उस नमक को रखने की आज्ञा देदी जावेगी ।

धारा ८—यदि अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि इस अहदनामे के अनुसार ब्रिटिश-नमक-आय की रक्षा के सम्बन्ध में महाराणा उदयपुर ने जो प्रबन्ध किया है, वह अपर्याप्त है, और यदि ब्रिटिश-सरकार को यह विश्वास हो गया कि

मेवाड़ की प्रजा के उपयोग के लिये वह नमक अपर्याप्त है जो शर्त नं०६ में दिया गया है, तो इस सन्धि पर पुनर्विचार हो सकेगा ।

धारा ९—यह संधि उस तारीख से अमल में आवेगी, जो वाद में ब्रिटिश-सरकार नियत करेगी ।

व्यापारिक-संधियाँ ।

पिछले अध्याय में जो राजनीतिक सन्धियाँ हुई हैं, उनसे पाठकों को यह पता चल गया होगा कि देशी राज्यों के साथ ब्रिटिश-सरकार ने व्यापारिक सन्धियाँ भी की हैं । वह संधियाँ इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं प्रतीत होतीं कि उन्हें यहाँ दिया जाय, पर काश्मीर राज्य के साथ ब्रिटिश-सरकार की व्यापारिक सन्धि विशेष महत्त्व की है, इसलिये उसे यहाँ देते हैं—

महाराजा काश्मीर के साथ व्यापारिक-संधि

२ अप्रैल, सन् १८७० ई०

यह सन्धि ब्रिटिश-सरकार की ओर से टामस डगलस फारसिथ, सी० वी० और महाराणा रणवीरसिंह, जी० सी० एस० आई०, के दर्मियान में हुई ।

“चूँकि दोनों सरकारों के हितों और उनकी प्रजा की भलाई के लिये यह आवश्यक है कि पूर्वी तुर्किस्तान से

व्यापार करने के सम्बन्ध में जो अपनी सुविधायें हैं, उनसे भी अधिक सुविधायें दी जावें, इसलिये निम्न पूर्ति स्वीकार की जाती है—

धारा १—ब्रिटिश-सीमा से महाराजा काश्मीर के राज्य में होकर यारकन्द के शासक की सीमा में जाने के लिये व्यापार के मार्ग की पैमाइश करने को महाराजा की स्वीकृति से ब्रिटिश-गवर्नमेंट के अफसर नियुक्त किये जावेंगे। इस मार्ग में 'चांग चेम्बू' पहाड़ी का मार्ग भी सम्मिलित होगा। महाराजा सर्वेयरो के साथ अपना एक अफसर भेजेंगे और यथा-शक्ति हर प्रकार से उन्हें सहायता देंगे। पैमाइश किये हुए मार्ग का एक नक्शा तैयार किया जावेगा और उसकी एक प्रतिलिपि महाराजा को दी जावेगी।

धारा २—जाँच और सर्वे के बाद 'चांग चेम्बू' पहाड़ी का मार्ग निश्चित होगा, ब्रिटिश-सरकार उसे पूर्वी तुर्किस्तान के व्यापार का 'रक्षित मार्ग' घोषित कर देगी और महाराजा उसे सभी यात्रियों एवं व्यापारियों के लिये सदैव को स्वतंत्र घोषित कर देंगे।

धारा ३—महाराजा के राज्य के अन्दर की पूरी सड़कों के निरीक्षण एवं मरम्मत आदि के लिये, शर्त २ में घोषित स्वतन्त्र मार्ग में सफ़र करने के नियम बनाने के लिये, और वाद में निर्धारित नियमों-उपनियमों पर अमल कराने के लिये, और उन भूगडों के निपटारे के लिये जो माल लानेवाले,

मुसाफिर, व्यापारी अथवा सड़क का उपयोग करनेवाले अन्य व्यक्तियों के हों—और उनमें से एक या दोनों दल ब्रिटिश-गवर्नमेंट या अन्य विदेशी राज्य के नागरिक हों—नियुक्त किये जावेंगे। उनका कर्तव्य क्या होगा, और वह कहाँ रहेंगे, इन प्रश्नों पर कमिश्नर उन नियमों का पालन करेंगे जो पृथक् बनाये गये हैं, अथवा समय-समय पर ब्रिटिश-सरकार और महाराजा की सरकार के परामर्श से बनतें रहेंगे।

धारा ४—कमिश्नरों के अधिकारों की सीमा सड़क के दोनों ओर रेखा निश्चित करके क्रायम कर दी जावेगी। इस सीमा की चौड़ाई २ कोस से अधिक न होगी, पर जहाँ कमिश्नर उचित समझें चारागाह के लिये और भी सीमा बढ़ा सकेंगे। जो सर्वेयर शर्त १ के अनुसार नियुक्त होंगे, वह अधिक-से-अधिक चौड़ाई में कमिश्नरों द्वारा निश्चित अधिकार-सीमा निशान लगाकर पृथक् करेंगे और उसका नक्शा तैयार करेंगे। इस अधिकार-सीमा में चरागाह भी सम्मिलित होंगे, और वह हद्द के अन्दर होंगे। रेखा के बाहर कमिश्नरों का कोई अधिकार न होगा। इस प्रकार जो भूमि रेखाङ्कित की जावेगी, वह महाराजा की स्वकेन्द्र-भूमि बनी रहेगी और इस सन्धि में जो-जो शर्तें हैं, उनके साथ उस भूमि पर भी महाराजा का वही शासनाधिकार रहेगा, जो उन्हें राज्य के अन्य भागों में प्राप्त हैं। कमिश्नर उन अधिकारों में हस्तक्षेप न करेंगे।

धारा ५—महाराजा कमिश्नरों के निर्णय पर अमल होने में तथा शर्त ३ के अनुसार निश्चित नियम-उपनियम की अवज्ञा होने से रोकने में हर प्रकार की सम्भव सहायता देना स्वीकार करते हैं।

धारा ६—महाराजा यह स्वीकार करते हैं कि कमिश्नरों की अधिकार-सीमा में कोई भी व्यक्ति—चाहे वह ब्रिटिश-सरकार का नागरिक हो या यारकन्द के शासक अथवा अन्य किसी भी विदेशी सरकार का—किसी भी स्थान पर बस सकता है और सवारी के लिये तथा व्यापार के लिये गाड़ी आदि विभिन्न स्थानों पर किराये के लिये रख सकता है।

धारा ७—दोनों कमिश्नरों को अधिकार होगा कि वह जिन स्थानों पर उचित समझे, रसद की दूकानें कायम करें और दूसरों को दूकानें कायम करने का अधिकार दें, वस्तुओं की वह दर निश्चित करें जिस पर माल लानेवालों, व्यापारियों, मुसाफिरों या वहाँ के वाशिन्दों को वस्तुएँ बेची जायँ, और किराये के घोड़े तथा सरायों का—जो सड़क पर कायम की जावेंगी—महसूल निश्चित कर दें। कमिश्नरों की माँग पर बाजार-दर से वस्तुएँ पहुँचाने में अपने प्रभाव से काम लेने के लिये कुल्लू-स्थित ब्रिटिश-अफसरों और लदाख-स्थित महाराजा के अफसरों को हिदायत कर दी जावेगी।

धारा ८—उपरोक्त स्वतन्त्र मार्ग पर आयात्-निर्यात्-कर न लगाने का महाराजा वचन देते हैं । महाराजा यह भी स्वीकार करते हैं कि पूर्वी तुर्किस्तान से भारत को जो माल उनके राज्य में होकर आता-जाता है, उस पर जो चुङ्गी है, वह हटा ली जावेगी, पर उस माल की भारी मिक़दार राज्य की हद् में कहीं भी न रक्खी जायगी । महाराजा के राज्य में जो माल आवे, या उससे निर्यात् हो, उस पर महाराजा जितनी उचित समझें, आयात् या निर्यात् कर लगा सकेंगे ।

धारा ९—ब्रिटिश-सरकार स्वीकार करती है कि जो बन्द माल पूर्वी तुर्किस्तान अथवा महाराजा की रियासत के लिये ब्रिटिश-भारत में होकर आया-जाया करेगा, उस पर वह कोई चुङ्गी न लगावेगी । ब्रिटिश-सरकार यह भी स्वीकार करती है कि महाराजा के राज्य में बने हुए जो शाल और पट्टू ब्रिटिश-भारत की सीमा से बाहर जाते हैं, उन पर जो निर्यात्-कर है, वह ब्रिटिश-सरकार हटा लेगी ।

धारा १०—दस शर्तों की यह सन्धि आज दामस डगलस फ़ारसिथ सी० वी० और महाराजा रणवीरसिंह में हुई और यह स्वीकार किया जाता है कि इस सन्धि-पत्र की एक प्रतिलिपि—जिस पर गवर्नर-जनरल और वाइसराय-हिन्द की सही होगी—महाराजा को ७ सितम्बर, सन् १८७० ई० तक दे दी जावेगी ।

२ अप्रैल, सन् १८७० ई० तदनुसार २२ वैसाख सम्बत् १९२७ वि० को स्यालकोट में इस पर हस्ताक्षर हुए और मुहर क़ी गयी ।”

ह०—टी० सी० फ़ारसिथ

ह०—मेयो

२२ मई सन् १८७० ई० को स्यालकोट में वाइसराय और गवर्नर-जनरल हिन्द ने इस संधि पर सही की ।

ऑफ़िशियेटिंग सेक्रेटरी, भारत-सरकार-

वैदेशिक-विभाग ।

सिक्का-सम्बन्धी संधियाँ

पूर्व-काल में भारत में जितने राज्य थे, उनमें से अधिकांश राज्यों के अपने निजी सिक्के चलते थे, पर ब्रिटिश-सरकार की अधीनता में आने पर अनेक राज्यों के सिक्के वन्द कर दिये गये। सिक्कों को रोकने के लिये ब्रिटिश-सरकार ने कुछ राज्यों से तो राजनीतिक-संधियों में ही शर्त करवा ली, और कुछ राज्यों से इसके लिये पृथक् ही संधि की। सन् १८७६ ई० में सरकार ने देशी-मुद्रा-विधान बनाया, जिसके अनुसार कुछ राज्यों को अपना सिक्का चालू रखने की आज्ञा दे दी। इस समय भी हैदराबाद स्टेट का राज्य के अन्दर रुपया चलता है और ग्वालियर राज्य का पैसा जारी है।

उस समय सिक्के के सम्बन्ध में जो संधियाँ ब्रिटिश-सरकार ने कीं, उनमें से बीकानेर स्टेट की सन्धि यहाँ दी जाती है, जिससे पाठक उन संधियों के रूप का अनुमान कर सकेंगे।

देशी-मुद्रा-विधान सन् १८७६ ई० के अनुसार बीकानेर राज्य से अहदनामा

सन् १८९३ ई०

“आज १६ फ़रवरी, सन् १८९३ को भारत-सरकार और बीकानेर-दरबार में अहदनामे की शर्तें निश्चित हुईं।

“चूँकि देशी-मुद्रा-विधान नं० ९, सन् १८७६ ई० के अनुसार सपरिषद्-गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह समय-समय पर 'इण्डिया-गज़ट' में सूचना प्रकाशित कर यह घोषणा करे कि यदि उपरोक्त विधान के अनुसार किसी भी देशी राज्य के लिये ढाले गये, किसी भी निश्चित धातु के सिक्कों में रुपये की अदायगी की जावेगी, तो ब्रिटिश-भारत में वह अदायगी क़ानूनी होगी, और चूँकि उपरोक्त एक्ट की धारा ४ में यह भी कहा गया है कि इस अधिकार का प्रयोग केवल कुछ शर्तों के साथ-ही होगा, और उन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि जिस राज्य के लिये सिक्के ढाले जावें, वह राज्य निम्न शर्तों की पहली तीन शर्तों के आधार पर अहदनामा करे, अतः उपरोक्त विधान की धारा ५ में किसी भी देशी राज्य को यह अधिकार है कि वह ब्रिटिश-सरकार की किसी भी टकसाल में धातु भेजकर उपरोक्त विधान के अनुसार सिक्के ढलवा ले, और टकसाल के अफ़सर का कर्तव्य होगा कि वह धातु को लेकर सिक्के ढाल दे।

“और चूँकि उपरोक्त विधान के अर्थ में वीकानेर राज्य एक देशी राज्य है, और वीकानेर-दरवार ने, इस अधिकार के कारण, बम्बई टकसाल को उपरोक्त विधान के अनुसार दस लाख रुपए ढालने के लिये चाँदी भेजी है और भारत-सरकार से प्रार्थना की है कि सिक्कों के ढालने के सम्बन्ध

में वह अपने उपरोक्त अधिकार काम में लावे; और भारत-सरकार ने, इस अहदनामे के हो जाने पर 'इण्डिया-गजट' में सूचना प्रकाशित करके इस अधिकार को प्रयोग में लाने की स्वीकृति भी दे दी है।

“अतः अब यह अहदनामा दोनों राज्यों में इस प्रकार होता है:—

१—वीकानेर दरबार स्वीकार करता है कि उपरोक्त सूचना प्रकाशित होने से ३० वर्ष तक वह अपनी टकसाल में चाँदी और ताँबा के सिक्के न ढालेगा और वह यह भी स्वीकार करता है कि ब्रिटिश भारत में जो सिक्के इस समय चालू हैं, उनके ढङ्ग पर कोई भी सिक्का, उपरोक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर, किसी भी स्थान पर न ढालेगा और न उसकी आज्ञा से ढालेंगे।

२—वीकानेर-दरबार यह भी स्वीकार करता है कि भारत-सरकार के सिक्कों को, जाली होने या वजन में कम होने या अन्य प्रकार की त्रुटि के कारण, काट देने या तोड़ देने के जो नियम इस समय लागू हैं, वह नियम उस सिक्के पर भी लागू होंगे जो इस विधान के अनुसार वीकानेर दरबार के लिये ढाले जावेंगे और वीकानेर दरबार ही उसके काटने या तोड़ने का व्यय-भार उठावेगा।

३—वीकानेर-दरबार यह भी स्वीकार करता है कि निश्चित दर से कम में उपरोक्त सिक्का न बेचा जावेगा, और

न उनका प्रचार बढ़ाने के लिये किसी भी व्यक्ति को कमीशन दिया जावेगा और न किसी प्रकार की विशेष सुविधा दी जावेगी ।

४—बीकानेर-दरवार वचन देता है कि यदि किसी भी समय भारत-सरकार यह चाहे कि यह सिक्का बन्द करके फिर चाँदी और ताँबा कर दिया जाय, तो भारत-सरकार के आदेश पर बीकानेर दरवार अपने व्यय से उन सब सिक्कों को गला देगा जो इस अहदनामे के अनुसार ढाले गये हों ।

रायवहादुर सोधी हुकमसिंह, ठाकुरलालसिंह और मेहता मङ्गलचन्द, मेम्बर रीजेंसी कौंसिल बीकानेर और भारत-सरकार की ओर से सी० एस० बेले आई० सी० एस०, पॉलिटीकल एजेण्ट बीकानेर ने इस अहदनामे पर हस्ताक्षर किये, मुहर लगाई और तारीख लिखी ।”

हस्ता० लैंसडाउन,

वायसराय एण्ड

गवर्नर-जनरल

}

हस्ता०—सोधी हुकमसिंह

” —लालसिंह

” —मेहता मंगलचन्द

” —सी० एस० बेले

पोलिटीकल एजेण्ट बीकानेर

फोर्ट विलियम में ३ मई, सन् १८९३ ई० को हिज़ एक्सीलेन्सी दी वाइसराय एण्ड गवर्नर-जनरल ने इस अहदनामे पर सही की ।

हस्ता०—एच० एम० डुरण्ड

सेक्रेटरी भारत-सरकार, वैदेशिक-विभाग

रेलवे-सम्बन्धी संधियाँ

ऐसे बहुत ही कम देशी राज्य हैं जिनकी सीमा में होकर रेलवे लाइन न गुज़री हो। ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, दतिया, पटियाला, नाभा, भींद, इन्दौर, कोटा, भालरापाटन, धांगघ्रा, मैसूर, बड़ौदा, कोल्हापुर, रामपुर, बनारस, किशनगढ़ आदि सभी राज्यों की सीमा में रेलवे लाइने हैं। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार और देशी राज्यों में अधिकार, ज़मीन, शासनाधिकार आदि पर सन्धियाँ हो चुकी हैं। इन सन्धियों का क्या रूप है, यह इस सन्धि-पत्र से प्रकट हो जाता है, जो बीकानेर दरबार और ब्रिटिश-गवर्नमेंट में हुई थी।

रेलवे-सम्बन्धी अहदनामा

जो अहदनामा महाराज बीकानेर ने जोधपुर-बीकानेर, तथा बीकानेर भटिण्डा-लाइन की बीकानेर-राज्य की ज़मीन पर अधिकार-त्याग के लिये किया, वह इस प्रकार है:—

“मैं, गङ्गासिंह, महाराजा बीकानेर, अपने राज्य की उस ज़मीन के सभी पूर्ण अधिकार एवं हर प्रकार की अमलदारी के अधिकार ब्रिटिश-सरकार को देता हूँ, जो ज़मीन जोधपुर-बीकानेर और बीकानेर-भटिण्डा रेलवे लाइनों ने अभी घेर रखी है, अथवा भविष्य में घेरेंगी। रेलवे के लिये अन्य किसी भी कार्य, स्टेशन, क्वार्टर्स अथवा अन्य इमारतों आदि

के लिये घेरी हुई जमीन, तथा उस सीमा के अन्दर सभी बातों एवं मनुष्यों पर भी वीकानेर-दरवार की हुकूमत या कोई अधिकार न होगा ।”

वीकानेर	} १८९९ ई० मुहर	गङ्गासिंह
१५ दिसम्बर		महाराज वीकानेर

सेना-सम्बन्धी अहदनामा

पिछली राजनीतिक संधियों से पाठकों को पता चला होगा कि प्रत्येक राज्य में सहायक-सेना के नाम से 'इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स' रक्खी गई थीं । यदि वह सेना राज्य की सीमा के बाहर कहीं भेजी जावे, तो उस पर अनुशासन कैसे हो, इस सम्बन्ध में भी ब्रिटिश-सरकार और देशी राज्यों में अहदनामे हैं । उन अहदनामों का क्या रूप है, यह इस अहदनामे से स्पष्ट हो जाता है, जो पटियाला स्टेट और ब्रिटिश-सरकार में हुआ था ।

अहदनामा पटियाला स्टेट

ता० १ जुलाई, सन् १९०० ई० ।

“चूँकि हिज्ज हाईनेस महाराजा सर राजीन्द्रसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, चीफ़ आफ़ पटियाला, जब आवश्यकता पड़े, ब्रिटिश-साम्राज्य की रक्षा में सहयोग देने के लिये इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स रक्खते हैं और,

चूँकि यह आवश्यकता है कि जब ब्रिटिश-सेना के साथ

पटियाला स्टेट की इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स मिलाई जावे, तब वह संयुक्त सेना के आफ़ीसर कमाण्डिंग की अधीनता में हो, और हर मैजेस्टी की भारतीय सेना के सैनिकों एवं अफ़सरों की तरह उसका नियंत्रण और अनुशासन हो। और,

चूँकि भारत-सरकार का यह इरादा या इच्छा नहीं है कि इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स की किसी भी कोर के लिये ब्रिटिश-अफ़सर नियुक्त करे; यद्यपि उपरोक्त सेना का निरीक्षण करने एवं उसे हिदायतें देने के लिये ब्रिटिश अफ़सर रखे हुए हैं।

इसलिये गवर्नर-जनरल-हिन्द और हिज़ हाईनेस दी महाराजा पटियाला के दर्मियान निम्न शर्तें तै हुई हैं:—

१—जब कभी उपरोक्त सेना पूरी, अथवा उसका कोई भी हिस्सा, उपरोक्त राज्य की सीमा के बाहर भेजी जावे, तो वह उस सेना के आफ़ीसर-कमाण्डिंग डिस्ट्रिक्ट या कंटीनजेंट या सेना के—जिसमें वह सम्मिलित की जावे—अधीन रहेगी। वह अफ़सर उपरोक्त सेना का शासन, सैनिक कानूनों का अमल और क़ायदों की पाबन्दी उसी प्रकार करेगा, जिस प्रकार उपरोक्त राज्य के क़ानून के अनुसार उस सेना का होना चाहिये। उसके लिये, और उस सेना में आवश्यक अनुशासन रखने के लिये, उस अफ़सर को उसी प्रकार आज्ञा जारी करने का अधिकार होगा, जिस प्रकार उपरोक्त राज्य की सीमा में रहते हुए उस सेना में जारी हुई हों। ब्रिटिश-सीमा के अन्दर उस सेना के लिये जो आज्ञाएँ जारी

होंगी, उन पर महाराजा साहव पटियाला या उनके किसी ऐसे व्यक्ति की आज्ञा द्वारा, जिसे महाराजा ने अधिकार दे दिया हो, अमल कराया जावेगा।

२—इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स की योग्यता कायम रहे, और जब वह महाराजा की सेना के साथ काम करे, उस समय उसमें अनुशासन रहे, इसके लिये महाराजा पटियाला ने स्टेट के अनुशासन-सम्बन्धी कानून में—जो इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स के लिये लागू है—इण्डियन आर्टिकिल्स आफ वार, की धाराएँ सम्मिलित करदी हैं। इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स के सम्बन्ध में उपरोक्त धाराओं का अमल-दरामद आफ्फा-सर-कमाण्डिंग जिला, कंटीनजेंट या सेना के हुक्म से होगा।

कुँवर रणवीरसिंह वहादुर

सरदार गुरुमुखसिंह

खलीफा एस० मुहम्मद हुसैन

मेम्बरान एडमिनिस्ट्रेटिव
कमेटी, पटियाला स्टेट

वास्ते हिज हाईनेस दी महाराजा,

चीफ आफ्फा दी पाटियाला

शिमला,

१ जुलाई, सन् १९०० ई०

भारत-सरकार द्वारा स्वीकर की गयी और सही की गयी।

शिमला

७ मई, सन् १९०१ ई०

आज्ञा से—

एच० एस० वर्नेस

सेक्रेट्री भारत-सरकार,

वैदेशिक विभाग

त्रिदल-संधियाँ

पिछले प्रकरणों में ऐसी ही सन्धियाँ दी गयी हैं, जो दो दलों में हुई हैं, पर कुछ संधियाँ ऐसी हैं जिनमें तीन दल सम्मिलित हुए हैं। हैदराबाद स्टेट की संधि ऐसी ही है। इसमें ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, निज़ाम और पेशवा तीनों सम्मिलित थे। इसलिये यहाँ उस संधि को दे देना अप्रासंगिक न होगा।

ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी, निज़ाम और पेशवा में मित्रता की संधि ।

तारीख ४ जुलाई, सन् १७९० ई०

“यह सन्धि आनरेबिल यूनाइटेड ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, नवाब यूसुफजाह बहादुर, सूबेदार दक्षिण, और पेशवा सवाई माधोराव नारायण पण्डित-प्रधान बहादुर में फ़तीअली खाँ (जो टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है) के विरुद्ध रक्षा-मैत्री की हुई, जो ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के प्रतिनिधि कैप्टन जॉन कनावे ने नवाब यूसुफ जाह से की ।

धारा १—पहिली संधियों के अनुसार इन तीन राज्यों में जो मित्रता है, वह इस संधि से बढ़ेगी और आनरेबिले कम्पनी तथा हिज़-हार्डनेस दी निज़ाम में पहली जो तीन संधियाँ हैं (यानी १-कर्नल फ़ोर्ड और स्व० सलावत जंग में सन् १७५९ ई० में हुई संधि २-कर्नल गेलिवुड तथा

निजाम से सन् १७६६ ई० में हुई संधि, ३-सन् १७६८ ई० की मदरास सरकार वाली संधि) और लार्ड कार्नवालिस का ७ जुलाई, सन् १७८९ ई० का पत्र, जो चौथी संधि के समान है, अमल में रहेंगे; पर उन शर्तों को रद्द समझा जावेगा जो इस संधि में परिवर्तित की गयी हों। दोनों दलों में, उनके उत्तराधिकारियों में और वारिसान में यह मित्रता बराबर रहेगी, जो अब तक रही है।

धारा २—टीपू सुल्तान के उपरोक्त तीनों दलों से अहद-नामे थे, पर उसने उनपर कतई अमल नहीं किया। इस कारण से ये तीनों दल एक संघ में सम्मिलित हो गये, जिससे उसे यथाशक्ति सजा दे सकें और भविष्य में शान्ति-भंग करने से रोक सकें।

धारा ३—यह स्वीकार किया गया है कि जब कैप्टन केनावे-नवाव यूसुफ़ जाह को आनरेविल कम्पनी और टीपू की सेना में छेड़-छाड़ होने की सूचना दें, और मि० मालेट पण्डित-प्रधान को उपरोक्त सूचना दें, तब नवाव यूसुफ़ जाह और पण्डित-प्रधान की सेना—जो संख्या में २५ हजार से कम न हो, और जितनी भी अधिक सम्भव हो सके तथा जितना भी अधिक युद्ध का सामान साथ ला सके हो—टीपू सुल्तान के राज्य को घेर लेगी, और बरसात के आरम्भ में अथवा बरसात में जितना भी कम किया जा सके, राज्य को कम करेगी। वर्षा ऋतु के बाद उपरोक्त नवाव

और पण्डित-प्रधान सुयोग्य सैनिकों की सुसंगठित सेना और युद्ध के नवीन साजो-सामान-सहित गंभीरतापूर्वक एवं प्रचल वेग से युद्ध करेंगे ।

धारा ४—यदि राइट आनरेबिल गवर्नर-जनरल अंग्रेजी सेना को सहायता देने के लिये रिसाला तलब करेंगे, तो नवाब यूसुफ जाह और पण्डित-प्रधान सूचना मिलने से एक मास के अन्दर सुरक्षित एवं सीधे मार्ग से दस हजार रिसाला निश्चित किये हुए स्थान को पूरे साजो-सामान-सहित कम्पनी की सेना के साथ काम करने के लिये भेजेंगे, परन्तु यदि केवल रिसाला के लड़ने की ही कहीं आवश्यकता हुई, तो वही युद्ध करेगा और 'कम्पनी की सेना के साथ' ये शब्द लागू न होंगे । उपरोक्त रिसाले का वेतन आनरेबिल कम्पनी वाद में निश्चित दर एवं शर्तों के साथ माहवारी अदा करेगी ।

धारा ५—यदि तृमित्र-दल के युद्ध करने में शत्रु किसी एक दल पर विजय प्राप्त करले, तो अन्य दोनों दल उपरोक्त शत्रु को बरवाद करने और अपने मित्र की सहायता करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे ।

धारा ६—इस युद्ध में तीनों दल सम्मिलित हो रहे हैं । यदि इस सम्मिलित युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त हुई, तो हरेक दल के युद्ध आरम्भ करने के बाद से जो भी ज़मीन, क़िला, रियासत आदि कब्जे में आवे, उसका बराबर-बराबर हिस्सा किया जावेगा, लेकिन यदि आनरेबिल कम्पनी की सेना अन्य

मित्र-दलों की चढ़ाई आरम्भ होने से पूर्व किसी रियासत, क़िला या ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, तो मित्र-दल उसमें हिस्सा पाने के अधिकारी न होंगे। रियासत और क़िलों का हिस्सा बाँटते समय हरेक दल की सीमा, सुविधा और इच्छा का ध्यान रक्खा जावेगा।

धारा ७—नीचे लिखे हुए पालीगार और ज़मींदार नवाब यूसुफ़ और पंडित-प्रधान के अधीन हैं, यह स्वीकार किया जाता है कि यदि किसी मित्र-राष्ट्र के हाथों में उनकी जागीर या क़िले आजावें, तो फिर वह ज़मींदारी यथावत् स्थापित करदी जावेगी और उस समय को नज़राना नियत किया जायगा, वह तीनों मित्र-राष्ट्रों में बराबर-बराबर विभाजित होगा। पर भविष्य में नवाब यूसुफ़ जाह और पंडित-प्रधान उन से 'पेशकाश' और 'कुदनी' की रक़म उसी प्रकार वसूल करते रहेंगे, जिस प्रकार वह अभी प्रतिवर्ष वसूल करते हैं। यदि पालीगार और ज़मींदार नवाब या पंडित-प्रधान के प्रति राजभक्त न रहें, अथवा 'पेशकाश' और 'कुदनी' अदा करने में आनाकानी करें, तो नवाब और पंडित-प्रधान को उनके साथ वैसा व्यवहार करने की स्वतन्त्रता होगी जैसा वह उचित समझें। शानूर के चीफ़, नवाब और पंडित-प्रधान दोनों के अधीन हैं। यदि वह निश्चित शर्तों का पालन करने में चूकें तो नवाब और पंडित-प्रधान जैसा उचित समझेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे।

पालीगार और ज़मीदारों की सूची ।

चित्तलेदुग, अन्नूगुण्डी, हनपोनली, विलारी, रायदुग, हेचुंगुदेह, कुन्नाधीरी, कित्तौर, हन्नूर, अब्दुल हकीमखां चीफ़ शानूर का ज़िला ।

धारा ८—इस प्रमुख अहदनामे पर यथासम्भव पालन कराने एवं उत्तमता से व्यवहार में लाने के लिये, हर एक दल का एक वकील दूसरों की सेना में रहेगा, जो अपने-अपने दल के विचार प्रगट करता रहेगा, और इस सन्धि पर यदि कोई व्याख्या का विवाद खड़ा हो, तो एक दूसरे के विचार अन्य दलों के पास भेजता रहेगा ।

धारा ९—इस सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने और मुहर लग जाने के बाद, हरेक दल के लिये यह आवश्यक होगा कि किसी भी व्यक्ति के ज़वानी कहने या लिख कर देने से इस की शर्तों से दूर न हो और यदि सुलह आवश्यक होगी, तो कोई भी दल अनावश्यक आपत्ति न करेगा और न टीपू सुलतान से पृथक् समझौता ही करेगा । पारस्परिक विचार से ही सुलह की जावेगी । यदि किसी भी दल का टीपू को सन्देश मिले, तो वह अन्य मित्र-दलों के पास भी भेज देगा ।

धारा १०—यदि टीपू से सन्धि हो जाने के बाद, किसी भी दल पर वह आक्रमण करे, या उसका अपमान करे, तो

दूसरे उसे सजा देने में सहयोग देंगे। उसका तरीका और शर्तें बाद में निश्चित करली जावेंगी।

धारा ११—यह ११ शर्तों की संधि आज निश्चित हुई और कैप्टन केनावे ने हिज़ हाईनेस नवाब के साथ की। कैप्टन केनावे ने इसकी एक नक़ल अंग्रेज़ी और फ़ारसी में अपने हस्ताक्षर और मुहर कर के नवाब साहब को दी। नवाब साहब ने दूसरी नक़ल फ़ारसी में अपने हस्ताक्षरों से कैप्टन केनावे को दी। कैप्टन केनावे ने नवाब को ६५ दिन के अन्दर गवर्नर-जनरल की सही से एक नक़ल देने का वचन दिया। उस नक़ल के दे देने पर वह नक़ल वापिस करदी जावेगी जो कैप्टन केनावे ने अपने हस्ताक्षरों से दी है।

मंगल, २० शव-उल सन् १२०४ हिजरी, या ४ जुलाई सन् १७९० ई० को हस्ताक्षर हुए और मुहर की गयी।

सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने २९ जुलाई, सन् १७९१ ई० को सही की।

मुहर
आनरेविल
कम्पनी

हस्ता०—कानवालिस

” चार्ल्स स्टुअर्ट

” पेटर स्पेक

” ई० हे

सेक्रेट्री भारत-सरकार

तीन शाही घोषणाएँ

ब्रिटिश-सरकार और देशी राज्यों में सन्धियाँ उस समय हुईं, जब भारत में आनरेबिल ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन था। सन् १८५७ में भारत में भीषण विद्रोह हुआ, जो सिपाही-विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद इंग्लैण्ड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। महारानी विक्टोरिया ने १ नवम्बर सन् १८५८ को देशी नरेशों के सम्बन्ध में निम्न घोषणा की:—

“हम भारतवर्ष के राजाओं को इस घोषणा द्वारा सूचना देते हैं कि आनरेबिल ईस्ट इण्डिया कम्पनी से की हुई उनकी सन्धियाँ, अहदनामे और इक्करारनामे हम स्वीकार करते हैं। हम उनके पूरे तौर से पाबन्द रहेंगे और आशा करते हैं कि राजा लोग भी ऐसा ही करेंगे।

“हम अपने राज्याधिकारों को बढ़ाना नहीं चाहते और न अपने राज्य और अधिकारों पर भी दूसरों को नाजायज सिका जमाने देंगे, तथा साथ ही दूसरे देशी राजाओं पर आक्रमण भी न होने देंगे। हम देशी नरेशों के अधिकार, मान और ऐश्वर्य का अपने ही अधिकारों की तरह आदर

करेंगे और हमारी यह इच्छा है कि राजा लोग और हमारी प्रजा भी उस सुख और सामाजिक उन्नति के फलों को भोगें जो कि आन्तरिक शान्ति एवं श्रेष्ठ शासन के विना प्राप्त नहीं हो सकते ।”

महारानी विक्टोरिया के स्वर्गवासी होने पर सम्राट् एडवर्ड सप्तम सिंहासनारूढ़ हुए । उन्होंने भी २३ जनवरी सन् १९०१ को निम्न शाही घोषणा की—

“जब से मैं अपनी पूजनीया माता, भारत की प्रथम राज-राजेश्वरी, स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया के राज-सिंहासन पर बैठा हूँ, तभी से मेरी इच्छा है कि उस परोपकार-शील एवं न्यायपरायण शासन-प्रणाली को, जिससे वह भारतीय प्रजा की प्रेम-पूजा की पात्र बनी थीं, पूरी तौर से जारी रखूँ । भारत के सब राजाओं और प्रजा को मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनके स्वातन्त्र्य का आदर करते हैं, उनके मान और अधिकारों की इज्जत करते हैं, उनकी उन्नति में अनुरक्त हैं और उनकी रक्षा में तत्पर हैं । उपर्युक्त वर्णन मेरे शासन का मुख्य लक्ष्य रहेगा और ईश्वर की दया से भारतीय राज्य और उसकी प्रजा को सुखों के शिखर पर पहुँचावेगा ।”

सन् १९१० ई० में सम्राट् जॉर्ज पञ्चम राजसिंहासनारूढ़ हुए, तब उन्होंने भी अपनी शाही घोषणा में फरमाया—

“पूजनीया महारानी विक्टोरिया के शासन की वागडोर

हाथ में लेने पर सन् १८५८ ई० में भारत के देशी नरेशों को एवं प्रजा को जो घोषणा की गयी थी, और मेरे पूज्य यशस्वी पिता ने लगभग ५० वर्ष बाद जिस महत्त्वपूर्ण फ़रमान को फिर दुहराया था, शाही शासन के उसी परोपकारशील एवं बदार उद्देश्य के चार्टर (अधिकार-पत्र) का मैं भी भविष्य में बराबर पालन करूँगा।”

इस घोषणा के बाद सम्राट् की ओर से निम्न सन्देश फिर प्रकाशित हुआ:—

“भविष्य में। उत्पन्न होनेवाले प्रश्न पारस्परिक सहयोग और विश्वास की रीति से हल होंगे। मेरी। पूर्व घोषणा में शाही बुजुर्गों द्वारा और मेरे द्वारा दिये हुए विश्वासों को दुहराया गया था और साथ ही भारत के अधिकार, स्वत्त्व और गौरव को पूर्णतः कायम रखने का मैंने अपना विचार प्रकट किया था। राजा लोग विश्वास रखें कि यह प्रतिज्ञा बराबर अटल रही है और रहेगी।”

राजनीतिक अनुशासन

सभी देशी राज्य भारत-सरकार के अधीन हैं। इन राज्यों-सम्बन्धी कार्य के सञ्चालन के लिये सरकार ने राजनीतिक विभाग स्थापित कर रक्खा है। यह विभाग वाइसराय के ही व्यक्तिगत चार्ज में है। वायसराय की सहायता के लिये एक पोलिटिकल सेक्रेटरी रहता है, जो सारा कार्य सञ्चालन करता है। पोलिटिकल सेक्रेटरी की सहायता के लिये अण्डर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि हैं।

समस्त भारत में ६ राज्य ऐसे हैं, जिनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है—(१) हैदराबाद (२) वड़ौदा (३) मैसूर (४) काश्मीर (५) ग्वालियर और (६) सिक्किम। इन राज्यों में भारत सरकार की ओर से एक-एक रेजीडेंट रहता है, जिसका सदर-मुकाम राज्य की राजधानी में ही होता है। रेजीडेंट के निवास-स्थान को रेजीडेंसी कहते हैं, और रेजीडेंसी की निर्धारित सीमा में ब्रिटिश-राज्य समझा जाता है, अर्थात् उस सीमा में देशी राज्यों के कानून लागू नहीं होते। ब्रिटिश-कानूनों के अनुसार ही उस सीमा में शासन होता है। ये रेजीडेंट देशी राज्यों-सम्बन्धी मामलों में भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग से सीधा पत्र-व्यवहार करते हैं, और देशी नरेशों को प्रत्येक कार्य में परामर्श देते हैं। जब

भारत सरकार किसी देशी नरेश को कोई पत्र भेजती है, तो वह ब्रिटिश रेजीडेंट की ही मारफत जाता है, और ऐसा ही देशी नरेश करते हैं। वह भी वाइसराय या पोलीटिकल सेक्रेटरी को, अथवा अन्य किसी राज्य को पत्र भेजते हैं, तो ब्रिटिश रेजीडेंट ही मध्यस्थ होता है। उपरोक्त ६ राज्य प्रथम श्रेणी के राज्य माने जाते हैं। एक राज्य खनियाधाना ऐसा और है, जो तृतीय श्रेणी का होता हुआ भी सीधा भारत-सरकार से सम्बन्धित है। वहाँ कोई पृथक् रेजीडेंट नहीं है, ग्वालियर का रेजीडेंट ही खनियाधाना का कार्य करता है।

कुछ राज्य ऐसे हैं, जो द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं। उनका भारत-सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। वह 'एजेंसी' नाम से समूह-रूप में विभाजित हैं। प्रत्येक एजेंसी में एक एजेण्ट टु दी गवर्नर जनरल (ए० जी० जी०) रहता है, जो भारत-सरकार के अधीन होता है। उसकी अधीनता में पोलीटिकल एजेण्ट होते हैं, जो एक या एक से अधिक राज्यों का कार्य करते हैं। जब उन राज्यों और भारत-सरकार में पत्र-व्यवहार होता है, तब पोलीटिकल एजेण्ट एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल को भेजता है और एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल भारत-सरकार को। पोलीटिकल एजेण्ट तो ए० जी० जी० के प्रति उत्तरदायी हैं, और ए० जी० जी० भारत-सरकार के प्रति। निम्न एजेन्सी कायम है, जिनमें एक-एक ए० जी० जी०

रहता है (१) राजपूताना एजेंसी (२) मध्य-भारत एजेंसी (३) पश्चिमी राज्य एजेंसी (४) त्रिलोचिस्तान एजेंसी ।

राजपूताना एजेंसी

राजपूताना एजेंसी में २१ राज्य हैं—(१) जयपुर, (२) जोधपुर, (३) उदयपुर, (४) भरतपुर, (५) धौलपुर, (६) अलवर, (७) बीकानेर, (८) सिरोही, (९) करौली, (१०) कोटा, (११) बूँदी, (१२) किशनगढ़, (१३) टोंक, (१४) शाहपुरा, (१५) बाँसवाड़ा, (१६) डूँगरपुर, (१७) कुशलगढ़, (१८) प्रतापगढ़, (१९) जैसलमेर, (२०) भालावाड़, (२१) लावा । इनमें से बीकानेर, सिरोही, और भालावाड़—तीन राज्य ऐसे हैं, जिनका ए० जी० जी० से सीधा सम्बन्ध है । शेष राज्य ६ भागों में विभाजित हैं, और प्रत्येक भाग में एक-एक पोलिटिकल एजेण्ट (पी० ए०) रहता है ।

पूर्वी राजपूताना एजेंसी में भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर हैं । इस एजेंसी का सदर-मुकाम भरतपुर है, और पोलिटिकल एजेण्ट इन राज्यों में दौरा करता रहता है ।

पच्छिमी राजपूताना रेजीडेंसी में जोधपुर और जैसलमेर हैं । इसका सदर मुकाम जोधपुर है । वहाँ पर एक रेजीडेण्ट रहता है, जिसके अधिकार पोलिटिकल एजेण्ट के समान ही हैं ।

हाड़ौती-टोंक एजेंसी में बूँदी, टोंक और शाहपुरा राज्य हैं। इसमें एक पॉलिटिकल एजेण्ट रहता है, जो तीनों राज्यों का कार्य करता है।

जयपुर रेजीडेंसी में जयपुर, किशनगढ़ और लावा राज्य हैं। इसका सदर मुकाम जयपुर है। यहाँ एक ब्रिटिश रेजीडेंट रहता है, जो ए० जी० जी० के अधीन है।

कोटा एजेंसी में केवल कोटा राज्य है। वहाँ एक पोलीटिकल एजेण्ट रहता है।

मेवाड़ रेजीडेंसी में उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर और प्रतापगढ़ राज्य हैं। इसका सदर मुकाम उदयपुर है। यहाँ एक ब्रिटिश रेजीडेंट रहता है, जो ए० जी० जी० के अधीन है।

मध्य-भारत एजेन्सी

मध्य-भारत-एजेन्सी का सदर-मुकाम इन्दौर है। इसमें लगभग १० राज्य हैं जिन में मुख्य ये हैं (१) इन्दौर (२) भोपाल (३) रीवाँ (४) रतलाम (५) ओरछा (६) दतिया (७) धार (८) देवास सीनियर (९) देवास जूनियर (१०) समथर (११) जावरा। ये सभी राज्य ४ विभागों में विभाजित हैं। (१) भोपाल एजेंसी (२) बघेलखण्ड एजेन्सी (३) बुन्देलखण्ड एजेन्सी (४) दक्षिणी राज्य और मालवा एजेन्सी। इन्दौर में एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल रहता है, उसकी अधीनता में उपरोक्त रेजीडेंसियों में एक-एक पोलीटिकल एजेंट रहता है।

भोपाल एजेन्सी में ८ राज्य हैं। इसका सदर-मुक़ाम भोपाल है। उन आठ राज्यों में भोपाल राज्य ही मुख्य है।

वघेलखण्ड एजेन्सी में १२ राज्य हैं, जिनमें रीवाँ राज्य मुख्य है। इसका सदर मुक़ाम रीवाँ है।

बुन्देलखण्ड एजेन्सी में २२ राज्य हैं, जिनमें मुख्य दतिया और ओरछा हैं।

दक्षिणी राज्य और मालवा एजेन्सी में भी २२ राज्य हैं, जिनमें धार, देवास सीनियर, देवास जूनियर, जावरा और रतलाम मुख्य हैं।

पच्छिमी राज्य एजेन्सी

पहिले यह एजेन्सी न थी। पच्छिम के सभी राज्य बम्बई सरकार के अधीन थे; पर सन् १९२४ ई० में यह एजेन्सी पृथक् बना दी गई है। इसमें एक फ़र्स्ट क्लास रेज़िडेंट रहता है, जो ए० जी० जी० भी कहलाता है। वह सीधा भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी है। इस एजेन्सी में भावनगर, धागंधा, गोंडाल, जूनागढ़, नवानगर, कच्छ, रधानपुर, पलानपुर, वांसा, कंठा एजेन्सी और काठियावाड़ एजेन्सी के राज्य हैं। इन राज्यों की संख्या लगभग २०६ है।

बिलोचिस्तान एजेन्सी

इस एजेन्सी में केवल दो राज्य हैं, कलात और लासबेला। यहाँ एक एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल रहता है, जो भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।

उपरोक्त एजेन्सियों के अतिरिक्त मदरास में ५ और पंजाब में १३ राज्य ऐसे हैं, जिनका कार्य-संचालन एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल द्वारा होता है। शेष राज्य ऐसे हैं, जो प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं; जैसे बम्बई प्रान्त में १५१, बिहार-उड़ीसा में २६, मध्य प्रान्त में १५, बंगाल में २, पंजाब में २१, यू० पी० में ३ और आसाम में एक।

मदरास प्रेसीडेंसी

इस प्रेसीडेंसी में ५ राज्य हैं (१) त्रावनकोर (२) कोचीन (३) पुद्दूकोटा (४) रङ्गनापल्ले और (५) संदुर। ये सभी राज्य एक एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल के आधीन हैं, जो सीधा भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।

बम्बई प्रेसीडेंसी

बम्बई प्रेसीडेन्सी में १५१ राज्य हैं, जो बम्बई-प्रान्तीय-सरकार के अधीन हैं। उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें पोलिटिकल एजेण्ट रहता है, जो प्रांतीय सरकार के प्रति उत्तरदायी है, और कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनकी निगरानी प्रान्तीय सरकार की ओर से कलक्टर ही करता है। शासन-कार्य की सुविधा के लिये उपरोक्त राज्यों के ग्रुप बना दिये गये हैं, जो एजेन्सी के नाम से पुकारे जाते हैं—(१) बेलगाँव एजेन्सी, २-बीजापुर एजेन्सी ३-धारवाड़ एजेन्सी ४-खेड़ा एजेन्सी ५-कोलाबा एजेन्सी ६-कोल्हापुर रेजीडेंसी और दक्षिणी

मराठा राज्य एजेंसी ७-महीकंठ एजेंसी ८-नासिक एजेंसी ९-पूना एजेंसी १०-रीवाकंठ एजेंसी ११-सतारा एजेंसी १२-शोला, पुर एजेंसी १३-सक्कर एजेंसी १४-सूरत एजेंसी १५-थाना एजेंसी ।

बेलगांव एजेंसी में सावन्तवाड़ी का राज्य है और बेलगांव का कलक्टर ही पोलिटिकल एजेंट का कार्य करता है ।

बीजापुर एजेंसी में केवल जाठ जागीर है । बीजापुर का कलक्टर पोलिटिकल एजेंट का कार्य करता है ।

धारवाड़ एजेंसी में सवानूर की रियासत है । धरवार का कलक्टर पोलिटिकल एजेंट का कार्य करता है ।

खेड़ा एजेंसी में केम्बे राज्य है । खेड़ा का कलक्टर पोलिटिकल एजेंट का कार्य करता है ।

कोलावा एजेंसी में जंजीरा की रियासत है । कोलावा के कलक्टर को पोलिटिकल एजेंट के अधिकार हैं ।

कोल्हापुर रेजीडेंसी और मराठा-राज्य-एजेन्सी में कोल्हापुर, जमखण्डी, कुरुण्दवाड सीनियर, कुरुण्दवाड जूनियर, मधोल, रामद्रुग, और साँगली के राज्य हैं । कोल्हापुर में एक रेजीडेण्ट रहता है, वही अन्य राज्यों के पोलिटिकल एजेंट का कार्य करता है ।

महीकंठ एजेंसी में ५१ राज्य हैं, जिनमें ईडर, दंता और विजयनगर मुख्य हैं । इस एजेन्सी के लिये एक पोलिटिकल एजेंट नियत है, जो बम्बई-प्रान्तीय-सरकार के प्रति उत्तरदायी है ।

नासिक-एजेन्सी में सरगना का राज्य है। नासिक का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का कार्य करता है।

रेवाकण्ठ एजेन्सी में ६१ राज्य हैं, जिनमें एक प्रथम श्रेणी का, पाँच राज्य द्वितीय श्रेणी के, एक राज्य तृतीय श्रेणी का और शेष चतुर्थ श्रेणी के राज्य या ताल्लुक़े हैं। इस एजेन्सी में एक पोलिटिकल एजेण्ट रहता है। इस एजेन्सी के मुख्य राज्य राजपीपला, लुनावाड़ा, बालासिनोर, बरिया, छोटा उदयपुर, नारुकोट, सुंत आदि हैं।

सतारा एजेन्सी में औंध और फलतान हैं। बीजापुर का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का कार्य करता है।

पूना एजेन्सी में भोर राज्य है। पूना के कलक्टर को पोलिटिकल एजेण्ट के अधिकार हैं।

शोलापुर एजेन्सी में अकलकोट राज्य है। शोलापुर का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का कार्य करता है।

सक्कर एजेन्सी में खैरपुर राज्य है। सक्कर का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट की हैसियत से कार्य करता है।

सूरत एजेन्सी में बाँसदा, धरमपुर और सचीन राज्य हैं। यह सब द्वितीय श्रेणी के हैं। इनके अतिरिक्त १४ डांग जागीरे और हैं। सूरत का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट की हैसियत से कार्य करता है।

थाना एजेन्सी में ज्वहार राज्य है। थाना का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का कार्य करता है।

बंगाल-प्रान्त

बङ्गाल प्रान्तीय सरकार के अधीन कूचबिहार और टिपारा राज्य हैं। इनका कार्य-सञ्चालन प्रांतीय-सरकार कलक्टरों द्वारा करती है, जिनको पोलिटिकल एजेण्ट के अधिकार प्राप्त हैं।

बिहार-उड़ीसा

बिहार-उड़ीसा की प्रान्तीय सरकार के अधीन खरसवाँ, सरायकेला, नाथगढ़, तलचेर, मयूरभञ्ज, नीलगिरी, कोभार, पाल लहारा, धेनकनल, अथमालिकहिंडोल, नरसिंहपुर, वराम्बा, तिगिरिया, खानपारा, नयागढ़, रानपुर, दासपाला और बांद आदि २६ राज्य हैं। इनका कार्य-सञ्चालन छोटा नागपुर का कलक्टर और उड़ीसा का कमिश्नर पोलिटिकल एजेण्ट की हैसियत से करता है।

संयुक्त प्रान्त

संयुक्त प्रान्तीय सरकार के अधीन रामपुर, टेहराँ और बनारस के राज्य हैं। इनका कार्य-सञ्चालन यू० पी० के गवर्नर बहैसियत एजेण्ट दु दी गवर्नर-जनरल करते हैं।

पञ्जाब प्रान्त

पञ्जाब में जितने भी राज्य हैं, वह पहले पञ्जाब प्रान्तीय सरकार के अधीन थे, पर सन् १९२१ से १३ राज्यों का सम्बन्ध एजेण्ट दु दी गवर्नर-जनरल से कर दिया गया है,

जो लाहौर में रहता है। ये १३ राज्य इस प्रकार हैं:—पटियाला, बहावलपुर, भींद, नाभा, कपूरथला, मण्डी, नाहन, विलासपुर, मलेरकोटला, फरीदकोट, चम्बा, सुकेत, लोहारू। इनके अतिरिक्त २१ छोटे-छोटे राज्य ऐसे हैं, जो प्रान्तीय सरकार के अधीन हैं, और वह डिप्टी-कमिश्नरों द्वारा सञ्चालित होते हैं।

मध्य प्रान्त

मध्य प्रान्तीय सरकार के अधीन १५ राज्य हैं, जिनमें बस्तर, जशपुर, कांकेर, खैगढ़, मकड़ाई, नन्दगाँव, रायगढ़ और सरगुजा मुख्य हैं। ककड़ाई होशङ्गाबाद जिले में है, और वहीं का कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट की हैसियत से उस पर निगरानी रखता है। शेष राज्य छत्तीसगढ़ डिवीजन में हैं। प्रान्तीय सरकार उनका नियन्त्रण एक पोलिटिकल एजेण्ट द्वारा करती है।

आसाम-प्रान्त

आसाम प्रान्तीय सरकार के अधीन केवल मनीपुर राज्य है। इसके अतिरिक्त खासी और जेंतिया पहाड़ी की २५ जागीरें और हैं, जो कलक्टरों के नियन्त्रण में हैं।

बर्मा प्रान्त

बर्मा प्रान्तीय सरकार के अधीन शान की रियासतें हैं, जो यद्यपि बर्मा का भाग नहीं है, फिर भी शासन की सुविधा के लिये बर्मा प्रान्त से सम्बन्धित कर दी गयी हैं। ८ छोटे-छोटे राज्य और भी हैं, जो कमिश्नरों के नियन्त्रण में हैं।

नरेन्द्र-मण्डल

लार्ड लिटन ने यह सोचा था कि भारतीय-शासन में नरेशों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय, इसलिये जब सन् १८६१ ई० में भारतीय-व्यवस्थापिका-सभा की स्थापना हुई, तो महाराजा पटियाला को उसका सदस्य नामजद किया गया। लार्ड लिटन का यह भी मत था कि भारत के बड़े-बड़े देशी नरेशों की भारतीय प्रिवी कौंसिल स्थापित की जाय। लार्ड लिटन के उत्तराधिकारी लार्ड कर्जन ने वाइसराय के पद पर नियुक्त होते ही घोषणा की कि भारतीय-साम्राज्य-सङ्गठन में देशी नरेशों का मुख्य स्थान है। देश के शासन में उनका सम्बन्ध लेफ्टिनेंट गवर्नर से कम नहीं है। लार्ड कर्जन ने 'देशी नरेश-कौंसिल' की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की, पर उनका विचार कार्य-रूप में परिणत न हो सका। लार्ड कर्जन के उत्तराधिकारी लार्ड मिण्टो ने पहले 'इम्पीरियल एडवाइजरी कौंसिल' स्थापित करने का प्रस्ताव किया, पर बाद में उनका विचार बदल गया। उन्होंने 'इम्पीरियल-कौंसिल-आफ-रूलिंग-प्रिंसेज़' (देशी नरेशों की राज्य-परिषद्) की स्थापना के लिये जोर दिया, पर उस समय कुछ न हो सका। लार्ड हार्डिङ्ग ने प्रमुख देशी नरेशों की एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें 'देशी राज्यों में शिक्षा' पर वाद-विवाद हुआ। लार्ड चेम्सफोर्ड ने नरेशों की प्रति वर्ष कॉन्फ्रेंस

करनी शुरू की। सन् १९१९ ई० में तत्कालीन भारतमंत्री मि० मांटिगू और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत में राजनैतिक सुधारों के लिये जो रिपोर्ट लिखी, उसमें उन्होंने एक स्थायी 'नरेशों की कौंसिल' की आवश्यकता बतलाई। उस रिपोर्ट में यह लिखा कि—“हम स्थायी परामर्श देनेवाली एक संस्था की स्थापना चाहते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न आ जाते हैं, जो या तो आम तौर से देशी राज्यों से सम्बन्ध रखते हैं, या समस्त साम्राज्य और ब्रिटिश-भारत एवं देशी राज्यों पर समान असर डालनेवाले होते हैं। वाइसराय ऐसे मामलों को कौंसिल के पास भेजें और राजाओं के विचारपूर्ण वाद-विवाद से सरकार लाभ उठावे। हमारा मत है कि कौंसिल की बैठक वर्ष में एक बार नियमित रूप से हो, और उसमें वाइसराय द्वारा स्वीकृत विषय-सूची पर विचार हो।” मांटिगू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट में दूसरा प्रस्ताव यह भी था कि “नरेशों की कौंसिल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी-समिति बना दिया करे, जिसको वाइसराय या पोलिटिकल-डिपार्टमेंट साधारण रीति-रिवाज के मामले परामर्श के लिये भेजा करे।” सन् १९१९ ई० में देशी नरेशों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार हुआ। कॉन्फ्रेंस ने 'नरेशों की कौंसिल' का नामक 'नरेन्द्र-मण्डल' रखने का प्रस्ताव पास किया और भारत-मंत्री के पास भेज दिया। वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मि० मांटिगू के परामर्श से नरेन्द्र-मण्डल

की योजना तैयार की, जो गवर्नमेंट ने स्वीकार कर ली। इस प्रकार ८ फ़रवरी, सन् १९२१ ई० को ड्यूक-ऑफ़ कनाॅट के कर-कमलों द्वारा नरेन्द्र-मण्डल स्थापित हुआ।

नरेन्द्र-मण्डल में १२० सदस्य होते हैं। १०८ तो वह नरेश होते हैं, जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है और १२ प्रतिनिधि उन १२७ द्वितीय श्रेणी के राज्यों के होते हैं, जिन्हें उक्त सम्मान प्राप्त नहीं है। शेष २२७ राज्यों का प्रतिनिधित्व नरेन्द्र-मण्डल को नहीं है, यद्यपि उनमें १० राज्य ऐसे भी हैं, जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, जैसे बनारस, शाहपुरा आदि।

नरेन्द्र-मण्डल में जिन १०८ नरेशों को स्वयं सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है, वह ये हैं—

(१) हैदरावाद (२) वड़ौदा (३) मैसूर (४) ग्वालियर (५) काश्मीर (६) भोपाल (७) इन्दौर (८) कलात (९) कोल्हापुर (१०) त्रावनकोर (११) उदयपुर (१२) बहावलपुर (१३) भरतपुर (१४) वीकानेर (१५) बूँदी (१६) कोचीन (१७) कच्छ (१८) जयपुर (१९) जोधपुर (२०) करौली (२१) कोटा (२२) पटियाला (२३) रीवाँ (२४) टोंक (२५) अलवर (२६) वाँसवाड़ा (२७) दतिया (२८) देवास सीनियर (२९) देवास जूनियर (३०) धार (३१) धौलपुर (३२) डूंगरपुर (३३) ईडर (३४) जैसलमेर (३५) खैरपुर (३६) किशन-

गढ़ (३७) औरछा (३८) प्रतापगढ़ (३९) रामपुर (४०)
 सिक्कम (४१) सिरौही (४२) बनारस (४३) भावनगर (४४)
 कूचबिहार (४५) धौगंधा (४६) जावरा (४७) भालावाड़
 (४८) भींद (४९) जूनागढ़ (५०) कपूरथला (५१) नाभा
 (५२) नवानगर (५३) पलानपुर (५४) पोरबन्दर (५५) राज-
 पीपला (५६) रतलाम (५७) त्रिपुरा (५८) अजयगढ़ (५९)
 अलीराजपुर (६०) बावनी (६१) बड़वानी (६२) विजावर
 (६३) विलासपुर (६४) केम्ब्रे (६५) चम्बा (६६) चरखारी
 (६७) छतरपुर (६८) फ़रीदकोट (६९) गोंडाल (७०) जफ़-
 राबाद (७१) जंजीरा (७२) भावुआ (७३) मलेरकोटला (७४)
 मण्डी (७५) मनीपुर (७६) मोरवी (७७) नरसिंहगढ़ (७८)
 पन्ना (७९) पुद्दूकोटा (८०) रधानपुर (८१) राजगढ़ (८२)
 सैलाना (८३) समथर (८४) नाहन (८५) सीतामऊ (८६)
 सुकेत (८७) टेहरी (८८) वालासिनोर (८९) बंगनापल्ले
 (९०) बांसदा (९१) बरौंधा (९२) बरिया (९३) छोटा उदय-
 पुर (९४) दंता (९५) धरमपुर (९६) धोल (९७) ज्वहार
 (९८) खिलिचीपुर (९९) लिम्बडी (१००) लुनावदा (१०१)
 मैहर (१०२) मधोल (१०३) पालीताना (१०४) राजकोट
 (१०५) सचीन (१०६) साँगली (१०७) सावंतवाड़ी (१०८)
 बड़वान ।

नरेन्द्र-मण्डल के अधिवेशन में प्रायः ४०-५० सदस्य ही
 आते हैं । निजाम हैदराबाद, महाराज बड़ौदा और महाराज

मैसूर जैसे प्रमुख नरेशों ने नरेन्द्र-मण्डल के कार्यों में कभी भाग नहीं लिया ।

साधारणतः नरेन्द्र-मण्डल का अधिवेशन प्रति वर्ष फ़रवरी या जनवरी में दिल्ली में होता है । वाइसराय सभापति का आसन ग्रहण करते हैं, पर मंडल प्रतिवर्ष एक चांसलर का भी चुनाव करता है, जो वाइसराय की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता है, और स्थायी समिति का वर्ष-भर अध्यक्ष बना रहता है । पहले नरेन्द्र-मण्डल का अधिवेशन बन्द कमरे में होता था, पर सन् १९२८ ई० से खुले रूप में होने लगा है । अधिवेशन में उन्हीं विषयों पर विचार होता है जिनकी स्वीकृति वाइसराय दे देते हैं ।

नरेन्द्र-मण्डल का कार्य क्या है और उसके क्या अधिकार हैं—यह उस शाही-घोषणा में बतला दिये गये हैं, जो नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना के लिये सम्राट् की ओर से हुई थी । वह शाही घोषणा इस प्रकार है—

“मेरे वाइसराय इस (नरेन्द्र-मण्डल) से उन मामलों पर परामर्श लेंगे, जो आम तौर पर देशी राज्यों-सम्बन्धी हों, और जिनका असर देशी राज्यों तथा ब्रिटिश-भारत या मेरे साम्राज्य के अन्य भागों पर सम्मिलित रूप से पड़ता हो । किसी राज्य-विशेष अथवा देशी राज्यों के नरेशों के व्यक्तिगत मामलों से या किसी राज्य-विशेष और मेरी सरकार के सम्बन्ध से इसका कोई सम्बन्ध न होगा । राज्यों के वर्तमान

। ढंग और उनके कार्य की स्वतन्त्रता में इससे कोई बाधा न न पड़ेगी ।”

प्रति वर्ष जो स्थायी-समिति चुनी जाती है, उसमें चार सदस्य होते हैं । चुनाव के समय यह ध्यान रक्खा जाता है कि राजपूताना, वम्बई, मध्य-भारत और पंजाब के राज्यों का एक-एक प्रतिनिधि अवश्य हो ।

स्थायी समिति की बैठक वर्ष में दो या तीन बार होती है । नरेन्द्र-मण्डल के अधिवेशन में समिति प्रति वर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट देती है, और समिति का प्रधान कार्यालय दिल्ली में रहता है ।

नरेशों का सम्मान

भारत-सरकार की ओर से देशी नरेशों को दो प्रकार से सम्मान प्राप्त है। एक तो तोपों की सलामी, और दूसरा उपाधियाँ एवं अंग्रेजी-सेना में अवैतनिक उच्च पद। तोपों की सलामी पर बाद में प्रकाश डाला जावेगा, पहले हम उपाधियों और अवैतनिक उच्च सैनिक पदों पर ही विचार करते हैं।

उपाधियाँ

देशी नरेशों को जो उपाधियाँ प्राप्त हैं, वे दो प्रकार की हैं—एक तो पैतृक और दूसरी भारत-सरकार अथवा ब्रिटिश-सरकार द्वारा दी हुई। पैतृक उपाधियाँ सदैव स्थायी रहती हैं और जब कोई नरेश स्वर्गवासी हो जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी को वह उपाधियाँ प्राप्त हो जाती हैं, पर गद्दीनशीनी के समय वाइसराय की ओर से अंग्रेज रेजीडेंट या पोलिटिकल एजेण्ट जो 'खरीता' पढ़ता है, उस में उन उपाधियों का संकेत होना अनिवार्य है। जब तक खरीता में उन उपाधियों का समावेश नहीं हो जाता, तब तक कोई भी नरेश उनको अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता। ब्रिटिश-सरकार या भारत-सरकार द्वारा दी गयी उपाधियाँ अस्थायी होती हैं और वह व्यक्तिगत मानी जाती हैं। जिस नरेश को वह उपाधियाँ मिलती हैं, वही अपने जीवन भर उनको लिख सकता है; उसका उत्तराधिकारी नहीं। किसी भी विदेशी संस्था या

सरकार से कोई भी नरेश विना भारत-सरकार की स्वीकृत के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता ।

अवैतनिक सैनिक पद

ब्रिटिश-सरकार देशी नरेशों को अपनी सेना में उच्च अवैतनिक पद भी प्रदान करती रहती है, जैसे लेफ्टिनेंट, जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल अथवा कर्नल आदि । बाद में उन्हें तरक्की भी दी जाती है ।

तोपों की सलामी

जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता है, या बाहर से आता है, अथवा जब वह ब्रिटिश-सरकार के हेडक्वार्टर पर नरेश की हैसियत से आता है, या वहाँ से वापिस जाता है, तब उसे तोपों की सलामी दी जाती है । इन तोपों की संख्या निर्धारित है । यह संख्या भी तीन प्रकार की है— (१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत और (३) स्थानीय । स्थायी संख्या में कभी परिवर्तन नहीं होता । व्यक्तिगत संख्या वह है जो भारत-सरकार किसी नरेश से प्रसन्न हो केवल उसके जीवन के लिये स्थायी संख्या से अधिक निश्चित कर देती है । स्थानीय संख्या के अनुसार केवल राज्य के अन्दर सलामी मिलती है; राज्य के बाहर नहीं । भारत में ११८ नरेश ऐसे हैं जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त है; अन्य नरेशों को नहीं । आगे की तालिका से इस सम्मान का पूरा पता चल जाता है:—

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम-उपाधि सहित	शतक	संख्या	संख्या
१	हैदराबाद	लेफ्टिनेंट जनरल, हिज एक्जाल्टेड हाईनेस, आसफ़जाह मुजाफ्फर-उल्-मुल्क वल-ममालिक, निजाम-उल्-मुल्क, निजामु-दौला, नवाब सर मीर उसमान अलीख़ाँ बहादुर, फ़तहजंग, वफ़ादार-दोस्त बरतानियाँ, जी० सी० एस० आई०, जी० बी० ई०। हिज हाईनेस फ़र्ज़न्द-ई-ख़ास-ई-दौलत-ई-इंगलिसिया, महाराजा सर सयाजी राव गायकवाड़, सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर, जी० सी० एस० आई, जी० सी० आई० ई०।	२१
२	बड़ौदा	एच० एच० महाराज मुल्तार-उल्-मुल्क, अमीम-उल्-इक़्तदार, रफी-उश-शान, वाला-शिकोह-मुहताशम-ई-दौरा, उम्दात-उल्-उमरा, महाराजाधिराजा, आलीजाह हिसामुस-सलतनत, जार्ज जीवाजी राव सिंधिया, बहादुर, श्रीनाथ-मंसूर-ई-ज़ामन, फ़िदव-ई-हज़रत-ई-मालिक-ई-मुअज़्ज़िम-ई-रफी-उद-दारजात-ई-इंगलिस्तान।	२१
३	ग्वालियर		२१

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	काल	संख्या	संख्या
४	जम्मू और काश्मीर	कर्नल एच० एच० महाराजा सर. हरीसिंह, इन्द्र महिन्द्र बहादुर सिपार-ई-सलतत, के० सी० आई० ई०, के० सी० वी० ओ० ।	२१
५	मैसूर	कर्नल, एच० एच०, महाराजा सर श्रीकृष्ण वदियार बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० बी० ई० ।	२१
६	भोपाल	लेफ्टिनेण्ट कर्नल, एच० एच०, नवाब हाजी मुहम्मद हमीदुल्ला खाँ बहादुर, सी० एस० आई०, सी० वी० ओ० ।	१९	...	२१
७	इन्दौर	एच० एच० महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई० श्री यशवन्तराव होल्कर बहादुर ।	१९	...	२१
८	कलात	एच० एच० बेगलर बेगी मीर सर मोहम्मद खाँ, जी० सी० आई० ई०, वलीकलात ।	१९	२१	...

९	कोल्हापुर	लेफ्टिनेण्ट कर्नल एच० एच० श्री सर राजाराम क्षत्रपति महाराज, जी० सी० आई० ई० ।	१९
१०	त्रावनकोर	एच० एच० श्री पद्मनाभ दासावांची पालारामा वर्मा कुलासिटवरा, कीरतपति, मन्त्री सुल्तान, महाराजा राजा रामराजा बहादुर रामशेरजंग ।	१९
११	उदयपुर (मेवाड़)	एच० एच० महाराजाधिराजा, महाराणा सर फतेहसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ० ।	१९	२१	२१
१२	बहावलपुर	केप्टन, एच० एच० रुक-उद्-दौला, नुसरत-ई-जंग, हफीज-उल-मुल्क, मुखालिस-उद्-दौला, नवाब सर सदीक मोहम्मद खाँ अब्बासी बहादुर, के० सी० वी० ओ० ।	१७
१३	भरतपुर	एच० एच० महाराजा श्री ब्रजेन्द्र सवाई श्री ब्रजेन्द्रसिंह बहादुर ।	१७

क्रम- संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	शुद्धि	व्यक्तिगत	संज्ञा
१४	बीकानेर	मेजर-जनरल, एच० एच०, महाराजाधिराज राजराजेश्वर शिरोमणि श्री सर गंगासिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ०, जी० वी० ई०, के० सी० बी०, एल-एल० डी०, ए-डी-सी०। एच० एच० महाराव राजा ईश्वरीसिंह बहादुर। एच० एच० महाराजा श्री सर रामा वर्मा, जी० सी० आई० ई०।	१७	१९	१९
१५	बूंदी	एच० एच० महाराव राजा ईश्वरीसिंह बहादुर।	१७
१६	कोचीन	एच० एच० महाराजा श्री सर रामा वर्मा, जी० सी० आई० ई०।	१७
१७	कच्छ	एच० एच० महाराजा धिराज मिर्जा महाराव श्री सर खेंगरजी सवाई बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०। एच० एच० सरमद-ई-राजा-ई-हिन्दुस्थान राज राजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सवाई मानसिंह बहादुर।	१७	...	१९
१८	जयपुर	एच० एच० सरमद-ई-राजा-ई-हिन्दुस्थान राज राजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सवाई मानसिंह बहादुर।	१७	...	१९

१९	जोधपुर	मेजर, एच० एच० राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उमेदसिंह बहादुर, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ०।	१७	...	१९
२०	करौली	एच० एच० महाराजा भूमिपालदेव बहादुर, यदुकुल चन्द्र-भाल ।	१७
२१	कोटा	लेफ्टिनेंट कर्नल एच० एच० महाराज सर उस्मेदसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० वी० ई० ।	१७	१९	...
२२	पटियाला	मेजर जनरल, एच० एच०, फर्जन्द-ई-खास-ई-दौलत-ई-इंगलिशिया, मंसूर-ई-जामन, अमीर-उल-उमरा, महाराजाधिराज, राजेश्वर श्री महाराज-ई-राजगान, सर भूपेन्द्रसिंह महिन्द्र बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० वी० ओ०, जी० वी० ई०, ए-डी-सी० ।	१७	१९	१९
२३	रीवाँ	एच० एच० महाराजा सर गुलाबसिंह बहादुर० के० सी० एस० आई० ।	१७

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ
२४	ढोंक	एच० एच० आमीन-उद्-दौला, वजीर-रुल-मुल्क, नवाब सर मुहम्मद इब्राहीम अलीखाँ बहादुर, सौलत-ई-जंग, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई० ।	१७	१९	...
२५	अलवर	कर्नल, एच० एच० सवाई महाराज श्री जयसिंह जी देव अलवरेन्द्र, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०	१५	१७	१७
२६	बाँसवाड़ा	एच० एच० श्री० राय-ई-रायान महारावल पृथ्वीसिंह बहादुर ।	१५
२७	दतिया	मेजर एच० एच० महाराजा लोकेन्द्र सर गोबिन्दसिंह बहादुर, के० सी० एस० आई० ।	१५
२८	देवास (सीनियर)	एच० एच० महाराज सर तुकोजी राव पवार, के० सी० एस० आई० ।	१५

२९	देवास (जूनियर)	एच० एच० महाराजा सर महाराराव बाबा साहेब पवार के० सी० एस० आई० ।	१५
३०	धार	एच० एच० महाराजा आनन्दराव पवार ।	१५
३१	धौलपुर	लेफ्टीनेन्ट कर्नल एच० एच० रईस-उद्-दौला, सिपह- दार-उल्-मुल्क, महाराजाधिराज श्री सर्वाई महाराज राणा सर उदयभानसिंह लोकेंद्र बहादुर, दिलेरजङ्ग, जयदेव, के० सी० एस० आई० ।	१५	१७	...
३२	डूँगरपुर	एच० एच० राय-ई०-रायान, महारावल श्री लक्ष्मणसिंह बहादुर ।	१५
३३	ईडर	ले० क०, हिजहाइनेस महाराजा सर दौलतसिंह जी के० सी० एस० आई० ।	१५
३४	जैसलमेर	एच० एच० महाराजाधिराज महारावल सर जवाहरसिंह बहादुर, के० सी० एस० आई० ।	१५
३५	खैरपुर	एच० एच० मीर अली नवाजखान तालपुर ।	१५	...	१७

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	स्थान	संख्या	स्थान	संख्या
३६	किशनगढ़	एच० एच० उमद-ए-राज-ए-बलन्द-मकां महाराजाधिराज यज्ञनारायणसिंह बहादुर ।	१५	...	स्थान	...
३७	ओरछा	एच० एच० सरमद-ई-राजा-ई बुन्देलखंड महाराज महिन्द्र सर्वाई सर प्रतापसिंह बहादुर, जी० सी०। एस० आई०, जी० सी० आई० ई० ।	१५	१७	स्थान	...
३८	प्रतापगढ़	एच० एच० महारावत सर रघुनाथसिंह बहादुर, के० सी० आई० ई० ।	१५	...	स्थान	...
३९	रामपुर	कर्णल एच० एच० आलीजाह फ़र्जन्द-ई-दिलपशीर-ई-दौलत-ई-इंगलिशिया, मुजलिस-उद्-दौला, नसीर-उल्-मुल्क, अमीर-उल्-उमरा नवाब सर सैयद मुहम्मद हामिद अली खौ बहादुर, मुस्तैद-जंग, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ०, ए-डी-सी ।	१५	...	स्थान	...

४०	सिद्धम.	एच० एच० महाराजा सर ताशी नामसांल, के० सी० आई० ई० ।	१५
४१	सिरोही	एच० एच० महाराजाधिराज महाराव सर सरुपरामसिंह बहादुर, के० सी० एस० आई० ।	१५
४२	बनारस	एच० एच० महाराजा आदित्यनारायणसिंह बहादुर ।	१३	१५	१५
४३	भावनगर	एच० एच० महाराजा श्रीकृष्णकुमारसिंहजी बहादुर ।	१३	...	१५
४४	कूच-बिहार	एच० एच० महाराजा जगद्दीपनारायण भूप बहादुर ।	१३
४५	ध्रांगध्रा	एच० एच० महाराजा श्री० सर घनश्यामसिंह जी अजीतसिंह जी, जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, महाराज राजे साहेब ।	१३
४६	जावर	लेफ्टि० क०, हिज़ हाईनेस फखरुद्दौला नवाब सर मुहम्मद इफ्तिखार अलीख़ाँ बहादुर, सौलत-जंग, के० सी० एस० आई० ।	१३
४७	फ़ालावाड़	एच० एच० महाराणा सर भवानीसिंह बहादुर, के० सी० एस० आई० ।	१३

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.
४८	भोंद	कर्नल, एच० एच०, फर्षन्द-ई-दिलबन्द रसीख-उल-इत्ति-काद-दौलत-ई-इङ्गलेशिया, राज-ई-राजगान, महाराज सर रणबीरसिंह राजेन्द्रबहादुर, जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०। खिज हाईनेस नवाब सर महावतख़ाँ रसूलख़ाँ, के० सी० एस० आई०।	१५	१५	१५
४९	जूनागढ़	कर्नल एच० एच० फर्षन्द-ई-दिलबन्द-रसीख-उल-इत्ति-काद-ई-दौलत-ई-इङ्गलेशिया, राज-ई-राजगान, महाराजा सर जगतजीतसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०।	१५	१५	१५
५०	कपूरथला	कर्नल एच० एच० फर्षन्द-ई-दिलबन्द-रसीख-उल-इत्ति-काद-ई-दौलत-ई-इङ्गलेशिया, राज-ई-राजगान, महाराजा सर जगतजीतसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०।	१५	१५	१५
५१	नाभा	१३	...	१५

५२	नवानगर	लेफ्टि० क०, हिज हाईनेस महाराजा जाम श्री सर रण- जीतसिंहजी वीभाजी, जी० सी० एस० आई०, जी० वी० ई०, जाम साहेब ।	१३	१५	१५
५३	पालनपुर	कैप्टन एच० एच० नवाब सर ताले मुहम्मद ख़ाँ शेर मुहम्मद ख़ाँ, के० सी० आई० आई०, के० सी० वी० ओ०	१३
५४	पोरबंदर	एच० एच० महाराजा श्री नटवरसिंहजी भावसिंहजी महाराज राणा साहेब ।	१३
५५	राजपीपला	कैप्टन एच० एच० महाराणा श्री सर विजयसिंह जी छत्रसिंहजी, के० सी० एस० आई० ।	१३
५६	रतलाम	कर्नल एच० एच० महाराजा।सर सज्जनसिंहजी, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ० ।	१३
५७	त्रिपुरा	हि० हा० महाराजा माणिक्यवीर विक्रमकिशोर देव बर्मन बहादुर ।	१३
५८	अजयगढ़	हि० हा० महाराजा सवाई भूपालसिंह बहादुर ।	११

नरेश का नाम उपाधि-सहित

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नेरेश का नाम उपाधि-सहित	सलासी	व्यक्तिगत	सलासी	सलासी
५९	जफराबाद	हि० हा० नवाब सिद्दी मुहम्मद खाँ सिद्दी अहमदखाँ ।	११
६०	जंजीरा	हि० हा० नवाब " आई० ई० ।	११
६१	अलीराजपुर	हि० हा० राजा प्रतापसिंह, सी० आई० ई० ।	११
६२	वावनी	हि० हा० आजम-उल्-उमरा, इफ्तखार-उद्-दौला, इमाद-उल्-मुल्क, साहिब-ई-जाह मिर्ही सरदार नवाब मुहम्मद मुस्ताक-उल-हसन खाँ, सफ़दर जंग ।	११
६३	बढ़वानी	कैप्टन हिज़ हाईनेस राणा सर रणजीतसिंह, के० सी० आई० ई० ।	११
६४	बिजावर	हि० हाई० महाराजा सर्वाई सर सावंतसिंह बहादुर, के० सी० आई० ई० ।	११
६५	बिलासपुर	मेजर, एच० एच० राजा सर विजयचन्द, के० सी० आई० ई०, सी० एस० आई० ।	११

६६	केम्बे	हि० हाईनेस, नवाब मिर्जाहुसैन बाबरखान साहब बहादुर ।	११
६७	चम्बा	हिज हाईनेस राजा रामसिंह ।	११
६८	चरखारी	हि० हा० महाराजाधिराज सिहहदुर-उल-मुल्क अरमर- दानसिंह जू देव बहादुर ।	११
६९	छतरपुर	हि० हा० महाराजा विश्वनाथसिंह बहादुर ।	११
७०	फरीदकोट	हि० हा० फर्जन्द-ई-सआदत निशान-ई-हजरत-ई-कैसरे- वरार वंस राजा हर इन्द्रसिंह बहादुर ।	११
७१	गोंडाल	हि० हा० महाराजा श्री सर भगवतसिंहजी सगरामजी, जी० सी० आई० ई० ।	११
७२	भाबुआ	हिज हाईनेस राजा उदयसिंह ।	११
७३	मलेरकोटला	लेफ्टिनेंट कर्नल, हि० हा० नवाब सर अहमद अलीखान बहादुर, के० सी० एस आई, के० सी० आई० ई० ।	११
७४	मण्डी	लेफ्टिनेंट हि० हा० राजा जोगेन्द्रसेन बहादुर ।	११
७५	मोरवी	हि० हा० महाराजा श्री लखधीरजी वाघजी ।	११

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	भूभाग	व्यक्तिगत	सालाना
७६	मनीपुर	हि० हा० महाराजा चूरचन्दसिंह, सी० बी० ई० ।	११
७७	नृसिंहगढ़	हि० हा० राजा विक्रमसिंह ।	११
७८	पुडूकोटा	हि० हा० श्री राजा राजगोपाला टोंडीमन बहादुर ।	११
७९	पन्ना	हि० हा० महाराजा महेन्द्र सर थादवेन्द्रसिंह बहादुर, के० सी० आई० ई० ।	११
८०	रधानपुर	एच० एच० जलालुद्दीन खाँ विस्मिहा खाँ बाबी नवाब	११
८१	सैलाना	हि० हा० राजा दलीपसिंह ।	११
८२	राजगढ़	हि० हा० राजा सर वीरेन्द्रसिंह, के० सी० आई० ई० ।	११
८३	समथर	हि० हा० महाराजा सर वीरसिंह देव बहादुर, के० सी० आई० ई० ।	११
८४	नाहन	ले० क० हिज हाईनेस महाराजा सर अमरप्रकाश बहा- दुर के० सी० एस० आई०, के० सी० आई० ई० ।	११

८५	सीतामऊ	हि० हा० राजा सर रामसिंह, के० सी० आई० ई० ।	११
८६	सुकेत	हिज हाईनेस राजा लक्ष्मणसेन ।	११
८७	टेहरी	कैप्टन हिज हाईनेस राजा नरेन्द्रशाह, सी० एस० आई० ।	११
८८	वालासिनोर	नवाब जमैतखाँ मुनवरखाँ ।	९
८९	बंगानापल्ले	नवाब सैयद फ़जली अलीखाँ बहादुर ।	९
९०	बाँसदा	महारावल श्री इन्द्रसिंहजी प्रतापसिंहजी राजा ।	९
९१	पथार कछार	राजा गयाप्रसादसिंह ।	९
९२	वरिया	कैप्टन हिज हाईनेस महारावल श्री सर रणजीतसिंह जी मानसिंहजी, के० सी० एस० आई० ।	९	११	...
९३	बराहर	राजा पदमसिंह ।	...	९	...
९४	छोट्टा उदयपुर	महारावल श्री नरवरसिंहजी फतेहसिंहजी राजा ।	९
९५	दाँता	महाराणा श्री भवानीसिंह जी हमीरसिंहजी ।	९
९६	धरमपुर	महाराणा श्री विजयदेवजी मोहनदेवजी ।	९

क्रम-संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	स्थान	संख्या	स्थिति	संख्या	स्थिति
९७	धोल	ठाकुर साहब श्री दौलतसिंहजी हरीसिंहजी ।	१	१
९८	ज्वहार	सेकिण्ड लेफ्टिनेंट विक्रमशाह पातंगशाह ।	१	१
९९	कालाहौड़ी	महाराजा ब्रजमोहनदेव, श्री० बी० ई०, राजा ।	१	१	११
१००	लुणावदा	हिज हाईनेस महाराणा श्री सर बख्तसिंह जी दलेल-सिंह जी, के० सी० आई० ई० ।	१	१
१०१	खिलिचपुर	रावबहादुर दुर्जनसाल सिंह, रावबहादुर ।	१	१
१०२	लिम्बडी	ठाकुर साहब श्री सर दौलतसिंहजी जसवन्तसिंहजी के० सी० आई० ई० ।	१	१
१०३	लोहारू	नवाब मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद, खान बहादुर ।	१	१
१०४	मैहर	राजा बुजनाथसिंह ।	१	१
१०५	मयूरभंज	लेफ्टिनेंट महाराणा पूर्णचन्द भञ्जदेव ।	१	१

१०६	मधोल	लेफ्टिनेंट मेहरबान राजा सर मालोजीराव बेंकटराव राजा घोरपड़े उर्फ नाना साहेब, के० सी० आई० ई० ।
१०७	उचहेरा	राजा महेन्द्रसिंह
१०८	पालीताना	ठाकुर साहब श्री बहादुरसिंहजी मानसिंहजी ।
१०९	पटना	महाराजा राजेन्द्रनारायणसिंह देव ।
११०	राजकोट	ठाकुर साहब श्री सर लखाजीराज बावाजीराज, के० सी० आई० ई० ।
१११	सारवंतवाड़ी	कैप्टेन हि० हा० राजेवहादुर श्रीमंतलेम .सामंत भोंसले उर्फ बापू साहेब सर देसाई ।	...	११
११२	सचीन	मेजर हि० हा० नवाब सिद्दी इब्राहीम मुहम्मद याक़ूब खां, मुवाज़रात-दौला, नासरात-जंग बहादुर ।
११३	सांगली	लेफ्टिनेंट मेहरबान सर चिन्तामणिराव टुंडीराव उर्फ अण्णा साहेब पटवर्धन, के० सी० आई० ई०, चीफ साहेब ।

क्रम- संख्या	नाम राज्य	नरेश का नाम उपाधि-सहित	स्थान	संख्या	स्थान	संख्या
११४	संत	महाराणा श्री जोरावरसिंह जी प्रतापसिंह जी राजा ।	९
११५	शाहपुरा	राजाधिराजा सर नाहरसिंह जी, के० सी० आई० ई० ।	९
११६	सोनपुर	महाराजा सर वीरमित्रोदयसिंह देव, के० सी० एस० आई०	९
११७	बांकानेर	कैप्टन हिज हाइनेस महाराणा श्री सर अमरसिंह जी वाणेशिंहजी, के० सी० आई० ई०, राजा साहेब ।	९	११
११८	बड़वान	ठाकुर साहेब श्री जोरावरसिंह जी जसवन्तसिंह जी ।	९

देशी राज्यों में ब्रिटिश-हस्तक्षेप

भारत-सरकार सर्वोपरि है। भारत के सभी देशी राज्य उसके संरक्षण में हैं। इसलिये भारत-सरकार को देशी नरेशों के शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। सन् १९२० ई० से पूर्व हस्तक्षेप करने का कोई नियम निर्धारित न था। जब किन्हीं दो राज्यों में, अथवा किसी राज्य और अंग्रेजी-सरकार में, किसी विषय पर झगड़ा उठ खड़ा होता था, अथवा किसी नरेश का आन्तरिक शासन बुरा होता और उसकी प्रजा ब्रिटिश-सरकार से प्रार्थना करती, तो वाइसराय हस्तक्षेप करते थे। हस्तक्षेप में वाइसराय को अधिकार था कि किसी भी नरेश को गद्दी से हटा दें, या उसके अधिकार कम कर दें, अथवा परस्पर दो राज्यों के झगड़े में जो उचित समझें, फैसला कर दें।

जब सन् १९१९ में भारत में शासन-सुधार का प्रश्न उपस्थित हुआ और तत्कालीन भारत मन्त्री मि० मांटेगू और वाइसराय लार्ड चेम्सफ़ोर्ड ने राजनीतिक अवस्था की जाँच की, उस समय देशी नरेशों ने भी ब्रिटिश-हस्तक्षेप के लिये एक नियम बना देने की माँग की। मि० रशब्रुक विलियम्स के शब्दों में—“देशी राज्यों और ब्रिटिश-भारतीय अधिकारियों में जो विवाद खड़े हो जाते हैं, उनके निर्णय के लिये एक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल की आवश्यकता उन्हीं (नरेशों) ने

अनुभव की, क्योंकि अनेक मामलों में भारत-सरकार ही वादी थी और साथ ही निर्णायकर्ता भी। उनका विश्वास था कि पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने अनेक बार सन्धियों का ध्यान किये बिना ही कार्य किया और आमतौर पर पंच बनने का कार्य किया, जो सर्वथा अवाञ्छनीय था। इसलिये उन्होंने एक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल के बनाये जाने की योजना पेश की।” इस पर मि० मट्टेगू और लार्ड चेम्स-फोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की—“विवाद-ग्रस्त मामलों में जहाँ वाइसराय की सम्मति में स्वतन्त्र और निपक्ष जाँच की आवश्यकता हो, वाइसराय एक कमीशन नियुक्त करें जिसमें हाईकोर्ट का एक जज हो और प्रत्येक दल का (वादी-प्रतिवादी) एक-एक नामजद हो, वह विवादग्रस्त मामले की जाँच करे और वाइसराय को अपनी रिपोर्ट दे। यदि वाइसराय रिपोर्ट में की गयी सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो सारा मामला निर्णय के लिये भारत-मन्त्री के पास भेज दिया जाय।”

उपरोक्त सिफारिश को भारत-सरकार ने स्वीकार कर लिया और निम्न प्रस्ताव ता० २९।९।२० को पास किया:—

“भारत-सरकार ने भारतीय-शासन-सुधार की रिपोर्ट के पैरा नं० ३०९ में की गयी सिफारिश को अमल में लाने पर विचार किया। गवर्नमेंट उपरोक्त सिफारिश में दिये गये मामलों पर विचार करने के लिये निम्न कार्रवाई निर्धारित करती है:—

“जब गवर्नर-जनरल की राय में किसी प्रमुख राज्य के शासक को स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से किसी आधिकार, सम्मान, या रिआयत से—जिसका वह शासक होने की हैसियत से आधिकारी हो—या किसी युवराज को उत्तराधिकार से, अथवा शासक के किसी भी परिजन को, जो राज्य के रीति-रिवाज के अनुसार उत्तराधिकारी बनने का हक रखता हो, मुस्तसना करना आवश्यक हो, तो गवर्नर-जनरल मामले की जाँच करने के लिये और उससे परामर्श लेने के लिये एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे, पर यदि शासक यह चाहे कि कमीशन नियुक्त न हो, तो नियुक्ति न होगी।

“साधारणतः कमीशन का संगठन इस प्रकार होगा—

(अ) एक जुडीशियल अफसर, जो पद में ब्रिटिश भारत की हाईकोर्ट के जज के पद से नीचा न हो।

(ब) ऊँचे सम्मान के चार व्यक्ति, जिनमें दो देशी नरेश होंगे।

“कमिश्नर जो नियुक्त किये जावगे, उनके नाम उस व्यक्ति के पास भेज दिये जावेंगे, जिसके आचरण की जाँच करानी होगी। उसे यह अधिकार होगा कि प्रस्तावित नामों में से किसी भी नाम पर विना कारण बतलाये ही एतराज उठाये। यदि ऐसा एतराज उठाया गया, तो उस नाम के स्थान पर गवर्नर-जनरल किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत कर देंगे,

पर उस समय फिर एतराज्ज करने का कोई अधिकार न होगा ।

“जिस विषय की जाँच करानी होगी, उसकी सूचना आर्डर के रूप में गवर्नर-जनरल कमीशन को देंगे । नरेश या अन्य व्यक्ति—जिसके आचरण की जाँच होगी—कमीशन के सामने अपना वकील अथवा अन्य कोई पैरोकार भेज सकेंगे । कमीशन के सामने गवर्नर-जनरल द्वारा दी गयी हिदायतों के अनुसार जो गवाहियाँ हों, उनके और नरेश अथवा अन्य व्यक्ति—जिसके आचरण की जाँच हो रही हो—के वक्तव्य को सुनने के बाद कमीशन रिपोर्ट के रूप में गवर्नर-जनरल पासके उनके साथ अपनी सिफारिशें भेजेगा । रिपोर्ट में कमिश्नरों का मत और विवादग्रस्त विषयों सम्बन्धी मामलों पर सिफारिशें होंगी । साथ में ही जाँच की कार्रवाई के क्लाराज्ञात की नकल और कमीशन के सामने पेश किये गये क्लाराज्ञात भी होंगे ।

“कार्रवाई गुप्त समझी जावेगी पर यदि नरेश या अन्य व्यक्ति—जिसके आचरण की जाँच हुई हो—उसका प्रकाशन चाहे, तो, यदि कोई विशेष कारण न हो तो, भारत-सरकार कार्रवाई प्रकाशित करेगी ।

“यदि भारत-सरकार कमीशन के मत से सहमत न हो तो मामला भारत-मन्त्री के पास भेज दिया जावेगा । भारत-सरकार, नरेश या उस व्यक्ति को—जिसके आचरण की

जाँच की गयी हो—कमीशन की सिफारिशों से असहमत होने के कारण लिख भेजेगी और उसका वयान तलब करेगी। इस वयान में भारत-मन्त्री के पास मामला भेजे जाने का जिक्र होगा और जब वह मामला भारत-मन्त्री के सामने पेश होगा, तो नरेश या उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार होगा।

“यदि भारत-सरकार कमीशन की सिफारिशों से सहमत होगी, तो नरेश या उस व्यक्ति को—जिसके आचरण की जाँच की गयी हो—फ़ैसला भेज दिया जावेगा। नरेश या उस सम्बन्धित व्यक्ति को भारत-सरकार के फ़ैसले के विरुद्ध भारत-मन्त्री के पास अपील करने की स्वतन्त्रता होगी।

“कमीशन का व्यय—वकीलों की फ़ीस के अतिरिक्त—भारत-सरकार करेगी।

“यदि जनता की रक्षा को भारी खतरा हो तो स्थिति के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने में भारत-सरकार या प्रान्तीय सरकार के कार्य में यह प्रस्ताव बाधक न होगा।

“यह प्रस्ताव उन सभी राज्यों के लिये लागू होगा जिनके नरेश नरेन्द्र-मण्डल के स्वयं सदस्य हैं। गवर्नर-जनरल को अधिकार होगा कि वह इस प्रस्ताव में निर्धारित कार्रवाई अन्य राज्यों के साथ भी—जो नरेन्द्र मण्डल के सदस्य नहीं हैं—यदि आवश्यकता समझे, करे।”

सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह के बाद से अबतक ब्रिटिश

सरकार ने कई राज्यों के शासन में हस्तक्षेप किया है। बटलर-कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि गवर्नमेंट को १८ राज्यों में हस्तक्षेप करना पड़ा। समय और विस्तार को देखते हुए यह संख्या कोई अधिक बड़ी नहीं है।

उपरोक्त सभी राज्यों के ब्रिटिश-हस्तक्षेप का विवरण देना व्यर्थ कलेवर बढ़ाना होगा, इसलिये हम कुछ प्रमुख राजाओं के मामले यहाँ देंगे, जिनसे पाठकों को यह अनुमान हो जावेगा कि ब्रिटिश-सरकार ने किस आधार पर और कैसे हस्तक्षेप किया।

बड़ौदा-केस

सन् १८७० में अपने भाई की मृत्यु पर मल्हारराव गायक-वाड़ बड़ौदा राज्य के शासक बने, पर सन् १७७५ ई० में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गद्दी से उतार कर मदरास निर्वासित कर दिया। मल्हारराव के शासन, मुअत्तिली और निर्वासन का विवरण मि० आइचिसन ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार दिया है:—

“मल्हारराव के शासन-काल में राज्य में कुशासन बढ़ गया, और सन् १८७३ ई० में ब्रिटिश-सरकार हस्तक्षेप की उपेक्षा न कर सकी। सरकार ने आवश्यक जाँच के लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उस कमीशन ने मार्च, सन् १८७४ को जो रिपोर्ट दी, उसमें अव्यवस्था के अनेक गम्भीर अभियोग थे, जिससे मल्हारराव को चेतावनी दी गयी कि

एक निश्चित समय के अन्दर अपने शासन में सुधार करलें, नहीं तो वह अधिकारों से वञ्चित कर दिये जावेंगे और संतोष-जनक शासन की व्यवस्था के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध कर दिया जावेगा ।

“मई सन् १८७४ में मल्हारराव ने अपनी एक प्रेमिका लक्ष्मीवाई से विवाह कर लिया । इस विवाह के औचित्य पर गवर्नमेंट को सन्देह था, इसलिये उसने ब्रिटिश रेजीडेण्ट को विवाहोत्सव में सम्मिलित न होने का आदेश दिया । इस विषय पर रेजीडेण्ट और मल्हारराव में जो पत्र-व्यवहार हुआ, उससे बम्बई-सरकार अप्रसन्न हो गयी, क्योंकि मल्हारराव के पत्रों का भाव उचित न था । विवाह के ५ महीने पश्चात् लक्ष्मीवाई के पुत्र उत्पन्न हुआ । युवराज के जन्मोत्सव में रेजीडेण्ट ने भाग नहीं लिया । उस समय की घटनाओं से भारत-सरकार ने उस पुत्र को अनधिकारी युवराज घोषित करने की आवश्यकता नहीं समझी । सरकार की अप्रसन्नता के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे । मल्हारराव ने अपने भाई की युवती-विधवा को क़ैद कर रक्खा था । उसका जीवन खतरे में समझ कर सरकार ने मल्हारराव को चेतावनी दी कि यदि वह जमुनावाई (विधवा भार्वा) को क़ैद से मुक्त न कर देगा, तो उसके जीवन का उत्तरदायित्व मल्हारराव पर ही होगा । इस चेतावनी पर मल्हारराव ने जमुनावाई को मुक्त

कर दिया। दूसरा कारण यह था कि लक्ष्मीबाई के साथ विवाह कर लेने से बड़ौदा के सभी सरदार असन्तुष्ट थे। बड़ौदा की सेना में कई मास से वेतन नहीं बँटा था और सिंधी तथा अरब लोग—जो सेना में थे, विद्रोह करने पर तुल गये थे।

“नवम्बर सन् १८७४ ई० में भारत-सरकार ने बड़ौदा के रेजीडेण्ट कर्नल फेरी को हटा लिया। मल्हारराव और कर्नल फेरी में व्यक्तिगत सद्भावना न थी। कर्नल फेरी के स्थान पर सर लुई पेलेरी को सरकार ने स्पेशल आफ़ीसर बना कर बड़ौदा भेजा, जिसका कर्तव्य मल्हारराव को शासन-व्यवस्था सुधारने में सहायता देना था। कर्नल फेरी ने सरकार को रिपोर्ट दी कि उन्हें विष देकर मार डालने का उद्योग किया गया। सर लुई पेलेरी को इस अभियोग की जाँच करने का आदेश दिया गया। जाँच में कुछ गवाहियाँ ऐसी मिलीं, जिनसे अभियोग की सत्यता ही प्रकट नहीं होती थी, वरन् मल्हारराव पर संदेह भी हो गया। जाँच अनिवार्य प्रतीत हुई; पर कमीशन की रिपोर्ट में मल्हारराव के आचरण पर जो लांछन लगाये गये, और जिस प्रकार की गवाहियाँ सामने आईं, उन पर विचार करते हुए भारत-सरकार ने सोचा कि जब तक मल्हारराव बड़ौदा का शासक रहेगा, तब तक स्वतंत्र जाँच होना असम्भव है और जाँच के समय में मल्हारराव से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध रखना असम्भव होगा

इसलिये सरकार ने मल्हारराव को मुअत्तिल कर देने, और जाँच-काल में बड़ौदा का शासन अपने हाथों में ले लेने का निश्चय किया। ब्रिटिश-सरकार ने सेना भेज कर मल्हारराव को गिरफ्तार करवा लिया और उसके मुअत्तिल होने तथा शासन-कार्य अपने हाथ में ले लेने की घोषणा कर दी। घोषणा में यह भी कह दिया गया कि जाँच का परिणाम कुछ भी हो, बड़ौदा में देशी शासन पुनः स्थापित कर दिया जायगा। मल्हारराव पर ये अभियोग थे—(१) कर्नल फेरी को विष दिलाने का उद्योग करना, (२) रेजीडेंसी के कुछ कर्मचारियों के साथ गुप्त पत्र-व्यवहार करना और (३) उन्हें गैर-कानूनी कार्यों के लिये रिश्वत देना। चीफ़ जस्टिस बङ्गाल की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा जिसके सदस्य (१) सर रिचर्ड मीडे, (२) मि० पी० एस० मेलविल, (३) महाराजा सिंधिया, (४) महाराजा जयपुर और (५) सर दिनकर राव थे। यूरोपियन मेम्बरों की सम्मति में सभी अभियोग सच्चे प्रमाणित हुए, पर महाराजा सिंधिया और सर दिनकर राव का मत था कि मल्हारराव पर भीषण आरोप सिद्ध नहीं होते तथा महाराजा जयपुर ने सम्मति दी कि एक भी अभियोग प्रमाणित नहीं हो सका।

“कमीशन की राय इस प्रकार आपस में ही एक दूसरे के विरोधी थी, अतः हर मैजेस्टी की सरकार ने उस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया। कमीशन की रिपोर्ट में मल्हारराव

की शासन की अयोग्यता सिद्ध हो गयी थी, चेतावनी देने पर मल्हारराव ने शासन-व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया था, और मल्हारराव के गद्दी पर बैठने की तारीख से अब तक वंडौदा में जो घटनायें होती रहीं, उनको देखते हुए सरकार ने मल्हारराव तथा उसके पुत्र के सभी अधिकार, विशेष सुविधायें और उपाधियाँ जब्त कर लीं और मल्हारराव को गद्दी से उतार कर १९ अप्रैल, सन् १८७५ ई० को मदरास भेज दिया ।

मैसूर-केस

टीपू सुल्तान के मरने पर, श्रीरङ्गमपट्टम् के युद्ध के बाद सन् १७९९ ई० में मैसूर-राज्य पुराने हिन्दू राज-परिवार को ही दे दिया गया । राजा कृष्ण राजा वदियार को गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया गया । उस समय कृष्ण राजा वदियार की आयु ३ वर्ष की थी । ४० वर्ष पूर्व हैदरअली ने कृष्णराजा वदियार के दादा को मैसूर से भगा दिया था ।

नाबालिगी शासन में पुर्नैया नाम के एक दीवान ने शासन-व्यवस्था की । उन्हें शासन के पूर्ण अधिकार दिये गये थे । सन् १८१२ में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और महाराजा को शासन-कार्य सौंप दिया । उस समय राज्य-कोष में दो करोड़ से अधिक रुपये थे । महाराजा की अव्यवस्था से प्रजा विरोधी बन गयी । महाराजा ने दीवान द्वारा सञ्चित धन व्यय कर डाला और राज्य को ऋणी बना दिया । अपना

व्यय घटाने की अपेक्षा उसने मालगुजारी में वृद्धि की और ऊँचे-ऊँचे पद भारी-भारी रकमों लेकर बेच दिये। सेना का कई मास का वेतन चढ़ गया। राज्य में अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगा, जिससे प्रजा में असन्तोष बढ़ता ही गया और अन्त में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिससे ब्रिटिश सेना भेजनी पड़ी। इस अव्यवस्था और कुशासन के कारण सन् १८३१ में ब्रिटिश-सरकार ने सन् १७९९ ई० की संधि की शर्तों के अनुसार राज्य का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया और उपरोक्त सन्धि की शर्त के अनुसार ही महाराज को राज्य की मालगुजारी का पांचवाँ भाग तथा एक लाख स्टार पगोडा (उस समय का मैसूर राज्य का सिक्का) प्रति वर्ष देना स्वीकार किया।

महाराजा ने अनेक बार राज्य पर अधिकार पाने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। वाद में महाराजा ने प्रार्थना की कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की हमें आज्ञा दी जावे, पर यह प्रार्थना भी स्वीकार न की गयी।

“गवर्नमेंट के फ़ैसले की परवाह न कर महाराजा ने जून, सन् १८६५ ई० में २॥ वर्ष के एक बालक को गोद ले लिया और चमराजेन्द्र वंदियार वहादुर नाम रखकर उसे अपना कानूनी युवराज घोषित कर दिया। भारत-सरकार ने बालक को गोद लेने की स्वीकृति देने अथवा मैसूर राज्य का उसे युवराज मानने से इनकार कर दिया।

“आगामी वर्ष फिर महाराज ने उस बालक को युवराज स्वीकार कराने का प्रयत्न किया। अप्रैल, सन् १८६७ ई० में गवर्नमेंट ने महाराजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गवर्नमेंट ने सन् १७९९ ई० की संधि की शर्तों पर ध्यान दिये बिना ही यह इच्छा प्रकट की कि मैसूर में एक भारतीय राजवंश का ही राज्य रहे, पर प्रजा का सुव्यवस्थित शासन और ब्रिटिश-अधिकारों एवं हितों की रक्षा की गारंटी हो। महाराजा के परिवार की इच्छा, मैसूर से उसका प्राचीन सम्बन्ध, और महाराजा ने ब्रिटिश-सरकार के प्रति जो भक्ति प्रकट की है, उसको, दृष्टि में रखते हुए ब्रिटिश-सरकार ने निश्चय किया है कि सन् १७९९ ई० की संधि की शर्तों में समयानुसार जो परिवर्तन आवश्यक होंगे, उन परिवर्तित शर्तों के साथ मैसूर की गद्दी पर महाराजा का गोद लिया हुआ पुत्र बैठ सकेगा, पर मैसूर की प्रजा पर ब्रिटिश-सरकार का बहुत दिनों तक शासन रहा है, उसकी उन्नति के लिए ब्रिटिश-सरकार अधिक इच्छुक है, इसलिये मैसूर की प्रजा को एक देशी नरेश के शासन में देने से पूर्व यह आवश्यक है कि शासक को ऐसी शिक्षा दी जावे, जिससे वह अपना कर्तव्य पालन कर सके और उस (महाराजा) के साथ शासन के सिद्धान्त स्थिर करते हुए नया अहदनामा किया जावे, जिससे वह उन सिद्धान्तों पर ही शासन करे।

“इस व्यवस्था के एक वर्ष बाद महाराजा कृष्ण राजा

वदियार २७ मार्च, सन् १८६८ ई० को स्वर्गवासी हो गये । उस समय ब्रिटिश-सरकार की ओर से एक शाही फरमान निकाला गया, जिसमें राजा चमराजेन्द्र वदियार को मैसूर की गद्दी का उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए यह ऐलान किया गया था कि जब तक राजा चमराजेन्द्र वदियार भावालिग हैं, तब तक उनके नाम से ब्रिटिश-सरकार मैसूर राज्य पर शासन करेगी, १८ वर्ष की आयु होने पर यदि वह अपना कर्तव्य पालन करने के योग्य समझे जावेंगे, तो मैसूर का शासन उनके सुपुर्द कर दिया जावेगा, पर उस समय जो शर्तें आवश्यक होंगी, वह अवश्य करा ली जावेंगी । इस फरमान के अनुसार मैसूर के कमिश्नर ने २३ सितम्बर सन् १८६८ ई० को राजा चमराजेन्द्र वदियार को नियमानुसार गद्दी पर बैठा दिया ।

“५ मार्च सन् १८८१ को महाराजा चमराजेन्द्र वदियार १८ वर्ष के हुए । २५ मार्च को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के फरमान से नवयुवक महाराजा को मैसूर का शासनाधिकार मिल गया । महाराजा ने एक अधिकार-परिवर्तन-पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसमें २४ धारायें थीं और वह शर्तें थीं, जिनके साथ महाराजा को मैसूर का शासन दिया गया । ५ अप्रैल, सन् १८८१ को महाराजा ने ९ वीं शर्त के अनुसार बंगलोर तथा उसके आसपास की भूमि बिना किसी मूल्य के ब्रिटिश-सरकार को देदी । इस क्षेत्र की सीमा सन् १८८३, १८८८, १८९६ और १९०३ में कुछ बढ़ती गयी । बंगलोर

का क़िला दरबार को सन् १८८८ में दिया गया। बंगलोर की जो भूमि ब्रिटिश-सरकार के अधिकार में अब भी है, उसका क्षेत्रफल १३ वर्गमील और जन-संख्या ८९५९९ है। इस क्षेत्र की आय इसी के शासन में व्यय की जाती है। सन् १८९७ में राजा चमराजेन्द्र वदियार से एक और अहदनामा किया गया था, जिसके अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में चमराजेन्द्र-बाँध से पानी दिया जाता है। जिस तारीख से महाराजा को शासनाधिकार मिला, उस तारीख से मैसूर का कमिश्नर मैसूर राज्य का रेज़ीडेंट और कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर बना दिया गया। बंगलोर की ब्रिटिश भूमि में उसे प्रांतीय सरकार एवं हाईकोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं।”

मनीपुर केस

मनीपुर का केस सर विलियम ली वार्नर के मत से हस्तक्षेप के अधिकार का नहीं, बरन् सिद्धान्त का था। इस केस से ब्रिटिश-सरकार ने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि उत्तराधिकार की समस्या सुलझाना एकमात्र ब्रिटिश-सरकार के अधिकार में है।

मि० अर्चिसन ने अपने संग्रह में इस केस का विवरण इस प्रकार दिया है—“मनीपुर आसाम और बर्मा की सीमा पर स्थित एक छोटा-सा राज्य है। १९वीं शताब्दी में राज-सिंहासन के लिये वहाँ निरन्तर विद्रोह और युद्ध होते रहे।

सितम्बर, सन् १८९० में महाराजा सर चन्द्रसिंह अपने राज्य से भाग गये। उनके लघु भ्राता ने—जो सेनापति था—महल पर अधिकार कर लिया। इस विद्रोह के समय युवराज राज्य से अनुपस्थित थे। वह मनीपुर आये और सेनापति की सहायता से अपना राज्य स्थापित कर लिया। ब्रिटिश-सरकार ने महाराजा सर चन्द्रसिंह को सहायता देने से इनकार कर दिया और युवराज को ही महाराजा स्वीकार कर लिया, पर विद्रोही सेनापति के निर्वासन की आज्ञा दे दी। चीफ कमिश्नर मि० कुइण्टन सेनापति को गिरफ्तार करने मनीपुर गये, पर चार अन्य ब्रिटिश-अफसरों सहित वह मार डाले गये।

“मनीपुर पर ब्रिटिश-सेना ने आक्रमण किया। सेना तीन स्थानों से रवाना हुई सिलचर, तम्मू और कोहिमा। तीनों स्थानों की सेना मनीपुर २७ अप्रैल, सन् १८९१ को पहुँच गयी। तम्मू से रवाना हुई सेना को मार्ग में मनीपुर की सेना से सामना करना पड़ा; पर अन्य दो स्थानों की सेना बे-रोक-टोक पहुँची। सेना जिस समय वहाँ पहुँची, राजधानी उजाड़ हो चुकी थी। मकान देहातियों ने लूट लिये थे। सेनापति और नये राजा अपने भाइयों सहित भाग गये थे, प्रमुख अफसर छिप रहे थे। दो मास में ब्रिटिश-सेनापति युवराज और उसके भाई तथा अन्य सभी प्रमुख अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल कमीशन

वैठायी गया। उसने टिकेन्द्रजीत बीरसिंह युवराज तथा सेनापति को महाराणी विक्टोरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और ब्रिटिश अफसरों की हत्या करने का अपराधी ठहराया और फाँसी का दण्ड दिया। तंखुल जनरल को भी इन्हीं अपराधों में मृत्यु का दण्ड मिला। कुलचन्द्र धजासिंह तथा उसके भाई को सम्राज्ञी के विरुद्ध युद्ध ठानने के अपराध में १३ अन्य अफसरों-सहित आजन्म कालेपानी की सजा दी गयी। सितम्बर, सन् १८९१ में सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने नरसिंह के पौत्र और चौबीयामा के ६ वर्षीय पुत्र चूराचन्द को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।”

भारत मन्त्री ने इस मामले में गवर्नर-जनरल को २४ जुलाई सन् १८९७ को लिखा था—“महाराजा के बल-पूर्वक गद्दी से हटाये जाने के बाद भारत-सरकार के हस्तक्षेप करने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। यह भारत-सरकार का माना हुआ अधिकार है कि वह रक्षित राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय करे। आपका हस्तक्षेप करना ब्रिटिश-सरकार के हित के लिये भी आवश्यक था, क्योंकि राज्यों एवं उनकी प्रजा से जो सम्बन्ध हमारा पहिले था, वह अब और भी अधिक घनिष्ठ हो गया है।

भारत-सरकार ने ५ जून, सन् १८९१ को भारत-मन्त्री को तार से एक वक्तव्य मनीपुर के सम्बन्ध में भेजा था, उसमें उसने लिखा था—“हरेक उत्तराधिकारी की स्वीकृति

ब्रिटिश-सरकार से हो जानी अनिवार्य है। जब तक स्वीकृति न ली जावे, तब तक कोई भी उत्तराधिकारी कानूनी तौर से नहीं माना जा सकता। इस सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन किया गया है।”

१३ अगस्त, सन् १८९१ को सरकार ने मनीपुर में निम्न घोषणा की—“मनीपुर राज्य की प्रजा की जानकारी के लिये यह घोषित किया जाता है कि टिकेन्द्रजीत वीरसिंह उर्फ-‘युवराज मनीपुर’ पर जून के महीने में स्पेशल कमीशन के सामने मुकद्मा चला। उन्हें महाराणी विक्टोरिया के विरुद्ध युद्ध ठानने एवं ब्रिटिश अफसरों की हत्या कराने का अपराधी पाया गया। उन्हें फाँसी का दण्ड दिया गया। भारत-सरकार ने इस फैसले पर अपनी स्वीकृति दे दी है, और शीघ्र ही युवराज को फाँसी के तख्ते पर लटका दिया जावेगा।..... मनीपुर की प्रजा को विद्रोह और हत्या में इन सजाओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।”

नाभा केस ।

पटियाला दरवार ने नाभा दरवार के विरुद्ध ८ अभियोग लगाये। भारत-सरकार ने उन अभियोगों की जाँच करने के लिये हाईकोर्ट के एक जज मि० जस्टिस स्टुअर्ट को स्पेशल कनिश्चर नियुक्त किया। स्पेशल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में दो अभियोगों को असत्य बतलाया और ६ अभियोग प्रमाणित बतलाये। उन सभी अभियोगों में नाभा के

तत्कालीन महाराजा रिपुदमनसिंह का हाथ बतलाया गया । भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग ने महाराजा को अहद-नामे तोड़ने का दोषी ठहराया और निम्न प्रस्ताव पास किया—

“जबसे महाराजा नाभा अपने पिता के पश्चात् गद्दी पर बैठे हैं, भारत-सरकार को यह मानने के लिये काफ़ी प्रमाण हैं कि राज्य की सम्पूर्ण नीति का संचालन महाराजा के व्यक्तित्व से होता है और यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि महाराजा की स्वीकृति और जानकारी के बिना पटियाला के विरुद्ध अभियोग हुए हों ।..... दरबार (नाभा) यह भूल रहा है कि सन् १८६० की सनद से केवल रिआयतें और हकूक ही नहीं मिलते, वरन् उसमें कुछ कर्तव्य भी निश्चित हैं । धारा ४ में नाभा के शासक का यह स्पष्ट कर्तव्य निर्दिष्ट है कि अपनी प्रजा की उन्नति का हर प्रकार से उद्योग करे । धारा ५ और ६ के अनुसार ब्रिटिश-ताज के प्रति राज-भक्त रहने और भारत-सरकार के प्रति आज्ञाकारी रहने को वह बाध्य है । महाराजा ने अपने इन कर्तव्यों को छोड़ दिया । न्याय की उपेक्षा करना धारा ४ का भंग करना है, पटियाला के अधिकारों को कुचलना ब्रिटिश-ताज की मित्रता भंग करना है और जबरदस्ती मुकदमा चलाने एवं अपने पड़ोसी राज्य को तंग करने की दरबार की नीति से उस

ना पर कुठाराघात होता है, जिसमें राज्यों में परस्पर मनस्य न रखने का निषेध है ।

“भारत-सरकार को ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें कभी सरकार को इस मामले के समान मामले में फ़ैसला देना पड़ा हो।……यहाँ उस कार्रवाई के देने की आवश्यकता नहीं, जो भारत-सरकार इस केस के लिये सोच रही है, क्योंकि जब इधर यह कार्रवाई हो रही थी, महाराजा नाभा ने कसौली में पंजाब के एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल से भेंट की और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ स्वेच्छा-पूर्वक राज्य से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने की इच्छा प्रकट की। पहले गवर्नर-जनरल को उसे स्वीकार करने में कुछ संकोच हुआ; पर अन्त में परिस्थिति पर विचार कर यही निश्चय किया गया कि यदि महाराजा कुछ शर्तें स्वीकार कर लें, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जावे।”

महाराजा को नाभा से पृथक् हो देहरादून में रहने की आज्ञा दी गयी। नाभा में एक यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटर नियत कर दिया गया। महाराजा को राज्य की आय से २५ हजार रु० मासिक अलाउन्स देना स्वीकार किया गया। ५ वर्ष बाद सरकार ने अलाउन्स की रकम घटा कर १० हजार मासिक कर दी और महाराजा को कोडाईकनाल (मदरास) में निर्वासित कर दिया।

२२ फ़रवरी, सन् १९२८ ई० को एक खरीता वाइसराय ने भूतपूर्व महाराजा के नाबालिग पुत्र प्रतापसिंह को भेजा, जिसमें उन्हें नाभा का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया।

उदयपुर केस

उदयपुर के मामले से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि 'स्वेच्छापूर्वक गद्दी त्याग' का कैसे प्रबन्ध किया जाता है। ब्रिटिश-सरकार उस समय देशी नरेशों में असंतोष नहीं फैलाने देना चाहती थी, इसलिये 'स्वेच्छापूर्वक गद्दी त्याग' का उद्योग असफल रहा।

उदयपुर का मामला मि० पन्नीकर ने इस प्रकार लिखा है—

“सन् १९२१ ई० में उदयपुर में किसानों पर आर्थिक-संकट होने के कारण कुछ उपद्रव-सा हो गया। राज्य ने अपनी सेना की सहायता से बिना किसी कठिनाई के उपद्रव दबा दिया और बाहर से कोई सहायता न लेनी पड़ी। फिर भी एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल को महाराणा के शासन की आलोचना करने का अवसर मिल गया। उसने महाराणा से कहा कि 'अब आप बहुत वृद्ध हैं, राज्य का नियंत्रित शासन करने में आप असमर्थ हैं, आप गद्दी त्याग दीजिये और अधिक योग्य व्यक्तियों के हाथों में शासन-कार्य दे दीजिये।' महाराणा ने इसमें अपना अपमान समझा और भारत-सरकार को स्थिति की गम्भीरता पर एक पत्र लिखा, जिसमें देशी राज्यों के इस सन्देह को प्रकट किया कि इसी प्रकार धीरे-धीरे हमारे सभी अधिकार नष्ट हो जावेंगे। महाराणा ने लिखा—“इस संदेह के लिये अब और भी आधार

वन गया। गद्दी-त्याग की माँग करने से यह स्पष्ट हो गया कि अब कोई भी राज्य 'हस्तक्षेप' से नहीं बच सकता। महाराणा ने अपने पत्र के अन्त में 'उपद्रव का मूल कारण मिटाने' और 'अपने पुत्र को कुछ अधिकार दे देने' की भी इच्छा प्रकट की। भारत-सरकार ने यह स्वीकार कर लिया और युवराज को कुछ अधिकार दिलवा दिये।

भरतपुर केस

भरतपुर राज्य पर कुछ ऋण हो गया था। जनवरी सन् १९२७ ई० में भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग ने महाराजा भरतपुर को लिखा कि 'एक अंग्रेज़-आर्थिक-सलाहकार रख लिया जाय और जब तक राज्य का ऋण न चुक जावे, तब तक राज्य के सारे राजस्व का नियंत्रण वह करे।' महाराजा ने उस समय स्टेट-कौंसिल तोड़ कर दीवान नियुक्त करने का निश्चय कर लिया था। उत्तर में महाराजा ने यही संदेश भेज दिया कि 'एक योग्य दीवान रक्खा जावेगा।' वाद में भारत-सरकार की स्वीकृति से राजा हरिकृष्ण कौल भरतपुर के दीवान नियुक्त हुए; पर छः मास के पश्चात् ही महाराजा और हरिकृष्ण कौल में किसी मामले पर मतभेद हो गया। राजा हरिकृष्ण कौल ने त्याग-पत्र दे दिया। महाराजा ने एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल को लिखा कि 'राजा हरिकृष्ण कौल त्याग-पत्र देकर चले गये। कृपया एक सुयोग्य दीवान की तलाश में हमारी सहायता कीजिये।' ए०जी०जी०ने इसका कोई-

उत्तर नहीं दिया। भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग ने महाराज को लिखा कि 'राज्य पर ऋण है और कुशासन को अनेक शिकायतें हैं, इसलिये या तो आप स्वेच्छापूर्वक गद्दी त्याग दीजिये अथवा जाँच के लिये कमीशन स्वीकार कीजिये।' महाराजा ने कमीशन स्वीकार कर लिया। अब सरकार की ओर से यह शर्त लगाई गयी कि 'जब तक कमीशन राज्य में जाँच करेगा, तब तक महाराजा को भरतपुर से बाहर रहना पड़ेगा और शासन-कार्य किसी योग्य ब्रिटिश-अफसर के हाथों में दे देना पड़ेगा।' महाराजा ने इस शर्त का विरोध किया और बतलाया कि 'हस्तक्षेप करने का भारत-सरकार का जो प्रस्ताव है उसमें कमीशन के फैसले से पूर्व गद्दी-त्याग या राज्य से बाहर जाने की कोई शर्त नहीं है।' इस शर्त का फैसला नहीं हो पाया था कि उसी समय महाराजा पटियाला और महाराजा धौलपुर के समझाने से महाराज भरतपुर ने वाइसराय को पत्र लिख दिया कि 'कमीशन की स्वीकृत रद्द करता हूँ। वाइसराय मेरे राज्य की भलाई के लिये जो सुधार आवश्यक समझें, कर दें। मैं अपना राज्य वाइसराय के हाथों में छोड़ता हूँ।' महाराजा को उस समय विश्वास दिलाया गया था कि आपकी प्रतिष्ठा और राज-परिवार के सम्मान में कोई कमी न होने पायेगी और राज्य के नरेश आप ही रहेंगे, पर आपकी सहायता के लिये ब्रिटिश अफसर भेज दिया जावेगा।

९ जनवरी, सन् १९२८ को वाइसराय ने एक अंग्रेज सिविलियन को भरतपुर का दीवान बना कर भेजा। उसने पहुँचते ही समस्त शासन-कार्य अपने हाथों में ले लिया। महाराजा ने अनेक मामलों में प्रतिवाद भी किया, पर फल कुछ नहीं निकला। गर्मियों में महाराजा शिमला गये। जब वह अक्टूबर मास में भरतपुर लौटने को हुए, तो भारत-सरकार की ओर से एक नोटिस महाराजा पर तामील हुआ जिसमें भरतपुर न जाने एवं भरतपुर से सौ मील दूरी पर रहने का आदेश था। महाराजा शिमला से आकर दिल्ली में रहने लगे। गवर्नमेंट ने महाराजा को एक लाख वार्षिक की पेन्शन देनी स्वीकार की, पर महाराजा ने उत्तर में लिखा—
 “जब तक मैं भरतपुर की प्रजा की सेवा नहीं करता, तबतक उसकी कमाई से सञ्चित धन का उपयोग करने का मुझे अधिकार नहीं। राजा प्रजा का सेवक होता है और प्रजा की सेवा के बदले में ही राज्य-कोष का उपयोग करता है।”

कुछ मास के पश्चात् २६ फ़रवरी, सन् १९२९ को दिल्ली में क्षय-रोग से महाराजा का स्वर्गवास हो गया। गवर्नमेंट ने उसी समय युवराज श्री ब्रजेन्द्रसिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

लार्ड रीडिंग का पत्र

ब्रिटिश गवर्नमेंट और देशी राज्यों की सन्धियाँ क्या हैं ? उनका अनुशासन कैसे होता है ? आदि विषयों पर पिछले प्रकरणों में प्रकाश पड़ चुका है । यहाँ भूतपूर्व वाइसराय लार्ड रीडिंग का एक पत्र दिया जाता है, जो उन्होंने निजाम हैदराबाद को लिखा था । इस पत्र से देशी राज्यों और ब्रिटिश-गवर्नमेंट के सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । यह पत्र 'ऐतिहासिक' हो गया है और देशी राज्यों तथा भारत-सरकार के झगड़ों के समय प्रमाण-रूप माना जाता है ।

दिल्ली, २७ मार्च, १९२६ ई०

थोर एक्जाल्टेड हाईनेस !

आपके २० सितम्बर, सन् १९२५ के पत्र से—जिसकी प्राप्ति-स्वीकार पहले भेजी जा चुकी है—अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े होते हैं, इसलिये विचार कर उत्तर देने में अधिक समय लग गया ।

मैं मामले के ऐतिहासिक पहलू पर विचार करने में आपका अनुकरण करने का विचार नहीं रखता । जैसा कि मैंने अपने पूर्व पत्र में सूचित किया था, आपके पत्र पर पूर्ण-रूप से विचार किया गया । मैंने, मेरी सरकार ने और भारत-मन्त्री ने जो निर्णय किया उस पर प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी बात शेष नहीं रही, जैसा कि आप कहते हैं । जैसा कि

मैं अपने ११ मार्च के पत्र में लिख चुका हूँ, आपका उत्तर सभी प्रकार से सही स्थिति प्रकट करने में सत्य प्रदर्शन नहीं करता, पर मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि आपने अपने अन्तिम पत्र में मेरे पूर्व अधिकारी स्वर्गीय लार्ड कर्जन पर अभियोग लगाने के विचार से अनिच्छा प्रकट कर दी है।

आपने अपने पत्र के द्वितीय और तृतीय पैरों में जो माँग की है और कमीशन की नियुक्ति का अनुरोध किया है, मैं इस पत्र के शेष भाग में उसी पर विचार करूँगा।

उल्लिखित पैरों में आपने कहा है और यह स्थिति प्रकट की है कि हैदराबाद के आन्तरिक मामलों में, आपकी स्थिति है दराबाद के शासककी हैसियत से वही है, जो ब्रिटिश भारत के आन्तरिक मामलों में ब्रिटिश-गवर्नमेंट की है। आपके इस दावे पर विचार करता हुआ मैं आपके ही शब्द उद्धृत करता हूँ—“वैदेशिक नीति और विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्धित मामलों को छोड़ कर, हैदराबाद के निजाम अपने राज्य के आन्तरिक मामलों में उतने ही स्वतन्त्र रहे हैं, जितनी स्वतन्त्र ब्रिटिश-भारत में ब्रिटिश सरकार है। उपरोक्त विषयों को छोड़ कर—जिनका ऊपर मैंने जिक्र किया है—आन्तरिक शासन-सम्बन्धी मामलों में, जो समय-समय स्वाभाविक रूप से पैदा होते रहे, दोनों दलों ने पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ सदैव कार्य किया है। वरार का प्रश्न उपरोक्त अतिरिक्त विषयों में नहीं आता और न आ सकता है। इस

विषय का किसी वैदेशिक नीति या विदेशी राष्ट्र से सम्बन्ध नहीं है और यह विषय उन दो सरकारों के बीच विवाद-ग्रस्त है, जो एक दूसरे की अधीन होकर एक समान हैं।”

इन शब्दों से यह प्रकट होता है कि आपका और केन्द्रीय सरकार का जो सम्बन्ध है, उसके विषय में कुछ भ्रम है, जिसे सम्राट् की सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे दूर करना है, क्योंकि इस विषय में मेरे चुप रह जाने से आप अपनी माँग में इसी प्रकार का दावा करते रहेंगे।

भारत में ब्रिटिश-ताज का सर्वाधिकार सर्वोच्च है। इसलिये कोई भी शासक (नरेश) ब्रिटिश-सरकार से समानता पर समझौते की बातचीत नहीं कर सकता। इसकी सर्वोच्चता केवल सन्धि और संधियों पर ही अवलम्बित नहीं है, वरन् यह उनसे स्वतंत्र है। वैदेशिक नीति और विदेशी राष्ट्रों के विषय में हस्तक्षेप की बात छोड़ कर भी, ब्रिटिश-सरकार का यह अधिकार और कर्त्तव्य है कि वह समस्त भारत में देशी राज्यों से किये गये समझौते और संधियों का सम्मान करते हुए शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखे। घटनायें जो घटित हुईं, वह इतनी प्रसिद्ध हैं और इतने स्पष्ट रूप से अन्य नरेशों से कम आप पर लागू नहीं होतीं कि उनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो; पर उल्लेख करना आवश्यक ही हो, तो मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि सन् १८६२ ई० में अन्य नरेशों की भाँति हैदराबाद के शासक को भी,

सम्राट् के प्रति राजभक्त रहने की शर्त पर, ब्रिटिश-सरकार की इस इच्छा के अनुसार, कि उनका राज-परिवार और गवर्नमेंट स्थापित रहे, घोषित सनद प्राप्त हुई थी। और जब तक साम्राज्य की सरकार स्वीकार न कर ले, हैदराबाद की गद्दी का उत्तराधिकार सही नहीं माना जाता। उत्तराधिकार के विवाद में केवल ब्रिटिश-सरकार ही पंच है।

देशी राज्यों की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का ब्रिटिश-सरकार का अधिकार ब्रिटिश-ताज के सर्वाधिकार से सम्बन्धित है। ब्रिटिश सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि बिना भारी कारण के वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा नहीं रखती। पर ब्रिटिश-गवर्नमेंट की संरक्षिता के कारण देशी नरेशों को आन्तरिक व्यवस्था का जो अधिकार है, उससे बाह्य व्यवस्था से आन्तरिक व्यवस्था का भार ब्रिटिश-सरकार पर कम नहीं होता। जहाँ साम्राज्य के हितों का प्रश्न हो, या किसी राज्य की जनता की सार्वजनिक उन्नति में उसकी सरकार के कार्यों से बाधा पड़ती हो, तो उसके लिये कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व सर्वाधिकारी सरकार पर आ पड़ता है। आन्तरिक व्यवस्था का अधिकार जो देशी नरेशों को प्राप्त है, वह सर्वाधिकारी सरकार के इस उत्तरदायित्व की शर्त पर ही निर्भर है। वैदेशिक नीति और विदेशी राष्ट्रों के विषयों के अतिरिक्त ब्रिटिश-सरकार और आपकी सरकार समान-अधिकारों पर है, यह

भ्रमपूर्ण बात सिद्ध करने में अनेक बातों के उल्लेख की आवश्यकता रह जाती है, यह मैं नहीं समझता। मैं आगे के विषय पर आता हूँ। मैं केवल इतना कह देना चाहता हूँ कि आपकी 'विश्वासपात्र मित्र' की उपाधि का आपको ब्रिटिश-ताज के अधीन अन्य देशी नरेशों की सूची से पृथक् रखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

ब्रिटिश-सरकार और आपकी सरकार के सम्बन्ध पर आपका अभी जो भ्रम है, उसी के आधार पर आपने लिखा है कि साम्राज्य की सरकार ने जो निर्णय किया है, उसको मैंने गलत बयान किया और ब्रिटिश-गवर्नमेंट तथा हैदराबाद-गवर्नमेंट के विवाद में हस्तक्षेप के अधिकार का दुरुपयोग किया गया है।

मुझे दुःख है कि आपके इस विचार से मैं सहमत नहीं हो सकता कि भारत मंत्री की आज्ञा 'निर्णय' नहीं है। सर्वाधिकारी सर्वोच्च सरकार का यह अधिकार है कि वह दो राज्यों के झगड़ों का, अथवा उसके तथा एक राज्य के बीच विवाद का निर्णय करदे। यद्यपि कुछ मामलों में पंचायती अदालत नियुक्त की जाती है पर उसका कार्य स्वतंत्र रूप से भारत-सरकार को केवल परामर्श देना है, जिस पर निर्णय करने का अन्तिम भार है। मुझे यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि इस अधिकार को देशी नरेशों ने सम्मिलित रूप से मांटिगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के पैरा २०८ में स्वीकार

कर लिया है। यह व्यर्थ है कि जिस विषय में निर्णय हो चुका है, उसको दोनों दलों में वाद-विवाद के रूप में चलाया जाय।

अब मैं आपकी इस प्रार्थना पर विचार करता हूँ कि बरार के मामले में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट दे। जैसा कि आपको मालूम है, भारत-सरकार ने हाल में ही उन मामलों में पंचायती अदालत नियुक्त करने की व्यवस्था देदी है, जिनमें भारत-सरकार की रूढ़िग से देशी राज्य संतुष्ट न हो। यदि आप कागज़ों को देखेंगे तो मालूम होगा कि जिस मामले में सम्राट् की सरकार अपना निर्णय दे चुकी हो, उस मामले में, नये प्रबन्ध में, पंचायती-अदालत नियुक्त करने की व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा मामला—जैसा यह है और जो लम्बे वाद-विवादपूर्ण विचार के बाद समझौते के साथ समाप्त हो चुका है और जिसकी शर्तें इतनी स्पष्ट हैं कि उन पर विवाद उठाने का गुञ्जाइश नहीं है—पंचायत के सुपुर्द करने के योग्य है।

आपके अनुरोध के अनुसार आपका पत्र भारत-मंत्री के पास भेज दिया गया है, और यह उत्तर भारत-मंत्री तथा भारत-सरकार की आज्ञा से लिखा गया है।

(ह०) रीडिंग

ब्रिटिश-अधिकारियों के दौरे

उच्च ब्रिटिश-अधिकारी प्रायः देशी राज्यों का दौरा करते रहते हैं। वाइसराय, कमाण्डर-इन-चीफ़, एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल, मिलिटरी एडवाइज़र आदि ब्रिटिश-भारत के अधिकारी दौरा करते हैं; पर इनमें वाइसराय का दौरा खास माना जाता है। वाइसराय प्रत्येक वर्ष कुछ दिनों के लिये दौरे पर राजधानी से निकलते हैं और चार छः राज्यों में जाते हैं। जिन राज्यों में वाइसराय का दौरा होता है, उन राज्यों में नियत समय से बहुत काल पहले ही स्वागत की तैयारी होने लगती है। दौरे के समय वाइसराय की जीवन-रक्षा का भार राजाओं पर होता है, इसलिये रक्षा का भारी प्रबन्ध किया जाता है। जिस मार्ग से वाइसराय की स्पेशल आने को होती है, उस मार्ग में राज्य-भर की सीमा में रेलवे लाइन के इधर-उधर पुलिस कानिस्टेबिल, चौकीदार, देहाती वेगारी आदि घंटों पहले से खड़े कर दिये जाते हैं। यदि रात्रि का समय होता है तो हाथों में जलती हुई मशालें उन्हें रखनी पड़ती हैं; पर उनका मुँह लाइन से विपरीत दशा में होता है; वह स्पेशल की ओर नहीं देखते।

स्टेशन पर स्पेशल के पहुँचने पर महाराजा, ब्रिटिश रेज़ीडेंट, दीवान तथा राज्य के अन्य सरदार स्वागत करते हैं। प्लेटफ़ार्म पर पैर रखते ही वाइसराय को २१ तोपों की

सलामी दी जाती है। स्वागत के पश्चात् वाइसराय निवास-स्थान पर जाते हैं। प्रायः राजा लोग अपने महल में ही उनके ठहरने का प्रवन्ध करते हैं। स्टेशन से निवास-स्थान तक पुलिस का कड़ा पहरा होता है।

नियमानुसार पहले वाइसराय महाराजा के महल में जाकर आफिशियल भेंट करते हैं और फिर महाराजा वाइसराय के निवास-स्थान पर आफिशियल भेंट करते हैं।

प्रोग्राम के अनुसार दो-एक दिन वाइसराय शिकार खेलते हैं और एक दिन राजकीय भोज होता है। उसमें महाराजा वाइसराय के स्वास्थ्य की शुभ-कामना करते हुए स्वागत-भाषण देते हैं। वाइसराय उसका उत्तर देते हैं, जिसमें राज्य के शासन-कार्य का सिंहावलोकन होता है।

दौरे के समय वाइसराय की डाक की ठीक व्यवस्था की जाती है। एक खास पोस्टल अफसर डाक बाँटने वाइसराय के कैम्प पर जाता है।

जब वाइसराय राज्य से प्रस्थान करते हैं, तब फिर तोपों की सलामी दी जाती है।

कमाण्डर-इन-चीफ का दौरा सेना के निरीक्षण के लिये होता है। उन्हें भी राज्य में प्रवेश करते समय तथा प्रस्थान करते समय सलामी दी जाती है।

एजेण्ट टु दि गवर्नर-जनरल का दौरा उन्हीं राज्यों में होता है, जो उसके अधीन होते हैं। वह प्रायः पोलिटिकल

एजेण्ट की कोठी पर ठहरते हैं और राज्य-कार्य का निरीक्षण भी करते हैं। उन्हें कोई सलाामी नहीं दी जाती।

चार-चार, छः-छः राज्यों के समूह में जहाँ एक पोलिटिकल एजेण्ट रहता है, वहाँ वह भी अपने अधीनस्थ राज्यों में दौरा करता रहता है, पर दौरा साधारण होता है, उसमें कोई विशेषता नहीं होती।

कभी-कभी शिकार के लिये अन्य ब्रिटिश अफसर या योरोपियन यात्री देशी राज्यों में प्राइवेट तौर पर जाते हैं।

जब प्रिंस आफ वेल्स (ब्रिटेन के युवराज) भारत में पधारते हैं, तब वह भी कुछ राज्यों का दौरा करते हैं। उस समय महाराजा विशेष तैयारी करते हैं और स्वागत में बहुत धूमधाम करके अपनी राजभक्ति का परिचय देते हैं। युवराज के दौरे के समय उससे अधिक कड़ा प्रबन्ध होता है जो वायसराय के दौरे के समय किया जाता है।

देशी राज्यों का शासन-विधान

ब्रिटिश-भारत का शासन-विधान लिख डालना जितना सरल है, देशी राज्यों का शासन-विधान लिखना उतना ही कठिन है। ब्रिटिश-भारत में साधारण से परिवर्तनों-सहित सर्वत्र एक समान विधान प्रचलित है, पर देशी राज्यों का शासन-विधान अपने-अपने ढंग पर है। प्रत्येक राज्य ने अपनी स्थिति, वार्षिक-आय, सीमा-विस्तार, राजनीतिक अधिकार और अपनी इच्छा के अनुसार विधान रच डाले हैं। इस पर भी थोड़े से ही ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने कोई शासन-विधान तैयार कर रखा है, और उसके अनुसार अमल भी करते हैं, नहीं तो अधिकांश राज्य ऐसे हैं, जहाँ राजा की इच्छा ही विधान है और राजा के आफिस से जारी हुए सर-क्यूलर ही कानून हैं। वहाँ शासन का ढंग नित्य प्रति बदला जा सकता है और बदलता रहता ही है। अतः देशी राज्यों का शासन-विधान लिखना असम्भव ही है। फिर भी बड़े-बड़े राज्यों के शासन-विधान देखने से हम उन्हें निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं।

१—कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ महाराजा के बाद राज्य का उच्चाधिकारी दीवान है, और उसकी अधीनता में विभिन्न विभागों के प्रधान अफसर हैं।

२—कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ महाराजा के बाद राज्य का

उच्चाधिकारी दीवान तो है, पर उसकी सहायता के लिये कई मिनिस्टर हैं। ऐसे राज्यों में दीवान प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। विभिन्न विभागों के प्रधान अफसर इन मिनिस्ट्रों के ही अधीन होते हैं।

३—कुछ राज्यों में 'कौंसिलें' हैं, जो महाराजा के बाद राज्य की उच्चाधिकारिणी हैं। कौंसिल का एक प्रेसीडेण्ट होता है और विभिन्न विभागों के उत्तरदायी अनेक मेम्बर होते हैं—जैसे, रेवेन्यू मेम्बर, फाइनेंस मेम्बर, ट्रेड मेम्बर आदि।

४—कुछ राज्यों में महाराजा ही कौंसिल के प्रेसीडेण्ट हैं और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उस कौंसिल के मेम्बर हैं। सीनियर मेम्बर कौंसिल का उपाध्यक्ष होता है।

५—सभी राज्यों में ब्रिटिश-भारत की भाँति 'न्याय' और 'व्यवस्था' विभाग सम्मिलित हैं, पर ३५ देशी राज्यों में 'न्याय' और 'व्यवस्था' विभाग पृथक्-पृथक् हैं।

अब हम यहाँ कुछ राज्यों की शासन-व्यवस्था का साधारण परिचय देते हैं, जिससे उपरोक्त श्रेणी-विभाग भली प्रकार समझ में आजावेगा।

हैदराबाद

सन् १९१९ तक हैदराबाद का शासन प्राइम मिनिस्टर अन्य कई असिस्टेंट मिनिस्ट्रों की सहायता से करते थे, पर सन् १९१९ ई० में एक 'कौंसिल' कायम हो गयी है, जिसमें एक प्रेसीडेण्ट और ७ मेम्बर हैं। मेम्बर अपने-अपने

विभागों के उत्तरदायी हैं। जिस प्रकार ब्रिटिश-भारत में विभिन्न विभागों का सङ्गठन है, उसी प्रकार हैदराबाद में भी सभी विभाग सङ्गठित हैं। राज्य दो सूबों में विभाजित है। (१) तेलिंगाना, (२) महारातवारा। सूबों को १५ जिलों में और जिलों को १०३ परगनों में बाँटा गया है।

मैसूर

मैसूर में एक दीवान और तीन कौंसिल-मेम्बरों की सहायता से महाराजा शासन-कार्य करते हैं। यहाँ की शासन-व्यवस्था ब्रिटिश भारत की शासन-व्यवस्था की भाँति है। जिस प्रकार भारत-सरकार के विभिन्न-विभाग-सङ्गठित हैं, उसी प्रकार मैसूर राज्य में भी विभिन्न विभाग सङ्गठित कर दिये गये हैं। भारत के समस्त देशी राज्यों में मैसूर राज्य की शासन-व्यवस्था उन्नति-शील एवं उत्तम मानी जाती है।

बड़ौदा

विभिन्न विभागों के प्रधान अफसरों की एक 'कार्य-कारिणी कौंसिल' कायम है, जो दीवान और महाराजा की अधीनता में शासन-कार्य करती है। ब्रिटिश-भारत की भाँति बड़ौदा में भी विभिन्न विभाग सुसंगठित हैं। समस्त राज्य ४ प्रांतों में—(१) नवसारी, (२) बड़ौदा, (३) कड़ी, (४) अमरेली—विभाजित है। इन प्रांतों को ४२ 'महाल' तथा 'पेता महाल' में विभाजित किया गया है।

ग्वालियर

स्वर्गीय महाराजा माधवराव के समय में शासन-कार्य स्वयं महाराजा चलाते थे। उनकी सहायता के लिये विभिन्न विभागों के 'मेम्बर' थे, जैसे रेवेन्यू मेम्बर, फ़ाइनेंस मेम्बर, ट्रेड मेम्बर, होम मेम्बर, एजुकेशन मेम्बर, अपील-मेम्बर, लॉ मेम्बर, आदि। इन मेम्बरों की एक 'कौंसिल-आलिया' थी, जिसके अध्यक्ष महाराजा थे और उनकी अनुपस्थित में रेवेन्यू मेम्बर अध्यक्ष का काम करता था। पर महाराजा माधवराव के स्वर्गवास के पश्चात् 'कौंसिल-आलिया' ही रीजेंसी कौंसिल बना दी गयी है। राज्य दो प्रांतों में विभाजित है—(१) मालवा, (२) ग्वालियर। प्रत्येक प्रान्त का अफसर सरसूबा (गवर्नर) होता है। प्रांतों को अनेक जिलों में बाँटा गया है। प्रत्येक जिले का उच्चाधिकारी 'सूबा' होता है। जिलों को परगनों में भी विभाजित किया गया है। ब्रिटिश-भारत के शासन-विधान के ढंग पर ही ग्वालियर का शासन-विधान है।

काश्मीर और जम्मू

काश्मीर और जम्मू में महाराजा अपने मिनिस्ट्रों की सहायता से कार्य करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर, एक असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर तथा अनेक विभिन्न विभागों के मिनिस्टर महाराजा की सहायता के लिये नियुक्त हैं। जम्मू और

काश्मीर दो पृथक्-पृथक् प्रांत हैं। इन दोनों पर एक-एक गवर्नर शासन करता है।

राजपूताना

राजपूताना के राज्यों में विभिन्न शासन-विधान प्रचलित हैं। बीकानेर में दीवान राज्य का उच्चाधिकारी है। जोधपुर में स्टेट कौंसिल है, जिसका प्रेसीडेण्ट ही दीवान के समान अधिकार रखता है। भरतपुर में भी पहले स्टेट कौंसिल थी, पर सन् १९२७ ई० में महाराजा ने तोड़ दी और दीवान तथा नायब दीवान नियुक्त किये। जयपुर में कैबिनेट है, जिसके परामर्श से महाराजा शासन-कार्य चलाते हैं। अलवर में एक प्राइम मिनिस्टर है, वही शासन-चक्र का प्रमुख है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि राज्य अपने-अपने विस्तार के अनुसार कई विभागों में निभक्त हैं। यह विभाग 'निज़ामत' (डिस्ट्रिक्ट) कहलाते हैं और उनका अफसर 'नाज़िम' कहलाता है। इन सब राज्यों की शासन-प्रणाली अपने-अपने ढंग की निराली ही है। उनमें ब्रिटिश भारत की भाँति समानता नहीं है।

त्रावनकोर और कोचीन

त्रावनकोर और कोचीन के राज्य छोटे होने पर भी प्रगति-शील हैं। वहाँ ब्रिटिश भारत की भाँति ही शासन-विधान जारी हो चुका है और विभिन्न विभागों का संगठन नवीन ढंग पर किया गया है।

देशी राज्यों की सेना

जबसे ब्रिटिश-सरकार ने देशी राज्यों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है, तबसे देशी राज्यों में सेना का रहना व्यर्थ-सा हो गया है, पर आन्तरिक रक्षा, महाराजाकी शान-शौकत और आवश्यकता के समय ब्रिटिश-सरकार की सहायता के लिये प्रत्येक बड़े-बड़े राज्य में थोड़ी-थोड़ी सेनाएँ हैं। ये सेनाएँ दो प्रकार की हैं—एक तो एम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स के ढङ्ग पर और दूसरी निजी। यद्यपि दोनों प्रकार की सेना का व्यय राज्य के ही ऊपर है और उनका नियंत्रण भी नरेशों के ही हाथों में है, पर इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स—जिसको अब 'इण्डियन स्टेट फ़ोर्सिज़' कहते हैं—युद्ध के लिये शिक्षित होती है और निजी सेना बहुत ही थोड़ी संख्या में साधारण शिक्षा-प्राप्त होती है, जो नरेशों की वाडीगार्ड पल्टन कहलाती है या अन्य प्रकार के नामों से पुकारी जाती है। ऐसी सेना का शुमार 'इण्डियन स्टेट फ़ोर्सिज़' में नहीं किया जाता है।

भारत-सरकार के राजनीतिक-विभागके साथ एक मिलिटरी एडवाइजर रहता है, वही भारत के सभी राज्यों की सेना की शिक्षा, नियंत्रण, अनुशासन आदि के सम्बन्ध में नरेशों को आदेश देता है। मिलिटरी एडवाइजर की सहायता के लिये कई असिस्टेंट मिलिटरी एडवाइज़र्स हैं, जो अपने-अपने इलाकों में मिलिटरी एडवाइजर की आज्ञानुसार कार्य करते हैं।

इस समय सभी देशी राज्यों की सेना इस प्रकार है—

नाम सेना	स्वीकृत	वास्तव में रखी हुई
१—रिसाला	९३१४	८३८०
२—पैदल सेना	२९४६६	२३०९८
३—ऊँट सवार	४६५	४६२
४—तोपखाना	१४१४	१४४५
५—मोटर मशीनगन	७५	२६
६—ट्रांसपोर्ट कोर	१६९९	१४९६
७—सफ़रमैना	११७०	१०१४
योग	४३६०३	३६१२१

जब कभी कोई युद्ध होता है, तब देशी नरेश उपरोक्त सेना को भारत-सरकार के उपयोग के लिये दे देते हैं। गत महायुद्ध के समय अनेक देशी राज्यों की सेना यूरोप गयी थी और उसने युद्ध में भाग लिया था; पर सेना देना या न देना नरेशों की इच्छा पर निर्भर है।

यूरोपीय महासमर के पश्चात् देशी राज्य-सेना का पुनर्संगठन करने का कार्य आरम्भ किया गया है। इस पुनर्संगठन के लिये निम्न तीन श्रेणियाँ बनाई गयी हैं—

१—इस श्रेणी की सेना भारतीय सेना (गवर्नमेंट की सेना) के ढंग पर वर्तमान स्टैंडर्ड के अनुसार संगठित की जावे और जैसे शस्त्र तथा सामान भारतीय रेगुलर सेना के पास हैं, वैसे ही दिये जावें।

२—प्रथम श्रेणी की सेना से कुछ कम शिक्षित सेना इस श्रेणी में रखी जावे और वर्तमान स्टैंडर्ड के अनुसार उसका संगठन किया जाय । उसका संगठन और स्टैंडर्ड उसी प्रकार रहे, जो गत यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व था । शस्त्र आदि भी प्रथम श्रेणी से कुछ गिरे दर्जे के दिये जावें ।

३—इस श्रेणी में वह सेना रहे, जो अस्थायी रूप से 'मिलिशिया' के ढंग पर कुछ नरेशों ने कायम कर रखी है । इसके अनुशासन, शिक्षा, स्टैंडर्ड आदि पर भारत-सरकार कभी ध्यान नहीं देती ।

भारत के कमाण्डर-इन-चीफ़ देशी राज्यों में दौरा करते हैं और सेना का निरीक्षण भी करते हैं ।

कुछ बड़े-बड़े राज्यों की सेना इस प्रकार है—

हैदराबाद

५८४९ रेगुलर और ११३२४ इरेंगुलर (अनियमित) सेना तो निज़ाम साहब की निजी और इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स की दो बटालियन हैं, जिनमें १०६२ सिपाही हैं ।

मैसूर

४९९ मैसूर लांसर्स,—१३२ मैसूर हार्स, ३३ ट्रांसपोर्ट कोर और १५४० पैदल सेना । कुल २२०४ । सेना-व्यय १८ लाख वार्षिक है ।

बड़ौदा

५०८६ रेगुलर और ३८०६ इर्रेगुलर (अनियमित),
कुल ८८९२ ।

ग्वालियर

इम्पीरियल सर्विस रिसाला की ३ रेजीमेण्ट, इम्पीरियल सर्विस इन्फेन्ट्री की २ बटालियन और एक ट्रांसपोर्ट कोर तथा कुछ तोपखाने ।

उपरोक्त चार बड़े-बड़े राज्यों की संख्या जानने से ही अन्य राज्यों की सेना की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है ।

नाबालिगी-शासन

जब किसी नरेश का स्वर्गवास होजाता है, या वह गद्दी से हटा दिया जाता है, तो उसके स्थान पर युवराज राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है । यदि युवराज बालिग होता है, तो भारत-सरकार उसे समस्त अधिकार दे देती है और शासन-कार्य सुपुर्द कर, देती है । वाइसराय की ओर से एक 'खरीता' भेजा जाता है, जो राज्यरोहण के अवसर पर पोलिटिकल एजेन्ट पद सुनाता है । इस 'खरीता' में नये राजा को कानूनी उत्तराधिकारी मानते हुये वाइसराय उन सब खितावात का उल्लेख करते हैं, जो राजा अपने नाम के आगे-पीछे जोड़ सकते हैं ।

प्रायः ऐसा अवसर आजाता है कि महाराजा के स्वर्गवास के समय अथवा गद्दी-त्याग के अवसर पर युवराज बालिग नहीं होता। ऐसे अवसर पर नाबालिग युवराज को राज्यका उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया जाता है, पर शासनाधिकार नहीं दिया जाता। उस समय नाबालिग महाराजा के नाम पर 'रीजेंसी कौंसिल' या 'एडमिनिस्ट्रेटर' शासन करता है।

नाबालिगी शासन के समय रीजेंसी-कौंसिल स्थापित की जावे या एक 'एडमिनिस्ट्रेटर' नियुक्त किया जावे, यह निर्णय करने का सम्पूर्ण अधिकार भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग को है। विशेष अवस्था में 'एडमिनिस्ट्रेटर' और आम तौर पर 'रीजेंसी कौंसिल' ही कायम होती है।

'रीजेंसी-कौंसिल' का कोई नियमित विधान नहीं है। आवश्यकतानुसार उसमें ३ से ७ मेम्बर तक होते हैं। प्रेसीडेण्ट का भी कोई एक विधान नहीं। ग्वालियर में जो रीजेंसी-कौंसिल है, उसकी प्रेसीडेण्ट 'राजमाता' (नाबालिग महाराजा की माँ) हैं, जो रीजेंट कहलाती हैं, और कौंसिल के सीनियर मेम्बर (रेवेन्यू मेम्बर) उपाध्यक्ष (वायस प्रेसीडेण्ट) हैं। अभी कुछ दिन पूर्व त्रावनकोर में भी 'रीजेंसी-कौंसिल' थी। उसको अध्यक्ष भी राजमाता थीं, पर जयपुर में जो रीजेंसी-कौंसिल कायम की गई थी, उसका प्रेसीडेण्ट एक अंग्रेज रक्खा गया था। भरतपुर की रीजेंसी-कौंसिल में भी अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रेसीडेण्ट है। सर तुकोजीराव

के गद्दी-त्याग पर इन्दौर में जो रीजेंसी कौंसिल कायम हुई थी, उसके प्रेसीडेण्ट प्राइम-मिनिस्टर ही थे ।

कभी-कभी भारत-सरकार नावालिगी शासन-काल में रीजेंसी कौंसिल नहीं बनाती और किसी अंग्रेज को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देती है । नाभा में इस समय नावालिगी शासन है । वहाँ रीजेंसी-कौंसिल नहीं है । एक अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर शासन करता है । उसे महाराजा के समान सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ।

रीजेंसी कौंसिल के प्रेसीडेण्ट को भी नरेश के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं; पर वह जो कुछ भी करता है, कौंसिल के परामर्श से करता है । कौंसिल सर्वसम्मति से, या बहुमत से जो निर्णय देती है, प्रेसीडेण्ट उसी के अनुसार अहकामात जारी करता है, पर 'अन्तिम अपील' पर फ़ैसला देने का उसे पूर्ण अधिकार होता है ।

व्यवस्थापिका-सभाएँ

ब्रिटिश-भारत में जिस प्रकार असेम्बली और प्रांतीय लेजिस्लेटिव-कौंसिलें हैं, उसी प्रकार कुछ देशी राज्यों में भी हैं। पर प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका-सभा का नाम, विधान, अधिकार भिन्न-भिन्न हैं। आगे पता चलेगा कि कुछ राज्यों की व्यवस्थापिका-सभाओं में प्रजा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, पर कुछ राज्यों में तो यह खिलौना मात्र है, उन्हें उतने भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जितने मांटिगू-चेम्सफोर्ड स्कीम के जारी होने से पूर्व ब्रिटिश भारत की कौंसिलों को थे।

हैदराबाद में एक व्यवस्थापिका-सभा क्वायम है, जिसमें २० सदस्य हैं। १२ सदस्य सरकारी और ८ गैर-सरकारी मनोनीत सदस्य हैं। प्रजा को अभी निर्वाचन का अधिकार नहीं है। इस कौंसिल में कानून के मसविदों पर बहस होती है, पर राज्य के आय-व्यय पर कोई आलोचना नहीं होती।

मैसूर में दो सभाएँ हैं। एक तो प्रतिनिधि असेम्बली और दूसरी लेजिस्लेटिव कौंसिल। इन दोनों सभाओं के सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है। स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा में प्रश्नोत्तर होते हैं, प्रजा की शिकायतों पर प्रस्ताव रखे जाते हैं, बजट पर नीति-सम्बन्धी आलोचना होती है। नये टैक्सों और नये कानूनों पर भी इससे परामर्श लिया जाया है। लेजिस्लेटिव कौंसिल में

५० सदस्य हैं, जिनमें से २० सरकारी हैं। इस कौंसिल को वजट की प्रत्येक माँग पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। शासन-सम्बन्धी हर विषय पर कौंसिल में प्रस्ताव रखे जाते हैं और कानून के मसविदे प्रतिनिधि-असेम्बली में विचार होने के बाद कौंसिल में पेश होते हैं। जब कौंसिल बिल (कानून के मसविदा) को पास कर देती है, तभी वह कानून माना जाता है। असेम्बली का वर्ष-भर में दो बार अधिवेशन होता है; पर दरबार यदि चाहे, तो बीच में ही विशेष अधिवेशन कर सकता है। लेजिस्लेटिव कौंसिल की एक पब्लिक-अकाउण्ट-कमेटी भी है, जो आडिट तथा आय-व्यय रिपोर्टों का निरीक्षण करती है। असेम्बली और कौंसिल के गैर-सरकारी सदस्यों की तीन स्थायी कमेटियाँ भी हैं। एक तो रेलवे, विजली और पी० डब्ल्यू० डी० के लिये, दूसरी स्थानीय-स्वराज्य-विभाग, मेडीकल-विभाग, सफ़ाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये तथा तीसरी अर्थ और कर सम्बन्धी।

बड़ौदा में लेजिस्लेटिव कौंसिल कायम है। उसमें निर्वाचित और सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य हैं, पर इसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कौंसिल केवल अपना मत प्रकट कर सकती है।

जोधपुर में कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं है, पर एक एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें राज्य के सरदार ही सदस्य

हैं। इस कमेटी से चुङ्गी तथा राज्य-सम्बन्धी अन्य साधारण विषयों पर परामर्श लिया जाता है।

वीकानेर में ४५ सदस्यों की लेजिस्लेटिव असेम्बली है, जिनमें से केवल १८ सदस्यों का चुनाव प्रजा-द्वारा होता है। वर्ष में दो बार इसकी बैठकें होती हैं। वजट पर भी इसमें वाद-विवाद होता है; पर किसी मद को अस्वीकार करने का इसे अधिकार नहीं है।

ग्वालियर में 'मजलिसे-आम' नाम से एक व्यवस्थापिका सभा कायम है, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं, पर आम-चुनाव नहीं होता। इसमें राज्य का वजट पेश नहीं होता, और न कोई कानून ही यह बना सकती है। केवल मत-प्रदर्शन के लिये प्रस्ताव पेश होते हैं। इसकी बैठक वर्ष-भर में केवल एक बार होती है।

इन्दौर में ९ मेम्बरों में एक लेजिस्लेटिव कमेटी कायम है, जिसके ७ सदस्य निर्वाचित एवं दो सरकारी हैं; पर इसे वास्तविक रूप में अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यह एक प्रकार की परामर्श-समिति ही है।

भोपाल में सन् १९२७ से एक व्यवस्थापिका सभा कायम हुई है। इसमें राज्य के आय-व्यय पर वाद-विवाद होता है और लोकमत-प्रदर्शन के लिये प्रस्ताव पेश होते हैं। ब्रिटिश भारत की भाँति प्रश्न पूछने का अधिकार भी सदस्यों को प्राप्त है।

कोचीन में लेजिस्लेटिव कौंसिल है, जिसमें प्रजा के प्रतिनिधियों का साधारण बहुमत है। महिलाओं को भी मेम्बर बनने और निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। कौंसिल में नये क़ानून के बिलों पर लोकमत प्रकट किया जाता है और बजट पर भी वाद-विवाद होता है।

द्वितीया में भी नाम के लिये एक कौंसिल क़ायम हो चुकी है, पर वह अभी खिलौनामात्र ही हैं। उसमें न तो प्रजा का बहुमत है और न उसे कुछ वास्तविक अधिकार ही प्राप्त हैं।

त्रावनकोर में सन् १८८८ में लेजिस्लेटिव कौंसिल क़ायम की गई थी। सन् १९२१ ई० में उसके विधान में फिर सुधार हुआ। अब उसमें प्रजा के निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है। स्त्रियों को निर्वाचन में मत देने तथा मेम्बर बनने का अधिकार है। इसमें शासन-सम्बन्धी सभी बातों पर विचार होता है। कोई भी क़ानून इस कौंसिल की स्वीकृति बिना नहीं बनता। राज्य का बजट भी कौंसिल से ही पास होता है। मेम्बरों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। देशी राज्यों में जितनी भी व्यवस्थापिका सभाएँ हैं, सब में त्रावनकोर की लेजिस्लेटिव कौंसिल अधिक प्रतिनिध्यात्मक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण है। 'श्रीमलम पाँपुलर असेम्बली' नाम से एक दूसरी सभा है, जिसमें जनता के ही प्रतिनिधि रहते हैं। वह केवल दीवान के सामने प्रजा की आवश्यकताएँ

पेश करते हैं। राज्य के शासन पर भी लोकमत प्रदर्शन करने का इस असेम्बली को अधिकार है।

जहाँ तक हम जानते हैं—अन्य राज्यों में अभी व्यवस्थापिका सभाएँ नहीं हैं। भरतपुर के भूतपूर्व-नरेश सर कृष्णसिंह ने भरतपुर में 'शासन-समिति' नाम से एक व्यवस्थापिका सभा स्थापित करने की घोषणा की थी। बाद में उसका विधान भी बनाया गया और निर्वाचन की तैयारी हुई, पर उसी समय ब्रिटिश-सरकार ने राज्य के शासन में हस्तक्षेप किया, महाराजा के अधिकार छीन लिये गये और एक अंग्रेज दीवान नियुक्त कर दिया गया। उस दीवान ने 'शासन-समिति' का चुनाव स्थगित कर दिया और शासन-समिति ऐक्ट को अनिश्चित काल के लिये टाल दिया। उस शासन-समिति का विधान अनेक बातों में ब्रिटिश-सरकार की लेजिस्लेटिव-कौंसिलों तथा बड़ौदा, मैसूर आदि उन्नति-शील राज्यों की व्यवस्थापिका-सभाओं से कहीं अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण था। उस विधान की मुख्य-मुख्य बातें यह थीं—

१—शासन-समिति के १२० मेम्बरों में से ९० मेम्बर प्रजा द्वारा निर्वाचित होंगे।

२—निर्वाचन साम्प्रदायिक नहीं; सम्मिलित होगा। निर्वाचन-क्षेत्र कार्य यानी पेशा के अनुसार हों, जैसे व्यापारी, मजदूर, दिमागी काम करनेवाले, सरकारी मुलाजिम,

वकील, लेखक, सम्पादक आदि । अछूतों को भी १५ प्रति-निधि चुनने का पृथक् अधिकार होगा ।

३—मंत्रि-मण्डल (कैबिनेट) को शासन-समिति स्वयं अपने सदस्यों में से ही चुनेगी । शासन-समिति-विधान में एक धारा यह भी होगी कि यदि किसी मंत्री पर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जावे, तो सारे मंत्रि-मण्डल को त्याग-पत्र दे देना पड़ेगा और शासन-समिति भंग कर दी जायगी तथा नया निर्वाचन होगा ।

४—शासन-समिति को राज्य के बजट पर विचार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

५—राज्य के सभी अफसरों की तरफ़ी, नियुक्ति, तन-ज्जुली, वरखास्तगी आदि में कैबिनेट से परामर्श लिया जावेगा ।

६—कैबिनेट राज्य के सभी मामलों में परामर्श देगी और उसकी बैठक सप्ताह में एक बार अवश्य होगी ।

इन कुछ विशेषताओं को देखते हुए शासन-समिति का विधान एक सुन्दर विधान समझा गया था और यदि उसके अनुसार कार्य होता तो कुछ दिनों में ही भरतपुर राज्य में पूर्ण उत्तरदाई शासन की स्थापना हो जाती ।

न्याय-विभाग

यह हम पहले बतला चुके हैं कि प्रत्येक देशी राज्य का शासन-विधान अपने-अपने ढंग पर है। उसी प्रकार न्याय-विभाग का संगठन भी विभिन्न रीति से है। बटलर कमेटी की रिपोर्ट है। कि ४० देशी राज्यों में ब्रिटिश भारत के ढंग पर न्याय विभाग संगठित हो चुका है।

जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में 'न्याय' और 'व्यवस्था' साथ-साथ हैं, उसी प्रकार देशी राज्यों में भी सम्मिलित हैं, पर बटलर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि ३५ राज्यों ने न्याय विभाग को शासन-व्यवस्था से पृथक् कर दिया है।

प्रायः सभी बड़े राज्यों को 'फाँसी' देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे राज्यों में उच्च अदालत फाँसी की सजा तज-वीज कर देती है। पर उस पर स्वीकृति महाराजा की ली जाती है। कुछ नरेशों को 'फाँसी' का अधिकार तो है, पर उसकी स्वीकृति भारत-सरकार से लेनी पड़ती है।

सभी राज्यों ने फौजदारी और दीवानी सम्बन्धी अपने कानून पृथक् ही बना रखे हैं, पर कुछ राज्यों में ब्रिटिश-भारत के कुछ कानून यथावत् रूप में प्रचलित हैं; ऐसे राज्यों ने अपना नया फौजदारी कानून न बनाकर ताज़ीरात हिन्द और ज़ाबता फौजदारी को अपने यहाँ लागू कर दिया है।

कुछ राज्यों ने वकालत के इम्तिहान भी जारी कर दिये हैं। वहाँ ब्रिटिश-भारत से एल० एल० वी० पासशुदा और राज्य के वकालत के इम्तिहान पासशुदा दोनों ही वकालत कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने बाहरी वकीलों के लिये प्रति-बन्ध लगा रक्खे हैं और यह आज्ञा जारी कर दी है कि 'बिना महाराज की स्वीकृति के कोई बाहरी (राज्य से बाहर का) वकील राज्य की किसी अदालत में पैरवी नहीं कर सकता।' ऐसे राज्यों में कभी-कभी तो बाहरी वकीलों को आज्ञा मिल जाती है और कभी नहीं मिलती।

हैदराबाद, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर और काश्मीर राज्य में हाईकोर्ट कायम है। इन हाईकोर्टों के अधिकार ब्रिटिश भारत की हाईकोर्टों के समान हैं; पर उनके फ़ैसले की अपील ग्वालियर में अपील-मेम्बर के यहाँ, काश्मीर में जुडीशियल मिनिस्टर के यहाँ, हैदराबाद में एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रेसीडेण्ट के यहाँ होती है। भरतपुर, पटियाला, अलवर आदि श्रेणी के राज्यों में अन्तिम अपील 'इजलास खास' अर्थात् महाराजा की अदालत में होती है।

कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें हाईकोर्ट नहीं हैं। उनमें या तो चीफ़ कोर्ट हैं अथवा दीवान या जुडीशियल मेम्बर की अदालत को ही हाईकोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे राज्यों में 'फाँसी' वाले मामलों का विचार सेशन जज करता है। वह फाँसी की सज़ा की सिफ़ारिश कर देता है। फिर जुडीशियल

मेम्बर या दीवान की अदालत में उस पर स्वीकृति की मुहर लगायी जाती है और वाद में आलिया इजलास खास में अन्तिम वार फ़ैसला होता है ।

मैसूर और हैदराबाद में न्याय-विभाग की सभी अदालतें ब्रिटिश-भारत के ढंग पर ही हैं—जैसे आनरेरी मैजिस्ट्रेट, सब-डिंवीजनल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सेशन जज और हाईकोर्ट । ग्वालियर ने भी इसी प्रकार संगठन किया है । काश्मीर ने अभी इस ओर पग बढ़ाया ही है । वड़ौदा राज्य में इसी प्रकार का संगठन है, पर अन्तिम अदालत 'हुजूर न्याय सभा' है जिसकी सहायता से महाराजा या महाराजा की अनुपस्थिति में दीवान अन्तिम फ़ैसला देता है । 'हुजूर न्याय सभा' एक प्रकार की 'प्रिवी कौंसिल' है ।

रामपुर राज्य में प्रिवी कौंसिल के ढंग पर 'जुडीशियल कमेटी' बना दी गयी है । इस जुडीशियल कमेटी को हाईकोर्ट की अपील के फ़ैसलों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है । उसका फ़ैसला 'अन्तिम' होता है । उसकी अपील नवाब के यहाँ नहीं होती । हाँ, रहमशाही का अधिकार नवाब को है ।

राजपूताने के राज्यों में प्रायः निम्न अदालतें हैं—

- (१) पंचायतें (२) नायब-तहसीलदार (३) सब-तहसीलदार (४) तहसीलदार (५) आनरेरी मैजिस्ट्रेट (६) नाज़िम (७) डिस्ट्रिक्ट ऐगड सेशन जज (८) चीफ़ कोर्ट या दीवान का इजलास ।

हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर आदि बड़े-बड़े राज्यों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के राज्यों में दीवानी की अदालतें प्रायः पृथक् नहीं हैं और उपरोक्त फौजदारी की अदालतों को ही 'दीवानी' का काम दिया हुआ है। ऐसे बहुत ही कम राज्य हैं जिनमें मुंसफ़ी पृथक् हो। ग्वालियर राज्य में १०० रु० तक की नालिश दो आने के कोर्ट स्टाम्प पर ग्राम्य-पंचायतों में हो जाती है।

कोर्ट फ़ीस का विधान सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न है। उन्होंने अपने 'कोर्ट स्टाम्प' जारी कर रखे हैं। दीवानी के क़ानून भी प्रायः ब्रिटिश-भारत से भिन्न अपने ढङ्ग पर हैं।

स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ

अनेक देशी राज्याँ—जैसे बड़ौदा, मैसूर, त्रावनकोर, आदि में म्युनिसिपलिटियाँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, परगना बोर्ड या ग्राम्य पंचायतें आदि स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ हैं, जिनमें जनता को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन संस्थाओं के विभिन्न राज्यों में नाम भी भिन्न-भिन्न हैं और उनके विधान भी विभिन्न ही हैं। चद्यपि इन संस्थाओं को उतना प्रतिनिध्यात्मक नहीं कह सकते, जितनी ब्रिटिश-भारत की स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं अर्थात् म्युनिसिपलिटियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, या डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों, ताल्लुकाबोर्डों या लोकल कौंसिलों, नोटीफ़ाइड एरिया कमेटियों और टाउन-एरिया कमेटियों

को कह सकते हैं। फिर भी अनेक बातों में किसी-किसी राज्य की ग्राम्य पञ्चायतों को वह विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो ब्रिटिश-भारत की ग्राम्य संस्थाओं को अभी नहीं प्राप्त हुए। बीकानेर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर आदि द्वितीय श्रेणी के देशी राज्यों में म्युनिसिपल्टियाँ तो हैं, मगर पूर्णरूप से प्रतिनिध्यात्मक नहीं हैं। उनमें प्रायः दरवार द्वारा मनोनीत सरकारी अफसर ही हैं। इन रियासतों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, परगना-बोर्ड या ग्राम्य पञ्चायतें प्रायः नहीं हैं। जिन रियासतों में ग्राम्य पंचायतें हैं भी, उनको अधिकार नाममात्र के हैं और वह एक प्रकार से वराय-नाम संस्थाएँ हैं। जिन राज्यों में म्युनिसिपल्टियों के दो एक सदस्यों के चुनाव का ढोंग रचा भी जाता है, वहाँ एक प्रकार का नाटक ही समझिये। मत देने में मतदाताओं की कोई स्वतन्त्र राय नहीं होती। हाँ, सम्भव है, समय और जागृति के अनुकूल वह प्रतिनिध्यात्मक बनती जावें।

कुछ रियासतों में ग्राम्य-पंचायत को दीवानी अधिकार भी प्राप्त हैं। उन पञ्चायतों में नाम-मात्र की कोर्ट-फीस अद करनी पड़ती है और एक निश्चित रकम (सौ रुपये या पचास और कहीं-कहीं दो सौ तक) की नालिशें दायर हो जाती हैं। यू० पी० में कहीं-कहीं ग्राम्य-पञ्चायतें हैं और उन्हें मामूली फौजदारी अधिकार मिले हुए हैं। एक दो देशी रियासतों में भी उसकी नकल की गयी है।

ग्वालियर राज्य में साहूकाराना-बोर्ड भी कायम हैं, जिनमें प्रायः बड़े-बड़े सेठ साहूकार नामजद किये जाते हैं। वह साहूकारों-सम्बन्धी झगड़े तै करते हैं, जैसे उत्तराधिकार का झगड़ा अथवा नावालिग साहूकार की जायदाद का प्रवन्ध आदि।

मैसूर-राज्य तो काफ़ी उन्नति-शील राज्य है। उसमें म्युनिसिपल्टियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त हैं। बड़ौदा भी उससे पीछे नहीं, पर ग्वालियर या इन्दौर की म्युनिसिपल्टियाँ उनसे पीछे हैं, फिर भी भरतपुर, अलवर, वीकानेर आदि से तो गनीमत ही है।

तीसरं दर्जे के राज्यों में स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं का क़तई अभाव है। वह प्रायः इस ओर अग्रसर हो भी नहीं सकतीं, क्योंकि वह प्रायः कमिश्नर या कलेक्टर के अधीन हैं। वह रियासतें हैं भी छोटी, और उनमें प्रायः ऐसे नगर भी नहीं हैं जिनमें म्युनिसिपल्टियाँ कायम की जा सकें। उनकी प्रजा भी बहुत ही पिछड़ी हुई है और वह स्थानीय-स्वराज्य-सरकार का न महत्त्व समझ सकती है और न उसका उपयोग ही कर सकती है। उन राज्यों को प्रायः अपने स्वतन्त्र क़ानून बनाने के अधिकार भी कम हैं और किसी-किसी को कुछ भी नहीं हैं। वह नाम-मात्र की रियासतें हैं। उन राज्यों में स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं का नाम न सुनाई देने में उन का कोई दोष नहीं माना जा सकता।

शिक्षा-संस्थाएँ

५६२ देशी राज्यों में केवल दो राज्यों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ (विश्वविद्यालय) कायम की हैं, एक तो हैदराबाद और दूसरा मैसूर । शेष सभी राज्यों के शिक्षा-विभाग का सम्बन्ध ब्रिटिश-भारत की यूनिवर्सिटीज़ से है । हैदराबाद स्टेट की यूनिवर्सिटी का नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी और मैसूर की यूनिवर्सिटी का नाम मैसूर-यूनिवर्सिटी है ।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी सन् १९१८ में स्थापित हुई थी । ब्रिटिश-सरकार ने उसे यूनिवर्सिटी स्वीकार कर लिया है, अर्थात् उसकी दी हुई डिगिरियों को ब्रिटिश भारत की यूनिवर्सिटीज़ की डिगिरियों के समान मान लिया है । इसमें शिक्षा का माध्यम उर्दू रक्खा गया है और अंग्रेज़ी को भी आवश्यक-विषय रक्खा गया है । यूनिवर्सिटी के साथ 'व्यूरो आफ ट्रांसलेशन' (अनुवाद-समिति) भी है जो पाठ्य-क्रम की पुस्तकें उर्दू में अनुवाद करके तैयार करता है । एक कौंसिल के हाथ में यूनिवर्सिटी का शासनाधिकार है । कालेजों पर भी नियंत्रण वही कौंसिल करती है । यूनिवर्सिटी से साहित्य, विज्ञान, औषधि-शास्त्र, इंजीनियरिंग, शिक्षणानुभव, कानून आदि विषयों की परीक्षा होती है और डिगिरियाँ दी जाती हैं । सन् १९२९ ई० में उस्मानिया यूनिवर्सिटी-कालेज में १०३ प्रोफेसर और ५६२ विद्यार्थी थे ।

यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित अन्य कालेजों में २२ प्रोफ़ेसर और १७५ विद्यार्थी थे ।

मैसूर-यूनिवर्सिटी की स्थापना सन् १९१६ ई० में हुई थी । महाराजा इसके चांसलर हैं । यूनिवर्सिटी का सङ्गठन पुराने ढंग पर है । इसके सिनेट के ५० से ६५ तक सदस्य होते हैं । भारत-सरकार ने उसे यूनीवर्सिटी स्वीकार कर लिया है, अर्थात् वह उसकी डिग्रियों का उतना ही मान करती है, जितना ब्रिटिश-भारत की यूनीवर्सिटीज़ की डिग्रियों का । उसमें साहित्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, अध्यापन और औषधि-शास्त्र की परीक्षाएँ होती हैं । मैसूर और बंगलोर दो नगरों में यूनीवर्सिटी का कार्य विभाजित है । सन् १९२९ में २९१ प्रोफ़ेसर और ३३०७ विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कालेज में थे । मैसूर में महिलाओं के लिये भी एक कालेज है ।

ग्वालियर, इन्दौर, वड़ोदा, कोल्हापुर, जयपुर, अलवर, काश्मीर आदि कुछ राज्यों में कालेज हैं, जो ब्रिटिश-भारत के विश्व-विद्यालयों से सम्बन्धित हैं । जयपुर में संस्कृत कालेज भी है । हाई स्कूल तो प्रायः सभी द्वितीय श्रेणी के राज्यों में हैं, जो ब्रिटिश-भारत के विश्व-विद्यालयों से सम्बन्धित हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध सभी राज्यों ने अपने-अपने ढंग पर कर रक्खा है । कई राज्यों ने तो प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर दी है । राजपूताने के अधिकांश राज्यों ने

देशी भाषा की शिक्षा का सम्बन्ध अजमेर के राजपूताना-शिक्षा-बोर्ड से कर रक्खा है। अनेक छोटे-छोटे राज्य ऐसे हैं जिनमें कोई शिक्षा-संस्था ही नहीं है। उनमें अ, आ, इ, ई पढ़ानेवाली पाठशालाओं का भी अभाव है।

देशी राज्यों की रेलवे लाइनें

ब्रिटिश-सरकार और देशी राज्यों में रेलवे-सम्बन्धी जो संधियाँ हैं, उनमें ब्रिटिश-सरकार को किसी भी देशी राज्य में रेलवे लाइन बनाने की स्वतंत्रता है। हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, इन्दौर, जयपुर, भरतपुर, अलवर झालरापाटन, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, नाभा, पटियाला, धांगंधा, दतिया, भावनगर, नवानगर आदि सभी राज्यों की सीमा में ब्रिटिश-सरकार की अथवा ब्रिटिश कम्पनियों की रेलवे लाइनें हैं। फिर भी कई राज्यों ने अपनी-अपनी रेलवे लाइनें भी बना रक्खी हैं। हैदराबाद की 'निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे' बड़ौदा की 'गायकवाड़ स्टेट रेलवे', ग्वालियर की 'ग्वालियर लाइट रेलवे', धौलपुर की 'धौलपुर-बारी-रेलवे' मैसूर की 'मैसूर स्टेट रेलवे' आदि हैं। ये लाइनें प्रायः अपने-अपने राज्य की ही सीमा में हैं।

इन रेलवे लाइनों का प्रबन्ध प्रायः यूरोपियनों के हाथ में है। एक दो को छोड़कर सभी 'लाइट रेलवे' हैं, अर्थात् उनकी पटरी कम चौड़ी है और गाड़ियाँ भी छोटी-छोटी हैं।

काठियावाड़ के अनेक राजाओं ने मिलकर काठियावाड़ स्टेट्स-रेलवे लाइन बना ली है, जो काठियावाड़ के कई राज्यों में गयी है। इसी प्रकार वीकानेर और जोधपुर ने मिलकर 'वीकानेर-जोधपुर-रेलवे' बना ली है, जो वीकानेर और जोधपुर के राज्यों में है। पंजाब में पटियाला, भींद और मलेर-कोटला स्टेट ने भी रेलवे लाइनें बनाई हैं।

उपरोक्त रेलवे लाइनों में 'निज्जाम गारंटीड स्टेट रेलवे' का विस्तार ३३० मील है, जो सबसे अधिक है। यह पहिले कम्पनी की थी, पर सन् १९३० में स्टेट ने खरीद ली है। बड़ौदा स्टेट की 'गायकवाड़ स्टेट रेलवे' और ग्वालियर की 'ग्वालियर लाइट रेलवे' का भी विस्तार काफी है। इनकी शाखायें भी हैं, जो राज्य के विभिन्न स्थानों की ओर जाती हैं।

होल्कर (इन्दौर) स्टेट की अपनी कोई निजी रेलवे लाइन नहीं, पर जी० आई० पी० रेलवे लाइन जितनी राज्य की सीमा में होकर जाती है उतनी लाइन को होल्कर-स्टेट रेलवे लिखा जाता है।

डाक और तार विभाग

प्रायः सभी देशी राज्यों में डाक और तार विभाग ब्रिटिश-सरकार के ही हैं, पर कुछ राज्यों ने अपने डाक-विभाग भी खोल रखे हैं। वह उनकी सीमा के अन्दर ही हैं और उनका नियंत्रण राज्यों के ही हाथों में है। उनसे ब्रिटिश भारत तथा अन्य स्थानों में बराबर डाक आती-जाती है, पर उनके स्टेट के छपे हुये कार्ड लिफाफे यदि किसी ब्रिटिश-पोस्ट आफिस में पोस्ट कर दिये जायँ, तो वह अनपेक्षित मानकर वैरंग कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत के कार्ड-लिफाफे देशी राज्यों के डाकखानों में पोस्ट नहीं हो सकते।

प्रायः देशी राज्यों के डाक-विभाग में, पृथक् कार्ड-लिफाफे नहीं छापे जाते। ब्रिटिश-भारत के कार्ड-लिफाफों पर ही वह अपना कोई विशेष निशान छाप देते हैं। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों में खास समझौता है। जिन राज्यों ने अपना डाक-विभाग खोल रखा है, उनमें हैदराबाद और ग्वालियर मुख्य हैं। पंजाब के भी कई राज्य ऐसे हैं, जो कार्ड लिफाफों पर अपना निशान छापते हैं। पर राज-पूताने में जयपुर के अतिरिक्त एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जिसका निज का भी डाक-विभाग हो।

तार विभाग तो प्रायः सभी राज्यों में ब्रिटिश-सरकार का ही है। हाँ, टेलीफोन अवश्य ही अनेक राज्यों ने अपने-अपने लगा रखे हैं। इसके लिये उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है।

फ़ौजदारी के अभियुक्त

प्रायः ऐसा होता है कि ब्रिटिश भारत में अपराध करके अपराधी देशी राज्य को सीमा में जा बसता है, अथवा किसी देशी राज्य में अपराध करके ब्रिटिश भारत में आजाता है। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी और मुकदमे आदि के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने कुछ खास नियम बना रखे हैं। और एक्स्ट्राडीशन ऐक्ट पास कर दिया है। इस कानून के अनु-खार संगीन अपराधों के अपराधी ही दूसरे राज्य की सीमा में गिरफ्तार हो सकते हैं; साधारण अपराधों के नहीं। जैसे हत्या, डाका, बलात्कार आदि के अभियुक्त यदि किसी देशी राज्य से भागकर ब्रिटिश भारत में आ बसे हों, तो उस राज्य के वारंट पर ब्रिटिश-भारत में भी उनकी गिरफ्तारी हो जायगी और मुकदमे का विचार उसी देशी राज्य की अदालत में होगा, जहाँ से वारन्ट आया हो।

पर विभिन्न देशी राज्यों ने आपस में इसके लिये भिन्न-भिन्न नियम बना रखे हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ भरतपुर को ही लेते हैं। भरतपुर ने अपने पड़ोसी जयपुर अलवर, करौली, धौलपुर आदि से इस सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् समझौता किया है। सभी समझौतों में सिद्धान्त प्रायः एक ही हैं और भाषा तथा एक दो शर्तों में विभिन्नता है। हम भरतपुर-अलवर-समझौते को ज्यों-का-त्यों यहाँ देते हैं। इससे

पाठकों को देशी राज्यों की भाषा का भी कुछ परिचय मिल जावेगा, क्योंकि हमने भाषा में कोई सुधार या संशोधन नहीं किया है।

दस्तूर-उल्-अमल कार्रवाई मुकद्दमात फ़ौजदारी

बाहम रियासत भरतपुर व अलवर

दफ़ा अब्बल—जब कोई शख्स बाशिन्दा इलाके सरकार भरतपुर, इलाके सरकार अलवर में मुर्तकिब किसी जुर्म का होकर उसी राज्य में गिरफ़ार हो जावे, तो वह शख्स अदालत हाय रियासत अलवर से सजायाब होगा और उसी तरीके पर अगर कोई शख्स बाशिन्दा इलाके अलवर किसी जुर्म का इलाके भरतपुर में इर्तकाब करे और अमलदारी भरतपुर में गिरफ़ार हो जावे, तो अदालत हाय भरतपुर से सजायाब होगा।

दफ़ा दोयम—जब कोई शख्स बाशिन्दा अमलदारी रियासत भरतपुर अमलदारी रियासत अलवर में मुर्तकिब किसी जुर्म का—जरायम मुन्दर्जे फेहरिस्त मुनसलका में से होवे—और फिर अपनी रियासत में भाग जावे, तो शख्स मजकूर अहलियान अलवर की दरख्वास्त पर बिला हुज्जत व बिला तलब-सुबूत-जुर्म, अदालत अलवर के सुपर्द कर दिया जावेगा। इसी तरह से कोई शख्स बाशिन्दा रियासत अलवर अमलदारी भरतपुर में मुर्तकिब किसी जुर्म का जरायम मुन्दर्जे

फेहरिस्त मुनसलका में से होवे और फिर अपनी रियासत में भाग जावे, तो शख्स मजकूर अहलियान। राज्य-भरतपुर की दरख्वास्त पर विला हुजत व वगैर तलब-सुवूत-जुर्म अदालत भरतपुर के सुपुर्द कर दिया जावेगा।

दफा सोयम—अगर शख्स वाशिन्दा एक रियासत का वाद इर्तकाव जुर्म मुन्दर्जे फेहरिस्त मुनसलका के दूसरी रियासत में पनाह-पजीर हो जावे, तो शख्स मजकूर वक्त तलवी अदालत महल वकू के विला उजू हवाले कर दिया जावेगा। वसूरत अदम दस्तन्दाजी निशाँ-निहन्दा को भेजना होगा।

दफा चहारूम—जब हुकाम मुहाल वारदात को यह पता लगे कि उनका कोई मुजरिम-मिनजुमले जरायम मुन्दर्जे-फेहरिस्त दूसरी अमलदारी में फलाँ जगह मौजूद है, थानेदार रियासत महल वारदात उस दूसरे राज्य के थानेदार को, जहाँ मुजरिम का पता लगा हो, वजरिये तहरीर तलाशी व गिरफ्तारी के वास्ते दरख्वास्त कर सकता है या अगर मुनासिव समझे तो खुद मय हमराहियान कि जिनकी तादाद ४ नफर से ज्यादा न हो—थानेदार मुहाल-मौजूद-मुजरिम के पास जाकर उससे इस अमर की ख्वाहिश कर सकता है कि वह उसके साथ मुजरिम की गिरफ्तारी के वास्ते चले। लेकिन ऐसा मुजरिम ता-सिदूर इजाजत उस अदालत के कि जिसकी हुकूमत के अन्दर गिरफ्तारी होवे, थानेदार मुहाल वारदात के हवाले नहीं किया जावेगा, और माल मसरूका के निस्वत

भी कार्रवाई इसी तौर पर की जावेगी। यानी तलाशी व वरामदगी बजरिये या वइत्तफ़ाक़्त बाहमी थानेदारान के हो सकेगी, लेकिन सुपुर्दगी बइजाज़त अदालत सदर होगी।

दफ़ा पञ्चम—उन जुमले मुक़द्दमात में जो फ़ेहरिस्त मुनसलका से हवाला रखते हों, हाकिम मुजव्वज एक रियासत को वाजिब होगा कि दूसरी रियासत में हमेशा एक नक़ल अपने फ़ैसले की इत्तलाअन भेज दिया करें—यानी अगर फ़ैसला तहसील में हो—तो उसकी नक़ल तहसील से दूसरे इलाक़े की तहसील में भेज दी जाया करे और अगर फ़ैसला अदालत से या दीगर मुहकमेजात बाला से हो, तो उसकी इत्तिला व तवस्सुल महकमे एजेंसी—जैसा कि अब तक अमल दरामद है—दूसरी रियासत में भेज दी जाया करे और कोई असामी मंतलूवा दूसरी रियासत के दो माह से ज्यादा ज़ेर-तजवीज़ न रहा करे। अगर किसी वजह से दो माह के अन्दर तजवीज़ न हो सके, तो असामी—जो तजवीज़ को उस रियासत में जहाँ का यह बाशिन्दा है—वापिस भेज दिया जाय। उस इलाक़े में वह निगरानी में या ज़मानत पर, जैसा मौक़ा हो रहेगा, और अगर उसकी ज़मानत उसी अदालत में—जहाँ उसकी तहक़ीक़ात हो रही हो—मिल सकती हो, तो उसको ज़मानत पर रक्खा जावे।

दफ़ा शिशम—मुक़द्दमात मुन्दर्जे फ़ेहरिस्त मुनसलका में माबेन रियासत के अदालतों के अहकाम के तामील बजरिये

तहसीलात हुआ करेगी, यानी रियासत अपनी तहसील को इत्तिला दिया करेगी और तहसील दूसरे इलाके की तहसील को और गवाहान मतलूवा थानेदारान को; तहसीलद्वारान को लाजिम होगा कि एक महीने के अन्दर भेज दिया करें।

दफा हफ्तुम—जब गवाहान के इजहार क़लमबन्द हो जावें तो अदालत हाय तरफ़ेन को लाजिम है कि उनको फ़ौरन रुख़सत करदें और हमेशा गवाहान की तकलीफ़ का लिहाज़ रहे कि ज़्यादा न ठहराये जावें।

दफा हशुतुम—जब रियासत के मुलाजिम दूसरी रियासत में खोज ले जावें और जिस जगह खोज ख़तम हो, उस जगह की तलाशी कराना चाहें, तो अदालतन उस राज्य के तलाशी करावें और हर साल बरामदी माल मसरूका कुल या जुज़ की दादरसी महाल इंतहाई सुराग़ से कराई जावेगी। अगर निस्वत बरामदगी माल कुछ उज़ू पेश किया जावे तो उसकी तहकीकात उस अदालत में की जावे कि जिसकी हुकूमत में वारदात हुई हो।

दफा नहुम—जो कोई शख्स अज़ क़ौम मैना एक इलाके का अगर कोई तहसीलदार या थानेदार असामी मतलूवा के भेजने में इग़माज़ या पहलू-निही करेगा, तो वह अपनी रियासत से मुरतजिब सरूत वाज पुर्स के होगा।

दफा दहम—बाहम किसी नहज से तकरार या फ़िसाद

बेजा करेंगे, तो अलावा तदारुक मुतल्लिक महकमे के जरे मुचलका भी उनसे उनकी रियासत में वसूल किया जावेगा ।

दफा याजदहम—अगर इत्तफाकन कोई असामी फरार हो गया होवे या रूपोश हो, तो तहसीलदार इलाका उसकी गिरफ्तारी में तनदेही व कोशिश करने में कोई अमल फरोगुजाश्त न करे और हत्तुलमक्रदूर असामी को गिरफ्तार करा देवे ।

दफा दवाजदहम—जमींदारान मुलहक-उल-सामाने-जात से दोनों इलाके के तहसीलदार मुचलके दो-दो सौ रुपये के लिखा लें कि अगर वह लोग दूसरे इलाके में विना टिकट जावें और वहाँ गिरफ्तार हो जावें तो तहसीलदार उस इलाके का वजरिये अपनी तहरीर के दूसरे इलाके के तहसीलदार के पास—जहाँ वह रहता हो—भेज दें । अगर वह तहसीलदार मैना गिरफ्तारआमदा को बदमाश या चोर पेशा ख्याल करे, तो अपनी रियासत से उसका तदारुक करा देवे और अगर वह मैना जमींदार काश्तकार है और अदम वाकफियत दूसरे इलाके में चला गया हो, तो उसको अव्वल मर्तवा हिदायत कर देनी आयन्दा के वास्ते काफ़ी होगी ।

तफसील जरायम जिनके असामियान तलब हो सकते हैं—

१—कत्ल हर क्रिस्म ।

२—डकैती ।

३—राहजनी ।

४—नक्रबजनी ।

- ५—दीदा-दानिस्ता माल मसरूके का खरीदना या रखना, उन मुकद्दमात में जो फहरिस्त में शुमार हैं ।
- ६—चोरी मवेशी ।
- ७—चोरी माल जायद अज २५)
- ८—ठगई ।
- ९—खानेजंगी मय शहायद ।
- १०—ज़दोकोव मय शहायद ।
- ११—आतशज़नी ।
- १२—जाल बनाना, मुकम्मिल या नामुकम्मिल ।
- १३—जिना विलजत्र ।
- १४—गायकुशी ।
- १५—इन्सान का ले भागना ।
- १६—बनाना या चलाना सिक्के क़लब ।
- १७—खिलाना अशयाय मुनश्शा या मुहलका ।
- १८—मजरूह करना या अजूव काटना ।
- १९—अमानत व तरगीब सती होने में ।
- २०—अमानत व तरगीब खुदकशी में ।
- २१—इकदाम या इर्तकाव शर व फ़िसाद ।
- २२—फ़रार अज जेल जाने या हिरासत जायद से ।
- २३—बुरदा फ़रोशी ।
- २४—ख़यानत मुजरमाना निस्वत मुलाज़मान वग़ैरह वइस्तनाय जिमीदारान व नम्बरदारान जिनका ताल्लुक सीगा माल से हो ।

यह समझौता अलवर और भरतपुर में ११ जुलाई, सन् १८८२ ई० हुआ, और फिर यही समझौता भरतपुर और जयपुर में २५ जून, सन् १८८३ ई० को हुआ ।

सामाजिक सम्बन्ध

राजनीतिक सम्बन्ध के अतिरिक्त देशी राज्यों में परस्पर सामाजिक सम्बन्ध भी है। जिस प्रकार हम सब में एक दूसरे के साथ 'सामाजिक-व्यवहार' हैं, उसी प्रकार इनमें भी हैं, पर सब राज्यों का सबसे नहीं। किसी राज्य का किसी से, तो किसी का किसी से, जैसे भरतपुर राज्य का सामाजिक-सम्बन्ध (१) भारत-सरकार (२) वेल्जियम-सरकार (३) बनारस-राज्य (४) भालारापाटन (५) बिजावर (६) धौलपुर (७) कोटा (८) खेतड़ी (९) दतिया (१०) इन्दौर (११) किशनगढ़ (१२) भींद (१३) अलवर (१४) कच्छ (१५) करौली (१६) ग्वालियर (१७) नाभा (१८) फ़रीदकोट (१९) जम्मू (२०) चरखारी (२१) भावनगर (२२) कोल्हापुर (२३) छतरपुर (२४) बीकानेर (२५) बलरामपुर (२६) मैसूर (२७) कपूरथला (२८) आवागढ़ (२९) दाँता (३०) राजपीपला (३१) जोधपुर (३२) जैसलमेर (३३) नीमराणा (३४) जयपुर (३५) डूँगरपुर (३६) बूँदी (३७) सिरोही (३८) रीवाँ (३९) कुरवई (४०) शाहपुरा (४१) टोंक से है। यद्यपि कोई

राज्य किसी विदेशी राज्य से राजनीतिक-सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता, पर सामाजिक-व्यवहार विदेशी राज्यों से भी कर सकता है।

इस सामाजिक-व्यवहार का अर्थ वही है, जो साधारण गृहस्थी में होता है। व्यवहारी राज्य एक दूसरे के दुख-सुख में 'रस्म' के अनुसार सम्मिलित होते हैं। जब किसी राजा के पुत्र उत्पन्न होता है या विवाह होता है, तो वह अपने व्यवहारी-राज्य को 'शुभ-संवाद' भेजता है। बदले में वह राज्य निश्चित 'रसूम' भेजते हैं और प्रसन्नता-सूचक पत्रोत्तर देते हैं। जब किसी राज्य में राज-परिवार के किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके व्यवहारी-राज्य में भी शोक मनाया जाता है। भारत-सरकार भी शोक में अपना झंडा झुका देती है। अनेक राज्यों में तो हड़ताल भी होती है, पर जिसका जैसा पुराना व्यवहार हो।

सामाजिक-व्यवहार का कोई एक समान नियम नहीं है। यह पुरानी परिपाटी पर निर्भर है। जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य से नया व्यवहार स्थापित करता है, तो भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग को उसकी सूचना दे देता है।

किसी-किसी शुभ-अवसर पर व्यवहारी-नरेश स्वयं भी आते जाते हैं, पर उनका आना या उन्हें बुलाना कोई आवश्यक नहीं। पत्र-व्यवहार और किसी दूत द्वारा 'रसूम' पूरी कर दी जाती है।

क्या नरेश स्वतन्त्र हैं ?

क्या नरेश स्वतन्त्र हैं ? इसका उत्तर म० गाँधी ने उपरोक्त वक्तव्य में दे दिया है। इस वक्तव्य का अर्थ है कि देखने में नरेश स्वतन्त्र हैं, पर वह एक साधारण नागरिक से भी अधिक परतंत्र हैं। उन्हें ब्रिटिश रेजीडेण्ट या पोलिटिकल अफसर के इशारों पर चलना पड़ता है। वह हर बात में सरकार के राजनीतिक-विभाग की आज्ञा मानने को मजबूर हैं। वह अपने राज्य में भी अपनी इच्छानुसार कोई विधान जारी नहीं कर सकते। म० गाँधी ने लण्डन में काश्मीर-आन्दोलन पर भाषण देते हुए कहा था कि “इस आन्दोलन का मूल कारण यह है कि देशी नरेश अपनी प्रजा की कठिनाइयों को समय पर मिटाने के लिये भी स्वतन्त्र नहीं हैं।” पं० नरदेव शास्त्री ने ‘आज’ में लिखा है कि “इनको लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है। कहीं जाना हो, किसी दूसरे राजा से मिलना हो, कोई विशेष पत्र-व्यवहार करना हो, सब जगह इनके हाथ-पैर बँधे हुए हैं।” इसी प्रकार मि० के० एम० पन्नीकर—जो गोलमेज-सभा के देशी-राज्य-प्रतिनिधि-मण्डल के सेक्रेटरी थे—ने लिखा है कि “जिन्हें देशी राज्यों का अनुभव है वह जानते हैं कि रेजीडेण्टों की चर्चा भी रियासत के लिये गर्जना के समान होती है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिस पर रेजीडेण्ट अपनी सम्मति

देने में अपने को योग्य न समझता हो। रेजीडेण्ट की सम्मति हुक्म के रूप में होती है।” इन अधिकारपूर्ण लेखकों के वाक्यों के बाद अब अधिक आलोचना करना उचित नहीं। नाम के लिये, देशी नरेश भले ही ‘दोस्त बरतानियाँ’ बने रहें पर वास्तव में वह भारत-सरकार के अधीन हैं। उनके साथ जो बरावरी की संधियाँ किसी ज़माने में हुई थीं, वह आज उस रूप में नहीं रहीं। सन् १९२१ ई० में हैदराबाद के निज़ाम को लार्ड रीडिंग (तत्कालीन वाइसराय) ने जो पत्र बरार की वापसी के सम्बन्ध में लिखा था, उसमें, निज़ाम साहब ने दोस्ताने की जो दुहाई दी थी, उस पर लार्ड रीडिंग ने उत्तर में स्पष्ट कह दिया था कि “देशी नरेश ब्रिटिश-सरकार का फ़ैसला मानने को बाध्य हैं।” महाराज वीकानेर ने ९ सितम्बर, सन् १९२८ ई० को एक भाषण में कहा था कि “चाहे कारण जो कुछ भी हो, पर रियासतों की संधियों और अधिकारों को स्पष्ट रूप में कुचला गया है।” लार्ड चेम्सफ़ोर्ड ने राजाओं की एक कान्फ़्रेन्स में स्पष्ट स्वीकार किया था कि “हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि संधि की हुई स्थिति पर असर पड़ा है।”

नरेशों का निजी-व्यय

प्रायः सभी देशी नरेश अपने निजी-व्यय के लिये राज-कोष से एक निर्धारित रकम लेते हैं, जो 'प्रिवी पर्स' कहलाती है पर इन देशी नरेशों का संसार के अन्य राजाओं और सम्राटों की अपेक्षा निजी व्यय अधिक है।

मैसूर-नरेश अपने राज्य-कोष में से निजी-व्यय के लिये प्रति वर्ष २३,८०,००० रुपये लेते हैं और त्रावनकोर की महारानी साहिवा प्रति वर्ष ११ लाख रुपया लेती हैं। इटली के राजा सिविल लिस्ट के अनुसार १५,१९,००० रुपये लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इटली के राजा मैसूर नरेश से ४० प्रति-शत कम और त्रावनकोर से ६० प्रति-शत अधिक व्यय लेते हैं। इटली का राज्य त्रावनकोर से सौ-गुना बड़ा है, मैसूर की वार्षिक आय इटली की आय का सातवाँ भाग है, पर मैसूर-नरेश इटली-सम्राट् से ४० फी सदी अधिक निजी-व्यय के लिये लेते हैं।

सम्राट् जार्ज को ४ लाख ७० हजार पौण्ड सालाना मिलते हैं और जापान सम्राट् को १४ लाख २० हजार पौण्ड मिलते हैं। हैदराबाद के निज़ाम साहब अपने निजी-व्यय के लिये राज्य-कोष से ५० लाख रुपया अर्थात् लगभग चार लाख पौण्ड लेते हैं। कहाँ सम्राट् जार्ज का निजी-व्यय और कहाँ हैदराबाद के निज़ाम का ? दोनों का लगभग बराबर

है, पर राज्य-विस्तार में कितना अन्तर है ? ज़मीन-आसमान का । ब्रिटेन के सम्राट् को साम्राज्य की आय का १६०० वाँ भाग मिलता है । बेल्जियम का राजा अपने राज्य को आय से प्रति सौ रुपये १ आना ७ पाई लेता है । इटली-नरेश का निजी-व्यय प्रति सौ रुपये में ३ आना २ पाई है, डेनमार्क के राजा का निजी-व्यय अपने राज्य की आय में सौ रुपये पीछे ५ आना ४ पाई है । इसी प्रकार जापान के सम्राट् का निजी-व्यय जापान की आय में प्रति-शत चार आना, हालैण्ड की रानी का प्रति-शत २ आना ८ पाई और नारवे के राजा का प्रति-शत २ आना ३ पाई है, पर ब्रावनकोर की महारानी का राज्य की आय में प्रति-शत ३ रुपया ९ आना ७ पाई है । मैसूर का प्रति-शत ७ रुपया २ आना ३ पाई, बड़ौदा और हैदराबाद के निज़ाम का प्रति-शत ७ रुपया ११ आना १ पाई है । काश्मीर और बीकानेर का प्रति-शत २०) निजी-व्यय है ।

इतना ही नहीं, एक अत्यन्त छोटे राज्य का राज्य-विस्तार केवल १८० वर्गमील और आय २,१९,००० रुपये वार्षिक है, पर उसके नरेश अपने निजी व्यय के लिये लिये १,३६,००० रुपया प्रति वर्ष ले लेते हैं, जो राज्य की आय का ६० प्रति-शत है ।

नवानगर के जाम के वजट पर दृष्टि डालिये, तो मालूम होता है कि जाम साहब के निजी व्यय के लिये सिविल

लिस्ट में ४० हजार पौण्ड लिखा था, पर दरबार-व्यय के नाम से दूसरी मद में १ लाख २५ हजार पौण्ड और थे। इस प्रकार कुल १ लाख ६५ हजार पौण्ड वार्षिक निजी व्यय हो जाता है, जो उनकी आय का २० प्रति-शत है। इस पर भी मोटरकार और नये महल के खर्च-खाते में दो लाख पौण्ड और था। यदि इसे भी निजी-व्यय में ही सम्मिलित कर लिया जाय, तो कुल ३ लाख ६५ हजार हो जाता है।

इसी प्रकार एक अन्य राज्य की आय १२५ लाख रुपये है, जिसमें से ५५ लाख रुपये महाराज के निजी-व्यय में लग जाते हैं और १५ लाख रुपये 'महाराज को आपत्ति-काल में काम आये' इसलिये पृथक् रख दिये जाते हैं। अर्थात् ७० लाख रुपये महाराजा के खाते में ही चला जाता है, जो राज्य की कुल आय का ५६ प्रति-शत हो जाता है।

इस व्यय के अतिरिक्त महलों की रोशनी और छिड़काव का व्यय म्युनिसिपैलिटी से, मरम्मत का व्यय पी० डब्ल्यू० डी० से, मेहमानदारी का व्यय मेहमानदारी के बजट से, हाथियों का व्यय हाथीखाने से, कुत्तों का व्यय शिकारगाह से और घोड़ों का व्यय सेना से लिया जाता है। यदि इस सब व्यय को महाराज के प्राइवेट व्यय में सम्मिलित किया जाय, तो वह तिगुना-चौगुना हो जाता है।

नरेशों का दान

नरेश प्रायः दान भी करते रहते हैं। वाइसराय अथवा उनकी धर्मपत्नी-द्वारा जब कभी कोई फण्ड खोला जाता है तो उसके दान-दाताओं की सूची में सर्वप्रथम नरेशों का नाम आ जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक संस्थाओं को भी नरेश दान देते रहते हैं। महाराजा बड़ौदा ने हिन्दी साहित्य-सम्मेलन को दान दिया, महाराजा अलवर ने सनातनधर्म सभा (पञ्जाब) को पचास हजार रुपये दान में दिये, निजाम हैदराबाद ने लण्डन में मसजिद बनवाने के लिये दान दिया। इसी प्रकार सभी नरेश दान करते रहते हैं। उदाहरण के लिये हैदराबाद निजाम के दान की सूची देखिये:—

स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तियों को

अब्दुलअली मुंसिफ पारगी	१३६२	रु०
सरदार अजीमतुल्ला	५८८३	”
मुस्लिम अनाथालय, गुलबर्गा	३५६३९	”
‘उरुमुलाबाद’ के लेखक को	९००	”
नवाब हैदरजंग	२०००	”
उस्मानिया यूनीवर्सिटी जनरल	११३४	”
सम्पादक ‘इस्लामिक कल्चर’	२५०	”
‘सुवह दकिन’ अखबर	१४१०	”

'शहीदा'	२५००	रु०
दरगाह औरङ्गाबाद	१२००	"
'शवनम् इस्लाम'	४१०	"
धार्मिक-पुस्तक-भण्डार (उर्दू)	१६२५	"
'भयारेसियाम' पत्र	२०००	"
परभानी मसजिद	६१००	"
शाह मिर्जा बेग	६०००	"
श्रीमती मिर्जा बेग	३६००	"
धार्मिक पुस्तकें	४३२	"
सिराजुल हसन चुंगी विभाग	४००	"
मसजिदें	१५००	"
पल्ली लीपर मिशन	५०,०००	"
आसफाबाद में सहायता	४,३००	"
पल्ली लीपर मिशन (दूसरी बार)	८,०००	"
उर्दू गश्ती-पुस्तकालय	५,०००	"
लेडी बोर्टन बोलारम् मेला	५००	"
वज्जीफे	६०,०००	"
पालम पेठ	३,०००	"
पल्ली लीपर मिशन (तीसरी बार)	१२,०००	"
को-आपरेटिव सोसाइटीज	४०,०००	"
घुड़दौड़ सिकन्दराबाद	५,०००	"
मि० काले को काँच बनाने की शिक्षा के लिये	३,०००	"

डाक-विभाग	३६०	रु०
रमय्या मन्दिर वारंगल (पुरातत्त्व विभाग)	१४,०००	,,
लण्डन-टाइम्स इण्डिया नम्बर	९००	,,
स्थानीय ५ पत्रों को	५०	,,
ब्रिटिश-रेजीडेण्ट का शिकारगाह	१०,०००	,,
अध्यापक-समिति (मासिक)	१०००	,,
मि० फरहतुल्ला बेग	१०,०००	,,
टीचर्स-मेगजिन	४८७	,,

बाहर की संस्थाओं और व्यक्तियों को

लण्डन क्लबस्तान	१०,०००	पौंड
नज्द-सहायक फण्ड	९,००,०००	रु०
पैलेस्टाइन	१,०००	रु०
विलोचिस्तान लंगर	१,०००	,,
लण्डन-मसजिद	५,००,०००	,,
मदीना की जनता	१२०	,,
लण्डन-होस्टल	५००	पौंड
लण्डन-अस्पताल	१,०००	पौंड
मक्का-अस्पताल	३००	,,
दिल्ली-अस्पताल	१०,०००	रु०
विधवा-फण्ड, दिल्ली	५,०००	,,
निजामुद्दीन दरगाह	५,०००	,,

अलीगढ़ यूनीवर्सिटी	२५००	रु०
पैलेस्टाइन के मुस्लिमों को	५३०	पौंड
पैलेस्टाइन की मसजिदों की मरम्मत	५,०००	रु०
मद्रास-मुस्लिम-महिला-शिक्षा	५,२००	"
जामिया मिल्लिया, दिल्ली	५०,०००	"
अलीगढ़ यूनीवर्सिटी (द्वितीय बार)	१०,००,०००	"
अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को वार्षिक	२४,०००	"
अजमेर-शरीफ	२,०००	"
एंग्लो-उर्दू-स्कूल, खामगाँव (वरार)	१९,०००	"
पानीपत-मुस्लिम-स्कूल	२०,०००	"
" (वार्षिक)	३,०००	"
मि० शफी अहमद	५०	पौंड
" (द्वितीय बार)	१००	पौंड
कुरान का अंग्रेजी में अनुवाद होने के लिये	७८०४	रु०
औलिया दरगाह	१५,०००	रु०
एग्रीकल्चरल-रिसर्च-इंस्टीट्यूट (शिमला)	२,००,०००	"
वाइसराय-रिलीफ-फण्ड	५०,०००	"
महिला-संघ (इङ्गलैंड)	२,०००	पौंड
वाई० एम० सी० ए०	१,०००	रु०
" (द्वितीय बार)	१२,५००	"
संगीत-सम्मेलन	१०,०००	"
सिंध-रिलीफ-काठियावाड़	५०,०००	"

बङ्गाल-गवर्नर को वाढ़ में सहायता के लिये	१,००,०००	रु०
मदरास गवर्नर	२५,०००	”
ट्रापिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	१५,०००	”
सिंध-रिलीफ	२५,०००	”
सागर	१००	”
आँख का अस्पताल, दिल्ली	५,०००	”
अखिल-भारतीय महिला शिक्षा-परिषद (मदरास)	२,००,०००	”
” ” (दिल्ली)	२,००,०००	”
किंग-एडवर्ड-मेमोरियल-अस्पताल	२,००,०००	”
घोड़ों की प्रदर्शनी (दिल्ली)	१५,०००	”
” ” ” ” (वार्षिक)	८००	”
इर्विन-मेमोरियल-फ़ण्ड	५,०००	”
कानपुर की संस्थाएँ	१०,०००	”
आर्मस्ट्राँग लाइब्रेरी	१०००	पौंड
विश्व भारती (अरबी की शिक्षा के लिये)	१,००,०००	रु०
पं० दीनदयाल शर्मा व्याख्यान-वाचस्पति	५००	”
प्रो० कर्वे की महिला-यूनिवर्सिटी	५,०००	”
” ” (वार्षिक)	५००	”
हाजी अब्दुल रहीम	५००	”
भूतपूर्व सुल्तान तुर्किस्तान	५,०००	”
हाजी शेख इस्माइल	५००	”

यह तो रही भारत के सबसे बड़े देशी राज्य की बात । अब मध्यम श्रेणी के राज्य की ओर दृष्टि फेरिये । स्वर्गीय महाराजा भरतपुर सर कृष्णसिंह ने इस प्रकार दान दिया था—

स्थानीय

विक्टोरिया-मेमोरियल-अस्पताल	५०,०००	”
हिन्दी-साहित्य-समिति (सूरदास के ग्रन्थों के लिये)		
	५,०००	”
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की स्वागत-समिति	६,०००	”
‘भारतवीर’ पत्र	१७,०००	”
‘भारतवीर’ स्टाफ़	५००	”
‘भारतवीर’ के मुद्रक और प्रकाशक	१,०००	”
राज्य के समस्त कर्मचारियों को	एक-एक मास का	वेतन

बाहर की संस्थाओं को

गुजरात-बाढ़-सहायक फण्ड	५००	रु०
राजस्थान हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन	५००	”
राजस्थान-खादी-संघ	३००	”
‘तेत’ पत्र (दिल्ली)	५००	”
‘नेशनल हेराल्ड’ (बम्बई)	५००	”
‘स्वराज्य’ (दिल्ली)	२५०	”
‘क्षत्रिय’ अखबार (मेरठ)	२००	”

इसके अतिरिक्त महाराजा ने और भी अधिक दान किया था, पर उसकी पूर्ण सूची नहीं प्राप्त हो सकी । इतने ही से

पाठकों को नरेशों के दान, दान-पात्रों और दान के उद्देश्यों का आभास मिल जायगा ।

उपरोक्त निजी नक़द दान के अतिरिक्त प्रायः सभी देशी राज्यों में धर्मादा-विभाग स्थापित हैं । वह उस सम्पत्ति का प्रबन्ध करते हैं, जो राज्य में मन्दिर और मसजिदों के रूप में विद्यमान हैं । इन मन्दिरों और मसजिदों से दैनिक व्यय के लिये भूमि लगा दी गयी है, जिसकी आय से महन्त अथवा इमाम अपने देवस्थान का प्रबन्ध करते हैं, पर ऐसे महन्तों और इमाम-मौलवियों पर राज्य के धर्मादा-विभाग का नियंत्रण रहता है । धर्मादा-विभाग से अनेक मन्दिरों और मसजिदों को वार्षिक या मासिक नक़दी सहायता भी दी जाती है । धर्मादा-विभाग के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नाम हैं । भरतपुर में इस विभाग का नाम 'सदावर्त' है, जिसके अधीन राज्य भर के मन्दिरों, मसजिदों और अनाथालयों का प्रबंध है । इस विभाग से अनाथ विधवाओं को मासिक वृत्ति भी मिलती है और भरतपुर में प्रति दिन कंगालों को रोटियाँ बाँटी जाती हैं ।

ग्वालियर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर बीकानेर आदि सभी राज्यों में धर्मादा-विभाग की कुछ-न-कुछ व्यवस्था है, जिसके द्वारा आर्थिक दान होता रहता है । उस दान का कहाँ तक सदुपयोग होता है, यह आलोचनीय विषय है, किन्तु यहाँ उसकी चर्चा करना अप्रासाङ्गिक-सा प्रतीत होता है ।

दरबार—उत्सव आदि

सभी देशी राज्यों में विशेष त्योहारों पर सार्वजनिक दरबार होते हैं। इन दरबारों का ढंग, रस्म-रिवाज आदि सभी विभिन्न हैं। प्रत्येक देशी राज्य के दरबार में एक-न-एक विचित्रता रहती है। उदाहरण के रूप में—पाठकों के ज्ञान और मनोरंजन के लिये कुछ राज्यों का विवरण यहाँ दिया जाता है।

ग्वालियर राज्य में जब कभी ऐसा दरबार होता है, तो अफसरों और दरबारियों को निश्चित पोशाक अर्थात् चूड़ी-दार पाजामा, पम्प शू, मोजा, अंगरखा (अंगरक्षक) मराठी-पगड़ी आदि पहनकर जाना पड़ता है। वह अपने-अपने नियत स्थान पर जाकर बैठते हैं। निश्चित समय पर महाराजा अपने निजी महल से प्रस्थान करते हैं। उस समय तोपों की सलामी दी जाती है। जब महाराजा दरबार-हाल में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो गद्दी-पूजन के पश्चात् सभी दरबारी 'नज़ार' करते हैं। ये दरबार उत्सव और समय के अनुसार प्रातःकाल या रात्रि में होते हैं।

ग्वालियर के कई उत्सव विशेष प्रसिद्ध हैं। एक तो विजया-दशमी, दूसरा मुहर्रम और तीसरा गणेश-उत्सव। प्रथम दो उत्सव ग्वालियर में मनाये जाते हैं, पर गणेश-उत्सव शिवपुरी—महाराजा का शिमला—में मनाया जाता है। विजया-दशमी के

दिन प्रातः काल ही राज्य के देहाती दर्शकों की भारी भीड़ आ जाती है। ग्वालियर के इर्द-गिर्द के नगरों से भी अनेक सज्जन इस उत्सव को देखने पहुँचते हैं। विजया-दशमी का जुलूस लगभग ५ बजे महल से रवाना होकर लश्कर के केन्द्र गोरखी-मन्दिर (महाराजा का राज्य मन्दिर) में आता है और फिर छेंकर (एक प्रकार का वृक्ष)-पूजन के लिये एक पहाड़ी पर जाता है। महल से गोरखी तक दोपहर से ही दर्शकों की भीड़ लग जाती है और निकलने तक का मार्ग भी नहीं मिलता। हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, प्राचीन राज्य चिन्ह, ऊंट, डंका-निशान, आदि के पश्चात् राज्य की सभी सेना अपनी सैनिक वर्दी से सुसज्जित वाजा बजाती हुई आती है। उसके बाद महाराजा की सवारी आती है। पीछे सभी सरदार और दरबारी अपनी निश्चित पोशाक में निकलते हैं। यह प्रदर्शन प्रायः एक मील लम्बा होता है। जुलूस के पहाड़ी पर पहुँचते ही महाराजा छेंकर-पूजन करते हैं। उस समय तोप-खाने की सभी तोपें चलाई जाती हैं और सेना भी अपनी बन्दूकों की तड़ातड़ से आसमान गुँजा देती है। मुहर्रम के उत्सव के समय 'क़त्ल की रात' से कई दिन पूर्व से ही सरकारी इमामवाड़े में भारी रोशनी की जाती है और 'क़त्ल की रात' को ताज़िया उठते समय तोप दागी जाती है। ताज़िया के साथ राज्य का उपरोक्त सभी लवाज़मा रहता है। पालकी, निशान, रथ, हाथी आदि इस प्रदर्शन में नहीं होते। साथ ही

फावड़ा कुदाली, डलिया आदि साय लिये सफ़रमैना-पल्टन भी इस प्रदर्शन में साथ-साथ चलती है, यदि कहीं ताज़िया ज़रा भी अड़ता दिखलाई दे; तो फ़ौरन सफ़रमैना-पल्टन कुदाली-फावड़ा से काम लेगी। इस प्रदर्शन में सभी सरदार घोड़ों पर आते हैं और प्रायः हरा वस्त्र पहिने हुए रहते हैं, क्योंकि 'क़त्ल की रात' से तीन दिन पूर्व महाराजा और सरदार 'फ़क्कीरी' धारण करते हैं, जो मुहर्रम का इस्लामी रिवाज है। रात्रि के समय जुलूस नगर-भ्रमण कर लगभग १२ वजे यथा-स्थान पहुँचता है, पर प्रातः काल ४ वजे फिर उसी प्रकार से जुलूस निकलता है जो 'करवला' को जाता है। वहाँ महाराजा का ताज़िया पूरा ही गाड़ दिया जाता है और उसमें मिट्टी डालने की प्रारम्भिक रस्म महाराजा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। बाद में अन्य सरदार और दर्शक भी मिट्टी डालते हैं। मिट्टी देने के समय तोपों की सलामी होती है और सेना अपनी बन्दूकों की तड़तड़ाहट कर दर्शकों के हृदय प्रफुल्लित कर देती है। करवला पर ही महाराजा का डेरा लगाया जाता है, जहाँ ताज़िया दफ़नाने के बाद महाराजा जल-पान और विश्राम करते हैं। ग्वालियर का मुहर्रम इतना प्रसिद्ध है कि दूर-दूर से यात्री देखने आते रहते हैं।

गणेशोत्सव महाराजा का धार्मिक-उत्सव है। यह उत्सव प्रायः सभी मराठों में मनाया जाता है। महाराजा के यहाँ विशेष रूप से 'गणेशजी की भांकी' सजाई जाती है, जो बड़ी

ही-मनोहर होती है। सात दिन तक श्री गणेश जी के सामने दिन-रात गाना होता रहता रहता है। प्रमुख सरदार और महाराजा स्वयं भी अपनी ड्यूटी के अनुसार दो-दो घंटे खड़े होकर गाते हैं। इस उत्सव को देखने के लिये सर्वसाधारण को आज्ञा रहती है।

अब अलवर के एक दरबार की चर्चा की जाती है। यह दरबार १ जनवरी को महाराजा की वर्ष-ग्रंथि के उपलक्ष में होता है। जनवरी का मास तो था ही, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, मेहमान पहाड़ी मेहमान-गृह तथा राज-महल के मेहमान-गृह और अन्य कुछ बँगलों में ठहराये गए थे। उस दिन के उत्सव का कार्य रात्रि के ठीक ८ बजे से आरम्भ हुआ। सभी दरबारी, सरदार मेहमान और दर्शक दरबार की निश्चित पोशाक—पम्प शू, मोज़ा, चूड़ीदार पाजामा, लम्बा परशियन बंद कालर का कोट पहने, सिर पर साफ़ा बांधे और कमर से एक पट्टा बांधे हुए आये। महाराजा के आने पर गद्दी-पूजन, नज़र-भेंट, महाराजा का भाषण आदि होने के उपरान्त रात्रि के दश बजे कार्यक्रम का एक अङ्ग समाप्त हुआ। पश्चात् महफिल हुई जिसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, अलीगढ़, जयपुर, हाथरस, आदि की मुख्य वारांगनाओं ने भाग लिया। प्रत्येक की एक-एक तान सुनकर बैठा दिया गया। फिर भी १२ बज गये। अब तो सरदार मेहमान और दरबारी आदि सिकुड़ने लगे, पर बेचारे विवश

थे, क्योंकि जब तक महाराजा दरवार-हाल से न उठ जावें, तब तक कोई भी टस-से-मस नही हो सकता। १२ वजे (अर्द्ध रात्रि) के पश्चात् दावत हुई। दावत में भी दरवार की 'परियाँ' मेहमानों तथा महाराजा की तवीयत नाच-नाच कर खुश करती रहीं। एक निवाला मुँह से रख लिया और एक तान सुन ली, वस इसी में प्रातःकाल के दो वज गये। फिर भी छुट्टी नहीं। उसी समय 'भाँड़ों' की नकलें आरम्भ हो गयीं, जो प्रातःकाल ७। वजे तक होती रहीं।

अब भरतपुर के एक दरवार का दृश्य देखिये। यह दरवार राज्य के ठंडे स्थान वारेठा में वसंत के अवसर पर होता है। वारेठा भरतपुर से २६ मील दूर है। वहाँ नदियों का पानी रोक कर एक भील बनाई गयी है जो १०-१२ मील लम्बी और ३-४ मील चौड़ी है। इसी भील के निकट एक पहाड़ी पर महाराजा का महल है। नीचे पावर-हाउस, स्टीमर-स्टेशन, वागा, पोस्ट आफिस आदि हैं।

वसंत से कई दिन पूर्व से ही उत्सव का कार्य-क्रम आरम्भ हो जाता है। इस कार्यक्रम में हाकी और फुटबाल के टूर्नामेंट आदि को विशेष स्थान दिया जाता है। राज्य की सारी सेना भील के किनारे ऊँची-नीची भूमि में पृथक्-पृथक् अपने-अपने विशेष डिजाइन से डेरा लगाती है। पहाड़ी के ऊपर महल के पीछे मेहमानों तथा सरदारों के ठहरने के लिये कैम्प बने हुए हैं। इस अवसर के लिये बाहर से विशेष मेह-

मान और कुछ पत्रकार भी आमंत्रित करके बुलाये जाते हैं।

इस दरवार के लिये विशेष पोशाक निश्चित है। जूता (अपनी इच्छानुसार), वसंती मोजा, वसंती चूड़ीदार पाजामा और वसंती लम्बी शेरवानी पहननी पड़ती है। सिर पर वसंती साफ़ा होता है। कमर में वसंती फेंटा और हाथ में रूमाल भी वसंती रहता है। महाराजा, सरदार, अफसर, दरवारी, मेहमान आदि के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को—भाड़ू लगाने वाले, भोजन परोसने वाले, अन्य सेवा कार्य करने वाले आदि को भी—वसंती वस्त्र धारण करना पड़ता है। राज्य की सेना भी वसंती पोशाक से सुसज्जित रहती है। जिस के पास उपरोक्त वसंती पोशाक न हो वह ऊपर पहाड़ी की सीमा में उस दिन प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई मेहमान कुछ देरी से पहुँचा तो बस, उसे नीचे रेंती में ही राम भजन करना पड़ता है। हाँ, दरवार के समय से पूर्व पहुँच जानेवाले मेहमानों को राज्य की ओर से वसंती-पोशाक दे दी जाती है।

यह दरवार प्रातःकाल ८ वजे आरम्भ होता है। दरवार-हाल में जिधर देखिये, उधर वसन्ती छटा नज़र आती है। गायिकायें तक वसन्ती साड़ियाँ पहन कर दरवार में नाच-गाना करती हैं। फ़र्शा, तकिया, गद्दी, रोशनी, पर्दे आदि

सभी बसन्ती रहते हैं, जिसे देख कर श्री माधव त्रिपाठी का यह कवित्त याद आ जाता है—

फरस बसन्ती तामें तकिया बसन्ती धर,

परदा बसन्ती छति छाजन बसन्ती है ।

चीरा है बसन्ती, अङ्ग-जामा है बसन्ती,

कटिफेटा है बसन्ती, पदत्राणहू बसन्ती है ॥

गजरा बसन्ती, अङ्ग-राग हू बसन्ती,

सब साजहू बसन्ती माधौ कहत बसन्ती है ।

राग है बसन्ती, ताल बाजत बसन्ती,

नन्दलाल भे बसन्ती जानि पञ्चमी बसन्ती है ॥

दरबार का कार्य ११-१२ बजे तक समाप्त हो जाता है ।

बाद में महाराजा सभी सेना, दरबारी, सरदार और मेहमानों को साथ लेकर स्टीमर द्वारा बन्ध (भील) के उस पार शेर के शिकार के लिये जाते हैं । उस समय भी सभी की पोशाक बसन्ती ही रहती है । हाथी पहले ही उस पार पहुँचा दिये जाते हैं । भील इतनी गहरी है कि उसमें छोटे-छोटे स्टीमर बड़ी आसानी से चलते हैं । उस पार पहुँच कर हाथियों पर सभी सरदार और महाराजा सवार होते हैं । घने गङ्गलों में, जहाँ शेर को कई दिन पूर्व से ही घेर रक्खा जाता है, शिकार किया जाता है । शिकार के पश्चात् दिल-बहलाव के लिये और शेर मारे जाने की खुशी में उसी समय नाच-गाना भी होता है । रात्रि के समय सब मेहमानों, दरबारियों और

सरदारों को दरवार-हाल में ही दावत दी जाती है। उस समय भी महफिल होती है, और रात्रि के १२ बजे तक मनोरञ्जन होता रहता है।

वसन्त-दरवार के अतिरिक्त विजयादशमी का उत्सव भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। ग्वालियर की भाँति सारे लवाज्मों के अतिरिक्त शेर, बकरी आदि भी गाड़ियों में बैठा कर जुलूस के साथ निकाले जाते हैं। महाराजा और महारानी पृथक्-पृथक् हाथी पर रहते हैं। महारानी के हाथी पर हौदे में चारों ओर पर्दा लगा रहता है। इस उत्सव और प्रदर्शन को देखने हजारों नर-नारी देहात से आते हैं। यह विवरण महाराजा के शासन-काल का है; एडमिनिस्ट्रेटर के समय में सभी उत्सव स्थगित हो गये हैं।

अब दतिया की ओर आइये। यहाँ भी विजयादशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पर रिवाज विचित्र है, जो राजपूताने और मध्य भारत के अन्य और भी दो तीन राज्यों में है। वहाँ एक भैंसे को साल-भर तक खूब खिला-पिला कर मोटा-ताजा किया जाता है। वह विजया-दशमी को एक मैदान में खड़ा किया जाता है। उसके आस पास नंगी तलवारें लिये सैनिक घेरा बनाये खड़े रहते हैं। महाराजा उस भैंसे पर भाले से आक्रमण करते हैं। भैंसा बेचैन हो इधर-उधर भागता है और घेरा तोड़ कर निकल जाता है। तब उसे गोली का शिकार बनाया जाता है।

वीरता का यह प्रहसन दो-तीन घंटे में समाप्त होता है। इसे देखने दर्शकों की भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है।

नरेशों का श्वान-प्रेम .

देशी-नरेशों की व्यक्तिगत बातों की आलोचना के लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं है; पर यहाँ पर उनकी एक विशेष आदत या स्वभाव की चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि वह 'स्वभाव' संसार-प्रसिद्ध है और उसका भार प्रजा की कमाई पर बुरी तरह पड़ता है। वह 'स्वभाव' है—श्वान-प्रेम !

जो देशी नरेश यूरोप-यात्रा कर चुके हैं या करते रहते हैं, उनमें से अधिकांश को कुत्ते पालने का शौक लग गया है। ऐसे नरेशों में पटियाला, अलवर, भावुआ और भींद के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं।

नरेश-गण देशी कुत्तों को नहीं पालते। वह यूरोप से बहु-मूल्य सृन्दर कुत्ते लाते हैं। वे कुत्ते यूरोप जैसे ठण्डे देश के होते हैं और भारत का गर्म जल-वायु उनके अनुकूल नहीं पड़ता, इसलिये उनके रहने, खाने और सोने आदि के लिये विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। इन कुत्तों की देख-भाल के लिये विशेष अफसर, विशेष डाक्टर और विशेष खिदमतगार नियत किये जाते हैं। यदि कभी किसी कुत्ते

को किसी रोग ने घेर लिया, या उसका चित्त अनमना हो गया तो वह समुद्र-तट पर वायु-सेवन के लिये स्पेशल ट्रेन से भेजा जाता है। कभी-कभी कुत्तों की चिकित्सा के लिये चम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि से विशेष-चिकित्सक तार-द्वारा बुलवाये जाते हैं। यूरोप के कुत्तों की खरीद और उपरोक्त प्रबन्ध में कितना अधिक व्यय पड़ता होगा, इसका अनुमान पाठक स्वयं ही लगा लें।

एक बार महाराजा पटियाला इंग्लैंड गये। आपने ब्रिटेन के सुन्दर-से-सुन्दर कुत्ते खरीद डाले। वह कुत्ते विशेष जहाज द्वारा भारत लाये गये। महाराजा के इस कुत्ता-प्रेम और क्रय-शक्ति की इंग्लैंड के पत्रों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, क्योंकि इंग्लैंड के किसी नरेश या लार्ड या जमींदार ने कभी इतने कुत्ते एक साथ नहीं खरीदे थे।

एक बार ब्रिटेन के एक पत्र में भारतीय नरेशों के कुत्ता-प्रेम की चर्चा इस प्रकार प्रकाशित हुई थी:—

“एक भारतीय के पास सात सौ कुत्ते हैं। प्रत्येक कुत्ते की देख-रेख के लिये एक-एक नौकर हैं। २० नौकरों पर एक-एक कैप्टन हैं। सबसे ऊपर एक जनरल है। प्रत्येक कुत्ते के ऊपर एक विजली का पंखा दिन-रात घूमता रहता है, जिससे कुत्तों पर मक्खी-मच्छर न बैठें। कुत्तों को भोजन कराने के लिये सोने, चाँदी, पीतल और लोहे की स्केवियाँ हैं। जैसा कुत्ता होता है, वैसे ही वर्तन में उसे भोजन दिया

जाता है। जो कुत्ता राजा को दृष्टि में उत्तम है, उसे सोने की रकेवी में खिलाया जाता है। अधिक गर्मी पड़ने पर कुत्तों को स्पेशल ट्रेन द्वारा वायु-सेवनार्थ समुद्र-तट पर ले जाया जाता है। वह राजा कुत्तों के विवाह भी कराता है कभी-कभी वह राजा विवाह में पचास हजार रु० तक व्यय कर डालता है। कुत्तों का एक कब्रस्तान भी बनाया गया है। जो कुत्ता मर जाता है, उसे उसी कब्रस्तान में गाड़कर उसके नाम का पत्थर लगवा दिया जाता है। कई कुत्तों के सोने के लिये मखमल के गद्दे बने हुए हैं। मलाई, गोश्त और दूध तो इन कुत्तों का नित्यप्रति का भोजन है। लगभग ४ मन गोश्त प्रतिदिन तो कुत्तों के लिये ही पकता है। राजा के कृपा-पात्र कुत्ते उनके पलंग पर भी सो जाते हैं। ये कुत्ते प्रायः यूरोप में खरीदे गये हैं।”

राज्य-भाषा

यह पहले बतलाया जा चुका है कि भारत में हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर, इन्दौर, और ग्वालियर, ये बड़े देशी राज्य हैं। हैदराबाद की राज्य-भाषा उर्दू है, यद्यपि वहाँ की जन-संख्या अधिकांश हिन्दुओं की है। बड़ौदा में मराठी और गुजराती में राज्य-कार्य होता है, पर हिन्दी को भी उत्तम स्थान मिला है। 'हाईकोर्ट' के दरवाजे पर 'वरिष्ठ-न्यायालय', ट्रेनिंग स्कूल के दरवाजे पर 'शिक्षणानुभवशाला' और स्टेट-प्रेस के दरवाजे पर 'राज्य-मुद्रणालय' लिखा है। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं के नाम भी पूर्णतः स्वदेशी हैं। घन्टाघरों की घड़ियों में भी हिन्दी के अङ्क लगे हैं। मोटर, ताँगों तथा अन्य सवारियों पर भी केवल हिन्दी के ही अङ्क लिखे जाते हैं। अदालतों, पुलिस आफिसों, लाइब्रेरियों (पुस्तकालयों) राजकीय दफ्तरों, स्कूल-कालेजों आदि सभी जगहों में हिन्दी का मान है, यद्यपि राज्य की सार्वजनिक भाषा गुजराती है। मैसूर में अंग्रेजी और कनाड़ी भाषा में काम होता है। इन्दौर महाराष्ट्र-राज्य है, अतः वहाँ मराठी की प्रधानता है, पर हिन्दी को भी स्थान मिल चुका है। ग्वालियर महाराष्ट्र-राज्य है। पर वहाँ की प्रांतीय भाषा हिन्दी है, इसलिये सारा राज्य-कार्य हिन्दी लिपि में होता है, पर भाषा ऐसी है, जिसे न हिन्दी कह सकते हैं और न उर्दू। वहाँ की राज्य-भाषा हिन्दी-अंग्रेजी-उर्दू-मराठी

की खिचड़ी है। विभिन्न मुहकमों के जो लेटर-पेपर छपते हैं, उन पर 'सेवा में' के स्थान पर 'यांस' और 'प्रेषक' के स्थान पर 'कडून' छपा हुआ होता है। ये दोनों शब्द मराठी के हैं। जहाँ से पत्र लिखना आरम्भ होता है वहाँ 'वि० वि०' छपा रहता जिसका अर्थ 'विशेष विनंती' होता है, पर प्रायः क्लर्क-गण लिख देते हैं 'गुज्जारिश है कि आपका पत्र.....मौसूल हुआ' जिससे 'विशेष विनंती' और 'गुज्जारिश' का गठ-बंधन हो जाने से अर्थ ही नष्ट हो जाता है। 'विशेष-विनंती' (मराठी) और 'गुज्जारिश' (उर्दू) का सम्मिश्रण कर देने से भाषा का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार 'यांस' के आगे 'रा० रा०' छपा रहता जिसका अर्थ 'राज्यमान्य राज्यश्री' है, पर इस अर्थ की ओर कोई ध्यान नहीं देता और 'रा० रा०' के आगे 'जनाब अफसर साहब मुहकमा.....' लिखा जाता है। यहाँ भी मराठी और उर्दू की खिचड़ी पकने से कोई अर्थ नहीं रहता। यदि 'रा० रा०' और 'जनाब' को एक साथ पढ़ा जाय, तो 'राज्यमान राजश्री जनाब' बनता है, जो किसी भी एक भाषा का द्योतक नहीं है।

ग्वालियर राज्य के कानून सभी नागरी-लिपि में छपे हुए हैं, पर उनकी भाषा ठेठ उर्दू है, जिसका हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिये समझना कठिन है। स्वर्गीय महाराजा माधवराव सिंधिया ने अनेक पुस्तकें लिखी थीं, वह सब नागरी-लिपि में छपी हुई हैं, पर भाषा उनकी भी उर्दू है, जैसे महाराजा

द्वारा रचित 'चन्द्र जरूरी नसीहतें' नामक पुस्तक का प्रथम वाक्य इस प्रकार है—'अफताव तुलू होने के क़व्ल रोज़ाना उठा करो' जिसका अर्थ 'सूर्योदय से पूर्व प्रति-दिन उठा करो' होता है। महाराजा ने 'दरबार-पालिसी' नाम से एक पुस्तक की रचना की थी, उसकी भाषा भी ठेठ उर्दू थी।

राज्य के मुहकमों से जो सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं, उनकी भाषा भी वही 'खिचड़ी' होती है। हाल में ही राज्य के प्रमुख-पत्र 'जयाजी प्रताप' में एक नोटिस इस प्रकार प्रकाशित हुआ था:—

“अंज मुहकमा जैलखानेजात ग्वालियार गव्हर्नमेंट । जुमला व्यापारियान व ठेकेदारान सोख्तनी को आंगहं किये जाता है कि लकड़ी आज क्रिस्म बेरियां, बबूल, धो पक्की व सूखी तन्दूर में जलाने लायक करीब ७०० खण्डी सेट्रल जेल लशकर व १५० खण्डी भैरोंगढ़ जैल उज्जैन के लिये एक साल सम्बत् १९८९ के वास्ते दरकार है, जो बलिहाज ज़रूरत रोज़ाना शुरू जुलाई, सन् १९२२ से ली जावेगी। लिहाजा जिन साहबान को ठेका लेना मंजूर हो, वह अपने रेट्स के टेण्डर मय साफ़ नाम व सकूनत मुहरेबन्द लिफ़ाफ़े में ता० ३० अप्रैल, सन् १९३२ ई० तक मुहकमे हाजा दफ़्तर फूलवांग, दफ़्तर के समय पेश करें।.....लोएस्ट कोटे-शान्स मंजूर करना या न करना कमेटी मंजूर के इख्तियारी होगी।”

इस नोटिस में 'ग्वालियर गवर्नमेंट' (मराठी में ग्वालियर गवर्नमेंट को इसी प्रकार लिखते हैं); 'लोएस्ट कोटेशन्स' अंग्रेजी, 'समय' हिन्दी और 'अज मुहकमा जैलखानेजात' आदि उर्दू शब्दों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण में उर्दू की भी मिट्टी-पत्तीद हो गयी। जैसे 'जैलखाना' शब्द का बहुवचन उर्दू में 'जैलखानाजात' होगा, न कि 'जैलखानेजात'। 'जैलखाने' शब्द तो स्वयं बहुवचन है, उसके आगे 'जात' और लगाकर डबल बहुवचन किया गया है।

ग्वालियर-दरबार की तरफ़ से जो आज्ञाएँ प्रकाशित होती हैं, उनकी भी भाषा ऐसी ही होती है। एक घोषणा का अंश देखिये—“रियासत ग्वालियर में ऐसी कोई हरकत या कार्रवाई नहीं होनी चाहिये जिससे हुकूमत गवर्नमेंट कैसरी या हुकूमत रियासत हाजा या हुकूमत दीगर रियासत हाय की मुखालिफ़त करना मकसूद हो।.....न यह अम्र पसन्द खातिर दरबार है कि रियासत हाजा में तो बूदबाश रक्खी जावे, मगर इलाक़े कैसरी में सिविल नाफ़रमानी या सत्याग्रह के मूवमेंट में सरगर्मी से हिस्सा लिया जाये या दीगर अशखास को हिस्सा लेने की तहरीक की जावे.....इस अर्से में बिलउमूम रिआया दरबार की तरफ़ से दरबार की पालिसी और मंशा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का होना ज़हूर में नहीं आया।.....इन्तज़ाम गवर्नमेंट में दिक्कतें और रुकावट डाल कर गवर्नमेंट को पैरालाइज़ करने की गरज़

से..... ।” इस घोषणा में मराठी नहीं है, पर हिन्दी-उर्दू-अंग्रेजी का सम्मिश्रण है ।

अब राजपूताना की ओर देखिये । भरतपुर में सन् १९१९ ई० से सारा राज्य-कार्य नागरी-लिपि में होता है, पर भाषा ठेठ उर्दू है । दरबार की एक आज्ञा देखिये—

“नक़ल हुक्म मुहकमे इजलास खास श्री हुजूर फ़ैज़ गंजूर महाराजा साहब बहादुर, बहादुर-जंग, दाम-इक़बाल हू । मुसवे तनासिया अर्ज़ी चौधरी.....वदी खुलासा कि जो मकान नीमदे दरवाजे का जिसमें रिसालदार..... रहते थे, सो उनको सरकार ने और मकान इनायत फ़रमाया है बदरख्वास्त अताये मकान.....वाला को वास्ते सकूनत खुद । हुक्म हुआ कि जो मकान साविक.....को मिला था और अब ख़ाली है, लिहाज़ा वह मकान सायल को व माफ़ी किराया वास्ते सकूनत के अता फ़रमाया जावे । एहकाम जाब्ता इजरा पावें ।”

जब कोई अफ़सर अपने उच्च पदाधिकारी को कोई मिशिल आवश्यक निर्णय के लिये भेजता है, तब वह लिखता है—‘वास्ते सुदूर हुक्म बख़िदमत जनाव.....साहब बहादुर इरसाल हो ।’ पर स्वर्गीय महाराजा कृष्णसिंह साहब ने अधिकार-त्याग से कुछ समय पूर्व बसंत-दरबार में यह घोषणा कर दी थी कि ‘आज से भरतपुर की राज्य-भाषा हिन्दी होगी, अतः प्रत्येक कर्मचारी ६ मास में हिन्दी सीख

ले ।” इस घोषणा के बाद ‘श्री हुजूर फैज गंजूर दाम इक़्क-बाल हू ।’ के स्थान पर ‘श्री अन्नदाता जी महाराज’ लिखा जाने लगा । दरबार से जो आज्ञाएँ उस समय प्रचलित हुईं वह भी शुद्ध हिन्दी में । मि० मैकेजी की नियुक्ति के समय जो आज्ञा प्रकाशित हुई, वह इस प्रकार थी—“मि० मिकेज़ी, आई० सी० एस०, को भरतपुर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया है । अतः कुँवर हीरासिंह आज मध्यान्ह से पूर्व सारा चार्ज मि० मैकेज़ी को दे दें ।.....सर्वत्र अधिशासन प्रचलित हो ।” इसी प्रकार उस समय जो विधान बचाये गये उनकी भाषा भी शुद्ध हिन्दी है । बालक-तम्बाकू-वर्जन-विधात की भाषा इस प्रकार है—“(धारा ९) धारा ४ के अनुसार जो निर्णय किया जावेगा उसकी अपील, निगरानी व नज़रसानी न होगी और दूसरे अपराधों की दशा में उन पर राज्य में प्रचलित दण्ड संग्रह के अनुसार कार्यवाही होगी ।” उन दिनों महाराजा ने एक तार किसी संस्था को सहानुभूति-सूचक दिया था, वह शुद्ध हिन्दी-भाषा में था, पर महाराजा के अधिकार-त्याग के बाद फिर उर्दू और अंग्रेज़ी भाषा हो गयी ।

अलवर-नरेश ने आज्ञा दे रखी है कि राज्य का सारा कार्य हिन्दी-भाषा में हो । बड़े-बड़े पदों के नाम भी अंग्रेज़ी से हिन्दी करवाये । वहाँ ‘अफ़सर पी० डब्ल्यू० डी० ऐण्ड इरीगेशन’ को ‘जलधर’, सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल को ‘धमराज’

और राज्य के प्रधान खजांची को 'कुबेर' कहते हैं। 'श्री हुजूर फैज गंजूर दाम इंकवाल हू' के स्थान पर 'श्री प्रभुजी महाराज' लिखा जाता है, पर राज्य के पुराने कानूनों की भाषा अब भी उर्दू ही बनी हुई है। देखिये—“अगर इत्त-फाकन कोई असामी फरार हो गयी हो या रूपोश हो, तो तह-सीलदार इलाका उसकी गिरफ्तारी तनदेही वो कोशिश करने में कोई अमल फरोगुजाश्त न करे और हत्तुलमकदूर असामी को गिरफ्तार करा देवे। (दफा याजदहम, दस्तूर-उल-अमल कार्रवाई मुकद्मात फौजादारी वाहम रियासत अलवर व भरतपुर)।”

धौलपुर में सारा राज्य-कार्य नागरी लिपि में होता है, पर भाषा उर्दू है। जयपुर में तो लिपि भी उर्दू है। इसी प्रकार राजपूताने की शेष सभी रियासतों में राज्य-भाषा उर्दू है।

शेष राज्यों में प्रान्तीय भाषाएँ हैं, जैसे पंजाब में उर्दू, काठियावाड़ में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, यू० पी० के राज्य बनारस में हिन्दी और वङ्गाल के राज्यों में बँगला। पर सभी मुसलमानी राज्यों में उर्दू भाषा प्रचलित है, चाहे वह मदरास में हों या वङ्गाल में; गुजरात में हों या मध्य-भारत में।

काश्मीर राज्य हिन्दुओं का है, पर आवादी प्रायः मुसलमानों की ही है। वहाँ की राज्य-भाषा उर्दू है।

किसी भी राज्य की राज्य-भाषा कुछ भी हो, पर प्रत्येक राज्य में कुछ-न-कुछ कार्य अंग्रेजी में होता है।

गोरे अफसरों की भर्ती

जब से ब्रिटिश भारत में लोकमत जागृत हुआ है, तब से ब्रिटिश भारत में गोरे अफसरों की संख्या घट रही है; पर देशी राज्यों में धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। कोई भी ऐसी रियासत न मिलेगी जिसमें गोरे अफसर न हों। हाँ, जो रियासतें बहुत छोटी हैं और जो गोरे अफसरों के वेतन का भार नहीं उठा सकतीं उनमें अवश्य ही गोरे अफसर नहीं हैं। हैदराबाद, मैसूर, त्रावनकोर, काश्मीर, ग्वालियर आदि में गोरे अफसरों की संख्या उतनी नहीं है जितनी राजपूताना की रियासतों में है। ये गोरे अफसर किस प्रकार रियासतों में पहुँचे? उनकी भर्ती क्यों हुई? ये बातें रहस्यपूर्ण हैं। संसार के देखने में तो उन अफसरों को महाराजा-गण ने ही अपनी इच्छा से नियुक्त किया है, पर आन्तरिक दशा के अनुभवी राजनीतिज्ञों का मत कुछ और ही है। उनका मत है कि अधिकांश गोरे अफसरों को भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग के आदेश पर ही नियुक्त किया गया है। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं कि राजनीतिक विभाग ने उन पर अंग्रेज़ अफसर को नियुक्त करने के लिये विशेष दबाव डाला है।

इस सम्बन्ध में एक बात जानने योग्य है। कोई भी राज्य बिना राजनीतिक-विभाग की स्वीकृति के किसी भी यूरोपियन

को अपने यहाँ मुलाजिम नहीं रख सकता। भरतपुराधीश स्व० कृष्णसिंह ने एक अंग्रेज को अपने यहाँ इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया था, पर राजनीतिक विभाग ने उस नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी, इसलिये उसे पृथक् हो जाना पड़ा। स्वीकृति क्यों नहीं दी, इसमें भी रहस्य बतलाया जाता है। कहा जाता है कि वह अंग्रेज महाराज भरतपुर का भारी हितैषी था। वह राजनीतिक विभाग के इशारे पर चलने को तैयार न था। इसलिये सरकार के राजनीतिक विभाग ने उसकी नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी।

देशी राज्यों में जो गोरे अफसर हैं, उनको दो दलों में बाँटा जा सकता है। एक दल तो उन गोरे अफसरों का है जो वास्तव में ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हैं पर महाराजा के माँगने पर या राजनीतिक विभाग की स्वेच्छा से देशी राज्यों में (माँगी हुई नौकरी पर) भेजे गये हैं; जैसे काश्मीर में, भरतपुर में, हैदराबाद में और जयपुर आदि में। ऐसे अफसरों को ब्रिटिश भारत में जो वेतन मिलता है, उससे कहीं अधिक देशी राज्यों में मिलता है। इस पर भी पेंशन, कन्ट्रीव्यूशन, ओवरसीज़ अलाउन्स आदि देशी राज्यों को पृथक् देना पड़ता है। उन पर राज्यों के (सिविल सर्विस के नियम) लागू नहीं होते। उन्हें (फण्डामेंटल रूलस) के अनुसार ही सफर-खर्च, छुट्टियाँ आदि मिलती हैं। दूसरा दल उन गोरे अफसरों का है, जो स्वेच्छा से देशी राज्यों में ही मुलाजिम

हुए हैं। उन पर राज्य के ही नियमादि लागू होते हैं और पेन्शन, कंट्रीव्यूशन, ओवरसीज अलाउन्स आदि उनको नहीं मिलते, पर ऐसे दल के गोरे अफसरों की संख्या बहुत ही थोड़ी है।



मुसल्मान और उनका प्रतिनिधित्व

सन् १९३१ ई० की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट के अनुसार देशी राज्यों में हिन्दू और मुसल्मानों को संख्या इस प्रकार थी—

	हिन्दू	मुसल्मान
१-यू० पी० के राज्य	६,१३,९६,३,७७	१,०६,५८,४१८
२-आसाम के राज्य	२,७२,८९०	२४,६००
३-बिलोचिस्तान के राज्य	११,१४८	३९,३८५
४-बड़ौदा-स्टेट	२१,५२,०७१	१,८२,६३०
५-बंगाल के राज्य	६,४१,८९२	८३,१२,६१९
६-बिहार उड़ीसा के राज्य	४१,९३,८७८	१९,८०७
७-बम्बई के राज्य	३९,२१,०५६	४,१४,८५६
८-मध्यभारत एजेंसी	५८,३५,४८६	३,७६,१७३
९-मध्यप्रांत के राज्य	१७,८८,४०१	२३,२५४
१०-ग्वालियर	३२,१७,५७६	२,०४,२९५
११-हैदराबाद	१,२१,७३,३२७	१५,३५,०२२

	हिन्दू	मुसलमान
१२-जम्मू और काश्मीर	७,३४,६०७	२८,१७,६५९
१३-कोचीन	७,८०,४८४	८७,९०२
१४-त्रावनकोर	३१,३४,८८८	३,५३,२७४
१५-मदरास के अन्य राज्य	४,०७,७७८	२६,२२०
१६-मैसूर	६०,१५,५८०	३,९८,६२८
१७-सीमाप्रांत-एजेंसी	१३,६५१	२३,०८६
१८-पंजाव के राज्य	२,२७,१३२	१५,९७,४३६
१९-राजपूताना-एजेंसी	९५,७८,८०५	१०,६९,३२५
२०-पच्छिमी-भारत-एजेंसी	३२,४६,८०३	५,४५,५६९

यह तालिका बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रांतवार दी गयी है, क्योंकि प्रत्येक राज्य के पृथक्-पृथक् आंकड़े देने से बहुत लम्बी तालिका बन जाती, जो निरर्थक थी, क्योंकि यहाँ पर देशी राज्यों की हिन्दू-मुस्लिम-समस्या पर विचार नहीं करना है, केवल उनके अनुपात और प्रतिनिधित्व पर साधारण प्रकाश डाल देना है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है, कि विलोचिस्तान के राज्यों में, बंगाल के राज्यों में, बम्बई के कुछ राज्यों में जम्मू और काश्मीर में, सीमा प्रांत के राज्यों में और पंजाव के कुछ राज्यों में मुसलमानों का बहुमत है। शेष राज्यों में उनका अल्पमत हैं। विलोचिस्तान, सीमा प्रांत, बंगाल और पंजाव की रियासतों में उनकी संख्या पर्याप्त है, इसलिये राज्यों की नौकरियों

में भी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। यह कहा जा सकता है, कि पंजाब को छोड़कर शेष प्रांतों के राज्यों में प्रायः मुसलमान ही कर्मचारी हैं। पंजाब के राज्यों में अवश्य ही हिन्दू भी हैं, पर हिन्दू राज्यों में हिन्दू अधिक हैं, और मुसलमानी राज्यों में मुसलमान अधिक हैं, यही दशा बम्बई के राज्यों की है। जम्मू और काश्मीर में पहिले हिन्दू उच्च पदाधिकारी अधिक थे, पर अब जब से मुसलमानों ने आन्दोलन उठाया है, तब से वहाँ उच्च पदों पर मुसलमान अधिक लिये जा रहे हैं।

बड़ौदा में मुसलमान अल्प संख्या में है, पर सरकारी नौकरियों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ग्वालियर राज्य में ३२ लाख हिन्दू और २ लाख मुसलमान हैं, पर उन्हें ३० प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं। हैदराबाद में मुसलमान अल्पमत में हैं, पर सरकारी नौकरियों में उन्हीं का बोलबाला है। वहाँ की निम्न तालिका देखिये:—

	हिन्दू मुसलमान	
प्रेसीडेण्ट कौंसिल	१	...
सरदार-उल्ल-महम	१	६
प्रेसीडेण्ट का आफिस	...	५
चीफ सेक्रेटरी	...	४
पोलिटिकल सेक्रेटरी,	२	४
फाइनेंस-सेक्रेटरी	३	४

	हिन्दू	मुसलमान
रेवेन्यू सेक्रेटरी	५	१३
गुडीशियल सेक्रेटरी,,	...	९
पबलिक वर्क्स सेक्रेटरी आफिस	४	८
इंजिनेर सेक्रेटरी	१	१
मिलेटरी सेक्रेटरी	...	५
कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्रीज सेक्रेटरी,,	१	१
लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी	...	४
रेलीजस सेक्रेटरी	...	१
अर्थ विभाग	८	१८
सेण्ट्रल ट्रेजरी	१	...
ट्रेजरी सुपरिण्टेंडेण्ट	६	८
सूबेदार	...	३
नायब सूबेदार	...	४
ताल्लुकुदेदार	...	१४
स्पेशल ताल्लुकुदेदार	...	१
नायब ताल्लुकुदेदार	३	३७
तहसीलदार	९	१०२
प्रोवेशनर तहसीलदार	६	१२
तहसीलदार-सर्फ-ए-खास	...	४
महकमा।बन्दोवस्त	...	३
नायब बन्दोवस्त डाइरेक्टर	...	८

	हिन्दू	मुसलमान
जमाबन्दी आफिसर	...	२
सब-असिस्टेंट डाइरेक्टर	१	...
लैण्ड-रेकार्ड आफिसर	१	४
प्रोबेशनर	...	२
हाईकोर्ट जज	२	६
रजिस्ट्रार	...	२
चीफ सुपरिण्टेण्डेंट हाईकोर्ट	...	३
सरकारी वकील	...	६
सिटी सिविल कोर्ट जज	...	४
सिटी मैजिस्ट्रेट	१	४
काजी-कोर्ट	...	१
डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मैजिस्ट्रेट	...	१
नाज़िम-सरदार . अदालत	१	६
डिस्ट्रिक्ट जज	...	१४
एडीशनल सिविल जज	...	७
मुंसिफ	८	८२
जेल-विभाग	...	३
सिटी और देहाती पुलिस	२	८
डाइरेक्टर जनरल पुलिस-आफिस	२	४
स्पेशल पुलिस आफिसर
पुलिस ट्रेनिंग कालेज	१	१

	हिन्दू	मुसलमान
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट	५	१३
असिस्टेंट-पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट	२	११
क्रिमिनल सेटिलमेंट आफ़ीसर	१	...
डाइरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स-आफ़िस	१	४
डिवीजनल इंस्पेक्टर शिक्षा-विभाग	...	५
डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर	४	१३
निजाम कालेज	९	७
मदरासी-आलिया	...	१
उस्मानिया यूनीवर्सिटी आफ़िस	...	३
अनुवाद-विभाग	१	२०
उस्मानिया यूनीवर्सिटी कालेज	११	५६
„ मेडीकल कालेज	७	७
इंजीनियरिंग कालेज	१	८
सिटी इण्टर कालेज	१	६
जनाना कालेज	...	३
अन्य कालेज और हाई स्कूल	१८	५०
मेडिकल डाइरेक्टर-आफ़िस	...	२
मेडिकल स्टोर	...	१
सिविल सर्जन	४	५
लेडी सिविल सर्जन	१	...
असिस्टेंट सर्जन	३७	२०

	हिन्दू	मुसलमान
लेडी असिस्टेंट सर्जन	२	१
मलेरिया-आफिसर	१	१
यूनानी अस्पताल	...	९
यूनानी मेडिकल स्कूल	...	२
सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर पी० डब्लू० डी०	...	४
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ”	५	८
असिस्टेंट इंजीनियर ”	४	१७
प्रोवेशनर असिस्टेंट इंजीनियर ”	१	३
सब-इंजीनियर पी० डबल्यू० डी०	११	१२
अन्य कचमारी ”	१३	१८
कंट्रोलर टू प्रिंसेज	...	१
मिंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टाम्य विभाग	२	३
महकमा जंगलात	३	१२
जङ्गल-बन्दोबस्त-आफिसर	...	२
कस्टम विभाग	३	१९
एकसाइज कमिश्नर	...	२
” ताल्लुकेदार	२	२
” सुपरिण्टेण्डेण्ट	१	१४
सुपरिण्टेण्डेण्ट अफीम	...	१
खान विभाग	२	३
कृषि विभाग	५	३

	हिन्दू	मुसलमान	
डाइरेक्टर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज-ऑफिस	३	२	
कॉटेज इण्डस्ट्रीज	३	...	
इण्डस्ट्रियल लेबोरेटरी	३	३	
इंस्पेक्टर स्टीम-बॉइलर	१	१	
को-ऑपरेटिव सोसाइटी	२	१२	
डाक-विभाग	१	८	
सरदार-उल्-आलिया	...	१	
धार्मिक प्रबन्ध-विभाग	...	२	
दफ्तर दीवानी और माल	...	७	
सेण्ट्रल-प्रेस	१	२	
निजामिया ऑबज़रवेटरी	१	...	
गवर्नमेंट लाइब्रेरी	...	१	
टेलीफोन	१	१	
पबलिक गार्डन	...	१	
वेटेरिनरी	५	२	
ऑरकॉलाजीकल विभाग	...	४	
महकमा मर्दुमशुमारी	...	२	
स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट	...	२	
लैण्ड कम्पेंसेशन ऑफिस	...	१	
हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी	१	८	
लोकल फ़ण्ड	...	१	
कोर्ट ऑफ़ वाड्ज़	...	२	
❀	जोड़.....	२४९	८७५

❀ ये आँकड़े हैदराबाद की सन् १९३१ की सिविल लिस्ट से लिये गये हैं ।

यह तालिका केवल उन मुसलमानी राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिये दे दी गयी है, जिनमें हिन्दू बहुमत है, और मुसलमान अल्पमत । चूँकि भोपाल, टोंक, रामपुर, भावलपुर-आदि की यही दशा है, अतः सब की पृथक्-पृथक् तालिका देना व्यर्थ है ।

राजपूताने के हिन्दू राज्यों में और पच्छिमी भारत-एजेन्सी के राज्यों में मुसलमान अल्पमत में हैं, पर प्रायः सरकारी नौकरियों में उनका ध्यान रक्खा जाता है, यद्यपि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके लिये कोई संख्या या प्रति-शत निर्धारित नहीं है । हाँ, ग्वालियर में प्रति-शत निश्चित है, इसलिये जब कभी किसी महकमे में कोई स्थान खाली होता है, और यदि निश्चित प्रति-शत से कम मुसलमानों की संख्या उस महकमे में हुई, तो उस रिक्त स्थान के लिये जो विज्ञापन 'आवश्यकता' का दिया जाता है, उसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है कि "मुसलमान उम्मेदवार को तरजीह दी जावेगी ।" ब्रावनकोर, मैसूर, और कोचीन-आदि में साम्प्रदायिकता के ढंग पर मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं हैं, पर जन-संख्या और योग्यता के अनुसार उन राज्यों में भी मुसलमानों का विशेष ध्यान रक्खा गया है ।

समाज-सुधार

इसमें सन्देह नहीं कि देशी राज्यों की प्रजा ब्रिटिश-भारत की जनता से उन्नति के क्षेत्र में बहुत पीछे है, इसलिये वहाँ राजनीतिक जागृति तो नहीं ही है, वरन् समाज-सुधार-आंदोलन में भी देशी राज्य पिछड़े हुए हैं। फिर भी किसी-किसी सामाजिक मामले में देशी राज्य ब्रिटिश-भारत से भी आगे बढ़े हुए हैं। ब्रिटिश-भारत में जो कुछ भी सामाजिक जागृति हुई, और पुरानी रूढ़ियों का नाश हुआ, वह जनता के आन्दोलन के बल पर हुआ—गवर्नमेंट से कोई विशेष कानूनी सहायता नहीं मिली। हाँ, हाल में ही बाल-विवाह रोकने लिये 'शारदा-एक्ट' अवश्य ही पास होगया है, पर उसका रूप कुछ ऐसा है, जिससे समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उधर सरकार ने भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे शारदा-एक्ट एक मुर्दा कानून-सा मालूम होता है। यद्यपि इसका कारण रूढ़ि-भक्त भारतीयों का विरोध और इस मामले में भारत-सरकार का उदासीन रहना ही है। मगर अनेक देशी राज्यों में एक अरसे से बाल-विवाह-निषेधक कानून बन चुके हैं, और उन पर सख्ती से अमल-दारामद हो रहा है। सब से पूर्व बड़ौदा राज्य को लीजिये। जिन-जिन देशी राज्यों में बाल-

विवाह-निषेधक क़ानून बने हुए हैं, उन सब में बड़ौदा का बाल-विवाह-निषेधक क़ानून अधिक सख्त है। लगभग १२ वर्ष पूर्व बड़ौदा-दरबार ने बाल-विवाह की प्रथा रोकने के लिये साधारण-सा क़ानून बनाया था; क्योंकि उस समय तक 'बाल-विवाह-क़ानून' जारी करना अपने सिर बला लेनी थी। उस क़ानून पर ११-१२ वर्ष अमल हुआ, और समाज में उससे अधिक जागृति फैली। अब बड़ौदा की व्यवस्था-पिका-सभा में उस क़ानून को और भी आगे बढ़ाने की माँग हुई। महाराज ने एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका कार्य यह जाँच करना था कि प्रचलित बाल-विवाह-क़ानून से प्रजा को कहाँ तक लाभ पहुँचा, लोक-मत इसके पक्ष में कहाँ तक है, और उसमें किस-किस सुधार की आवश्यकता है, जिससे बाल-विवाह क़तई रुक सकें। कमीशन ने राज्य-भरमें घूम-घूम कर गवाहियाँ लीं, और संस्थाओं के विचार भी नोट किये। अन्त में उसने जो रिपोर्ट दी, उसका सार यह था कि लोक-मत क़ानून के पक्ष में है, और क़ानून को अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है। उस रिपोर्ट के आधार पर बड़ौदा में नये बाल-विवाह-निषेधात्मक क़ानून की रचना हुई, जिसमें मुख्य बात यह रक्खी गयी कि क़ानून में निर्धारित आयु से पूर्व विवाह करनेवाले वर-पक्ष और कन्या-पक्ष के संरक्षक ही उत्तरदायी न होंगे, वरन् उन लोगों पर भी मुक़दमा चलाया जा सकेगा, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

से बाल-विवाह में भाग लिया है, या सहायता दी है। इसके कारण वह पुरोहित, नाई-आदि भी दण्डनीय हो जाते हैं, जो विवाह के समय धार्मिक रीति-रिवाज करवाते हैं। बराती भी इस अभियोग से बरी नहीं हो सकते; क्योंकि बरात में सम्मिलित होना भी तो विवाह में भाग लेना या सहायता देना है। विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे कड़े कानून के होते हुए किसका साहस हो सकता है कि वह कानून की अवहेलना करके बाल-विवाह कर डाले? यदि किसी के संरक्षक किसी प्रकार बाल-विवाह करने को तैयार भी हों, तो पुरोहित महाराज क्यों दण्ड भुगतने लगे? नाई क्यों खतावार बने? और बराती क्यों मुफ्त में ही कानून के शिकंजे में फँस जावें?

ग्वालियर, इन्दौर, कोल्हापुर, वूँदी, अलवर, और भरतपुर-आदि अनेक राज्यों में बाल-विवाह-निषेधात्मक कानून हैं, पर वह इतने कड़े नहीं हैं। कहीं-कहीं तो उन पर अमल-दरामद भी नहीं होता। ग्वालियर ने हाल में ही ऐसा कानून बनाया है। भरतपुर में स्वर्गीय महाराज कृष्ण-सिंह ने सन् १९२६ ई० में ही इसके लिये कानून बना दिया था। उस कानून में लड़की की आयु १४ और बर की आयु १६ वर्ष उचित मानी गयी थी। महाराज के शासन-काल में उस पर अमल हुआ, पर जब अंग्रेज दीवान के हाथ में शासन की बागडोर पहुँची, तो वह कानून बालाए-ताक

रख दिया गया । नाम के लिये अब भी क़ानून मौजूद है; पर गुड्डे-गुडियों के विवाह बराबर होते रहते हैं, और कोई हस्तक्षेप नहीं होता । कोटा में इस क़ानून पर सरस्ती के साथ अमल कराया जा रहा है । अभी हाल में ही क़ानून के विरुद्ध वहाँ एक विवाह हुआ, तो मैजिस्ट्रेट ने एक मास की सज़ा तथा एक हजार रुपया जुर्माने का दण्ड दिया । यदि अधिकारी-वर्ग इसी प्रकार कार्य करते रहे, तो इसमें सन्देह नहीं कि बाल-विवाहों की खासी रोक हो जावेगी ।

उपरोक्त सभी राज्यों के बाल-विवाह-निषेधक क़ानून विभिन्न हैं । किसी में वर की आयु विवाह-योग्य १३ वर्ष मानी गयी है तो किसी में १६ और किसी में १८ भी । इसी प्रकार कन्या की आयु भी भिन्न-भिन्न रखी गयी है । क़ानून का पालन न करने पर सज़ाएँ भी भिन्न-भिन्न ही हैं ।

बाल-विवाह के अतिरिक्त कुछ राज्यों में वृद्ध-विवाह-निषेधक क़ानून भी हैं । उनमें यह व्यवस्था है कि ५० वर्ष से अधिक आयु-वाला कोई व्यक्ति विवाह न कर सकेगा । ४५ वर्ष से ५० वर्ष तक की आयु में विवाह करने के लिये यह आवश्यक होगा कि वर की आयु से कन्या की आयु कम से कम आधी अवश्य हो । इस व्यवस्था से उन राज्यों में यह नहीं हो सकता कि वर महाशय तो ५० वर्ष के हैं, और १० या १२ वर्ष की कन्या से विवाह कर रहे हैं; जो देखने में पुत्री या पौत्री जँचती हो । एक-दो राज्य के बाल-

विवाह-निषेधक क़ानून में यह भी व्यवस्था है कि ५० वर्ष से अधिक आयु-वाला व्यक्ति किसी कुमारी कन्या से विवाह नहीं कर सकता । अर्थात्, वह चाहे तो विधवा-विवाह कर ले; विधवा की आयु चाहे कुछ भी हो ।

भरतपुर-राज्य में सन् १९२६ में जो समाज-सुधार-एक्ट बना था, उसमें विधवा-विवाह को भी क़ानूनन्-जायज़ करार दिया गया था, पर शर्त यह थी कि ऐसे विवाहों की रजिस्ट्री हिन्दू-मन्दिरों में और मुसलमान मसजिद में करावें, जिससे उत्तराधिकार-सम्बन्धी कोई मुक़दमा दीवानी में आने पर भ्रम-निवारण के लिये मंदिर या मसजिद कार जिस्टर तलब कराया जा सके ।

कुछ देशी राज्यों में बाल-विवाह-निषेधक-क़ानूनों के अतिरिक्त अन्य कुरीतियों को मिटाने के लिये भी कुछ क़ानून बने हैं—जैसे भरतपुर में बालक-तम्बाकू-वर्जन-विधान बनाया गया था । इस विधान के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु के बालक का तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का-आदि पीना मना था । यदि कोई दूकानदार ऐसे बालक के हाथ तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, बेचे—तो उसे दण्ड दिया जाय । पर क़ानून पर अमल नहीं हुआ; क्योंकि क़ानून के लागू होने के बाद ही महाराज से अधिकार छिन गये, और अंग्रेज-दीवान ने समाज-सुधार-एक्ट की तरह उसे भी रद्दी की कोठरी में फेंक दिया । इन्दौर और अलवर राज्यों ने 'नुक्ता-निषेधक

विधान' भी बनाये हैं, जिनके अनुसार मृतक-बिरादरी-भोज-जैसी कुप्रथा की रोक की गयी है ।

ब्रिटिश-भारत में अछूतों की जैसी दयनीय दशा है, देशी राज्यों में भी उससे कम नहीं है; पर कुछ रियासतों ने इस ओर भी आगे कदम बढ़ाया है। बड़ौदा में अछूतोंकी शिक्षा-दीक्षा का खास खयाल रक्खा जाता है। स्व० भरतपुर-नरेश ने राज्य-भर के सार्वजनिक कुर्वे अछूतों के लिये खुलवा दिये थे । साथ ही पाँच चमार चौधरियों को अपने दरबार का दरबारी नियुक्त किया था । अछूत बालकों के लिये पाठशालाएँ खोली थीं, और 'शासन-समिति' में अछूतों को अपने १५ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया था ।

धार्मिक स्वतंत्रता

प्रायः सभी देशी राज्यों में प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने-अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है। कुछ देशी राज्यों ने अल्प-संख्यक जातियों को अपने धार्मिक कार्य मनाने के लिये विशेष सुविधायें दी हैं, और कुछ देशी राज्यों में बहुसंख्यक जातियों पर भी धार्मिक कार्यों में प्रतिबन्ध लगे हुए हैं।

ग्वालियर राज्य की जन-संख्या सन् १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार ३५ लाख है, जिसमें दो लाख मुसलमान हैं। पर ग्वालियर दरबार की ओर से मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ प्राप्त हैं। इतना ही नहीं, हिन्दू होते हुए भी महाराज स्वयं मुहूर्म-जैसा मुसलमानों का त्यौहार मनाते हैं, और ताजियादारी करते हैं। मुहूर्म के दिनों में महाराजा हरे वस्त्र पहनकर इस्लामी रीत्यानुसार फक्कीरी धारण करते हैं। साल-भर तक महाराज की ओर से एक विशाल ताजिया तैयार करवाया जाता है, जो मुहूर्म के दिनों में एक सुसज्जित आलीशान इमामबाड़े में रक्खा जाता है। इस इमामबाड़े पर सात दिन तक खूब रोशनी की जाती है, और कंगाल-अहाते में सैकड़ों कंगालों को भोजन दिया जाता है। ताजिया के गश्त के समय स्वयं महाराज साथ में रहते हैं। राज्य के

सभी सरदार, दरबारी और सैनिक साथ में रहते हैं। इस प्रकार राज्य की ओर से मुहर्रम के अवसर पर पर्याप्त धन व्यय किया जाता है। बड़े-बड़े हिन्दू सरदार भी महाराज की भाँति ताजियादारी करते हैं। वह भी ताजिया बनवाते और 'फ़कीरी' धारण करते हैं। 'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार वहाँ की बहुत-सी हिन्दू जनता भी महाराज की भाँति हरे वस्त्र धारण करके मुहर्रम मनाती है।

जब कभी दशहरा और मुहर्रम एक-साथ आ पड़ते हैं, तो महाराज दोनों में सम्मिलित होते हैं, और पूर्ववत् बाजा-आदि बजता है।

महाराज ने एक पबलिक-पार्क बनवाया, तो उसमें हिन्दुओं के लिये मन्दिर, मुसलमानों के लिये मसजिद और सिक्खों के लिये गुरुद्वारा बनवा दिया है। इससे पता चलता है, कि ग्वालियर-दरबार सब जातियों के धर्मों का ध्यान रखता है।

हैदराबाद स्टेट में सन् १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार १५ लाख ३५ हजार मुसलमान और १ करोड़ २१ लाख ७३ हजार हिन्दू हैं, पर हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। आगे लिखे सरक्यूलर्स से इन प्रतिबंधों पर भली प्रकार प्रकाश पड़ जाता है—

सरक्यूलर नं० १

सरक्यूलर नं० ३ ता० १३ अवान, १३२६ फ़सली

बहुक्म निज़ाम-गवर्नमेंट

चूँकि इस वर्ष दशहरा का त्यौहार मुहर्रम के अवसर पर आ पड़ा है, इसलिये निम्न प्रबन्ध किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी पाबन्दी करे:—

(१) हैदराबाद नगर तथा जिलों के सभी हिन्दू अपनी पूजा बिना किसी प्रकार के वाजा बजाये हुए करें।

(२) जो 'सिमोलंघन' (छेंकर-पूजा) के लिये बाग़ में जाना चाहें, वह बिना किसी प्रकार का वाजा बजाये और हर्ष प्रकट किये, जा सकते हैं।

(३) बतकम्मा (देवी) का जुलूस न निकाला जाय और हिन्दू अपने घरों के मन्दिरों में भी वाजा न बजावें।

(४) जहाँ मन्दिर के चारों ओर बड़ी-बड़ी दीवारें हों, वहाँ मन्दिर के अन्दर हिन्दू अपने देवता की पूजा साधारण वाजे के साथ कर सकते हैं, पर उसकी ध्वनि मन्दिर के बाहर न गूँज उठे। मन्दिर के अन्दर पूजा करते समय मुसलमान हस्तक्षेप न करें। यह रिआयत छोटे-छोटे घरों के हिन्दू-मन्दिरों के लिये नहीं है; अर्थात् उनमें पूजा के समय वाजा नहीं बज सकता।

(५) दशहरा के भण्डे १५ वीं तारीख (मुहर्रम मास की) को फहरा दिये जायँ, और भण्डे के सम्बन्ध के धार्मिक

कृत्य (अर्थात् बलि और पूजा) उसी १५ वीं तारोख को रख दिये जायँ ।

जो कोई हिन्दू या मुसलमान इस आज्ञा को भंग करेगा, उस पर मुकद्दमा चलाया जायगा । पुलिस उपरोक्त नियमों के पालन की ओर ध्यान रखे, और यह भी देखे कि इन नियमों की आड़ में कोई ज्यादाती न हो । पैगाह-जमीदार और जागीरदार भी अपनी-अपनी सीमा में इन नियमों को लागू कर दें ।

सरक्यूलर नं० २

ता० २५ बहमन, १२९५ फसली के क्रिमिनल सरक्यूलर नं० ३ में धारा १२ के अनुसार मसजिद के सामने बाजा बजाना दण्डनीय घोषित हो चुका है । अतः नोटीफिकेशन सन् १३०६ फसली के अनुसार पुलिस को हिदायत की जाती है कि इस आज्ञा पर पूर्ण रूपसे अमल हो और कोई इसे भंग न करे । जो इसे भंग करे, उस पर फौरन् मुकद्दमा चलाया जाय ।

फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी,

जुडीशियल-विभाग ।

सरक्यूलर नं० ३

नाज़िम और सेक्रेटरी निज़ाम-गवर्नमेंट, धार्मिक-प्रबन्ध-विभाग

नं० ४१४ ता० २८ अजुर, सन् १३१० फसली

यद्यपि इस दफ्तर के प्रस्ताव पर होम सेक्रेटरियेट ने मसजिदों के सामने बाजा न बजाने की आज्ञा प्रसारित कर

रक्खी है, पर अनेक शिकायतों से पता चलता है कि इस आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, जिससे अनेक बार भगड़े और दंगे हो जाते हैं। इसलिये निजाम महोदय की समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है, कि मसजिद के आस-पास ३०० गज की दूरी में किसी प्रकार का बाजा न बजाया जाय। जो इस आज्ञा की अवज्ञा करेगा, उस पर सरक्यूलर नं० ३ ता० २५ बहमन, सन् १२९५ की धारा १२ के अनुसार मुक़दमा चलाया जायगा। चूँकि मसजिद के सामने बाजा बजाना अपराध माना गया है, इसलिये जो भी इसकी अवज्ञा करे, उसे १००) जुर्माने का दण्ड दिया जायगा।

नाज़िम धार्मिक-प्रबन्ध-विभाग।

सरक्यूलर न० ४

एच० ई० एच० निजाम गवर्नमेंट गज़ट, पृष्ठ ६१६, भाग १,

ता० २४ शरेवर, १३०८ फ़सली

धार्मिक-प्रबन्ध-विभाग, ता० १९-१०-१३०८ फ़सली

नवाब।मदारुलमहम बहादुर की आज्ञा से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हैदराबाद नगर, इसके बाहर और निजाम डोमीनियन में जहाँ कहीं भी इस्लाम के अनुयायियों की संख्या पर्याप्त हो, वहाँ वर्तमान पुराने मन्दिरों और गढ़ियों (मठों) को न बढ़ाया जाय और न उनमें सुधार

किया जाय । ऐसे मन्दिर और मठ उसी अवस्था में रहें, जिस अवस्था में पूर्व से हैं ।

ह० ईसा खाँ कुरैशी

असिस्टेंट सेक्रेटरी, धार्मिक-प्रबन्ध-विभाग

इसी प्रकार भोपाल राज्य में भी हिन्दुओं के धार्मिक कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध हैं । अन्य देशी राज्यों में धार्मिक कार्यों-सम्बन्धी न तो कोई कानून है, और न सरक्यूलर । वहाँ की स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार धार्मिक कार्य होते रहते हैं । जब कभी कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो प्राचीन रीति-रिवाज के अनुसार 'दरबार' अपना फ़ैसला देते हैं । प्रायः सभी नरेश अपनी प्रजा के धार्मिक भावों का ध्यान रखते हैं ।

प्रायः सभी हिन्दू देशी राज्यों में गो-वध-निषेध है । वहाँ 'ईद-बकरीद' के अवसर पर भी गो-वध नहीं होता । काश्मीर के मुसल्मान इस रीति को उठा देना चाहते हैं, और गो-वध की स्वतंत्रता की माँग कर रहे हैं ।

एक-दो राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में हिन्दू, मुसल्मान, सिख, पारसी, ईसाई, प्रेमपूर्वक रहते हैं, और एक के धार्मिक कार्यों में दूसरा बाधा नहीं डालता । वहाँ धार्मिक विवाद बहुत कम उठते हैं । जब कभी कोई प्रश्न उठता है, तो प्रेम से ही उसका निर्णय हो जाता है; सार्व-जनिक रूप में साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं बनता । ..

प्रेस-सम्बन्धी विधान

जिन बड़े-बड़े राज्यों की शासन-व्यवस्था ब्रिटिश-भारत के ढंग पर संगठित है, उन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में प्रायः प्रेस-सम्बन्धी कोई विधान ही नहीं है। उन राज्यों में न पत्र हैं, और न प्रेस। यदि प्रेस की कोई चर्चा करे, तो राज्य एक बला समझकर उस चर्चा को दबा देते हैं।

काश्मीर राज्य में ब्रिटिश-भारत के सन् १९०८ के प्रेस-एक्ट के समान ही प्रेस-एक्ट बना हुआ है। हैदराबाद राज्य में स्वतंत्र प्रेस-एक्ट है, जो अपने ढंग पर बनाया गया है। मैसूर राज्य में ब्रिटिश-भारत के प्रेस-एक्ट को ही कुछ परिवर्तनों के साथ अपना लिया गया है। इन्दौर-राज्य और बड़ौदा-राज्य में अपने-अपने ढंग के प्रेस-एक्ट हैं। ग्वालियर राज्य में नियमानुसार कोई प्रेस-एक्ट न था। सन् १९१९ ई० में एक पत्र-प्रकाशक ने प्रकाशन की आज्ञा के लिये दर-ख्वास्त दी, तब जुडीशियल विभाग ने एक सरक्यूलर निकाल दिया, जिसमें प्रेस और पत्र-प्रकाशन-सम्बन्धी कुछ शर्तें थीं। वही सरक्यूलर कई वर्ष तक प्रेस-एक्ट का काम देता रहा, पर अब एक छोटा-सा प्रेस-एक्ट बन गया है। भरतपुर-राज्य में न तो अपना प्रेस-एक्ट ही है और न ब्रिटिश-भारत का प्रेस-एक्ट वहाँ लागू है। जोधपुर राज्य ने एक प्रेस-एक्ट बना रखा है, जिसकी धारा २ (डी) के अनुसार प्रेस की

परिभाषा में 'साइक्लोस्टाइल' भी सम्मिलित कर लिया गया है, धारा २ (ई) के अनुसार 'जब्तशुदा-साहित्य' की परिभाषा इस आशय की है कि "वह साहित्य, जो भारत-सरकार या भारत-सरकार की किसी भी प्रांतीय सरकार अथवा किसी भी देशी राज्य ने जब्त किया हो।" धारा ५ में कहा गया है कि "महकमा खास से आज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी मनुष्य या किसी भी प्रेस द्वारा, मारवाड़ के अन्दर, कोई भी समाचार-पत्र या पुस्तक या कागज़ न तो छुप सकता है, और न प्रकाशित हो सकता है।" जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बिना महकमा खास की आज्ञा प्राप्त किये विवाह-आदि के निमंत्रण-पत्र या औषधियों के विज्ञापन तक नहीं छुप सकते। धारा ७ में यह व्यवस्था है कि "कोई भी प्रेस या प्रकाशक अपने प्रकाशित साहित्य का बाहर के प्रकाशित साहित्य से परिवर्तन नहीं कर सकता।" इसका स्पष्ट आशय है कि यदि जोधपुर का प्रकाशक अपनी किसी पुस्तक का 'पहाड़े की पुस्तक' या 'क्रिस्ता तोता-मैना' से भी परिवर्तन करना चाहे, तो नहीं कर सकता।

इसी प्रकार अलवर राज्य ने एक सरक्यूलर प्रकाशित कर रक्खा है, जिसमें पत्र और प्रेस की स्वाधीनता के अपहरण-सम्बन्धी कुछ नियम हैं। वहाँ कोई प्रेस-एक्ट नहीं। जयपुर राज्य में प्रेस-सम्बन्धी विधान है, पर धौलपुर, करौली, टोंक, वाँसवाड़ा—आदि राजस्थान के अन्य किसी भी राज्य

में प्रेस-सम्बन्धी कोई विधान नहीं है। भोपाल, रामपुर, आदि में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पंजाब के देशी राज्यों की भी यही दशा है; पर पटियाला में एक विधान बना लिया गया है। काठियावाड़ के कुछ राज्यों में ब्रिटिश-भारत का ही प्रेस-एक्ट लागू है, और कुछ राज्यों में कोई विधान नहीं है। त्रावनकोर में एक स्वतंत्र प्रेस-एक्ट बना हुआ है।

समाचार-पत्र

जब अधिकांश राज्यों में प्रेस-एक्ट ही नहीं है, तो उनसे समाचार-पत्रों का प्रकाशित न होना स्वाभाविक ही है। हाँ, कुछ उन्नतिशील राज्यों से एक-दो समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं। मैसूर राज्य से एक कनाड़ी भाषा का और एक अंग्रेजी भाषा का समाचार-पत्र जनता के पक्ष का प्रकाशित होता है। हैदराबाद से उर्दू के दो-एक पत्र निकलते हैं; पर वह सभी राज्य-पक्ष के समर्थक हैं। बड़ौदा स्टेट से 'सयाजी-विजय' नाम का गुजराती पत्र प्रकाशित होता है, जो अर्द्ध-सरकारी है। इन्दौर राज्य से 'मल्हार-मार्तण्ड' नाम का हिन्दी-मराठी भाषा का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था, जो अर्द्ध-सरकारी था; पर अब वह बन्द हो गया है। अब 'वीणा' और 'वाणी' नाम की दो साहित्यिक मासिक-पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं। पटियाला राज्य से अंग्रेजी में

साम्पाहिक 'राजस्थान' निकलता था, जो सरकारी पत्र था; पर अब बन्द हो गया। ग्वालियर राज्य से 'जयाजी-प्रताप' साम्पाहिक पत्र अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में प्रकाशित होता है, पर वह सरकारी है। भरतपुर राज्य से 'भारत-वीर' नाम का साम्पाहिक हिन्दी पत्र प्रकाशित हुआ था, जो स्वर्गीय महाराजा कृष्णसिंह का निजी पत्र था, पर महाराज के अधिकार-त्याग के बाद अंग्रेज दीवान ने उसे बन्द करवा दिया। अन्य किसी राज्य से कोई पत्र नहीं निकलता। हाँ, जातीय, सामाजिक या वैद्यक-सम्बन्धी कुछ पत्र प्रकाशित होते हैं।

देशी राज्यों के बाहर जो समाचारपत्र निकलते हैं, वह प्रायः सभी देशी राज्यों की चर्चा करते रहते हैं; पर दिल्ली से उर्दू में 'रियासत', अंग्रेजी में 'प्रिंसली इण्डिया' और 'यूनाइटेड स्टेट्स एण्ड यूनाइटेड इण्डिया' तथा अजमेर से 'राजस्थान-सन्देश' और भाँसी से 'प्रजा-मित्र' आदि पत्र केवल देशी राज्यों-सम्बन्धी ही निकल रहे हैं। पहले वर्धा से 'राजस्थान-केसरी' अजमेर से 'तरुण राजस्थान' और व्यावर से 'अंग्रेजी में 'थंग राजस्थान' प्रकाशित हुए थे, जो इस समय बन्द हैं। भाँसी से 'दि स्टेट्स' नामक एक अंग्रेजी साम्पाहिक पत्र प्रकाशित हुआ था, जो कुछ महीने बाद बन्द हो गया। राणपुर (गुजरात) से 'सौराष्ट्र' नाम का गुजराती साम्पाहिक पत्र प्रकाशित होता है, जो देशी राज्यों-सम्बन्धी

आन्दोलन करता रहता है। नडियाद से गुजराती भाषा में 'देशी राज्य' नाम से एक मासिक-पत्र प्रकाशित हुआ था, जो एक साल बाद बन्द हो गया। 'तरुण राजस्थान' के बन्द हो जाने पर 'नवीन राजस्थान' प्रकाशित हुआ था, पर वह भी अब बन्द है। लाहौर के उर्दू में 'नरेश' नाम का एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था, जो नरेशों का समर्थक था, पर उसका प्रकाशन अब स्थगित है। काश्मीर राज्य से एक उर्दू पत्र प्रकाशित होता है, जो जनता-पक्ष का समर्थक है।

भाषण-स्वातन्त्र्य

देशी राज्यों में सभा करने और भाषण करने की स्वतन्त्रता नहीं है। बड़ौदा, काश्मीर, इन्दौर, ग्वालियर, मैसूर और हैदराबाद—आदि उन्नतिशील राज्यों में यद्यपि भाषण-स्वातन्त्र्य पर कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध नहीं है, पर सामाजिक और धार्मिक विषयों के अतिरिक्त राजनीतिक चर्चा वहाँ भी नहीं हो पाती। जहाँ ऐसी चर्चा छिड़ जाती है, वहाँ किसी-न-किसी प्रकार की रोक-थाम कर ही दी जाती है।

उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त राजपूताना के राज्यों में स्पष्ट रूप से भाषण-स्वातन्त्र्य पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। उदाहरण रूप में अलवर को ही लीजिये। अलवर-नरेश ने इस सम्बन्ध में निम्न आशय का सरक्यूलर जारी कर रखा है, जो राज्य के स्थायी विधान के समान है:—

१.—इस विधान के अनुसार ५ से अधिक व्यक्तियों की सभा सार्वजनिक सभा समझी जावेगी ।

२.—किसी राजनीतिक विषय पर, तथा ऐसे विषय पर, जिससे अशान्ति का अन्देशा हो, विवाद करने तथा ऐसे विषयों-सम्बन्धी साहित्य (मुद्रित या हस्त-लिखित) को वितरण करने के लिये कोई सभा न हो सकेगी ।

३.—किसी भी सार्वजनिक सभा में ऐसे विषयों पर विवाद न हो सकेगा, जो अलवर स्टेट, इसकी सरकार, इसकी सत्ता, भारत-सम्राट्, उनकी सरकार अथवा अन्य किसी भी देशी नरेश के हितों के विरुद्ध हों ।

४.—कोई भी व्यक्ति सभा की योजना करने में न तो स्वयं भाग लेगा, और न इसके लिये दूसरों को परामर्श देगा । कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर सभा में भाग न ले सकेगा ।

५.—कोई भी व्यक्ति ऐसे लेख न लिखेगा, न छापेगा, न प्रकाशित करेगा, और न राज्य के अन्दर अथवा बाहर वितरण करेगा, जिनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महाराज अलवर, उनके राज्य-परिवार, उनकी सरकार, भारत-सम्राट् अथवा भारत के किसी भी देशी नरेश के हितों के विरुद्ध हो ।

६.—ऐसे लेखों को न तो कोई अपने पास रखे, और न बाहर से लावे, और उनका ग्राहक भी न हो ।

७—इस विधान की अवज्ञा करनेवाले को ५ वर्ष के कारावास अथवा दो हजार रुपये तक के जुर्माने का दण्ड दिया जायगा । यदि आवश्यकता हुई, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य से निकाल दिया जावेगा ।

इसी प्रकार जोधपुर राज्य में—जबकि नाबालिगी के कारण वहाँ भारत-सरकार-द्वारा नियुक्त रीजेंसी कौंसिल का शासन था, निम्न आशय का विधान बनाया गया था, जो अब भी वहाँ लागू है:—

“जो कोई लिखित अथवा भाषित शब्दों, इशारों या किसी प्रतिनिधि-द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से भारत-सम्राट्, जोधपुर-नरेश अथवा उनके शासन के प्रति घृणा फैलायेगा, या फैलाने का उद्योग करेगा, अथवा अपमान करेगा, या उत्तेजना फैलायेगा, या असंतोष और अराजकता फैलाने का उद्योग करेगा, वह राजद्रोह का अपराधी समझा जावेगा ।

१—ऐसी कोई भी सभा न हो सकेगी, जिसमें राजद्रोह फैलानेवाले विषयों पर विवाद हो, या उनका प्रचार हो, अथवा जिनसे सार्वजनिक शांति भङ्ग हो, या जिनमें किसी भी लिखित या मुद्रित साहित्य का प्रदर्शन हो, या वितरण हो ।

२—मारवाड़ राज्य के किसी भी निवासी को यदि यह पता चले कि अमुक व्यक्ति के पास राजद्रोही पर्चे, निषिद्ध समाचारपत्र या ब्रिटिश-सरकार अथवा जोधपुर राज्य के प्रति

उत्तेजना फैलानेवाला मासिक साहित्य और ऐसा कोई भी साहित्य—जिससे सार्वजनिक उपद्रव होने का अन्देशा हो, या शांति-भंग हो सकती हो—है, तो वह ४८ घंटे के अन्दर अपने निकट के मैजिस्ट्रेट अथवा पुलिस-अफसर को उसकी सूचना दे ।

३—मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को न ठहरायेगा, जिसे वह राजद्रोही जानता हो ।

४—ब्रिटिश-सरकार या मारवाड़-दरवार के प्रति घृणा फैलानेवाले राजद्रोही लेखों, निपिद्ध समाचार-पत्रों, अथवा मासिक-पत्रिकाओं को, मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति, न तो मँगवावेगा, न अपने अधिकार में रखेगा, न वितरण करेगा और न वितरण करने में सहायता देगा ।

५—कोई भी व्यक्ति राजद्रोहियों से न सम्बन्ध रखेगा और न उनसे पत्र-व्यवहार करेगा ।

अन्य कई राज्यों में ऐसे अथवा इसी आशय के विधान बने हुए हैं ।

आर्थिक स्थिति

काश्मीर, ग्वालियर, वड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर, त्रावनकोर, पुद्दूकोटा, इन्दौर, कोल्हापुर, नवानगर, भावनगर, गोंडाल, जयपुर-आदि कुछ प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त पंजाब राजपूताना और मध्य-भारत के अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन पर कुछ-न-कुछ ऋण हो गया है। पटियाला, अलवर, भरतपुर, बीकानेर-आदि सभी ऋणी हैं। भूपाल ने भी हाल में ऋण लिया है। यह ऋण प्रायः चार प्रकार का है—

१—दूसरे देशी राज्यों का

२—राज्य की प्रजा का

६—ब्रिटिश-भारत के साहूकारों का

४—गवर्नमेंट का

ऋण तथा अनियंत्रित व्यय के कारण ऋणी राज्यों की अवस्था कभी-कभी अत्यधिक बुरी हो जाती है। भरतपुर में सन् १९२६ और २७ ई० में यह दशा थी कि कर्मचारियों का वेतन उस समय बँटता था, जब मासगुज्जारी वसूल होती थी; अर्थात् साल-भर में केवल दो बार। राज्य के ठेकेदारों तथा ब्रिटिश-भारत के व्यापारियों को तो कोई पूछता ही न था। तीन-तीन, चार-चार वर्ष का रुपया वही-खाते में पड़ा रहता। ठेकेदार दरखास्तें देते, ब्रिटिश-भारत के

व्यापारी पत्र पर पत्र लिखते, पर किसी की सुनवाई नहीं। सुनवाई हो कहाँ से ? वहाँ तो राज्य-कोष में पैसे के नाम पर 'विसिमिल्लाह' था ! ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा हरीकृष्ण कौल सी० आई० को उचित प्रवन्ध के लिये दीवान बनाकर भरतपुर भेजा, पर वह भी वेतन का समुचित प्रवन्ध नहीं कर सके। आखिर छः मास के अन्दर ही उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। आपके भरतपुर पधारने से पूर्व छः-छः मास का वेतन बँट चुका था। आपके चले जाने पर पाँच-पाँच मास का वेतन फिर दिया गया। इस पर एक क्लब के मुशायरे में राजा हरीकृष्ण की प्रशंसा में एक मनचले शायर ने कह डाला था—

छः महीने में बटी तनख्वाह केवल दो ही बार।

आपके आने के पहिले, आपके जाने के बाद ॥

बाद में फिर वही दशा हो गयी। चार मास तक वेतन नहीं मिला। जब अंग्रेज दीवान आया, तो उसने नया ऋण लेकर प्रति मास वेतन बटने की व्यवस्था की। उस समय भरतपुर राज्य पर इस प्रकार ऋण था—

१—ग्वालियर राज्य का	१५,०००००
२—बाढ़-एमजेंसी-ऋण (३ साल)	३,००,०००
३—बाढ़-एमजेंसी-ऋण (५ साल)	७,००,०००
४—सेठ टीकमचन्द्र अजमेर-वालों का	८,२४,५००
५—सन् १९२५-२६ के एकाउण्टेंट जनरल-द्वारा	

स्वीकृत विल, जिनकी अदायगी रुपये की	
कमी के कारण नहीं हुई	१२,००,०००
६—पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ठेकेदारों के विल	२,००,०००
७—सन् १९२६ (अप्रैल-मई) में एकाउण्टेण्ट	
जनरल-द्वारा स्वीकृत विल, जिनकी अदायगी	
नहीं हुई	२,००,०००
८—मन्दिर, मसजिद, गोशाला, रामरिसाला का	
चन्दा-फण्ड, कुओं का धर्मादा-आदि का धन	५,००,०००
९—सेठ टीकमचन्द अजमेर-वालों का, ग्रेन-एजेंसी के	
खाते में	५,१०,०००
१०—सेठ टीकमचन्द का फुटकर	१,८०,०००
११—ड्योढ़ी (रानी साहिबा का निजी कोष)	
फण्ड का	५,००,०००
	७०,३४,५००

कुछ लोग ऋण की तादाद एक करोड़ भी बतलाते थे। यही दशा अलवर-राज्य की हो गयी थी। वहाँ भी दो साल तक छः-छः मास के बाद ही वेतन बँटा था। अब भी अलवर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। इस प्रकार ऋणी राज्यों में वेतन बँटने में बड़ी बाधाएँ आ जाती हैं, और बेचारे कर्मचारियों को वनियों की दूकान का सहारा लेना पड़ता है।

ऐसे राज्यों में जब कर्मचारियों तक को वेतन नहीं मिलता, तब अन्य सार्वजनिक हित के कार्य कैसे होते होंगे, यह सभी पाठक समझ सकते हैं। अन्य कार्यों की बात छोड़िये, रुपया न मिलने के कारण जेल का ठेकेदार (मोदी) भी जेल के क्लैदियों के लिये गल्ला-आदि देना बन्द कर देता है, जिससे एक राज्य में तो जेल के क्लैदियों को एक दिन का उपवास भी करना पड़ा था !

ग्वालियर, बड़ौदा, हैदरावाद, काश्मीर, जामनगर, भावनगर-आदि राज्य ऐसे हैं, जो साहूकार हैं। वह अन्य राज्यों को ऋण देते हैं। उनके राज्य-कोष में धन की कमी नहीं है।

कुछ विशेषतायें

१—भारत के समस्त देशी राज्यों में हैदरावाद ही एक ऐसा राज्य है, जिसके प्रॉमेसरी नोट और मुद्रा चलते हैं, पर उनका चलन राज्य की सीमा के बाहर नहीं है।

२—बस्तर (मध्य-प्रांत) ही एक ऐसा राज्य है, जिसकी गद्दी पर एक चत्राणी है। अन्य किसी राज्य में महिलाओं को गद्दी-नशीं नहीं किया जाता।

३—भारत-भर में मैसूर ही ऐसा देशी राज्य है, जिसमें सोने की खान है, और जहाँ सोना निकाला जाता है।

४—लगभग ११० नरेशों के नाम के आगे हिज्र हाइनेस

लिखा जाता है, पर निजाम-हैदराबाद को हिज-एक्जल्टेड-हाइनेस लिखा जाता है।

५—भरतपुर-राज्य का क़िला अजित कहलाता है। उसे किसी ने विजय नहीं कर पाया। क़िले के द्वार पर राज्य का जो झंडा लगा है, वह कभी भी पृथक् नहीं किया जाता। पुराने झंडे को बदलते समय नया झंडा पहले लगा देते हैं, तब पुराना झंडा दूर करते हैं।

६—गोण्डाल राज्य ही एक ऐसा देशी राज्य है, जिसमें कन्याओं के लिये भी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है।

७—बीकानेर राज्य में मकान-कर लगता है। जब कोई अपना मकान बेचता है, तो २५ प्रतिशत राज्य-कोष को देता है। यह नियम बीकानेर-नगर में लागू है। नगर से बाहर राज्य-भर में मकान बेचने पर १२।।) प्रति-शत राज्य-कोष में देना पड़ता है।

८—ग्वालियर राज्य में ब्राह्मण, मुसलमान, राजपूत और मराठा-जाति के लिये सरकारी नौकरियों में प्रति-शत संख्या निश्चित हैं। अन्य राज्यों में ऐसा साम्प्रदायिक प्रति-निधित्व नहीं है।

९—जब से नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना हुई है, तब से आज तक उसकी बैठकों में, सदस्य होते हुए भी, निजाम-हैदराबाद और मैसूर-नरेश स्वयं कभी नहीं पधारे।

१०—ग्वालियर की महाराज-कुमारी (बालक-नरेश की बड़ी वहिन) शेर का शिकार खेलती हैं।

साहित्य-मण्डल-द्वारा प्रकाशित—

पड्यंत्रकारी

फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा की एक अत्युत्तम रचना का अनुवाद। अठारहवीं शताब्दी के अंत में प्रजा-तंत्र के नाम पर जो अत्याचार हुए, उनका लोभ-हर्षक चित्रण मूल्य सचित्र, सजिल्द का १॥)

महापाप

रूस के ऋषि महात्मा टॉल्स्टॉय की दो प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद। पहली रचना में एक वदनसीव नौकर की दर्दनाक कहानी है, दूसरी में सामाजिक वीभत्सताओं की भयानक गाथा है। लोगों ने खूब पसन्द की है। मूल्य सचित्र, सजिल्द का १॥)

यौवन की आँधी

रूस के विख्यात लेखक आइवन तुर्गनैव के एक अत्यन्त प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद। किस प्रकार रूप और यौवन के थपेड़े मनुष्य को अन्धा बना देते हैं, और होश में आने पर किस नाशकारी अनुताप का उद्भव होता है, इसका चित्रण इस पुस्तक में जादू-भरी कलम से हुआ है। मूल्य १॥)

तपोभूमि

लेखकगण, श्री जैनेंद्रकुमार जैन और श्री० ऋषभचरण जैन। इसमें चार अनोखे पात्रों का चित्रण है, जो दुनियाँ की

आँखों में भ्रष्ट और अपने-अपने भीतर आदर्श-रूप हैं। यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य की अनुपम निधि है। मूल्य २), सजिल्द २।।)

श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र

लेखक श्री० चम्पतराय जैन विद्या-वारिधि, वार-एट-लॉ विद्वान् लेखक ने इस पुस्तक में आत्मा का अस्तित्व उसका अमरत्व सिद्ध किया है। अपने विषय की अ-पुस्तक है। मूल्य ॥।।)

देहाती सुन्दरी

अनुवादक, ठाकुर राजबहादुरसिंह । टॉलस्टॉय अत्यन्त प्रसिद्ध रचना 'कॉसेक्स' का भाव-पूर्ण अनुवाद एक नागरिक नवयुवक का ग्राम्य-निवास, और वहाँ बदलने-वाले उसके मनोभावों का मनोहर दिग्दर्शन । मूल्य १।।)

जेल-यात्रा

लेखक, श्री० प्रफुल्लचंद्र ओझा 'मुक्त' । हिंदी के एक उदीयमान् कहानी-लेखक का राजनीतिक उपन्यास । पाठकों को इस उपन्यास की बहुत दिन से प्रतीक्षा थी । राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोत-प्रोत होने के साथ-ही-साथ इस पुस्तक में एक अछूती प्रेम-कहानी का मार्मिक वर्णन है । मूल्य २), सजिल्द २।।)

१. तलाक़

लेखक, 'मुक्त' । पति-पत्नी के बीच अनिवार्य कलह का कारण क्या है ? क्यों आज हमारा गृहस्थ-जीवन काँटों की गज बना हुआ है ? और, किस प्रकार उसे पुष्पित शय्या तं परिणत किया जा सकता है ? इसका रहस्य आप इस मूल्यास में पायेंगे । लेखक की सर्वोत्कृष्ट रचना है । प्रत्येक पुरुष को पढ़नी चाहिये । मूल्य २), सजिल्द २॥)

चार क्रांतिकारी

का अनुवादक, ठाकुर राजवहादुरसिंह । अंग्रेजी के महान दर्दनाक पूर्ण उपन्यास-लेखक एडगर वालेस की रचना का भयानक । चार क्रान्तिकारियों की रोमांचकारी लीलाएँ पढ़-सारे शरीर थर्रा उठता है ! मूल्य १)

विनाश की घड़ी

फ्रांस के विश्व-विख्यात साहित्यिक, महात्मा गांधी के परम भक्त, महाशय रोम्याँ रोलाँ के एक संसार-प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद मूल्य १), सजिल्द १॥)

मास्टर साहब

लेखक, श्री ऋषभचरण जैन । दो मित्रों का हार्दिक प्रेम और जरा-सी बात पर बदलनेवाले उनके भाव, तथा सच्चे और सज्जन पुरुष की विजय का बड़ा ही मनोमोहक वर्णन है । पहला संस्करण समाप्तःप्राय है । मूल्य २)

